पंचम माला, खंड 27, अंक 46, शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1973/7 वैशाख, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXVII, No. 46, Friday, April 27, 1973/Vaisakha 7, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

[खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XXVII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

30 LSS/73—1.

विषय सूची CONTENTS

अंक 46, शुक्रवार 27, अप्रैल, 1973/7 वैशाख, 1895 (शक)

No. 46, Friday, April 27, 1973/Vaisakha 7, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
882 निर्यात, आयात स्थानापन्न और आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आयात नीति	Import Policy to promote Export Import substitutian and Self-Reliance,	1
885 गत भाषा विवाद में आसाम में घायल हुए इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी	Employees of Indian Airlines injured in Assam during the last Language. Agitation.	3
886 "आर्गेनाइजेशन टू रिवाइव सिक एंड क्लोज्ड टी गार्डेन्स टू बी फार्म्ड (संकटग्रस्त और बंद पड़ें चाय बागानों को फिर से चालू करने के लिये संगठन बनाया जायेगा)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Press Report Entitled "Organisation to revive sick and closed Tea Gardens to be formed." . . .	4
888 जीवन बीमा निगम के कर्मचारी-ढांचे में परिवर्तन के लिये अनुरोध	Plea for Changes in L.I.C. Staff Structure	7
889 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुद्ध नकदी अनुपात स्तर का बढ़ाया जाना	Raising the Net Liquidity Ratio Level by Reserve Bank of India. . .	9
898 जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकार गृहों को दिये गये ऋणों की संख्या	Number of Loans granted by L.I.C. to the Monopoly.	12
900 11 मार्च, 1973 को नांगलोई गांव के निकट एक छिड़काव-विमान का उतरना	Landing of a spraying plane near Nangloi village on 11-3-1973. .	15
891 भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and E.E.C.	16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
881 भारत, मिश्र और यूगोस्लाविया में त्रिपक्षीय व्यापार करार	Tripartite Trade agreement among India, Egypt and Yugoslavia	17

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign† marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
883	भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods on Indo-Nepal Border	18
884	अत्यधिक बैंक-ऋणों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा रोक लगाया जाना	R.B.I. Check on Excessive Bank Credits	18
887	देश में पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines to National Tourism Board for Development of Tourism in the Country	20
890	एशिया '72 में खादी के कपड़े के लिये व्यापार करार	Trade Agreements for Khadi Cloth at Asia '72	20
892	स्थानीय पर्यटकों की तुलना में विदेशी पर्यटकों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना	Greater Attention paid to Foreign tourists as compared to local tourists	21
893	तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष	Discontentment among the Central Government Employees over the recommendations of Third Pay Commission . . .	21
894	श्री हरिदास मूंदड़ा और उसकी फर्मों की ओर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Shri Haridas Mundra and his Concerns . .	21
895	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by the Employees of the Nationalised Banks	27
896	'उलगम सूत्रम बलिभान' नामक फिल्म के निर्माता को दी गई विदेशी मुद्रा	Allocation of Foreign Exchange to Producer of Film 'Ulagam Sutrum Valibhan.'	27
897	भारतीय सिग्रेटों का निर्यात	Export of Indian Cigarettes . .	27
899	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा रुपये की लागत बढ़ाने के उपाय	Measures to raise the cost of money by R.B.I.	28
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
8340	प्राइवेट लिमिटेड और ज्वायंट स्टाक कंपनियों द्वारा केन्द्रीय वित्तीय एजेंसियों और केन्द्रीय सरकार से ऋण लिया जाना	Loan taken by Private Limited and Joint Stock Companies from Central Financial Agencies and Central Government . . .	29
8341	1969 से 1972 के दौरान मशीनरी और कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस	Import Licences for Machineries and Raw Materials during 1969 to 1972	30
8342	भारत बंगलादेश सीमा पर तस्करी	Smuggling on India-Bangladesh Borders.	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8343	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में संसदीय समिति	Parliamentary Committee on the Working of Nationalised Banks . .	30
8344	बहु-भाषी पर्यटक पत्रिकाओं के प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव	Proposal for publication of Multilingual Tourist Magazines . . .	30
8345	पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों के संबंध में की गई व्यवस्था	Handling of Passengers at Palam Airport	31
8346	एशियन क्लीयरिंग यूनियन के लिये प्रस्ताव	Proposal for Asian Clearing Union.	31
8347	सिग्रेटों पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Cigarettes .	32
8348	सरकारी उपक्रमों के भर्ती बोर्डों में मध्य प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिये मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध	Request from Madhya Pradesh Government for appointment of representatives from their States on the recruitment of Boards of Public Undertaking.	32
8349	भारत से निर्यात की गई क्राकरी का मूल्य	Value of Crockery exported from India.	33
8350	गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश	Investment in Private Sector and Public Sector	33
8351	विश्व बैंक के दल द्वारा राजस्थान नहर और चम्बल कमांड क्षेत्रों का दौरा	Visit by World Bank Team of Rajasthan Canal and Chambal Command Areas.	34
8352	कर्मचारियों को मिलने वाले समयोपरि भत्ते की अधिकतम सीमा	Maximum Limit of overtime given to employees	35
8353	अभ्रक व्यापार के राष्ट्रीयकरण की सरकारी घोषणा के बाद बेकार हो गये श्रमिक	Workers rendered jobless on government's declaration regarding nationalisation of MICA Trade . . .	35
8354	मूंगफली का निर्यात	Export of Groundnut. . . .	36
8355	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुए घाटे के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of recommendations of Expert Committee on Losses by Public Sector Undertakings. .	36
8356	चौथी योजना के दौरान स्वीकृत संयुक्त उद्यम	Joint Ventures Sanctioned during Fourth Plan	37
8357	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 'लीड बैंक' योजना के अंतर्गत जिलों की संख्या	Number of Districts Covered under Lead Bank Scheme in Drought Affected Areas	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8358	शेटीलिन (केरल) स्थित यूनाइटेड डिस्ट्रीलरीज एंड ब्रियुरीज द्वारा छिपे धन का व्यय	Expenditure from Unaccounted Money by United Distillaries and Breweries in Shertallin (Kerela) . . .	38
8359	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में गर्म मसालों का निर्यात	Export of Spices during 1971-72 and 1972-73	38
8360	मेवों के आयातकर्ताओं को दिये गये लाइसेंस	Issue of Licences to Importes of Dry Fruit.	39
8361	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों का निरन्तर दिल्ली में रहना	Continued Stay in Delhi of the Officers-in I.A. and A.S. . . .	39
8362	यूरिया के आयात के लिये अन्य देशों से करार	Agreement with other Countries for Import of Urea	40
8363	'5 स्टार' होटलों में ठहरने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से 33.3 प्रतिशत अधिक प्रभार लेने के प्रस्ताव को लागू करना	Implementation of Proposal for Charging 33.3 per cent more from Indian Nationals staying in Five Star Hotels.	41
8364	मध्य प्रदेश में तवा परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid for Tawa Project in Madhya Pradesh	41
8365	पर्यटन के संवर्धन हेतु विदेशों में प्रचार साहित्य	Publicity Literature for promotion of Tourism Abroad.	42
8366	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में कमी	Shortfall in the Loans given by the Nationalised Banks	42
8367	मध्य प्रदेश विद्युत चालित करघा बुनकर सहकारी संस्थाओं के लिये ऋण	Loans for Powerloom Weavers Co-operative Societies, Madhya Pradesh.	42
8368	अमरीका को वस्तुओं का निर्यात	Export of Goods to America . .	43
8369	1971-72 में मिलों में बने कपड़े का निर्यात	Export of Mill-made cloth during 1971-72	43
8371	'मिथिला' चित्रों के निर्यात के लिये लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences for Export of Mithila Paintings	43
8372	'टिस्को,' 'टैल्को,' 'हिन्डालको' और माल्को' औद्योगिक एककों के उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings through the Export Products of TISCO, TELCO, HINDALCO AND MALCO Industrial Units. . .	44
8373	बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना	Extension of Age Limit for Recruitment of Bank Employees. .	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
8374	कम किराया वसूल किये जाने के बारे बारे में एयर इंडिया के प्रस्ताव पर पान अमेरिकन एयरवेज का विरोध	Pan American Airways Opposition to Air Indias move for charging Low Fare	45
8375	चाय निर्यात में वृद्धि के लिये कर्मीदल (टास्क फोर्स) की स्थापना	Setting up of a Task Force to Boost Tea Export	45
8376	अन्य व्यक्तियों की टिकटों पर यात्रा करने पर 24 मार्च, 1973 को मीनम्बक्कम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested at Meenamabkkam Airport for travelling on other People's Tickets on 24th March, 1973 .	46
8377	जीवन बीमा निगम द्वारा जमानत तथा बिना जमानत पर ऋण देना	Loan given by L.I.C. against securities and without securities . .	46
8378	अधिक निर्यात की क्षमता वाली वस्तुएं	Items with high Export Potential	48
8379	भारत से निर्यात किये गये तम्बाकु और तम्बाकू उत्पादों का मूल्य	Value of Tobacco and Tobacco products Exported from India . .	48
8380	मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कृषि विकास बैंकों की स्थापना	Opening of Agricultural Development Banks by S.B.I. in Madhya Pradesh	49
8381	ब्रिटेन से प्राप्त ऋण	U.K. Loans	51
8382	शोधित खालों पर निर्यात शुल्क की छूट	Exemption of Tanned Hides from Export Duty	51
8383	अपेक्षाकृत छोटे चाय बागानों के लिये राज सहायता की व्यवस्था	Provision of subsidy to smaller tea Gardens	51
8384	इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्य के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines on fuctioning I.M.P.E.C.	52
8385	1970 से 1973 तक ब्रिटेन को निर्यात किये गये सामान का मूल्य	Value of goods exported to Britian during 1970 to 1973	52
8386	अभ्रक के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned through export of Mica	52
8387	मध्य प्रदेश में विद्युत चालित करघों को ऋण देना	Loan to Powerloom in Madhya Pradesh	53
8389	मध्य प्रदेश में सूत की कमी के कारण बेरोजगार हुए बुनकर	Weavers rendered jobless due to Shortage of yarn in M.P. . . .	53
8390	सुस्थापित आयातकों को सी०सी०पी० जारी करना	Issue of C.C.Ps. to the Established importers.	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8391	मेवों के सुस्थापित व्यापारियों द्वारा अग्रिम निर्यात	Advance Export by Established Dry Fruits Traders	54
8392	दिल्ली के सिनेमा मालिकों और फिल्म वितरकों की ओर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Cinema-owners and Film Distributors in Delhi .	55
8393	रिजर्व बैंक आफ इंडिया की विदेशी मुद्रा की राशि में निर्यात संवर्द्धन का प्रभाव	Reflection of Export Improvement in Foreign Exchange Holdings of R.B.I.	55
8396	बेरोजगार-वाणिज्यक विमानचालकों के लाइसेंसों का उनकी बेरोजगारी की अवधि के दौरान बीमा कराने का प्रस्ताव	Proposal to insure licences of Unemployed Commercial Pilots during the period of their unemployment .	56
8397	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति	Appointment of "Sons of Soil" in Public Sector Undertakings . . .	57
8398	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संगणक	Computers in public sector undertakings	57
8399	भारतीय उद्योगों में लगी विदेशी पूंजी	Foreign Capital invested in Indian Industries	57
8400	"कान्फिडेन्शियल सर्वे प्रेडिक्ट्स सीरियस क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Press Report entitled "Confidential survey predicts serious crisis" .	58
8401	लाइसेंस जारी करना	Issuing of Licences.	58
8402	संचार मंत्री द्वारा दिया गया हर योजना के अंत में कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि करने के कथित वक्तव्य का आशय	Reported Statement made by Minister of Communications suggesting increase in wages of employees at the end of every plan	58
8403	राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच	Inquiry into the Working of S.T.C.	59
8404	बंगला देश को सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement to Bangladesh	59
8405	आयकर इंस्पेक्टर की पदोन्नति	Promotion of Income tax Inspectors	59
8406	अलब-ए-मालिक बदर ट्रस्ट	Alab-A-Malak Badar Trust	59
8407	हवाई अड्डों पर सुरक्षा-प्रबंध	Security Arrangements at Airports	60
8408	दिल्ली के हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय विश्राम कक्ष में क्षेत्राधिकार पर विवाद	Dispute Over Jurisdiction in the International Lounge of Delhi Airport. .	61
8409	राज्यों द्वारा सहायता उपयोग में न लाया जाना	Non-Utilisation of Assistance by States.	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
8410	ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के कृत्य	Functions of the Credit Guarantee Corporation Ltd.	62
8411	मैसूर में रूई उत्पादकों की समस्याओं पर प्रधानमंत्री को पेश किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Prime Minister on problems of Cotton Producers in Mysore	62
8412	मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये गुजरात के राज्य मंत्री से सुझाव	Suggestion from State Minister of Gujrat to check price rise in groundnut oil	63
8413	सूखे की स्थिति के बारे में एक वर्ष पूर्व सूचना दे सकने योग्य बनाने हेतु मौसम विज्ञान विभाग को सुदृढ़ बनाने संबंधी योजना	Scheme to Strengthen Meteorological Department to forecast drought conditions one year in advance . .	63
8414	श्रीलंका से चावल का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Rice from Sri Lanka	64
8415	राजस्थान में एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना करने के लिये राज्य सरकार का अनुरोध	Request from Rajasthan Government for setting up a State Trading Corporation in the State . . .	64
8416	भारतीय और रूसी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अरब सागर में मानसून के व्यवहार के बारे में किये गये संयुक्त अध्ययन का परिणाम	Outcome of Joint Study of Monsoon behaviour in Arabian Sea by Indian and Soviet Meteorologists . .	64
8417	बिहार में तूफान	Cyclone in Bihar	65
8419	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से गोआ के लोहे का निर्यात करना	Canalisation of Goan Iron Exports through M.M.T.C. . . .	65
8420	लौह अयस्क के निर्यात के लिये स्थायी लाभप्रद मूल्य प्राप्त करना	Securing stable remuneration price for export of Iron Ore . . .	65
8422	स्टेनलेस स्टील का आयात	Import of Stainless Steel . . .	66
8423	उन देशों के नाम जहां से वर्ष 1973 के दौरान सर्वाधिक संख्या में पर्यटकों के आने की सम्भावना।	Name of the countries from which maximum number of Tourists are expected during 1973 . . .	
8424	वर्ष 1969 से 1973 के दौरान मछली का निर्यात	Fish export during 1969 to 1973 .	66
8425	कांडला के मुक्त व्यापार क्षेत्र में संकट	Crisis in Kandla Free Trade Zone	67
8426	अधिग्रहीत सम्पत्तियों पर सम्पदा-शुल्क का लगाया जाना	Levy of Estate Duty on acquired properties	68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
8427	सम्पदा-शुल्क अधिनियम में संशोधन	Amendments to Estate Duty Act	68
8428	नमक का निर्यात	Export of Salt . . .	69
8429	सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दरों में वृद्धि	Enhancement in Pension Rates of Retired Central Government Employees	69
8430	रेशम की वस्तुओं का निर्यात	Export of Silk Goods . . .	69
8431	आयकर विभाग में पंजीकरण हेतु मूल्यांकन कर्त्ताओं की अर्हतायें	Qualification of Valuers for Registration with Income Tax Department	70
8433	जाली नोटों का प्रचलन	Circulation of fake currency notes	71
8434	रूई पर आयात शुल्क में अत्यधिक वृद्धि और रूई के उत्पादन में कमी का हथकरघा और विद्युत् करघा उद्योग पर प्रभाव	Effect of steep rise in import duty on Cotton and shortfall in production of cotton on handloom and power-loom industry . . .	71
8435	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना	Loans by Nationalised Banks to educated unemployed for setting up industries	72
8436	आवश्यक वस्तुओं का व्यापार सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over trade of essential commodities	72
8437	औद्योगिक प्रबन्ध पूल में भर्ती	Recruitment to Industrial Management Pool	72
8438	जर्मन संयंत्रों को भारत में स्थानान्तरित करने के लिये सुविधाएं	Facilities for shifting of German Plants to India	73
8441	देश की रेयन मिलों में दुर्घटनाओं के लिये अदा किया गया मुआवजा	Compensation paid for Accidents in Rayon Mills in the country . .	73
8442	निषिद्ध वस्तुएें ले जाते हुए एक अरब जहाज का रोका जाना	Interception of an Arab Vessel carrying contraban Articles . . .	74
8443	काण्डला निर्बाध व्यापार जोन के अधीन सुविधाओं के अभाव के बारे में शिकायतें	Complaints regarding lack of facilities under Kandla Free Trade Zone	74
8444	कृषि और विद्युत् परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण . . .	Loan from International Development Association for Agriculture and Power Projects	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJEC	पृष्ट PAGES
8445	मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मद्रास और पूना के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करने की योजना	Scheme to carry out Large Scale Artificial rain experiment in Madras and Poona regions by Meteorological Department	75
8446	विद्युत् उत्पादन के लिये ब्रिटेन से सहायता	Aid from U.K. for Power Generation	76
8447	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्युत् एककों को सहायता दिया जाना	Aid to Power Units by Nationalised Banks	76
8448	यूगोस्लाविया को वैगनों का निर्यात	Export of Wagons to Yugoslavia	77
8449	औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा कपड़ा परिकरण गृह (टैक्सटाइल प्रोसेसिंग हाऊस) की स्थापना	Setting up of Textile Processing House by Industrial Reconstruction Corporation	78
8450	कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी प्रयोग करने की योजना	Plan to carry out Artificial Rain Experiments	78
8451	हिन्दी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों के वेतनमान	Scales of Pay of Hindi and English Stenographers	78
8452	ट्रीपोली में लगे अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारतीय मंडप में प्रदर्शित वस्तुएं	Commodities Exhibited at Indian Pavilion in the International Fair held at Tripoli	78
8454	विदेशों से भारतीय उद्यमकर्त्ताओं को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये आकर्षित करना	Attracting Indians from Abroad for setting up Industries in India .	79
8455	आयात विनियमनों का उल्लंघन करने के लिये केबल कम्पनियों पर मुकदमें चलाना	Prosecuting cable companies for violation of Import Regulations . .	79
8456	अभ्रक पर निर्यात शुल्क में कटौती	Reduction in Export Duty on Mica .	80
8457	सिंगापुर में 1 जून 1973 से 14 जून, 1973 तक एक भारतीय प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव	Proposal to hold Indian Exhibition in Singapore from 1st June, 1973 to 14th June, 1973	80
8458	उड़ीसा की लौह अयस्क खानों में संकट	Crisis in iron ore mines in Orissa	81

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
8459	वर्ष 1972–73 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम की माध्यम से लौह अयस्क तथा मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात	Export of iron ore and manganese ore through M.M.T.C. during 1972-73 .	82
8460	सोवियत संघ से बिना तराशे हीरों का आयात	Import of Rough Diamonds from U.S.S.R.	82
8461	जौनपुर नगर तथा आयोध्या को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करना	Development of Jaunpur City and Ayodhya as Tourist Centres . .	83
8462	विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा अदा किये गये समयोपरि भत्ते की राशि	Amount of Over-Time Allowance disbursed by different Ministries .	83
8463	भारत द्वारा प्राथमिकताओं की सामान्य कृत योजना का पर्याप्त लाभ न उठाया जाना	India not taking adequate advantage of the Generalised Scheme of Preferances	83
8464	ब्रिटिश व्यापार प्रतिनिधिमण्डल का दौरा	Visit by U.K. trade delegation .	84
8465	पश्चिम बंगाल में श्री गौरी शंकर जूट मिल्स का बन्द हो जाना	Closure of Sree Gauri Shankar Jute Mills in West Bengal . . .	84
8466	पांचवीं योजना के लिये भारत सहायता मार्थ संघ के देशों से विदेशी सहायता	Foreign Aid from Aid-India Consortium countries for Fifth Plan . .	85
8467	भारत का समाजवादी देशों से व्यापार	India's trade with Socialist countries .	85
8468	वर्ष 1973 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लेना	India's participation in International Trade Fairs during 1973 . .	85
8469	15 मार्च, 1973 को सिकन्दराबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एवरो प्रशिक्षण विमान के बारे में जांच	Inquiry into the Crash of Avro Trainer Aircraft at Secunderabad on 15-3-1973	87
8470	चाय बोर्ड द्वारा चाय के बारे में एक लेख लिखने के लिए श्रीमती कुट्टयाह को आमन्त्रण	Invitation to Mrs. Kuttaih by Tea Board for writing an Article on Tea	88
8471	नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों को अनुमति देना	Number of persons released by Civil Aviation Authority to join International Airports Authority	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
8472	इंडियन एयर लाइंस द्वारा उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम, कूच बिहार को धनराशि का भुगतान	Amount paid by Indian Airlines to North Bengal State Transport Corporation, Cooch Behar . .	89
8473	सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया तथा अन्य देशों से प्राप्त बुने हुए वस्त्रों के क्रयादेशों को क्रियान्वित न करना	Non-execution of knitwear orders from Soviet union, Czechoslovakia and other countries . . .	90
8474	कृषि सेवा केन्द्रों के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था	Provision by Nationalised Banks of Rs. 100 crore to Finance Agro-service Centre	90
8475	वाशिंगटन के दौरे के दौरान वित्त मन्त्री का अमरीकी अधिकारियों से विचार-विमर्श	Discussion with U.S. Officials during Finance Ministers visit to Washington	91
8476	वास्तविक आयोजना और क्षेत्रीय विकास पर नई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी	International seminar on Physical Planning and Area Development held in New Delhi	91
8477	जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint ventures with G.D.R.	93
8478	नवम्बर, 1972 में सीमाशुल्क अधिकारियो द्वारा माल का पकड़ा जाना	Seizure of goods by Customs Authorities in November, 1972 . .	93
8479	स्टर्लिंग के लिए विनिमय-दर बनाने वाला रिजर्व बैंक आफ इंडिया का परिपत्र	R.B.I. Circular on Exchange rates for sterling	94
8480	भारत और कनाडा के बीच पौलीब्यूटाडिऐंस संश्लिष्ट रबड़ कारखाने के बारे में करार	Agreement between India and Canada regarding Polybutadience Synthetic Rubber Plant	95
8481	पूर्वी यूरोप स्थित भारतीय दूतावासों में वाणिज्य प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Commercial Representatives in Indian Embassies in Eastern Europe	95
8482	रक्षा लेखा विभाग कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of staff of the Defence Accounts Department	96
8483	कोटा हवाई अड्डे के अहाते में एक भवन का अनधिकृत निर्माण	Construction of unauthorised building within the premises of Kotah Aerodrome	97

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8484	कोटा हवाई अड्डे पर बनाये गये मिट्टी के कच्चे बांध की मिट्टी की बिक्री	Sale of Earth of 'Kacha Bandh' at Kota Aerodrome	97
8485	विद्युत् चालित करघों और हथ-करघों को धागे का वितरण करने के लिए पृथक एजेंसियों की स्थापना	Separate agencies for distribution of Yarn to power-looms and handlooms	98
8486	अंगूरों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange earnings from Export of Grapes	98
8487	तृतीय वेतन आयोग की सिफा-रिशों की क्रियान्विति के परि-णामस्वरुप बजट में होने वाले 150 करोड़ रुपये के अन्तर को पूरा करना	Filling up the budgetary gap of 150 crores as a likely result of implementation of recommendations of Third Pay Commission	99
8489	चाय की घटिया किस्म की पेटियों में चाय का निर्यात किया जा कर चाय बोर्ड द्वारा कदाचार	Malpractices by tea board by exporting tea in Substandard tea chests	99
8490	विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने देशों को धन भेजना	Remittances by Foreign Companies	100
8491	विदेशी कम्पनियों द्वारा धन का विदेशों में भेजा जाना	Remittances by Foreign Companies	101
8492	तामिलनाडु के फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं आदि के पास लेखा-बाह्य धन पाया जाना	Unaccounted money found in possession of Film Producers, Actors etc. of Tamil Nadu	102
8493	तामिलनाडु में फिल्म उद्योग में कार्य कर रहे व्यक्तियों पर आय-कर की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Film People of Tamil Nadu	102
8494	तामिलनाडु में फिल्म निर्माताओं, सिनेमाघरों के मालिकों तथा स्टूडियो के मालिकों पर आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income-tax against film producers, theatre-owners and studio owners of Tamil Nadu . . .	102
8495	तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं पर सम्पदा शुल्क लगाया जाना	Assessment of Estate duty on film Producers, Actors etc. of Tamil Nadu .	102
8496	भारत को अमरीकी सहायता	U.S. aid to India	103

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8497	इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में गिरावट	Decline in the export of engineering goods	103
8498	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार	Consideration of Recommendations of the Third Pay Commission. .	104
8499	अधिक बोनस के लिये जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा 'आल इंडिया डे' (अखिल भारतीय दिवस) का मनाया जाना	Observation of All India Day by L.I.C. Employees for Higher Bonus . .	104
8500	नेशनल-जूट मिल, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of National Jute Mill, Calcutta	105
8501	पोलैण्ड के एक व्यापार दल का दौरा	Visit by Polish Trade Team.	105
8502	कनाडा के साथ ऋण सम्बन्धी समझौता	Agreement for Loan from Canada	106
8503	विकासशील देशों द्वारा भारतीय निर्यातकों को दिया गया निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहन	Export incentives to Indian Exporters by Developing countries . .	106
8504	खजुराहो में पर्यटकों के ठहरने तथा भोजन की व्यवस्था	Boarding and Lodging Arrangements for Tourists at Khajuraho . .	107
8505	फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक द्वारा 'स्पेशल सेविंग फंड एकाउंट' के लिये 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त	Fixation of Minimum Balance Rs. 500/ for Special Saving Fund Account by First National City Bank	107
8506	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जीवन-दायी चिकित्सा उपकरण लखनऊ भेजने में विलम्ब	Delay in transporting Life-Saving Medical Equipment to Lucknow by Indian Airlines. . . .	108
8507	भारत को अमरीकी सहायता पुन: आरम्भ करना	Resumption of U.S. Aid to India .	108
8508	कैमरा की फिल्में और फोटोग्राफी के अन्य सामान का आयात	Import of Camera Films and other Photographic Material . . .	109
8509	बम्बई तथा कलकत्ता के मेट्रो सिनेमा-घरों को नियंत्रण में लेने के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रस्ताव	I & B Ministry's proposal for taking over Metro Cinemas at Bombay and Calcutta	109

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8510	कपड़ा समिति के कार्य तथा शक्तियां	Functions and powers of Textiles Committee	109
8511	वर्ष 1973-74 में पर्यटन स्थलों का विकास करने की योजना	Scheme to Develop Tourist Centres during 1973-74	112
8512	स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषि विकास शाखाएं खोलना	Opening of Agricultural Development Branches by the State Bank of India in various States	112
8513	गैर-सरकारी निकायों को सहायता-अनुदान	Grants-in-aid to Non-Government Bodies	112
8514	अन्न की वसूली हेतु धन लगाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गये उपाय	Measures provided by R.B.I. for Refinancing Food Procurement .	113
8515	सरकारी समारोहों सम्मेलनों तथा उद्घाटन समारोहों पर व्यय को कम करने के लिए निर्देश	Directive for Curbs on Expenditure on Government Functions, Conference and Inaugural Ceremonies . .	114
8516	एशियाई साझा बाजार	Asian Common Market . . .	114
8517	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों से पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal out of the Loans received from International Development Association	115
8518	नीलामी में चाय व्यापार निगम द्वारा हस्तक्षेप के लिये दार्जिलिंग टी प्लांट्स एसोसियेशन की मांग	Demand by Darjeeling Tea Planters Association for the Intervention of Tea Trading Corporation in the Auction	115
8519	चाय बागानों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत आने वाली भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल	Number of Tea Estates and actual Acreage under Tea Plantation .	115
8520	पूर्व योरोपीय देशों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थानों के साथ व्यापार करने की रूचि प्रदर्शित किया जाना	Interest shown by East European countries to have deals with Private Section Traders, Industrialist and other Commercial Concerns	117
8521	व्यक्तियों/कम्पनियों पर कर अपवंचन के विरुद्ध मुकदमें दायर करना	Cases Instituted for Evasion of Taxes by Individuals/Companies . .	117
8522	विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य व्यापार निगम के कार्यालय	S.T.C. Offices Located in various States	118

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8523	विभिन्न राज्यों में किसानों को दिये गये ऋण	Loans given to Cultivators in Various States	119
8524	दियासलायी का निर्यात	Export of Safety Matches .	121
8525	चिट फण्ड कम्पनियां	Chit Fund Companies . .	121
8526	यात्री डिब्बों और माल-डिब्बों की सप्लाई हेतु विदेशों से प्राप्त आर्डर	Orders received from other countries for the supply of Passenger Coaches and Wagons	121
8527	बालयोगेश्वर के सामान से मिली वस्तुओं का जब्त किया जाना	Confiscation of Articles recovered from the Baggage of Balyogeshwar	122
8528	कपड़ा मिलों को आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Textile Mills for Modernisation	122
8529	काजू उद्योग के वित्तीय पोषण के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of Study Group on Finance for Cashew Industries .	122
8530	काफी बोर्ड द्वारा छोटे काफी उत्पादकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance by Coffee Board to Small Coffee Growers . .	123
8531	छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऋण नीति को उदार बनाना	Liberalisation of Credit Policy for setting up Small Scale industries .	123
8532	चाय को जोश देने के लिए एक नई मशीन का आविष्कार	Invention of new Machine for Tea Fermentation	124
8533	बहरीन के व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल का दौरा	Visit by Trade Delegation from Bahrein	124
8534	एयर लाइन्ज संचालन संबंधी सोवियत विमान सेवा दल के साथ बातचीत	Discussions with Soviet Air Team regarding running of Airlines . .	125
8535	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नियंत्रित कपड़े का विक्रय	Sale of Controlled Cloth in Union Territory of Delhi . . .	125
8536	पांचवीं योजना के दौरान देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव	Proposal to promote Tourism in Hilly Areas of the Country during Fifth Plan	125
8537	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती संबंधी संसदीय समिति	Parliamentary Committee on Recruitment in the Nationalised Banks	126
8538	अरूणाचल प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं की संख्या और अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक	Number of Branches of State Bank of India and Nationalised Banks in Arunachal Pradesh . . .	126

30 LSS/73—2.

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8539 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में नल कूपों के लिए वित्तीय सहायता देना	Financing Tube-Wells in Bihar by Nationalised Banks . . .	126
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	127
दो विदेशी कैमरामैनों की गिरफ्तारी का समाचार	Reported arrest of two foreign cameramen	127
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Sh. V. N. P. Singh . . .	127
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Sh. K. C. Pant . .	127
स्थगन प्रस्ताव और नियम 377 के अन्तर्गत सूचनाएं	Re. Motions for Adjournment and Notices under Rule 377	129
सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों का त्यागपत्र	Resignation of three Judges of Supreme Court	129
सभा पटल पर रखे पत्र	Papers Laid on the Table .	130
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	132
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	133
89वां और 90वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये	Eighty-ninth and Ninetieth Reports—*presented.*	133
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	133
40वां, 41वां, 44वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किये गये	Fortieth, Forty-first, Forty-fourth Reports and Minutes—*presented*	133
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	133
37वां प्रतिवेदन, कार्यवाही सारांश और 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये	Thirty-seventh Report, Minutes and Thirty-ninth Report—*presented* .	133
रेलवे अभिसमय समिति—	Railway Convention Committee—	134
पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifth Report—*presented* . .	134
गुरु गोविन्द सिंह मैडिकल कालेज, फरीदाबाद के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Guru Gobind Singh Medical College, Faridabad . .	134
समाचार पत्र उद्योग की आर्थिक व्यवस्था संबंधी तथा अन्वेषण समिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Fact Finding Comm ee on Economics of Newspaper Industry	135
सभा का कार्य	Business of the House	137
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377 . . .	139
(एक) बिहार में अनाज, कोयला और जल का अभाव	(i) Scarcity of Foodgrains, Coal and Water in Bihar . . .	139

विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
(दो) श्री जाम्बवन्त धोत्य संसद् सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	(ii) Re. Arrest of Shri Jambuwant Dhote M.P.	140
(तीन) पश्चिम बंगाल में खाद्य पूर्ति स्थिति के बारे में	(iii) Re. Food Supply Position in West Bengal	140
अनुदानों की मांगें, 1973-74	Demands for Grants, 1973-74	141
श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय	Ministry of Labour and Rehabilitation	141
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	141
श्री अमरनाथ विद्यालंकर	Shri Amarnath Vidyalankar . .	142
श्री फूलचन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma . .	143
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . . .	143
श्री रामसिंह भाई वर्मा	Shri Ramsingh Bhai Verma . .	145
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder . . .	145
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy . .	147
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra . . .	148
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki . .	149
श्री रघुनाथ रेड्डी	Raghunatha Reddy . . .	149
संचार, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय आदि	Ministries of Communications, Finance, Health & Family Planning etc. .	151
विनियोग विधेयक (संख्या 2) विधेयक, 1973	Appropriation (No. 2) Bill, 1973— .	152
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce . . .	152
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan . .	152
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	152
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	152
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . . .	152
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	153
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam .	154
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujaral . . .	154
खण्ड 2, 3, और 1	Clauses 2, 3 and 1 . . .	155
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	155
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan . .	155
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions— . . .	156
26वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Twenty-sixth Report—*Adopted* .	156
राज्य सभा का उत्पादन के बारे में संकल्प, श्री विभूति मिश्र का—वापस लिया गया	Resolution Re. Abolition of Rajya Sabha by Shri Bibhuti Mishra—*Withdrawn*	156
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	156

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	157
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	158
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	159
पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के बारे में संकल्प	Resolution Re. Industrial Development of Eastern Region—	159
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	159
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan .	161
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik .	162
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	163
आधे घंटे की चर्चा	Half-an Hour Discussion— . .	164
जहाजरानी निगम द्वारा हाल ही में खरीदे गये जहाजों की मरम्मत पर व्यय	Expenditure on Repairs of Newly purchased Ships by Shipping Corporation	164
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	164
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur .	165

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK-SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1973/7 वैशाख, 1895 (शक)

Friday, April 27, 1973/Vaisakha 7, 1895 (SAKA)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok-Sabha met at Eleven of the clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निर्यात, आयात स्थानापन्न और आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देने के लिये आयात नीति

*882. **श्री राजदेव सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में जिस आयात नीति की घोषणा की गई है क्या उसका उद्देश्य निर्यात, आयात स्थानापन्न और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है;

(ख) क्या घोषित नीति अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्यमकर्ताओं के अनुकूल सिद्ध होगी; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग): नीति में पिछड़े इलाकों में स्थापित किये गये लघु एककों के लिये आयातित अन्तर्निवेशों के आबंटन के मामले में उदार व्यवहार की व्यवस्था है।

श्री राज देव सिंह: भाग (ख) और (ग) के उत्तर स्पष्ट नहीं हैं। अतः क्या मंत्री महोदय अपने उत्तर में उल्लिखित उदार व्यवहार को स्पष्ट करेंगे?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: हम पिछड़े पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। उद्योगों की स्थापना में, विशेषकर ऐसे उद्योगों की जो निर्यात प्रधान होते हैं, विशेष सुविधायें दी जाती हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित तथा विनियमित करने के लिये योजना आयोग ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये हैं। मोटे तौर पर दो सिद्धान्त हैं: एक सिद्धान्त वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर धन प्राप्त करने के लिये योग्यता निर्धारित करता है और दूसरा उद्योगों द्वारा लगाई जाने वाली स्थाई पुंजी का 10 प्रतिशत धन सरकारी सहायता के रूप में प्राप्त करने की योजनाओं के

योग्य ठहराता है। अतः इस उदार रियायती सहायता के परिणामस्वरूप, पिछड़े क्षेत्रों में अब कई उद्योग स्थापित हो रहे हैं।

श्री राजदेव सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा बताई गई यह उदार रियायती सहायता केवल पिछड़े क्षेत्रों के लिये दी जायेगी अथवा अन्य स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को भी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : नहीं, महोदय, ये रियायतें केवल पिछड़े क्षेत्रों के लिये ही दी जायेंगी।

Dr. Laxminarain Pandey : Certain goods which we import from abroad, are produced in the backward areas. Now the production of these goods has gone so high that we can even export them. Whether the Minister will impose a ban on the import of such goods ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : बहुत सी ऐसी वस्तुयें हैं जिनका उत्पादन हम अपने देश में करना चाहते हैं ताकि इनके आयात में कमी की जा सके परन्तु जहां तक पिछड़े क्षेत्रों की वस्तुओं का सम्बन्ध है, व्यापक रूप से यह प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु यदि पिछड़े क्षेत्रों में पैदा होने वाली कुछ विशेष वस्तुओं का नाम बताया जाये तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं।

Dr. Laxminarain Pandey: Aluminium Phosphate is produced in backward areas. It is exported as well as imported. Whether the question to ban the import there of is being considered ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह पिछड़े क्षेत्रों में व्यापारिक स्तर पर पैदा होता है। यदि ऐसा है तो मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि जोर अधिक निर्यात पर अथवा आयात प्रतिस्थापन पर । दूसरा क्या कोई ऐसे उद्योग हैं जिनका उद्देश्य आयात का प्रतिस्थापन करना है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्यया : आयात प्रतिस्थापन के लिये, हमने कुछ बातें निर्धारित की हैं जैसा कि कुछ ऐसी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई है जो पहले आयात की जाती थीं। दूसरा कुछ ऐसी वस्तुयें, जो अभी भी आयात की जा रही हैं, अब पहले से कम मात्रा में आयात की जाती हैं। तीसरा, निर्धारित कोटा भी घटा दिया गया है। अतः इन सब का उद्देश्य आयात बन्द करना है जिससे हमारे देशी उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस उदार नीति के परिणामस्वरूप विभिन्न दिशाओं में निर्यात में कितनी वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप किस प्रतिशत तक हम आयात पर कम निर्भर करेंगे और आयात को निर्यात में परिवर्तित कर पायेंगे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : गत वर्ष की तुलना में 1973-74 के दौरान निर्यात में लगभग 150 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। परन्तु यह वृद्धि केवल उदार नीति के कारण ही नहीं होगी। इसके लिये कई अन्य कारण भी उत्तरदायी होंगे।

श्री धर्मकर : ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिये सरकार आयात लाइसेंस कम कर रही है। मेरे विचार में इससे लघु उद्योग प्रभावित होंगे। क्या सरकार लघु उद्योगों के मामले पर गौर

करेगी क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों के सहायक उद्योग होने के कारण यदि इन लाइसेंसों की नीति को उदार बनाया जाये तो इससे लघु उद्योगों की स्थिति में सुधार हो सकता है? लघु उद्योगों की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संबंधित विषय के अन्तर्गत नहीं आता। क्या आप इनके इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे? यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। क्या आपने इन्हें (सदस्य को) सुना है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कह सकता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, उनकी निर्यात क्षमता को देखते हुये अग्रता सूची से चुना गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों में इन उद्योगों के ऐसे एककों को, जो कि अपने उत्पादन का 5 प्रतिशत निर्यात करने में असमर्थ रहते हैं, दण्ड दिया जायेगा, छोटे उद्योगों को कच्चे माल और नकद धन के रूप में कुछ सुविधायें प्रदान की गई हैं।

गत भाषा विवाद में आसाम में घायल हुए इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी

*885. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भाषा विवाद में आसाम में इंडियन एयरलाइन्स के जो कर्मचारी घायल हुये या जिन्हें पीटा गया, धमकी दी गई अथवा अन्य प्रकार से परेशान किया गया, उनकी संख्या के बारें में उनके मंत्रालय को कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) इस प्रकार से घायल कर देने और हिंसा की घटनाओं के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि 28 अक्तूबर, 1972 की प्रातः को जोरहाट विमान क्षेत्र को जाती हुई उनकी कोच को, जिसमें ड्राइवर सहित सात कर्मचारी बैठे थे, रास्ते में कुछ बदमाशों ने रोक लिया तथा कर्मचारियों पर हमला किया। एक यातयात सहायक को चोटें लगीं और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अन्य दो कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं और उन्हें प्राथमिक उपचार के उपरान्त खारिज कर दिया गया।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने आसाम सरकार से इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों और सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के प्राधिकारी इस मामले में सचेत हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने की बजाय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अपील करूंगा। यह एक बहुत नाजुक मामला है। माननीय मंत्री और इंडियन एयरलाइन्स को ऐसे कर्मचारियों के प्रति, जो इस मामले में घायल हुए हैं, विशेष ध्यान देकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये और सुरक्षात्मक कदम भी उठाने चाहियें ताकि इस प्रकार की घटनायें फिर से न हों।

डा० रानेन सेन : असम में ऐसी गड़बड़ बहुत देर तक जारी रही। क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाईन्स के प्राधिकारियों ने गौहाटी और तेजपुर तथा अन्य स्थानों पर अपने कर्मचारियों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु ठोस कदम नहीं उठाये?

डा० कर्ण सिंह : नहीं महोदय, मेरे विचार में ऐसा कहना ठीक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इसलिये इण्डियन एयर-लाईन्स इस सम्बन्ध में अपनी नीति नहीं बना सकता। परन्तु यह निश्चित है कि उन्होंने राज्य सरकार से निकट संपर्क बनाये रखा। वास्तव में जब यह घटना घटी तो इण्डियन एयरलाईन्स के रीजनल डायरेक्टर और एक अन्य उच्च अधिकारी शिलांग में मुख्य सचिव के साथ बैठे हुये थे। वे अति निकट संपर्क बनाये हुये थे। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह एक नाजुक मामला है, मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम संबंधित राज्य सरकारों को सतर्क करके सभी संभव पूर्व-उपाय करें।

श्री डी० बसुमतारी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब यह घटना हुई तो क्या किन्हीं स्थानीय व्यक्तियों ने किसी उड़ान में गड़बड़ की ?

डा० कर्ण सिंह : अक्तूबर से दिसम्बर, 1972 के दौरान समूचे क्षेत्र में 34 उड़ानें रद्द की गई तथा 12 ऊपरी उड़ाने भरी गईं।

श्री बसुमतारी : क्या इसका कारण भाषा की समस्या है?

डा० कर्ण सिंह : सामान्य तौर पर जब कभी किसी स्थान पर गड़बड़ होती है तो हम ऐसे क्षेत्र से बचना चाहते हैं क्योंकि हम अपने यात्रियों तथा वायुयानों को खतरे में नहीं डालना चाहते।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये हैं ?

डा० कर्ण सिंह : इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस मामले में वास्तव में क्या किया है परन्तु इस मामले पर असम सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

Shri Shashi Bhushan: I want to know from the Hon. Minister the root causes for the treatment meted out to the employees of the Indian Airlines ? Whether its root cause is provincialism and alongwith it the cause is that the employees of lower categories, who are working, have not been selected from that area.

Dr. Karan Singh: It is a very exhaustive question, it is difficult to say anything in this regard. As Shri Daschowdhury has said that it was very unfortunate incident and there may be several causes for it, but one of the reasons was language dispute.

"आर्गेनाईजेशन टू रिवाइव सिक एण्ड क्लोज्ड टी गार्डन्स टू बी फार्म्ड (संकटग्रस्त और बन्द पड़े चाय बागानों को फिर से चालू करने के लिए संगठन बनाया जायेगा)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

†886. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 1973 के "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" में "आर्गेनाइजेशन टू रिवाइव सिक एंड क्लोज्ड टी गार्डन्स टू बी फार्मड (संकटग्रस्त और बन्द पड़े चाय बागानों को पुनः

चालू करने के लिये संगठन बनाया जायेगा)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) चाय उद्योग के विकास और निर्यातों में वृद्धि करने के लिये जीवन क्षम तथा दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिये हाल ही में गठित किया गया कृत्तिक बल अन्य बातों के साथ-साथ-बन्द तथा संकट-ग्रस्त चाय बागानों की समस्या का अध्ययन करेगा तथा प्रभावी उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिये सिफारिश करेगा।

डा० रानेन सेन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य को जानती है कि काफी चाय बागान के स्वामी शीघ्र अथवा आसान लाभ को प्राप्त करने के लिये चाय बागानों को बुरी तरह से काट रहे हैं, यदि वह इस बात को जानती है, तो क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या इस विशेष प्रश्न पर कार्यदल द्वारा विचार किया जा रहा है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां। श्रीमान मुझे समूचे रूप से उद्योगों के प्रोत्साहित करने के हितों को हानि पहुंचाकर के कुछ बड़े व्यापारी गृहों की ऊंची लाभकारिता, समृद्धि के बारे में कुछ चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हुये हैं । कार्य दल को समस्या के इस पहलू पर विचार करने के लिये कहा गया है।

डा० रानेन सेन : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इस कार्य दल का उन कार्मिक संघों के, जो चाय बागान क्षेत्रों में बनी हुई हैं, साथ किसी प्रकार का सहयोग है? यदि हां, तो कौन से केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन हैं, जिनसे अब तक कार्यकारी दल द्वारा सम्पर्क स्थापित किया गया है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अभी उसी दिन, जब मैं कलकत्ता गया था, तो मैंने सभी मुख्य राजनीतिक दलों से सम्बन्ध कार्मिक संघों से इन मामलों के सम्बन्ध में उन्हें अपना विचार व्यक्त करने के लिये कहा था। कार्य दल में भी मेरा विचार मुख्य कार्मिक संघों के बीच मतैक्य के आधार पर कार्मिक संघ के एक प्रतिनिधि को लेने का है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह बात सच है कि तेजी से लाभ अर्जित करने के लिये बड़े व्यापारी गृहों की समृद्धि से अतिरिक्त कुछ व्यापारी गृह पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों में रूचि रखते हैं, वे स्वयं मंत्रालय के भीतर ही चाय उद्योग की इस बुराई का उपचार करने के हेतु पर्याप्त कार्यवाही करने से रोकने के लिये भी कुछ कर रहे हैं। विशेषकर कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे चाय बागान हैं जो संकटग्रस्त हैं और बन्द पड़े हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जब मैं यह कहता हूं कि मुझे चिन्ताजनक समाचार मिले हैं, तो मुझे कुछ बड़े गृहों की संकटग्रस्ता के बारे में भी सोचना चाहिये था। किन्तु, निश्चय ही मुझे मंत्रालय के भीतर उन व्यक्तियों के जो ईस प्रकार की कार्यवाही करके और इस उद्योग के द्वारा किये जा रहे उपायों के बारे में नहीं जानता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि दी प्लान्टस एसोसियेशन—आई० टी० ए० ने सार्वजनिक रूप से एक सुझाव दिया है कि इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही करने की बजाय वह अपनी सदस्य कम्पनी को संकटग्रस्त अथवा बन्द हुये चाय बागानों को पुनः चालू करने के हेतु उन्हें अपने संसाधनों का कुछ भाग देने के लिये आह्वान कर रहे हैं ? मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह यह महसूस करते हैं कि यह सुझाव पेश करके इन बागान स्वामियों का उद्देश्य केवल सरकार की किसी कार्यवाही को रोकना है, उनके द्वारा पेश किये इस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इस टी० प्लान्टर्स एसोसियेशन द्वारा पेश किये गये सुझाव के प्रति बहुत अधिक सचेत हूं। मैं इस संबंध में टी० प्लान्टर्स एसोसियेशन द्वारा पेश किये सुझाव को पढ़ कर जान नहीं कर सकता कि इसका ध्यान कार्यकारी दल करेगा। मैं इस सुझाव को देने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य या आशय के बारे में इस मामले का पूर्व-निर्णय देना पसन्द नहीं करता। किन्तु मैं आपको बता सकता हूं कि हम किसी सुझाव को स्वीकार नहीं, चाहें यह किसी से भी आया हो, जो इस उद्योग के हितों और कर्मचारियों के कल्याण के विरुद्ध जाता हो।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : सरकार ने इस मामले का अध्ययन करने के लिये एक कार्य दल की स्थापना की है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कार्य दल के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है ? इसी बीच चाय बागान की संकटग्रस्तता और उनके बन्द हो जाने के कारण पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में 40,000 से अधिक श्रमिक बेकार हो चुके हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इस मामले में क्या ठोस पग उठाने जा रही है, ताकि इस बीच चाय बागान की संकटग्रस्तता और उनके बन्द हो जाने के कारण श्रमिकों को हानि न हों।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रथम प्रश्न के उत्तर में यह कह सकता हूं कि कार्य दल के प्रतिवेदन के समय सीमा है और वह जून, 1973 का अन्त हैं। दूसरा, ठोस पगों के संबंध में कार्य दल को गठित करना ही एक बहुत ही ठोस पग है। श्रमिकों के प्रति मानवीय सदस्य को जो उत्सुकता है, वह मुझे भी है। हम पूरी तरह इस पर ध्यान दिये हुये हैं। इस मास के अन्त में, 30 तारीख को मैं व्यक्तिगत रूप से वहां स्वयं बातों को देखने और श्रमिकों को मिलने जा रहा हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय सदस्य ने कहा है कि काम की भावी योजना कार्य दल की सिफ़ारिशों पर निर्भर होगा। क्या यह सच है कि केरल सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने सभी बातों का ध्यान रखते हुये चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की है और एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था और आपके मंत्रालय को भेजा गया था, जो गत एक वर्ष से आप के मंत्रालय में लटका पड़ा है। सरकार द्वारा उस मामले के संबंध में निर्णय न करने के लिये क्या कारण हैं ? क्या इसका कुछ संबंध आप के मंत्रालय की अफ़सरशाही से भी है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमान् जी, मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूं। मुख्य प्रश्न एक विशेष विषय से संबंधित है। अब वह कुछ ऐसे प्रश्नों को उठा रहे है, जो हमसे संबंधित नहीं है, यदि आप मुझे निर्देश देंगे, तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह प्रश्न राष्ट्रीयकरण नीति के बारे में है। अतः यह इससे संबंधित है। वह चाय बागानों को नहीं ले रही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: निस्संदेह ही यह बात सच है कि कार्य दल इस प्रश्न पर विचार करेगा। किन्तु मेरा भय यह है कि कार्य दल की सिफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया जायेगा, जैसाकि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के, जिन्हें आप के मंत्रालय द्वारा पूर्व जानकारी दी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न की परिधि से अधिक परे होता जा रहा है। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी-ढांचे में परिवर्तन के लिये अनुरोध

***888. श्री गिरधर गोमांगो:**

श्री प्रभुदास पटेल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1973 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "प्ली फार चेन्जिज इन एल० आई० सी० स्टाफ स्ट्रक्चर (जीवन बीमा निगम के कर्मचारी ढांचे में परिवर्तनों के लिये अनुरोध)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उप-वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां।

(ख) प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ के महामंत्री द्वारा उठाये गये मुद्दों पर जीवन बीमा निगम विचार करेगा।

श्री गिरिधर गोमांगो: क्या यह सच है कि जब तक निगम में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक वह पालिसी-धारियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध नहीं कर सकेगा? क्या सर्वसाधारण की सुरक्षा की दृष्टि से और अधिक मंडलीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है?

उप वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): हमें यह तर्क स्वीकार नहीं है कि जब तक निगम में परिवर्तन नहीं लाए जाते तब तक वह अच्छी सेवा प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि गत तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम का कारबार लगभग दोगुना हो गया है। अगर जनता बीमा नहीं करवाती तो निगम के कारबार में वृद्धि नहीं हो सकती थी, इसमें संदेह नहीं कि उसमें सुधार की गुंजाइश है और इसी तथ्य को ध्यान में रख कर सरकार ने इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। जीवन बीमा निगम का संगठन और पद्धति विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि निगम के संगठनात्मक ढांचे में किस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री गिरिधर गोमांगो: क्या सरकार का पहले के समझौते के अनुसार अधिक समायोजन (एड-जेस्टमेंट) भत्ता देने का तथा स्थानान्तरण और पदोन्नति नीति संबंधी समझौते को अम्ल में लाने का विचार है?

उप वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): पदोन्नति नीति के संबंध में विस्तारपूर्वक विचार किया गया था किन्तु कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। मामला फैड्रेशन पर छोड़ दिया गया जो अपने सुझाव देगा और बाद में जीवन बीमा निगम उन पर विचार करेगा। अभी तक कोई विशिष्ट सुझाव नहीं आये हैं। स्थानान्तरण के संबंध में जीवन बीमा निगम में कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बने हुए हैं और निगम उनका अनुसरण कर रहा है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, the Hon. Minister has just conceeded in her reply that the business of LIC has almost doubled. Whether it is a fact that staff structure has not been changed with the same speed with which the business has increased ? Is it also a fact that the Federation had given a representation on the structure to the Government and the demands that had been accepted have also not been implemented so far resulting in resentment among employees and a section of officers ? If so, what steps Government propose to take in this direction ?

Deputy Finance Minister (Shrimati Sushila Rohtagi) : Government have not received any representation so far. The representation referred to by the Hon. Member was circulated in December, 1972 in a booklet form. That had also appeared in the press on the 10th February and the attention of LIC was invited towards this. This representation was submitted to LIC on 21st April and the Government have not so far received the same.

As the Hon. Member has said, it is true that our business has doubled, but if the number of policies of LIC has increased three-fold, the number of Class I officers has also increased three and a half-fold. Thus the ratio of increase was maintained if there is discontentment, the Hon. Member can himself think how far the resentment among employees is justified.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : श्रीमन्, मुख्य प्रश्न में टाइम्स ग्राफ इंडिया दिनांक 10-2-73 में प्रकाशित एक समाचार का उल्लेख हैं। इस समाचार को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें पिछले समझौतों के अनुसार बढ़े हुए समायोजन भत्ते के भुगतान के लिये भी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की मांग का उल्लेख है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या जीवन बीमा निगम ने 1970 में प्रथम श्रेणी अधिकारियों के साथ कोई समझौता किया था जिसके अन्तर्गत जब कभी भी तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी तभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समायोजन भत्ते पर भी पुनर्विचार करना होगा ? यदि ऐसा समझौता हुआ था तो नवम्बर, 1972 से फरवरी, 1973 तक का समायोजन भत्ता उन्हें क्यों नहीं दिया गया जबकि जीवन बीमा निगम के चैयरमैन ने इसकी सिफारिश भी की थी।

उप वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि ऐसा समझौता हुआ। किन्तु समझौते में केवल यह कहा गया था कि जब तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो जीवन बीमा निगम प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के साथ बातचीत करेगा। ऐसी बातचीत पिछली दो बार हो चुकी है। जब इस प्रकार वृद्धि हुई तो दोनों बार उन्हें 40 रुपये बढ़ाकर दिये गये। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या जीवन बीमा निगम के चैयरमैन ने यह सिफारिश की थी कि उन्हें 1 नवम्बर, 1972 और 1 फरवरी, 1973 से वृद्धि मिलनी चाहिये ? सरकार उसमें विलम्ब क्यों कर रही है।

उप वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जैसा मैंने कहा, इस पर विचार हो रहा है।

Shri Shanker Dayal Singh : There is no doubt that the work of LIC has increased considerably but along with it, the indiscipline and action among the employees have also increased. Will goverment appoint a Committee to look into it and to make suitable suggestions?

Deputy Finance Minister (Smt. Sushila Rohtagi) : Government has appointed a Committee for the purpose. The Committee will look into the entire matter including this issue.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि कार्य के अनुपात से कर्मचारियों की सख्या में वृद्धि कर दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी कार्य-कुशलता में भी वृद्धि हुई है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को कार्य-कुशलता से पूछा गया है।

उप वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : यह बात मैं उनकी राय पर छोड़ती हूं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : अभी उपमंत्री महोदय ने यह कहा कि जीवन बीमा निगम के कार्य भार में वृद्धि हो गई है, इस बात को दृष्टि में रख कर क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या सरकार को कचार जिले से कोई अभ्यावेदन अथवा अपील प्राप्त हुई है कि वहां पर एक मंडलीय कार्यालय खोला जाये जो कचार, त्रिपुरा तथा मिजोराम की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

अध्यक्ष महोदय : यह कचार के बारे में एक सामान्य प्रश्न है। अच्छा होता अगर आप उसके लिये अलग से सूचना देती। यह एक अच्छा सुझाव है। मंत्री महोदय को इस सुझाव का उत्तर देने के स्थान पर इस सुझाव को नोट कर लेना चाहिये।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा शुद्ध नकदी अनुपात स्तर का बढ़ाया जाना

*889. **श्री पी० गंगादेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने यह निर्णय किया है कि रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋणों की लागत निर्धारित करने के लिए शुद्ध नकदी अनुपात स्तर को बढ़ाया जाएगा।

(ख) यदि हां, तो यह दर किस सीमा तक बढ़ाई जाएगी; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ऋण लेने की लागत के निर्धारण हेतु न्यूनतम नकदी अनुपात को 30 मार्च, 1973 से 36 प्रतिशत से 37 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य बैंक ऋण के प्रसार को इस रूप में नियंत्रित करने का है ताकि कुल मांग और कुल पूर्ति के बीच उचित सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसी विषय पर एक प्रश्न 899 भी पूछा गया है। इस प्रश्न को भी उसके साथ ही रखा जा सकता है।

श्री पी० गंगादेव : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि समाज के दुर्बल वर्ग में ऋण का विस्तार कम होने के कारणों की क्या सरकार ने जांच की है? यदि हां, तो वे कारण कौन-कौन से हैं और उस वर्ग को अधिक ऋण सुविधायें देने के लिये क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : प्रश्न नकदी अनुपात में वृद्धि से संबंधित है। इसका अर्थ है कि रुपये की अधिक सप्लाई और ऋण अनुपात को नियंत्रित किया जाये। जहां तक दुर्बल वर्ग तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक ऋण सुविधायें देने का प्रश्न है, मुझे उसके लिये अलग उत्तर देना पड़ेगा और अधिक विस्तार में जाना होगा।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बैंक में अतिरिक्त निधि मौजूद है तो ब्याज की दर क्यों नहीं घटा दी जाती ? माननीय मंत्री जी का इस बारे में क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी चाहते हैं। अनुपूरक प्रश्नों में विचार पूछने की अनुमति नहीं है।

श्री पी० गंगादेव : दूसरे शब्दों में मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं।

यशवन्त राव चव्हाण : अधिक नकदी की मात्रा स्थिर नहीं है। इसमें परिवर्तन होता रहता है। जो मात्रा मार्च मास में उचित हो सकती है, वही अक्टूबर में उचित नहीं कही जा सकती। व्यस्त मौसम के, जो अक्तूबर के अंतिम दि ों या नवम्बर के आरंभ में चालू होता है, पूर्व अतिरिक्त नकदी थी। परन्तु अब स्थिति भिन्न है। यद्यपि जमा राशि के अनुपात में वृद्धि हुई है तथापि बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की राशि हमारे अनुमान से अधिक हो गई है।

श्री बी० वी० नायक : सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि जहां तक अनाज की खरीद का संबंध है, भिन्न-भिन्न पुनर्वित्त सुविधायें दी जा रही हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अनाज की खरीद विशेषकर गेहूं की खरीद में आने वाली रुकावटों और कठिनाइयों को देखते हुए बैंकों द्वारा ऋण की सुविधाओं को और उदार बनाया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिस उदारता का उल्लेख किया गया है वह गैर-सरकारी व्यापारियों के लिये नहीं है, उसका लाभ तो सरकार द्वारा थोक व्यापार का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये उठाया जायेगा। हम इस प्रयत्न में हैं कि बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों तथा ऋणों पर नियंत्रण का प्रभाव थोक व्यापार को सरकारी प्रबन्ध में लेने की व्यवस्था पर न पड़े। अतः जिस उदारता का उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्य यही है। आशा है, यह बात स्पष्ट हो गई है।

श्री बी० वी० नायक : समाचार पत्रों में इस बात का बड़ा प्रचार हो रहा है कि अनाज की खरीद में कठिनाइयां आ रही हैं। यदि ऐसा है तो क्या अधिक उदारता बरती जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये कल्पित बातें हैं। माननीय सदस्य को स्वयं विश्वास नहीं है कि समाचार ठीक हैं या नहीं। मैं इन समाचारों के आधार पर उत्तर नहीं दे सकता। यदि आवश्यक ही हुआ तो उस पर विचार किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir at the time of Bank nationalisation four years ago the Government had raised high hopes that bank credits would be sufficiently available to meet the needs of productive works and for employing the unemployed youth in such works. But I find that more branches of banks are not being opened speedily and there is no arrangement for giving credits to the youth and providing resources to them. The Hon. Minister has stated in his reply that the increased credit facilities are being utilised for the procurement and stocking of foodgrains. May I know from the Hon. Minister whether there is any proposal to formulate any scheme to engage the youth in productive works and particularly to provide pumping sets etc. to the farmers.?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जिस का मैं पहले कई बार उत्तर दे चुका हूं, लेकिन उस समय वह सभा में नहीं थे। उनकी जानकारी के लिए मैं पुनः बताना चाहता हूं कि उनका यह कहना ठीक है इस दिशा में उतना कार्य नहीं हुआ है जितने की अपेक्षा की

गई थी। किन्तु इसके साथ-साथ यह भी सन्तोष की बात है कि इस विषय में योजनाओं की कोई कमी नहीं है।

जहां तक स्वनियोजन योजनाओं का सम्बन्ध है, हम ने श्री ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। श्री ठक्कर बड़ौदा बैंक के चेयरमैन हैं और उन्होंने बहुत उपयोगी प्रतिवेदन दिया है। विभिन्न बैंक विभिन्न बहु सेवा योजनाएं आदि चला रहे हैं। निःसन्देह इस समय वे प्रत्येक मामले को देख-समझकर कार्य कर रहे हैं क्योंकि इसे प्राथमिक योजना के रूप में आरम्भ किया गया है।

जहां तक छोटे किसानों का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि हमने ब्याज की विभिन्न दरों वाली एक योजना आरम्भ की है ताकि समाज का कम आय वाला वर्ग भी उसका लाभ उठा सके। इस योजना का धीरे-धीरे विस्तार किया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : The scheme is there, money is there but no body implements the schemes.

Shri Yashwantrao Chavan : I can only say that we are trying to implement the schemes.

श्री राम सहाय पाण्डे : अनाज का थोक व्यापार सरकारी अधिकार में लेने का चूंकि निर्णय हो चुका है, और उसे कार्यान्वित भी किया जा रहा है अतः मैं पूछना चाहता हूं कि सारे देश में अनाज की खरीद पर कितना धन व्यय किया जा रहा है। दूसरे क्या गांवों में बैंककारी पद्धति का प्रचलन बढ़ाने के लिए आपने अपने कर्मचारियों से कहा है ताकि कृषि क्षेत्र में भी धन प्राप्त हो सके।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम लोग ऐसे स्थानों पर शाखाएं खोल रहे हैं जहां पहले बैंक नहीं थे या उनकी संख्या बहुत कम थी। उद्देश्य यही है कि इन क्षेत्रों से भी अतिरिक्त धन एकत्र किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओंकार लाल बेरवा—अनुपस्थित

श्री एच० पी० शर्मा—अनुपस्थित

श्री मानसिंह भौंरा—अनुपस्थित

श्री सी०के० जफर शरीफ—अनुपस्थित

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to raise a point of order in the peculiar circumstances. All the Members who have to ask the questions are absent.

Mr Speaker : Sometime it happens like this.

श्री सी० टी० दण्डपाणि : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस बारे में कुछ पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप श्री सी० चित्तिबाबू से लिखित में अनुमति ले लीजिए।

जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकार गृहों को दिये गये ऋणों की संख्या

*898. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री 16 मार्च 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान, जीवन बीमा निगम ने एकाधिकार गृहों को कितने ऋण दिये और प्रत्येक ऋण की राशि एवं ऋण प्राप्त करने वाले एकाधिकार गृह के नाम क्या हैं ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा, एकाधिकार गृहों को छोड़कर गैर-सरकारी संगठनों अथवा फर्मों को 5 लाख रुपये से अधिक के कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) एकाधिकार गृहों से संबंधित कंपनियों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वर्ष 1970-71 1971-72 और 1972-73 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा मंजूर किये गये ऋणों का ब्योरा नीचे दिया गया है ।

(लाख रुपयों में)

कंपनी का नाम	औद्योगिक गृह (आई०एल० पी० आई०सी० रिपोर्ट)	मंजूरियां
	1970-71	
स्वदेशी पालिटेक्स लिमिटेड . . .	जयपुरिया	100.00
मद्रास एल्युमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड	वी०आर० नायडू	100.00
		200.00
	1971-72	
प्लास्टिक रेजिन्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड . .	श्रीयांस प्रसाद जैन	30.00
	1972-73	
श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड . .	श्रीराम	115.00
मोदी रबड़ लिमिटेड .	मोदी	150.00
स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड . . .	जे०के० सिंघानिया	40.00
स्वदेशी पालिटेक्स लिमिटेड . .	जयपुरिया	20.00
आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स लिमिटेड . . .	बंगुर	25.00
वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड .	बंगुर	60.00
महिन्द्र एंड महिन्द्र लिमिटेड . .	महिन्द्र एण्ड महिन्द्र	75.00
टाटा आयरन स्टील कंपनी लि० .	टाटा	250.00
		755.00

(ख) (लाख रुपयों में)

	1970-71	1971-72	1972-73
औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण	86.62	27.90	68.34
चीनी (Sugar) सहकारी कारखाने .	—	340.00	40.00
पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए	—	307.50	415.00
सहकारी समितियों को ऋण, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए	—	1000.00	—
आवासीय और वाणिज्यिक, गृह निर्माण के लिए संस्थाओं को दिये गये अन्य बंधक ऋण	98.00	26.00	1041.77
	184.62	1701.40	1565.11

श्री सी०के० चन्द्रप्पन: इस विवरण से सरकार की जीवन बीमा निगम के ऋणों के सम्बन्ध में नीति के अनेक विशेषताओं का पता चलता है। 1968 में दो एकाधिकार गृहों को, 1971-72 में एक को ऋण दिया गया था अब यह बढ़ कर 8 एकाधिकार गृह हो गये हैं जो 735 लाख रुपये ऋण के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे गैर-एकाधिकार गृहों को 1972-73 में इससे दो गुना अधिक ऋण दिया गया है। जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण देने सम्बन्धी वास्तविक नीति क्या है? एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि इस सम्बन्ध में नीति यह है कि सरकारी संस्थानों से तथा विशेषकर जीवन बीमा निगम से छोटे आदमियों को ऋण का लाभ उठाना चाहिए। विवरण को देखने से इस बात की पुष्ठि नहीं होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में नीति क्या है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं चाहता हूं कि आप इस विवरण को देखें जो मैंने अभी दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वक्तव्य से भाग (ख) को देखें। अगर आप इनकी तुलना करेंगे तो आप एक वर्ष की तुलना दूसरे वर्ष से नहीं कर सकते किन्तु आपको एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से तुलना करनी होगी। मैं यह बात समझ सकता हूं कि बड़े बड़े गृहों अथवा बड़े बड़े औद्योगिक ग्रुपों को 1972-73 में कुछ अधिक धन राशि दी गई है किन्तु यह भी तो जीवन बीमा निगम की गतिविधियों के विस्तार का एक भाग है। यह दिये गये लाइसेंसों की संख्या पर तथा उसके स्वाभाविक विस्तार पर भी निर्भर करता है। किन्तु यदि आप विवरण के भाग (ख) को देखें तो पता चलेगा कि औद्योगिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रयोजनाओं के लिये स्थापित सरकारी लिमिटेड कम्पनियों औद्योगिक प्रयोजनों के लिये सहकारी समितियों को अधिक ऋण दिया गया है तथा आवासों तथा वाणिज्यिक गृह निमार्ण के लिये बन्धक ऋणों में भी वृद्धि की गई है। अतः यदि आप विवरण देखेंगे तो आप पायेंगे कि इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः अगर कोई तुलना की जानी है तो वह एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से की जानी चाहिये मेरी समझ में यह बात आती है कि 1972-73 में बड़े-बडे गृहों को थोड़ी अधिक धन राशि दी गई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुझे प्रसन्नता हुई है कि मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि बड़े गृहों को अधिक भाग मिला है। मैंने विवरण का तथा विशेष कर उसके भाग (ख) का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस में निरन्तर वृद्धि नहीं हो रही है। आप 1971-72 वर्ष को देखिये। इसमें धनराशि 1701 लाख रुपये थी। 1972-73 में यह घट कर 1561 लाख रुपये ही रह गई है। एकाधिकार गृहों का भाग केवल 30 लाख रुपया ही है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 1971-72 वर्ष में यह बढ़ कर 735 लाख रुपये हो गया। यदि सरकार नीती में परिवर्तन करना चाहती है तो इन्हें यह बताना चाहिये कि वह नीती में परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर उन्हें यह पता चले कि उन्होंने गलती की है तो उन्हें ईमानदारी से यह बात कह देनी चाहिये। मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि इस सम्बन्ध में वह किस नीती को अपना रहे हैं इस सम्बन्ध में वह किस को प्राथमिकता दे रहें हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विभिन्न क्षेत्रों को जीवन बीमा निगम आदि से कितना ऋण मिलेगा इसकी उस अधिनियम में ही व्यवस्था की हुई हैं; अनुमोदित प्रत्याभूतियां में 50 प्रतिशत से कम पूंजी नहीं लगाई गई है। जो प्रत्याभुतियों अनुमोदित नहीं है उनमें 15 प्रतिशत लगाया जा सकता है। किन्तु यह उत्पादित उद्देश्यों के लिए है। सत्य बात तो यह है कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। निवेश में वृद्धि हुई है क्योंकि जीवन बीमा निगम की गतिविधियों का विस्तार हुआ है।

श्री दिनेश सिंह : सरकार की नीति के अनुसार बड़े-बड़े गृहों को पिछड़े क्षेत्रों अथवा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए। क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि इसमें से कितनी धनराशि का पिछड़े क्षेत्रों में निवेश किया गया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जितने भी नये लाइसेंस जारी किये गए हैं पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। तथा उन्हें दिये गये लाइसेंसों के आधार पर निवेश होगा।

श्री जगन्नाथ राव : सरकार की नीति एकाधिकार गृहों पर प्रतिबन्ध लगाने की है। इस दृष्टि से क्या यह सरकार की नीति नहीं कि एकाधिकार गृहों को जीवन बीमा निगम अथवा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक ऋण न दिये जायें?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हमने एक नया विनिमेय खंड है--यह प्रतिबन्ध लागू है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जीवन बीमा निगम से सहकारी संस्थानों को ऋण दिलाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्राथमिकता देने की नीती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे विवरण को देख कर पता चला है कि तीन वर्षों की अवधि में बड़े-बड़े व्यापारिक गृहों से सम्बन्धित 5 कम्पनियों को जीवन बीमा निगम से लगभग 1 करोड़ अथवा उससे अधिक रुपया प्रति कम्पनी के हिसाब से ऋण मिला है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हुँ कि इनमें से कितनी कम्पनियों के शेयर खरीद कर अथवा अन्य प्रकार से जीवन बीमा निगम इनके निदेशक मंडल पर अपने निदेशक रख सकती है?

श्री यशवतन्राव चव्हाण : यह मामला मरकार के विचाराधीन है। हम अपने निदेशक भेजने के अधिकार का प्रयोग कर रहे है किन्तु यही प्रर्याप्त नहीं है। इन कम्पनियों के प्रबन्ध में सरकार को योगदान के लिये वित्तीय संस्थानों के लिये होल्डिंग कम्पनी बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को पेश करने के लिये मैंने श्री एस०एम० बनर्जी का नाम पुकारा था किन्तु वह उपस्थित नहीं थे।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब मैं उपस्थित ही नहीं था तो मेरा नाम कैसे पुकारा गया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ मिलाना चाहता था। किन्तु अब बाद में यदि समय रहा तो मैं उनका नाम फिर पुकारूंगा। अगला प्रश्न।

11 मार्च, 1973 को नांगलोई गांव के निकट एक छिड़काव विमान का उतरना

*900. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मार्च, 1973 को नांगलोई गांव के निकट एक खेत में एक छिड़काव विमान उतरा था ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 11 मार्च, 1973 को हेलिकाप्टर सर्विसेज़ प्राइवेट लि० के एक कृषि विमान वी० टी० ई० ए० आर० ने हिसार के मार्ग से फरीदकोट से सफदरजंग, नई दिल्ली के लिये फेरी उड़ान करते हुये नई दिल्ली में श्री निवासपुरी के समीप मजबूरन अवतरण किया। विमान-चालक ने विमान में जैरी कैनों से, जो वह हाप्पर में रख कर लाया था, विमान में पुनः ईंधन भरा और सफदरजंग विमानक्षेत्र के लिए 1415 बजे उड़ान की किन्तु विमानक्षेत्र को न खोज पाने के कारण 45 मिनट की उड़ान के पश्चात् उसने जमना तल में बल्लभगढ़ में चांदपुर गांव के समीप विमान को मजबूरन भूमि पर उतारा। विमान को कोई क्षति नहीं हुई और न विमान-चालक को ही कोई चोट लगी।

(ख) दुर्घटना की जांच हो रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Jagannath Misra: I would like to know whether the circumstances under which the aircraft has to make forced landing twice do not establish that the private companies are incapable of operations ? If so, what steps are proposed to be taken by government to take over the operation of these crafts from these private companies.

Dr. Karan Singh : As this accident is under investigation, I do not wish to say anything in this regard. But till now, it is not the policy of the Agriculture Ministry to nationalise the entire spraying. Till now private parties are conducting these operations but they have to operate under our laws.

Shri Jagannath Misra : May I know the name of the Enquiry Officer investigating into the said accident, the date on which he was entrusted with the work of investigation and the time by which the findings of the enquiry would be published ?

Dr. Karan Singh: Air Safety Directorate of our Ministry is investigating the accident and we hope that the enquiry report would soon be made available to us.

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार करार

*891. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :**

श्री भान सिंह भौरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय अर्थिक समुदाय के कार्यपालक निकाय को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विदेश मंत्रियों द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में, उक्त निकाय ने भारत के साथ पंचवर्षीय व्यापार करार करने के लिए कदम उठाये हैं ?

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उक्त अनुदेशों के अनुसरण में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ यदि कोई करार हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) यूरोपीय समुदाय आयोग ने अब औपचारिक रूप से बातचीत आरंभ कर दी है।

(ग) करार की शर्तों पर अभी भी बातचीत चल रही है ।

डा० एच० पी० शर्मा : यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ विपरीत व्यापार संतुलन को देखते हुए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा औसतन वार्षिक निर्यात 108 करोड़ रुपये है और आयात 272 करोड़ रुपये है तथा ब्रिटेन के उक्त समुदाय में शामिल होने से हमारी समस्यायें और भी गम्भीर हो जायेंगी, क्या सरकार सभा को आश्वासन देगी कि वह जे० ए० टी० टी० के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा इस्तेमाल करेगी ताकि सीमा-शुल्क संघ, अथवा अबाध व्यापार-क्षेत्र के बनने से राष्ट्रमड़लीय पूर्ववर्तिताओं पर कोई प्रभाव न पड़े ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह प्रश्न बहुत व्यापक प्रश्न का एक भाग है । अतः मैं सभा को आश्वासन नहीं दे सकता क्यों कि यह ब्रिटेन की प्रतिक्रिया पर निर्भर है न कि हमारी पहल करने पर। अतः माननीय सदस्य, जो आश्वासन चाहते है मैं वह आश्वासन देने में असमर्थ हूं।

डा० एच० पी० शर्मा : मैंने कहा है कि जे० ए० टी० टी० के अंतर्गत यह एक सांविधिक उपबन्ध है कि एक अबाध व्यापार-क्षेत्र अथवा सीमा-शुल्क संघ के बढ़ाये गये क्षेत्र पर राष्ट्रमण्डील पूर्ववर्तिताओं में कोई अन्तर नहीं आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पहले उसका उत्तर दिया गया था।

प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय : मैं पूर्णतः समझ नही पाया कि माननीय सदस्य किस सांविधिक उपबन्ध का उल्लेख कर रहे हैं। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा भारत के बीच आगामी वार्ता के दौरान जो कि 21 और 22 मई को होगी, इन बातों पर विचार विमर्श किया जायेगा । इस वार्ता के बाद ही मैं सभा को यह बता सकूंगा कि वस्तुस्थिति क्या है ।

श्री भान सिंह भौरा : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन के साझा बाजार में शामिल होने से भारत पर कुप्रभाव पड़ेगा तथा इस समझौते के द्वारा उन कठिनाइयों को कहां तक दूर किया जा सकेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समय इस समझौते के सम्भावित लाभ के बारे में बताना बहुत कठिन है। क्योंकि यह होने वाली वार्ता के ठोस परिणामों पर निर्भर है। परन्तु उपलब्ध जानकारी के आधार पर मुझे विश्वास है कि वार्ता के परिणामस्वरूप कुछ कठिनाइयां दूर की जा सकेंगी अथवा कम तो हो ही जायेंगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया में त्रिपक्षीय व्यापार करार

*881. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत , मिस्र और यूगोस्लाविया में हुए त्रिपक्षीय व्यापार करार से गत तीन वर्षों में कौन से लाभ प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उक्त करार का 31 मार्च, 1973 के बाद पांच वर्षों के लिए अग्रेतर नवीकरण किन कारणों से किया गया है ; और

(ग) इस नये करार में इस उद्देश्य हेतु क्या व्यवस्था की गई है कि इससे इन तीन देशों के आपसी व्यापार पर बेहतर प्रभाव पड़े ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) त्रिपक्षीय करार का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच विशिष्ट माल के विनिमय पर टैरिफ अधिमानों का दिया जाना है, ये अधिमान विद्यमान टैरिफ के 50 प्रतिशत के बराबर हैं। उत्पादों के अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्र आता है जोकि विशेषत: भारत के अपरम्परागत माल क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। ये अधिमान एक "सामान्य सूची" के आधार पर प्रदान किये जाते हैं जिसका अभिप्राय तीनों देशों को और उनके द्वारा उन्हीं टैरिफ अधिमानों का दिया जाना। सहयोग का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्योग के क्षेत्र में है। औद्योगिक सहयोग के अलावा तीनों देशों के बीच वैज्ञानिकी तथा तकनीकी जानकारी में परस्पर सहयोग के लिए, संयुक्त नौवहन सेवाओं, वाणिज्यिक अवस्थापना तथा पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए व्यवस्था विद्यमान है। इस करार के अन्तर्गत सभी विकासशील देश आ सकते हैं।

इस करार के फलस्वरूप भारत व्यापारिक सांझीदारों के बाजारों में नये अपरम्परागत माल का प्रचलन कर सका है। व्यापार विनिमय में वृद्धियां बहुत अधिक नहीं हुई हैं परन्तु विनिर्मित माल का सूत्रपात और निर्यातों का विविधीकरण टैरिफ लाभों के बिना संभव नहीं हो सकता था ?

उद्योग के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में प्रगति धीमी रही है परन्तु ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं जिनमें फलदायक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

अब तक करार के क्रियान्वयन में उपलब्धियां सीमित स्तर की रही हैं परन्तु फिर भी वे महत्वपूर्ण तथा चिरस्थायी रही हैं ।

(ख) इस करार ने भारत के निर्यातों के विविधीकरण हेतु अवसर सृजित किये हैं और इस दिशा में इसने अपनी उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा विकासशील देशों के बीच सहयोग का यह पहला उदाहरण है। तीन प्रमुख गुट निरपेक्ष देशों द्वारा इस एकमात्र उद्यम ने विश्वव्यापी रुचि पैदा की है और अन्य विकासशील देशों ने इस करार में सम्मिलित होने की रुचि दिखाई है ।

(ग) अग्रेतर सुधारों के बारे में तीनों सरकारों द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

*883. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में सीमाशुल्क विभाग द्वारा भारत नेपाल सीमा पर तस्करी की कौन-कौन सी और कितनी-कितनी वस्तुएं पकड़ी गईं;

(ख) क्या इस अवधि में पकड़ी गई वस्तुओं की मात्रा में कमी हुई है; और

(ग) क्या किसी कर्मचारी की तस्करों के साथ मिलीभगत का पता लगा है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत-नेपाल सीमा पर वर्ष 1972-73 में सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा पकड़े गये माल का कुल मूल्य 1,09,18,676 रु० है। भारत से नेपाल को तस्कर-निर्यात किये जाने वाली जिन वस्तुओं का अभिग्रहणों में उल्लेख गिया गया है वे पटसन मोरपंख तथा सुअर के बाल हैं। नेपाल होकर तस्कर-आयात किये गये तीसरे देश के माल में, जो भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ा गया, संश्लिष्ट वस्त्र तथा टेक्सटाइल्स, संश्लिष्ट धागा अथवा नायलोन धागा तैयार पोशाके घड़ियां, तथा दीवार घड़ियां/घड़ियों के फीते/ट्रांजिस्टर रेडियो, ट्रांजिस्टर लगी अन्य वस्तुएं, टेंप-रिकार्डर, फाउटेन पेन/बाल प्वाइंट पेन/रिफिल्स, कैमरे, फोटोग्राफी-सामग्री, फोटोग्राफी की फिल्में, ताश के पत्ते, धूप/कार्याला/डामरबत्ती यांत्रिक, लाइटर, लौंग, दालचीनी, औषधियां तथा भेषजीय उत्पाद मादकद्रव्य आदि शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1971-72 के मुकाबले में इस अवधि में पकड़े गये माल की मात्रा तथा उसके मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) किसी भी अधिकारी की तस्कर-व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ नहीं पाई गयी।

अत्यधिक बैंक-ऋणों पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा रोक लगाया जाना

*884. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री वरके जार्ज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया ने देश में ग्रत्याधिक बैंक ऋणों पर रोक गालने के लिए कोई कदम उठाए हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में, वर्तमान पुनर्वित्त पोषण की सुविधाग्रों को कायम रखते हुए ग्रौर ग्रनाज की खरीद के लिए इन सुविधाग्रों को उदार बना कर, रिजर्व बैंक ने ग्रभी हाल ही में बैंकों को उधार देने की ग्रपनी ग्रन्य दरों में वृद्धि कर दी है ताकि बैंक ऋण पूंजी की पूर्ति पर ग्रधिक दबाव पैदा न करें। संशोधित दरें 30 मार्च, 1973 से लागू होंगी।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा 17 मार्च, 1973 को घोषित की गई ऋण नीति की मोटी-मोटी बातें इस प्रकार हैं:

(1) रिजर्व बैंक से उधार लेने की लागत का निर्धारण करने से सम्बन्धित शुद्ध नकदी ग्रनुपात के स्तर की प्रतिशतता में 30 मार्च 1973 से 13 जुलाई 1973 (जब स्थिति का पुनरावलोकन किया जायेगा) तक के लिए एक ग्रंक की वृद्धि कर दी गयी है ग्रर्थात उसे 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) शुद्ध नकदी ग्रनुपात एक प्रतिशत ग्रथवा उसके ग्रंश की कमी (ग्रर्थात 37 प्रतिशत से नीचे) होने पर उधार की दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत (ग्रर्थात प्रतिशतता में 2 ग्रंक की वृद्धि) हो जायेगी। उसके पश्चात् ग्रनुपात में 1 प्रतिशत या उसके ग्रंश की कमी होने पर उधार की दर में प्रतिशतता के एक ग्रंक की वृद्धि होगी।

(3) रिजर्व बैंक से उधार लेने की ग्रधिकतम दर 15 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत कर दी गयी है। यह दर शुद्ध नकदी ग्रनुपात का स्तर 32 प्रतिशत होने पर लागू हो जाती है।

(4) ग्रनाज की खरीद के लिए ऋण के बढ़ते हुये महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए ग्रौर ग्रधिक उदार सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पुनर्वित्त पोषण के वर्तमान फार्मूले को संशोधित कर दिया गया है। बैंक जो इस समय ग्रक्टूबर, 1972 के ग्रन्तिम शुक्रवार को ग्रनाज की खरीद सम्बन्धि बकाया ऋण का 10 प्रतिशत तक पुनर्वित्त पोषण के रूप में ले सकते हैं वे ग्रब इस के ग्रलावा ग्रक्टूबर, 1972 के ग्रन्तिम शुक्रवार को ग्रनाज की खरीद सम्बन्धि बकाया ऋण में जो वृद्धि हो उसका ग्राधा भाग (जो इस समय एक तिहाई है) पुनर्वित्त पोषण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।

(5) ग्रनाज की खरीद के लिए शुद्ध नकदी ग्रनुपात का विचार किए बिना बैंक दर पर पुनर्वित्त पोषण किया जायेगा। लेकिन जैसाकि ग्रब तक होता ग्राया है इससे शुद्ध नकदी के ग्रनुपात को परिवर्तित करेगा ग्रौर रिजर्व बैंक से ली जाने वाली ग्रन्य उधारों की दरों को प्रभावित करेगा।

(6) "रक्षा-पैकिंग-एवं पूर्ति ऋण" के सम्बन्ध में बैंक दर पर दी जाने वाली विशेष पुनर्वित्त की सुविधा वापिस ले ली गयी है। पुनर्वित्त पोषण प्रणाली की ग्रन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं ग्रा है।

(7) सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों जिनमें राज्य बिजली बोर्ड भी शामिल हैं को दिये जाने वाले सभी अग्रिम तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों की प्रतिभूति के लिए दिये जाने वाले अग्रिम ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे। तीन करोड़ रुपये या उससे अधिक के कार्यचालन पूंजी ऋणों और एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के सावधिक ऋणों के लिए इस प्रकार के अग्रिमों के सम्बन्ध में पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।

इसके साथ-साथ जमा दर के ढांचे को सरल करने के लिये भी कुछ परिवर्तनों की घोषणा की गयी है जो 1 अप्रैल, 1973 से लागू हैं। जहां सावधिक जमा की रकमों, ब्याज की 7.25 प्रतिशत की अधिकतम दर और बचत जमा रकमों पर 4 प्रतिशत की ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा वहां अल्पावधिक जमा की रकमों की दरें बढ़ा दी गयी हैं और विभिन्न नियत कालिक जमा की विभिन्न श्रेणियों की परिपक्वता और लाभ विषयक कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

देश में पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

*887. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल भारतीय तरीके से ही देश में पर्यटन का विकास करने के लिए राष्ट्रीय प्रयटन बोर्ड को उन्होंने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यह सरकार की नीति है कि पर्यटन प्रोत्साहन में देश की सांस्कृतिक सम्पदा को उचित महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड इस ओर पूर्ण रूप से सचेत है और बोर्ड की गत बैठक में मैंने इसे पुन: दोहराया था।

Trade Agreements for Khadi Cloth at Asia '72

*890. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of Khadi Cloth in respect of which trade agreements were concluded in Asia '72.

(b) Whether any agreement in this regard has since been concluded in foreign countries also; and

(c) If so, the names of countries and on what terms and conditions.

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) No, Sir.

(b) & (c) In view of 'a' above, questions do not arise.

स्थानीय पर्यटकों की तुलना में विदेशी पर्यटकों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना

*892. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग में स्थानीय पर्यटकों की तुलना में विदेशी पर्यटकों की ओर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति है और वह धनी पर्यटकों को प्राथमिकता देता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन से होने वाले लाभ को देखते हुए सरकार ने भारत आने वाले विदेशी पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाये हैं और इस के लिए आधारभूत उपादानों की व्यवस्था की है। विदेशी पर्यटकों के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं देशी पर्यटकों के लिये भी उपलब्ध हैं। निम्न तथा मध्य आय वर्ग के पर्यटकों के लिए पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों, स्वागत केन्द्रों-व-मोटलों तथा विश्रामगृहों में, जिन्हें कि पर्यटक विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर स्थापित किया जा रहा है, सस्ते आवास की व्यवस्था की जा रही है।

तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष

*893. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उन में व्याप्त असन्तोष को दूर करने की समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों से और उनके संगठनों से बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त हुए हैं कि तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 मार्च 1973 को पेश की थी और वह रिपोर्ट 2 अप्रैल 1973 को लोक सभा में पेश की गई। आयोग की सिफारिशों की जांच करते समय उन मुद्दों पर भी उचित ध्यान दिया जायगा, जो उपयुक्त पत्रों में उठाये गये हैं।

श्री हरिदास मूंदड़ा और उसकी फर्मों की ओर करों की बकाया राशि

*894. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयं श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर तथा हरिदास मूंदड़ा द्वारा नियंत्रित प्रत्येक फर्म की ओर आज तक करों की बकाया राशि कितनी-कितनी है;

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है यह की जा रही है तो वह क्या है ; और

(ग) अब तक की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) 31 मार्च 1973 को श्री हरिदास मूंदड़ा और हरिदास मूंदड़ा नियंत्रित दस फर्मों की ओर बकाया कर की रकम, बकाया कर को वसूल करने के लिए किये गये और किये जा रहे उपायों और उनके परिणाम के बारे में सूचना सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गयी है।

विवरण

क्रम सं०	नाम	31-3-1973 बकाया कर	बकाया कर को वसूल करने के लिए किये गये/किये जा रहे उपाय और अब तक किये गये उपायों का परिणाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री हरिदास मूंदड़ा	3,26,55,276	(1) विभिन्न कम्पनियों में निर्धारिती के शेयरों को अभिग्रहीत कर लिया गया है।
			(2) निर्धारिती के नाम में सभी ज्ञात बैंक खातों को अभिग्रहीत कर लिया गया है।
			(3) बेनामी नामों में जमा को अभिग्रहीत कर लिया गया है।
			(4) 2, राय लेन, कलकत्ता स्थित अचल सम्पत्ति को अभिग्रहीत कर लिया गया है।
			(5) शेयरों के अभिग्रहण को कर वसूली अधिकारी अथवा विभिन्न न्यायालयों के सम्मुख चुनौती दी गयी, क्योंकि शेयरों का स्वामित्व तक विवादास्पद था। जब शेयरों की नीलामी की गयी, तो बोली इतनी कम थी कि उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था।
			(6) अचल सम्पत्ति की भी दो बार नीलामी की गयी, लेकिन बोली आरक्षित मूल्य से बहुत कम थी।
			(7) सन् 1957-58 और 1971-72 के बीच 1,34,041 रु० की रकम वसूल की गयी है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	ब्रह्मपुत्र टी० कं० लि०	58,31,556	तमाम मांग के बारे में कर वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं । मैसर्स कार्मशियल कम्बाइन्स लि० द्वारा कम्पनी को देय ऋण की कुर्की का नोटिस ग्रायकर ग्रधिनियम की धारा 226 (3) के ग्रधीन ग्रभिग्रहीत किया गया है । मैसर्स कार्मशियल कम्बाइन्स लि० के विरुद्ध कर वसूली ग्रधिकारी, ग्रौरंगाबाद को ग्रायकर ग्रधिनियम की धारा 226(3) के ग्रधीन नोटिस दिया गया है, जिसमें उनसे मैसर्स उस्मानशाही मिल्स लि०, नानदेद के पास इस कम्पनी के नाम में जमा रकम को ग्रभिग्रहीत करने का ग्रनुरोध किया गया है । मै० उस्मानशाही मिल्स लि० परिसाम्पत हो गया है । कर वसूली ग्रधिकारी, ग्रौरंगाबाद से उस्मानशाही मिल्स (परिसमापन में) के सरकारी परिसमापक के पास दावा दायर करने का ग्रनुरोध किया गया है । 31,209 रु० की रकम वसूल की गयी है ।
3.	बर्दवान कालरीज लि०	9,77,506	धारा 226(3) के ग्रधीन मैसर्स ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी की ग्रोर बकाया 9,21,201 रु० ग्रभिग्रहीत किया गया है । धारा 226(3) (एक्स) के साथ पठित धारा 222 के ग्रधीन कर वसूली प्रमाण पत्र ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी प्रा० लि० के विरुद्ध कर वसूली ग्रधिकारी, कलकत्ता को जारी किया गया है । धारा 226(3) के ग्रधीन बैंक खाते कुर्क कर लिये गये हैं । ग्रब तक 71,126 रु० वसूल किये गये हैं ।
4.	मनमोहन कारपोरेशन (इं) लि०	3,96,950	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गये हैं । कम्पनी की सभी परिसम्पत्तियां ग्रभिग्रहीत कर ली गयी हैं । 488 रु० वसूल किया गया है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	रिचार्डसन एण्ड क्रुडडास (प्रापर्टीज) प्रा० लि०	4,15,370	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। कम्पनी की बम्बई स्थित सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी है। कम्पनी को मिलने वाला पट्टे का किराया धारा 226(3) के अधीन नोटिस जारी करके अभिग्रहीत कर लिया गया है।
6.	एस० वी० इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०	37,46,138	वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सूची अभिग्रहण के लिए कर वसूली अधिकारी के पास भेज दी गयी है। सभी ज्ञात बैंक खाते धारा 226(3) के अधीन अभिग्रहीत कर लिए गये हैं। 511 रु० की रकम वसूली की गयी है।
7.	एस० वी० एक्सपोर्टस एण्ड इम्पोर्टस कं० लि०	7,67,743	यह मांग कर-निर्धारण वर्ष 1948-49 से संबंधित है और बहुत अरसे से कम्पनी का कोई कारोबार नहीं है: बकाया कर की वसूली करने के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिये गए हैं। निर्धारिती को देय धन के अभिग्रहण का नोटिस उसके प्रबन्ध एजेन्टस मैसर्स एस० वी० इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कं० लि० को जारी किया गया है लेकिन उन्होंने सूचित किया है कि उनके पास निर्धारिती कम्पनी की कोई परिसम्पत्ति नहीं है। निर्धारिती के पास वसूल करने योग्य कोई परिसम्पत्तियां नहीं है।
8.	एस० वी० इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कं० लि०	79,08,237	आठ कम्पनियों में निर्धारिती शेयरों को अभिग्रहीत कर लिया गया है। लेकिन इन कम्पनियों में से चार ने काम करना बन्द कर दिया है और उनकी परिसम्पत्तियां और देनदारियां सरकारी परिसमापक के पास निहित हैं। विभिन्न बैंकों को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 46(5ए) के अधीन नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)
			लेनदारों में से दो के द्वारा दायर कम्पनी को बन्द करने की याचिका के मामले में एक पार्टी बनने के लिये विभाग ने एक अर्जी दाखिल की है। विभागीय बकील से कहा गया है कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय से कम्पनी बन्द करने की याचिका पर जल्दी सुनवाई करने के लिये कहे।
9. एस० बी० हाउस एण्ड लैंड प्रा० लि०		1,27,865	तमाम मांग जो धारा 147 (ख) के अधीन पुनः कर-निर्धारण से उत्पन्न हुई थी, अपीलीय सहायक आयुक्त के सम्मुख विवादग्रस्त है। आयकर अधिकारी ने धारा 226(3) के अधीन कम्पनी के किरायेदारों और उन बैंकों के विरुद्ध, जिनमें निर्धारिती के खाते थे, वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए ग
10. एस० वी० ट्रेडिंग कं० लि०		38,49,300	कम्पनी परिसमापन के अधीन है और इसके मामलों की देखभाल सरकारी परिसमापक के हाथ में हैं। परिसमापक ने कम्पनी का 65,74,738 रु० गबन करने के कारण निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। यह मामला उच्च न्यायालय में अनिर्णित है।
11. राजा कटरा प्रा० लि०		1,18,139	कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 के बारे में कर वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए बकाया मांग की अदायगी के लिए किस्तें मंजूर कर दी गयी हैं। निर्धारिती के किरायेदारों और उसके बैंकों के विरुद्ध अभिग्रहण के नोटिस जारी कर दिये गए हैं। अग्रिम कर की अदायगी में चूक करने के कारण 4,205 रु० का दण्ड लगाया गया है। बकाया मांग में कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के सम्बन्ध में 24-3-73 को जारी की गयी 27,323 रु० की मांग भी

(1)	(2)	(3)	(4)
			शामिल है, जो 31-3-73 को उत्पन्न नहीं हुई थी ।
			कम्पनी ने कर-निर्धारण वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1969-70 के लिये बकाया मांग में से किस्तों द्वारा अब तक 1,11,326 रु० अदा कर दिया है ।
			इन मामलों में बकाया आयकर की बड़ी रकमें मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से बकाया है (1) कर अपील में विवादग्रस्त हैं। (2) वसूली कार्यवाहियों को विभिन्न करणों से, जिसमें उन परिसम्पत्तियों की मिल्कियत की वास्तविकता भी शामिल होती है जिन्हें अभिगृहित किया गया है, कर वसूली अधिकारियों, न्यायालयों अथवा उच्च न्यायालयों के सम्मुख हर मौके पर चुनौतियां दी गयी हैं। (3) बहुत अधिक मुकदमेबाजी करनी पड़ती है, जिसके निपटने में बहुत लम्बा समय लग जाता है। इन साधनों से करों को वसूल करने के विभाग के प्रयासों को निर्धारिती निष्फल कर देते हैं । (4) इन कम्पनियों में से कुछ परिसमाप्त हो गयी हैं, जिनमें करों को वसूल करने के लिये फिर से अदालती कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। (5) कम्पनियों में से कुछ के शेयरों को बेचना संभव नहीं है, क्योंकि कम्पनियों के अपने पास कोई परिसम्पत्तियां नहीं हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*895. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने 27 मार्च, 1973 को मध्याह्न 2 बजे के बाद सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सूचित किया है कि उनके कुछ कर्मचारी 27 मार्च, 1973 को दोपहर दो बजे के बाद कार्यालयों से संसद के समक्ष मोर्चे में भाग लेने के लिये चले गये । उक्त मोर्चे में भाग लेने वाले बैंक कर्मचारियों ने अपने-अपने बैंकों के सामने कोई मांगें नहीं रखी हैं । इसलिये उनकी मांगों पर कार्रवाई करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

"उलगम सुत्रम बलिभान" नामक फिल्म के निर्माता को दी गई विदेशी मुद्रा

*896. **श्री सी० चिन्तिबाबू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल फिल्म "उलगम सुत्रम वलिभान" के निर्माता को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी ;

(ख) इस राशि के उपयोग के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं ; और

(ग) क्या इस बात की जांच कर ली गई है कि दी गई विदेशी मुद्रा उसी प्रयोजनार्थ खर्च की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 75,000 रुपये ।

(ख) विदेशी मुद्रा दिए जाने से पहले, कंपनी से इस बात की गारंटी और उनके बैंकरों से प्रतिगारंटी ले ली गयी थी कि वह भारत में फिल्म के दिखाए जाने से पहले, उसे दी गयी विदेशी मुद्रा की चार गुना राशि तथा सभी सदस्यों के आने-जाने के खर्च और भाड़े की रकम की दुगनी राशि फिल्म से होने वाली आमदनी से देगी । इस प्रकार दी गयी गांरटी की कुल रकम 4.50 लाख रुपये बैंठती है ।

(ग) चूंकि फिल्म अभी हाल ही में पूरी हुई बतायी जाती है इसलिए निर्माता ने उसे दी गयी विदेशी मुद्रा के उपयोग का ब्यौरा अभी नहीं दिया है ।

भारतीय सिग्रेटों का निर्यात

*897. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में विदेशों को भारतीय सिग्रेटों का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को सिग्रेटों का निर्यात किया जायेगा और इस अवधि में विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने की आशा है ; और

(ग) इन देशों को सिग्रेटों का निर्यात करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां ।

(ख) हाल के वर्षों में भारतीय सिग्रेटों के प्रमुख आयातक सोवियत संघ तथा हंगरी रहे हैं। कई अन्य देशों को भी छोटी मात्राओं में निर्यात किये गये हैं । आशा है कि 1973 में सिग्रेटों के निर्यात, इन देशों तथा ऐसे अन्य बाजारों को, जिनको आगे विकसित किया जा सकता है, किये जायेंगे । 1973 में इन निर्यातों से 1 करोड़ रु० से भी अधिक विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ।

(ग) कोई भी निर्यातक सिग्रेटों का निर्यात कर सकता है । इस अवस्था में उन कंपनियों के नाम बताना संभव नहीं है जो 1973 के दौरान सिगरेटों का निर्यात करेगी ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा रुपये की लागत बढ़ाने के उपाय

*899. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री राज राज सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक दर में वृद्धि किये बिना रुपये की लागत बढ़ाने के उपायों की घोषणा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रिजर्व बैंक ने, जहां एक ओर प्राथमिकता प्राप्त विशिष्ट क्षेत्रों को दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं को बरकरार रखा है तथा अन्न की वसूली के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार की सुविधाओं को उदार वनाया है वहां दूसरी ओर उसने अभी हाल ही में, बैंकों को दिये जाने वाले अन्य ऋणों की दरें इस उद्देश्य से बढ़ा दी हैं कि बैंक ऋणों से मुद्रा उपलब्धि पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को रोका जा सके।

संशोधित दरें 30 मार्च, 1973 से लागू की गई हैं।

(ख) रिजर्व बैंक ने 17 मार्च, 1973 को जिस ऋण नीति की घोषणा की है उसका स्थूल ब्योरा इस प्रकार है :—

(1) रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण की लागत निर्धारित करने के उद्देश्य से सम्बन्ध नकदी और नकदी जैसी शुद्ध परिसम्पत्ति के अनुपात का स्तर 30 मार्च, 1973 से 13 जुलाई, 1973 तक की अवधि के लिए जिसके बाद स्थिति की समीक्षा फिर से की जायेगी, एक प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अर्थात् उसे 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) नकदी और नकदी जैसी शुद्ध परिसम्पत्ति के अनुपात में एक प्रतिशत अथवा उसके किस अंश की कमी होने (अर्थात् 37 प्रतिशत से कम होने) पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत (अर्थात् 2 प्रतिशत) अधिक हो जायेगी। उसके बाद अनुपात में एक प्रतिशत अथवा उसके किसी अंश की कमी होने पर ब्याज की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी।

(3) रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण के ब्याज की अधिकतम दर जो 15 प्रतिशत थी घटा कर 12 प्रतिशत कर दी गई है। यह दर नकदी और नकदी जैसी शुद्ध परिसम्पत्ति के अनुपात के 32 प्रतिशत होने पर लागू होगी।

(4) अन्न की वसूली के लिए दिये जाने वाले ऋण के बढ़ते हुए महत्त्व को देखते हुये पुनर्वित्त सम्बन्धी वर्तमान सिद्धान्त में संशोधन कर दिया गया है ताकि अपेक्षाकृत अधिक उदार सुविधाएं दी जा सकें। बैंक, जो इस समय अक्टूबर 1972 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अन्न वसूली ऋण की बकाया राशि के 10 प्रतिशत के बराबर ऋण लेने के हकदार हैं अब वे इस के अतिरिक्त अक्टूबर 1972 के अन्तिम शुक्रवार की बकाया राशि में होने वाली वृद्धि की आधी रकम (अब तक एक तिहाई थी) के बराबर के ऋण भी पाने के हकदार हैं।

(5) अनाज वसूली के लिए पुनर्वित व्यवस्था शुद्ध नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति के अनुपात पर ध्यान दिये बिना बैंक-दर पर की जायेगी। किन्तु इससे शुद्ध नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति के अनुमान में बिगाड़ आयेगा और रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले अन्य ऋणों की दरों पर प्रभाव पड़ेगा।

(6) "सुरक्षा सम्बन्धी पैकिंग एवं सप्लाई ऋण" के बारे में बैंक-दर पर विशेष पुनर्वित की सुविधा वापस ले ली गयी है। पुनर्वित पद्धति की अन्य सभी बातें अपरिवर्तित रही हैं।

(7) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जिनमें राज्यों के बिजली बोर्ड शामिल हैं, दिये जाने वाले सभी अग्रिम तथा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की गारण्टी के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिम, ऋण स्वीकृति योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे। ऐसे ऋणों के सम्बन्ध में 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कार्यचालन पूंजी ऋणों और 1 करोड़ पये और उससे अधिक के सावधि ऋणों के लिए पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता होगी।

इसके साथ ही जमा-दर ढांचे में पहली अप्रैल, 1973 से लागू होने वाले कतिपय परिवर्तनों की घोषणा कर दी गयी है। सावधि जमा रकमों के ब्याज की दर 7.25 प्रतिशत तथा बचत खातों में जमा रकमों के ब्याज की 4 प्रतिशत की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किन्तु थोड़ी अवधि के लिए जमा रकमों की ब्याज-दरें बढ़ा दी गयी हैं और मियादी जमा की विभिन्न श्रेणियों की परिपक्वता तथा लाभ के ढांचे में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

प्राइवेट लिमिटेड और ज्वायंट स्टाक कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय वित्तीय एजेंसियों और केन्द्रीय सरकार से ऋण लिया जाना

8340. **श्री रोबिन काकोटी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में आसाम की प्राइवेट लिमिटेड तथा ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों ने विभिन्न केन्द्रीय वित्तीय एजेंसियों से कितनी राशि का ऋण लिया और इस अवधि में केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

1969 से 1972 के दौरान मशीनरी और कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस

8341. **श्री रोबिन काकोटी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान प्रत्येक प्राइवेट लिमिटेड और ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों को किस-किस मशीनरी और कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस जारी किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डो० पो० चट्टोपाध्याय) : जारी किये गये आयात लाइसेंस के आंकड़े फर्मवार/राज्यवार नहीं रखे जाते। तथापि, जारी किये गये सभी आयात लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

भारत बंगलादेश सीमा पर तस्करी

8342. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और बंगला देश की सीमाओं पर तस्करी के मामलों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में सरकार ने ऐसे कितने मामलों का पता लगाया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1972 के दौरान भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी के माल को पकड़ने के मामलों की संख्या 3406 है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में संसदीय समिति

8343. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योगपतियों, कृषकों और छोटे दुकान दारों को ऋण मंजूर करने के क्षेत्र में 19 जुलाई 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों और उनकी शाखाओं की नीति और प्रक्रिया की जाच करने के लिए संसद के दोनों सदनों में और सभी राज्यों के सदस्यों की एक संसदीय समिति गठित करने के लिए मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। संसद के कुछ सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

बहु-भाषी पर्यटक पत्रिकाओं के प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव

8344. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लोगों के लिए विशेष रूप से कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहु-भाषी पर्यटक पत्रिकाओं के प्रकाशन के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था

8345. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों के संबंध में की गयी व्यवस्था के बारे में 27 फरवरी, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में सम्पादक के नाम प्रकाशित पत्र की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां, दो यात्री जिनके पास 26 फरवरी को दिल्ली से रवाना होने वाली इराकी एयरवेज की उड़ान आइ०ए०-030 के पुष्टीकृत यात्रा टिकट थे, देर से पहुंचे और अतः विमान पर सवार न हो सके। इराकी एयरवेज ने उनकी बाद की उड़ानों द्वारा यात्रा की व्यवस्था कर दी।

एशियन क्लीयरिंग यूनियन के लिये प्रस्ताव

8346. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिद्धान्ततः एशियन क्लीयरिंग यूनियन बनाने के लिये सहमत हो गई है जिसके लिये टोकियो में आयोजित आगामी महीने में एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग के सम्मेलन में समझौता होने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत सरकार ने एक एशियन क्लीयरिंग यूनियन बनाये जाने का समर्थन किया है।

(ख) एशियन क्लीयरिंग यूनियन के उद्देश्य हैं : (1) भागीदारों के क्षेत्रों के बीच चालू अन्तर्राष्ट्रीय सौदों के लिये भुगतानों को बहुपक्षीय आधार पर निपटाने के लिये सुविधा प्रदान करना, (2) अपने अपने क्षेत्रों के बीच चालू सौदों में भागीदारों की मुद्राओं के प्रयोग को बढ़ाना और इसके द्वारा भागीदारों के मुद्रा आरक्षणों के प्रयोग में बचत करना और (3) भागीदारों के बीच मुद्रा सहयोग तथा अपने अपने क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणालियों में निकटतर संबंध स्थापित कराना और इससे इकाफे क्षेत्र के देशों के बीच व्यापारिक तथा आर्थिक कार्यकलाप का विस्तार करना। प्रत्येक क्षेत्रीय सदस्य अथवा इकाफे के सह-सदस्य का सैन्ट्रल बैंक अथवा मुद्रा प्राधिकारी यूनियन का भागीदार बन सकेगा।

सिग्रेटों पर उत्पादन शुल्क

8347. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में तम्बाकू और सिग्रेटों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि से सभी किस्मों के सिगरेटों के मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इण्डिया किंग सिग्रेट दिल्ली में अब भी बजट से पूर्व के मूल्य पर जो 20 सिग्रेटों के पैकेट के लिए पांच रुपये हैं, बिक रहा है ; और

(ग) इसी ब्रांड को ही उत्पादन शुल्क से मुक्त रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस वर्ष के बजट में तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। किन्तु सिगरेट के मामले में वर्तमान खण्ड-दरों के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली लागू की गयी थी, जिसके अनुसार सिगरेट की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ शुल्क-दर वृद्धि होती है, बशर्ते कि अधिकतम उच्चतम दर 300 प्रतिशत मूल्यानुसार हो (जो 200 प्रतिशत मूल्यानुसार मूल उत्पादन-शुल्क तथा 100 प्रतिशत मूल्यानुसार अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से मिलकर बनी है)। बजट संबंधी परिवर्तनों के परिणामस्वरुप, सिगरेटों के अधिकांश ब्रांडों के परचून मूल्यों में वृद्धि हो गई है, जबकि कुछ ब्रांडों पर परचून मूल्य अपरिवर्तित रहे हैं।

(ख) तथा (ग) "इंडिया किंग्ज" के मामले में, बजट के पूर्व लागू शुल्क-दर 240 प्रतिशत मूल्यानुसार थी। बजट के पश्चात् इस ांड पर लगने वाली शुल्क-दर 300 प्रतिशत मूल्यानुसार है। शुल्क-दर में स वृद्धि के बावजूद निर्माताओं ने अपने स्वयं के कारणों से, अपनी प्रस्तावित परचून कीमत ो 20 ा गरेटों के प्रति पैकेट पर 5 पये बनाये रखना बेहतर समझा है।

REQUEST FROM MADHYA PRADESH GOVERNMENT FOR APPOINTMENT OF REPRESENTATIVES FROM THEIR STATE ON THE RECRUITMENT BOARDS OF PUBLIC UNDERTAKING

8348. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to appoint representatives from their State on the recruitment Boards of Public Sector Industrial Establishment for ensuring sufficient number of employment apportunities for the people of the State; and

(b) If so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) and (b) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the employment at the lower levels. The present policy of the Central Government is that maximum employment opportunities should be accorded by the Public Enterprises to the people of the region where the Enterprises are located, at the lower levels. According to the policy laid down, the Central Government Enterprises are to recruit persons for posts carrying a salary of about Rs.500 and less only through the local Employment Exchange; other sources may be tapped only if the Employment Exchange issues a "Non-availability Certificate". The policy also envisages the association of a State Government representative with the Selection Committees for such posts in order to protect local interests. In regard to higher posts, recruitment is done on the basis of merit through an All India selection.

According to the information available, no request of the nature referred to in the question has been made by the Madhya Pradesh Government.

भारत से निर्यात की गई क्राकरी का मूल्य

8349. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारत से क्राकरी का आयात करते हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में भारत से कितनी और कितने मूल्य की क्राकरी का निर्यात किया गया ; और

(ग) इससे निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) "क्राकरी" को संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है । उसे 'पाटरी' (मिट्टी के बर्तनों) के निर्यातों में शामिल किया जाता है । भारत से मिट्टी के बर्तन (क्राकरी सहित) आयात करने वाले मुख्य देश ये हैं : ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, मालवी, जाम्बिया तथा श्रीलंका ।

मिट्टी के बर्तनों के निर्यात निम्नांकित प्रकार हैं :

मूल्य लाख रु० में
मात्रा मे० टनों में

1969-70		1970-71		1971-72		1972-73 (सितम्बर, 1972 तक)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1.27	62	1.92	28	1.55	25	0.84

(ग) इनके निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये कुछ उपाय यह हैं : आयात प्रतिपूर्ति जारी रखना, नकद सहायता, बाजार सर्वेक्षण आदि ।

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश

8350. **श्री हरि प्रसाद शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश में गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा एकत्र पूंजी के रूप में तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के रुप में, बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में इस क्षेत्र में पूंजी निवेश में कितनी और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(ग) यह निवेश इसी अवधि में सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश में लगी हुई वृद्धि की प्रतिशतता के मुकाबले अधिक है या कम ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों के संबंध में पूछी गयी सूचना इस समय जहां तक उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दी गयी हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4893/73]

सहकारी क्षेत्र में निवेश के वास्तविक आंकड़े जिस रुप में पूछे गये हैं; वे उपलब्ध नहीं हैं किन्तु निवेश के स्थूल सूचक निम्नलिखित हैं:--

सहकारी क्षेत्र में निवेश के सूचक

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	जारी किए गए ऋण
1	2
1968-69	186
1969-70	184 (−1 प्रतिशत)
1970-71	202(+10 प्रतिशत)
1971-72	उपलब्ध नहीं है।

सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता के संबंध में संभव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व बैंक के दल द्वारा राजस्थान नहर और चम्बल कमांड क्षेत्रों का दौरा

8351. श्री भागीरथ भंवर :

श्री बृजराज सिंह कोटा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने हाल में राजस्थान नहर और चम्बल कमांड क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) क्या उस दल ने विश्व बैंक को पेश करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और विश्व बैंक से कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) दल भारत से हाल ही में वापिस गया है और इसकी सिफारिशें अभी हमें उपलब्ध नहीं की गयी हैं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कर्मचारियों के लिये मिलने वाले समयोपरि भत्ते की अधिकतम सीमा

8352. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले समयोपरि भत्ते की अधिकतम सीमा उनके वेतन की एक तिहाई है और मंत्रालयों में वैयत्तिक स्टाफ को अधिकतम समयोपरि भत्ता मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो एक ही मंत्रालय/विभाग में एक ही श्रेणी के कर्मचारियों में यह भेदभाव क्यों है ; और

(ग) क्या सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते संबंधी समान नियम बनाएगी और यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार, कार्यालयी कर्मचारियों को (वैयत्तिक स्टाफ को) और जिन कर्मचारियों, के काम का स्वरूप तथा समय कार्यालयी कर्मचारियों जैसा ही हो, उनके मिलने वाले समयोपरि भत्ते की रकम उनकी मासिक परिलब्धियों के एक तृतीयांश से अधिक नहीं होनी चाहिये । विशेष परिस्थितियों में, वैयक्तिक स्टाफ को इतना समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है जो उनकी मासिक परिलब्धियों के अर्द्धांश से अधिक नहीं हो, परन्तु इसमें शर्त यह है कि उनके उच्च अधिकारी इस बात की पुष्टि करें कि उन्होंने स्वयं यह इत-मीनान कर लिया है कि जो रकम मासिक परिलब्धियों एक तृतीयांश से अधिक है लेकिन अर्द्धांश से अधिक नहीं है उसका दिया जाना लोकहित में जरूरी था । वैयत्तिक स्टाफ को यह रियायत इसलिए दी जाती है कि अधिकारियों को महीने में अधिकांश दिन देर तक बैठना होता है और वैयाक्तिक स्टाफ के लिये समयोपरि काम करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है । यह तर्क अन्य कार्यालयी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता क्योंकि उनको समयोपरि काम तभी करना होता है जब वह काम अगले दिन टालने योग्य नहीं होता है ।

(ग) समयोपरि भत्ते के प्रवर्तमान नियमों में कोई भी परिवर्तन तब किया जा सकता है, जब इस संबंध में तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के संदर्भ में निर्णय ले लिया जाय ।

अभ्रक व्यापार के राष्ट्रीयकरण की सरकारी घोषणा के बाद बेकार हो गये श्रमिक

8353. **श्री सी० के० जाफ़र शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सरकारी घोषणा के बाद अनेक श्रमिक बेकार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको खपाने के लिये सरकार क्या करेगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) अभ्रक का निर्यात 24 जनवरी, 1972 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है । निर्यात के अंनतिम आंकड़ों के अनुसार, जो प्राप्य हैं, 1972-73 में 1604.23 लाख रु० मूल्य के 20,259 मे० टन अभ्रक

का निर्यात किया गया था जबकि 1971-72 में 1,523.37 लाख रु० मूल्य के 19,635 मे० टन माल का निर्यात किया गया था। चूंकि मार्गीकरण के पश्चात अभ्रक के निर्यात बढ़े हैं अतः अभ्रक मार्गीकरण के परिणामस्वरूप अभ्रक उद्योग में श्रमिकों के बेकार होने का प्रश्न नहीं उठता है।

मूंगफली का निर्यात

8354. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किन-किन देशों को मूंगफली निर्यात करता है और इससे कुल कितनी बिदेशी मुद्रा की बार्षिक आय होती है ;

(ख) क्या इस वर्ष मूंगफली का उत्पादन संतोषजनक नहीं है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किन राज्यों का मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) हाथ से चुनी हुई तथा छांटी हुई मूंगफली का निर्यात मुख्य रूप से बल्गारिया, चैकोस्लोबाकिया, जर्मन, लोकतंत्रीय गणराज्य, जापान, ब्रिटेन, सोवियत संघ, पोलेन्ड तथा यूगोस्लाबिया को किया जाता है।

गत तीन वर्षों में निर्यात इस प्रकार थे :

वर्ष	कीमत (लाख रु० में)
1969–70	783
1970–71	562
1971–72	580

(ख) जी हां।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु तथा उड़ीसा को 1972–73 के दौरान अधिक बड़े क्षेत्रों पर सिंचित ग्रीष्म मूंगफली उगाने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुए घाटे के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करना

8355. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुये घाटों और उनके कारणों के पूरे प्रश्न की जांच के लिये बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी सिफारिशें अब तक लागू कर दी गयी हैं और कौन सी लागू नहीं की गई ; और

(ग) लागू की जा रही सिफारिशों की स्थिति क्या है और कौन सी सिफारिशें अस्वीकृत कर दी दी गयी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों के संबंध में स्थापित कार्य समिति की सिफारिशों की ओर है। यह समिति सरकारी उद्यमों के कार्य, विशेषता से उत्पादन को अधिकतम करने, कार्यचालन लागत को न्यूनतम करने, अच्छे रोधक अनुरक्षण, अच्छे मालिक/मजदूर संबंधों तथा पर्याप्ति अनुसंधान और विकास की गतिविधियों में सुधार के लिये अर्थोपाय खोजेगी। समिति ने दस एककों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिन्हें उत्तरोत्तर क्रियान्वित किया जा रहा है। समिति की अन्य रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन है। समिति की सिफारिशें, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, इनसे संबंधित है:--

(1) संगठनात्मक ढाँचे और जन-व्यवस्था तथा निगम और संयंत्र स्तर में सुधार ;

(2) प्रायोगिकी, कार्यचालन तरीकों और अनुरक्षण प्रणालियों में सुधार ;

(3) रूकावटों तथा असन्तुलनों को दूर करने के लिए अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था ;

(4) देशी सामग्री की मात्रा तथा उपलब्धता में सुधार ;

(5) औद्योगिक संबंधों, संचार प्रणाली, कर्मचारी प्रबन्ध, प्रशिक्षण और विकास में सुधार, और

(6) सभी स्तरों पर उन्नत प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना लागू करना।

इन सिफारिशों को अन्तिम रुप देते समय समिति उद्यम के उच्चतम प्रबन्धकों तथा संबंधित मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क तथा परामर्श करती रहती है और बातचीत के दौरान सहमति होते ही सरकार को औपचारिक रुप से रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही, सिफारिशों की क्रियान्वित करने का कार्य शुरु कर दिया जाता है।

चौथी योजना के दौरान स्वीकृत संयुक्त उद्यम

8356. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान सरकार द्वारा विदेशों में स्वीकृत संयुक्त उद्योगों के नाम तथा तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इन संयुक्त उद्योगों की स्थापना के संबंध में अब तक क्या प्रगित हुई है ;

(ग) क्या उनमें से किसी की क्रियान्विति अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके फलस्वरुप कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4894/73]

(ग) प्र स्थापनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा कोई समय क्रम निर्धारित नहीं किया गया

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 'लीड बैंक' योजना के अन्तर्गत जिलों की संख्या

8357. **श्री वयालर रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'लीड बैंक' योजना के अंतर्गत कितने जिले सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हैं ; और

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उठाये गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सभी सूखाग्रस्त जिले लीड बैंक योजना के अंतर्गत आते हैं।

(ख) बैंकों के प्रयत्न मुख्यतः कुए खोदने, नलकूप स्थापित करने, पम्पसेट लगाने, बीज, रासायनिक खाद चारे आदि की पूर्ति जैसे कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करने का रहा है । सरकारी क्षेत्र के बैंक जिन योजनाओं में भाग ले रहे हैं उनमें ये योजनाएं शामिल हैं छोटी सिंचाई के लिए वित्त प्रबन्ध, कुओं के निर्माण के आपातकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत विकास परियोजनाएं, अभावग्रस्त किसानों को खेती की आवश्यकताओं के लिए ऋण देना, बीजों की खरीद के लिए राज्य विपणन संघ का वित्त पोषण करना, पशुओं का चारा खरीदने के लिए डेरी वाले किसानों का वित्त पोषण करना, अकाल पीड़ित जिलों के विद्यार्थियों को ऋण देना आदि । सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऋणकर्ताओं को राहत के रूप में बैंक अधिक उपयुक्त मामलों में पुनअदायगी की किस्तों को स्थगित भी कर देते हैं या उनका नया कार्यक्रम बना देते हैं।

शेर्टलिन (केरला) स्थित यूनाइटेड डिस्ट्रीलरीज एण्ड ब्रियुरीज द्वारा छिपे धन का व्यय

8358. **श्री वयालर रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शेर्टलिन केरल स्थित युनाइटेड डिस्ट्रीलरीज एण्ड ब्रियुरीज श्रमिकों का आंदोलन असफल करने के लिये भारी मात्रा में धन्यवाद करती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त व्यय के श्रोतों के बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है और यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर०· गणेश) : (क) सरकार को इस बारे में एक शिकायत की गई है।

(ख) इसी बीच जांच शुरू कर दी गई है। जांच के परिणामों की प्रतीक्षा है।

वर्ष 1971-72 और 1972-73 में गर्म मसालों का निर्यात

8359. **श्री वयालर रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72 और 1972–73 में कुल कितनी मात्रा में गर्म मसालों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान मसालों के निर्यात निम्नांकित प्रकार रहे :–

वर्ष	मे० टन में निर्यात की गई मात्रा
1971–72	67,035
1972–73 (अप्रैल–सितम्बर, 1972)	19,226

मेवों के आयातकर्ताओं को दिये गये लाइसेंस

8360. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान, ईरान और इराक से मेवों के सुस्थापित आयातकर्ताओं, छोटे और नये आयातकर्ताओं को लाइसेंस देने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या अधिकांश ऐसे लाइसेंस बम्बई स्थित बड़े आयात-कर्ताओं को दे दिये जाते हैं, यदि हां, तो क्यों ;

(ग) क्या भारत-पाक युद्ध के बाद हुसैनीवाला सीमा के बन्द होने से अफगानिस्तान से मेवों के छोटे आयातकर्ताओं का व्यापार ठप्प हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन छोटे आयातकर्ताओं के पुनर्वास के लिये क्या कदम उनके द्वारा उठाये जाऐंगे जिनका व्यापार ठप्प हो गया है ताकि आगामी सीजन में अफगानिस्तान से मेवों और ताजा फलों दोनों के आयात के लिये लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाए ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। आयातकों की लाइसेंस जारी करने की प्रक्रियायें समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न सार्वजनिक नोटिसों में निर्धारित की जाती हैं।

(ख) लाइसेंसिंग नीति क्षेत्रवार निर्धारित नहीं की जाती।

(ग) सरकार को यह जानकारी है कि मेवे, अन्य बातों के साथ-साथ अटारी के रास्ते जो कि हुसैनीवाला के पास हैं, आ रहे हैं। तथापि, लाइसेंसिंग नीति का किसी विशेष मार्ग के बन्द हो जाने से कोई संबंध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों का निरन्तर दिल्ली में रहना

8361. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के किसी अधिकारी को एक ही स्थान पर रहने की अवधि—अपने मूल विभाग में या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में—निर्धारित है और यदि हां, तो वह कितनी है ;

(ख) क्या भारत सरकार के किसी मंत्रालय में या किसी सरकारी उपक्रम में या किसी राज्य सरकार के अधीन सामान्य स्थितियों में प्रतिनियुक्ति की कोई अवधि निर्धारित है ; यदि हां, तो क्या और ें ो क्यों ;

(ग) गत छः वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में रहने वाले कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की श्रेणी के कितने अधिकारी हैं (अपने मूल विभाग में और प्रतिनियुक्ति दोनों प्रकार की सेवा सहित) ; ौर

(घ) उनके दिल्ली में निरंतर रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : सचिवालय में सावधिक पदों पर तथा प्रायः संवर्ग–बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधियों के संबंध में जो सामान्य निर्धारक आदेश सरकार ने जारी किये हैं वे सभी सेवाओं के अधिकारियों को लागू ेते ये आदेश भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों को भी सामान्य रुप से लागू होते हैं । पद की श्रेणी के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 से 5 वर्ष तक की होती है ।

(ग) : 49.

(घ) : अधिकांश मामलों में इन अधिकारियों के लगातार दिल्ली में तैनात रहने का कारण प्रशासनिक आवश्यकता है ।

Agreement with Other Countries for Import of Urea

8362. Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of the countries with which India has entered into agreements for the import of Urea during the year 1972-73; and

(b) the salient features of these agreements ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) :

(a) & (b) A statement containing information regarding the agreements entered into by the M.M.T.C. with suppliers in foreign countries for import of Urea during 1972-73 and salient features of these agreements is attached.

STATEMENT

S. No. Name of the country	Date of Contract	Qty. contracted (M/Tons)	Delivery Schedule
1	2	3	4
1. Poland	10-3-72	1,20,000	May'72 to March '73
2. USSR	13-3-72	73,200	July'72 to March '73

1	2	3	4
3. Japan (Linked Deal) . .	12-5-72	16,000	May '72 to Sept.'72
4. Bulgaria	26-8-72	30,000	Sept. to Nov. '72
5. Romania	30-8-72	20,000	Oct. to Nov. '72
6. Burma (Linked Deal) . .	17-2-73	6,000	March/April, 73
7. U.S.S.R.	24-1-73	55,000	July '73 to March '74
8. Bulgaria	27-1-73	1,00,000	Feb. '73 to Dec. '73

NOTE : Other Features

Except agreements made under linked deals, all agreements were concluded on C&F (Cost and Freight basis) with the responsibility for booking vessels on the suppliers. The price in all these agreements is expressed in Indian Rupees—payment to be made in accordance with Trade and Payment Agreements entered into with various Socialist countries.

'5 स्टार' होटलों में ठहरने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से 33.3 प्रतिशत अधिक प्रभार लेने के प्रस्ताव को लागू करना

8663. **श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या '5 स्टार' होटलों में ठहरने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से 33.3 प्रतिशत अधिक प्रभार लेने के प्रस्ताव को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख से लागू किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं, फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में तवा परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

8364. **श्री रण बहादुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा तवा परियोजना (मध्य प्रदेश) के वित्त पोषण की शर्त के रूप उक्त परियोजना के डिजाइन में कुछ परिवर्तनों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी इच्छानुसार परिवर्तन करने के बाद भी विश्व बैंक से कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

पर्यटन के संवर्धन हेतु विदेशों में प्रचार साहित्य

8365. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से बाहर पर्यटन के संवर्धन हेतु प्रकाशित प्रचार साहित्य में आकर्षण और पाठनीयता का अभाव है; और

(ख) क्या विदेशों में हमारे प्रचार साहित्य और पर्यटन संवर्धन के प्रयासों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। वस्तुतः आकर्षण और पठनीयता की दृष्टि से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किये गये पर्यटन साहित्य के स्तर की अन्य देशों द्वारा तैयार किये गये पर्यटन साहित्य के साथ भली-भांति तुलना की जा सकती है । हमारे विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों और यात्रा अधिकर्त्ताओं द्वारा, जो अपने पर्यटन प्रोत्साहन के कार्यों में इस साहित्य का प्रयोग करते हैं, निरंतर इस साहित्य के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है, तथा इसके सुधार के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं ।

Short fall in the Loans given by the Nationalised Banks

8366. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the shortfall in the loans given by the Nationalised Banks during the last year;

(b) the reasons for the shortfall; and

(c) the steps taken by Government to improve the situation in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) : The banks do not have pre-determined targets for giving loans to borrowers in any one year. The question of shortfalls, therefore, does not arise. Not withstanding the substantial decline in the credit for food procurement during 1972, there was an increase of Rs. 118 crores over the credit given by the nationalised banks in the previous year. The banks are anxious to employ all their funds for productive use and have been preparing various schemes for extending credit facilities, particularly for the benefit of the hitherto neglected sectors.

Loans for Powerloom Weavers Cooperative Societies Madhya Pradesh

8367. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government have received any request from the Government of Madhya Pradesh to make available loans to the Vidyutchalit Kargha Bunker Sahkari Sansthaon (Powerloom Weavers Cooperative Sociaties) under the financial scheme of the Reaserve Bank of India ; and

(b) if so, the present position of the said request ?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chanvan) : (a) No such request has so far been received.

(b) Does not arise.

Export of Goods to America

8368. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the main articles exported to American markets by India during the last two years; and

(b) the foreign exchange earned as a result thereof ?

The Minister of Commerce (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : (a) Marine products, Cashew Kernels, Sugar, Coffee, Tea, Spices, Mica & Mica manufactures, Chemical items, Leather, Jute manufactures, Oriential carpets, Coirmats and mattings, Cotton textiles, Footwear, Handicrafts items, Gem & Jewellery and Engineering goods.

(b)	Year	Foreign exchange earned in terms of Rupees (Value : Rs. lakhs)
	1970-71	23121
	1971-72	29130

1971-72 में मिलों में बने कपड़े का निर्यात

8369. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में देश से मिलों मे बने कुल कितने कपड़े का निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य क्या है; और

(ख) उक्त वर्ष में मिलों में बने कपड़े के निर्यातकर्ताओं का कुल कितनी नकद राशि का प्रोत्साहन दिया गया तथा आयात के अधिकारों की मंजूरी दी गई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान मिल निर्मित सूती कपड़ें (थानों) के निर्यात निम्नोक्त प्रकार थे :

मात्रा--3871.5 लाख वर्ग मीटर ।

मूल्य--66.47 करोड़ रु०

(ख) निर्यातकों को सरकार द्वारा कोई नकद सहायता नहीं दी गई है । रंजक तथा रासायनिक पदार्थों के प्रतिपूर्ति आयात के लिये सूती वस्त्रों के निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 6-1/2 प्रतिशत की दर से अनुमति दी गई है ।

'मिथिला' चित्रों के निर्यात के लिये लाइसेंस जारी किया जाना

8371. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिथिला चित्रों के निर्यात के लिये, जो विदेशों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, कितने लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) 1972 में कितने व्यक्तियों ने निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदनपत्र दिये; और

(ग) क्या सभी आवेदकों को निर्यात लाइसेंस दिये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) मिथिला चित्रों के निर्यात के लिये किसी प्रकार के निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

'टिस्को', 'टैल्को', 'हिन्डालको' और 'माल्को' औद्योगिक एककों के उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

8372. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान 'टिस्को', 'टेल्को', 'हिन्डालको' और 'माल्को' औद्योगिक एककों के उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कुल कितनी आय हुई;

(ख) वर्ष 1973-75 में इन एककों के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है; और

(ग) क्या इन एककों के माध्यम से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा को वापस भारत लाया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1971-72 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :

टिस्को	328.57 लाख रु०
टैल्को	681.71 लाख रु०
हिन्डालको	कुछ नहीं
माल्को	कुछ नहीं

(ख) निर्यात आय विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है । तथापि, उपर्युक्त फर्में, जो कि निर्यात व्यापार कर रही हैं, अपनी निर्यात आय को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निवासियों, अर्थात् व्यक्तियों अथवा कम्पनियों, द्वारा अर्जित समस्त विदेशी मुद्रा देश में लानी होती है ।

बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना

8373. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्कों तथा अन्य निम्न श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये सरकार का आयु सीमा बढ़ा कर 30 वर्ष करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं ोता ।

कम किराया वसूल किये जाने के बारे में एयर इंडिया के प्रस्ताव पर पान अमेरिकन एयरवेज का विरोध

8374. **श्री वरके जार्ज :** क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कम किरायों के बारे में एयर इंडिया के प्रस्ताव का पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज़ ने विरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । 9 मार्च 1973 को 'पैन अमेरिकन' ने यू०एस०सिविल एयरोनाटिक्स बोर्ड को एयर इन्डिया द्वारा 1 अप्रैल 1973 से लागू किये जाने वाले विशेष किरायों के निलंबन तथा जांच के लिये प्रार्थना की थी जिस में यह आरोप लगाया गया था कि उक्त किराये कम थे तथा उस मार्ग पर परिचालन व्यय से मेल नहीं खाते थे ।

बाद में इन किरायों के बारे में दोनों विमान कम्पनियों के बीच सहमति हो गयी ।

चाय निर्यात में वृद्धि के लिये कर्मीदल (टास्क फोर्स) की स्थापना

8375. **श्री वरके जार्ज :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने हाल में किसी कर्मीदल की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यों की रूपरेखा क्या है तथा कर्मीदल ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) चाय उद्योग के विकास और निर्यातों के संवर्धन के लिये एक जीवनक्षम तथा दीर्घकालिक नीति तैयार करने के लिये एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई है । टास्क फोर्स के विचारार्थ विषय मोटे तौर पर निम्नलिखित होंगे :

1. चाय उत्पादन तथा रोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में विचार करना, जिनमें बागान स्वामियों द्वारा नये निवेशों का अभाव भी शामिल है, चाय बोर्ड की विभिन्न विकासपरक स्कीमों का पुनरीक्षण करना तथा भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उपाय सुझाना ।

2. बन्द पड़े हुए और कमजोर बागानों की समस्या का अध्ययन करना और स्थिति को सुधारने के लिये प्रभावी सरकारी कार्यवाही की सिफारिश करना ।

3. चाय के निर्यात हेतु, नीलामी प्रणाली सहित वर्तमान प्रबन्धों की जांच करना और यदि उनमें सुधार अपेक्षित हो तो उनके लिए सुझाव देना ।

4. विदेशों में चाय के संवर्धन हेतु विद्यमान प्रबन्धों पर विचार करना और चाय के संवर्धन को अधिक प्रभावकारी तथा परिणाम-अभिमुख बनाने के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त अन्तर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था सहित ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जो आवश्यक समझे जायें ।

30 LSS/73—5.

5. इस बात पर विचार करना कि चाय बोर्ड को सौंपे गये कार्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही में लचीलापन लाने के लिये उसके कार्यकरण में और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित सरकार के साथ इसके सम्बन्धों में क्या परिवर्तन आवश्यक हैं।

6. चाय उद्योग को उर्वरकों, घासपातनाशी दवाओं, आयातित मशीनरी, ब्राण्ड प्रचार तथा विदेशी दौरों के लिये विदेशी मुद्रा जैसे कतिपय अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों की प्राप्यता सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रियाओं के बारे में विचार करना और उद्योग को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिये आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना।

7. कुछ अन्य ऐसी मदें जिन्हें टास्क फोर्स अपने मुख्य कार्यभार से सम्बन्धित समझता हो।

टास्क फोर्स की प्रथम बैठक 18 अप्रैल, 1973 को हुई जिसमें विदेशों में चाय संवर्धन के विद्यमान प्रबन्धों का पुनरीक्षण किया गया।

अन्य व्यक्तियों की टिकटों पर यात्रा करने पर 24 मार्च, 1973 को मीनम्बक्कम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

8376. **श्री वरके जार्ज :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1973 को मद्रास के मीनम्बक्कम हवाई अड्डे पर कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की टिकटों पर यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई थी; और

(ग) सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुलिस द्वारा मद्रास में मामले की जांच की जा रही है।

जीवन बीमा निगम द्वारा जमानत तथा बिना जमानत पर ऋण देना

8377. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार, जमानत तथा बिना जमानत पर कुल कितनी राशि के ऋण दिये;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के ऋण किस प्रकार के उद्यमों के लिये दिये गये; और

(ग) क्या दोनों श्रेणियों के ऋणों के लिये ब्याज की दर समान है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में दिये गये ऋणों की रकमों का विवरण निम्नानुसार है :—

(लाख रुपयों में)

	1970-71	1971-72	1972-73
1	2	3	4
1. राज्य सरकारों को उनके विभिन्न आवास-योजनाओं के लिये ऋण	1700.00	1705.00	1580.00
2. राज्य विद्युत् बोर्डों को ऋण . . .	4800.00	5025.00	6200.00
3. अपैक्स सहकारी आवासीय वित्त संस्थाओं को तथा आवासीय सहकारी संस्थाओं का वित्त पोषण करने वाले अन्य प्राधिकारियों को ऋण	1657.00	2840.00	3270.00
4. जलपूर्ति तथा जल-निकास योजना के लिये नगरपालिकाओं को ऋण	1076.89	1657.85	2177.42
5. औरंगाबाद (जायकवाड़ी) जलपूर्ति योजना के लिये महाराष्ट्र सरकार को ऋण	—	—	50.00
6. बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिये गुजरात सरकार को ऋण	—	25.00	—
7. गांवों में नल द्वारा जल-पूर्ति योजनाओं के लिये जिला परिषदों को ऋण	44.37	462.44	596.27
8. सहकारी औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण . . .	24.86	32.43	110.74
9. सहकारी चीनी (Sugar) कारखानों को ऋण .	203.50	168.00	110.50
10. औद्योगिक प्रयोजनों के लिये पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को ऋण	272.00	85.00	197.50
जोड़ . . .	9778.62	12000.72	14292.43

ऋण, केवल राज्य सरकारी की गारंटी और/अथवा परिसम्पतियों के रेहन पर दिये जाते हैं जिनका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

(1) राज्य सरकारों को विभिन्न आवास योजनाओं के लिये ऋण, उनके और जीवन बीमा निगम के बीच हुए करारों के आधार पर दिये जाते हैं ।

(2) राज्य बिजली बोर्डों को ऋण, बिजली के उत्पादन और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को उसके प्रेषण के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार की ग्यारंटी/अचल परिसम्पत्तियों के प्रथम रेहन पर मंजूर किये जाते हैं ।

(3) नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को ऋण, शहरी क्षेत्रों में जलपूर्ति योजनाओं और मल निकास योजनाओं के लिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नल द्वारा जलपूर्ति योजनाओं के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार की ग्यारंटी पर दिये जाते हैं।

(4) आवास मंडलों को ऋण, आवासीय विकास प्रयोजन के लिये राज्य सरकार की ग्यारंटी/परिसम्पत्तियों के रेहन पर दिये जाते हैं।

(5) सहकारी क्षेत्र के लिये ऋण मुख्यतः गृह-निर्माण के लिये होते हैं और राज्य सरकारों की ग्यारंटी पर दिये जाते हैं। सहकारी चीनी कारखानों को ऋण देने के मामले में अचल सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार की भी आवश्यकता होती है।

(6) ऋण-पत्रों में निवेश और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को सावधि-ऋण, परिसम्पत्तियों की जमानत पर दिये जाते हैं। ये औद्योगिक प्रयोजनों के लिये होते हैं।

उपर्युक्त विभिन्न किस्मों के ऋणों पर ब्याज भिन्न-भिन्न दरों से वसूल किया जाता है।

अधिक निर्यात की क्षमता वाली वस्तुएं

8378. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन वस्तुओं का पता लगा लिया गया है जिनका अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सकता है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : जिन वस्तुओं के निर्यात की अच्छी सम्भाव्यता है, उनको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०-4895/73]

भारत से निर्यात किये गये तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का मूल्य

8379. **श्री भागीरथ भंवर :**

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत से पृथक पृथक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों का निर्यात किया गया ;

(ख) आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) विदेशों में भारतीय सिगरेटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या भारत में सिगरेट बनाने वाली फर्में पर्याप्त संख्या में हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :–

तम्बाकू	मात्रा मी० टन	मूल्य लाख रु०
1970-71	47524	3139
1971-72	57288	4224
1972-73 (अप्रैल-सितम्बर, 72)	59574	4387
तम्बाकू उत्पाद		
1970-71	1983	116
1971-72	2345	283
1972-73 (अप्रैल-सितम्बर, 72)	1159	168

(ख) अनिर्मित तम्बाकू 50 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। कतिपय मुख्य खरीदार ये हैं: ब्रिटेन, सोवियत संघ, जापान, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, आइरिश गणराज्य, नीदरलैंड, बैल्जियम, बंगला देश आदि।

तम्बाकू उत्पाद, सोवियत संघ, नेपाल, मलयेशिया, सिंगापुर, कुवैत, बेहरीन द्वीप समूह, सऊदी-अरब आदि को निर्यात किये जाते हैं।

(ग) अगले कुल वर्षों में विदेशों में सिगरेट की प्रत्याशित निर्यात मांग विद्यमान सिगरेट विनिर्माता एककों तथा अनुमोदित किये गये ऐककों द्वारा समुचित रूप से पूरी की जा सकती है।

(घ) जी नहीं।

मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कृषि विकास बैंकों की स्थापना

8380. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया का मध्य प्रदेश में कृषि विकास बैंकों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई शाखाओं का प्रस्ताव खेतीहर मजदूरों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशेष ऋण सुविधाएं देने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) एक सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) : ये शाखाएं कृषकों और कृषि श्रमिकों से मिलने वाले सक्षम प्रस्तावों के लिए ही ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातों के साथ-साथ इन केन्द्रों के चुनावों के बारे में जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है उन सबकी सूचना पहले ही लोक-सभा में 23 मार्च, 1973 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर में दे दी गयी है।

विवरण

मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक समूह द्वारा दिसम्बर 1972 के अन्त तक चुन गये सघन केन्द्रों के नामों को दिखाने वाला विवरण

उन केन्द्रों के नाम जहां शाखाएं खोलने का निश्चय किया गया है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया

*1. छिन्दवाड़ा

*2. बिलासपुर

*3. छतरपुर

*4. पिपरिया

*5. भाटापारा

*6. राजनंद गांव

*7. शाहपुरा

*8. दमोह

*9. नरसिंहपुर

10. आमला

11. खचरोड

12. सांवर

13. विदिशा

14. थाण्डला

15. सारंगगढ़

सहायक बैंक

*16. महीदपुर

*17. जौरा

*18. बदनावर

19. सनवाड़

20. शुजालपुर मण्डी

21. पिचौर

*कृषि विकास शाखाएं जो पहले ही खोली जा चुकी हैं।

ब्रिटेन से प्राप्त ऋण

8381. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन ने अब तक भारत को कुल कितना ऋण दिया है;

(ख) ऋण की राशि को किन कार्यों पर खर्च किया गया है; और

(ग) आज तक कितने ऋण का वापस भुगतान कर दिया गया है तथा कितना बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत सरकार को अब तक दिये गये ऋणों की कुल रकम 57.5 करोड़ पौण्ड (1090.66 करोड़ रुपये) है।

(ख) ब्रिटेन द्वारा दिये गये ऋणों का उपयोग अंशतः कच्चे माल, फालतू पुर्जों और संघटकों के आयात और अन्य अनुरक्षण वस्तुओं के आयात के लिए, अशतः पूंजीगत माल के आयात के लिए और अंशतः अधिक मूल्य की कुछ परस्पर-सम्मात परियोजनाओं के लिए सामान और सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है सभी मामलों में आयात ब्रिटेन से किया जाना जरूरी है। ब्रिटेन ने 1966 से ऋण-राहत सहायता के लिए भी ऋण प्रदान किये हैं।

(ग) अब तक वापस की गई मूल रकम 9.0731 करोड़ पौण्ड (172.10 करोड़ रुपये) है और मूलधन की बकाया रकम 48.4269 करोड़ पौण्ड (918.56 करोड़ रुपये) है।

शोधित खालों पर निर्यात शुल्क की छूट

8382. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शोधित खालों पर दी गई निर्यात शुल्क की छूट को बन्द किये जाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश : (क) तथा (ख) : जी हां। गोजातीय पशुओं की शोधित खालों पर निर्यात-शुल्क की अदायगी से प्राप्त छूट को 20 मार्च, 1973 से समाप्त कर दिया गया था। इसलिए, इस तारीख से ऐसी शोधित खालों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से निर्यात-शुल्क लगेगा।

अपेक्षाकृत छोटे चाय बागानों के लिए राज सहायता की व्यवस्था

8383. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में अपेक्षाकृत छोटी चाय बागानों की वित्तीय सहायता तथा राज सहायता देने के लिए चाय बोर्ड ने अपने कलकत्ता स्थित विकास निदेशालय में छोटे उत्पादकों के लिए एक विशेष सैल बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : चाय बोर्ड ने 16 तथा 17 मार्च 1973 को हुई अपनी बैठक में, कलकत्ता में बोर्ड के मुख्य कार्यालय के विकास निदेशालय में एक छोटा उत्पादक सैल बनाने की प्रस्थापना का अनुमोदन किया। यह सैल छोटे उत्पादकों से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करेगा और उन छोटे उत्पादकों को ऋण तथा उपदान उपलब्ध कराने की अलग से योजनाएं बनायेगा, जो सामान्यतः विद्यमान विकासात्मक योजनाओं की शर्तों को पूरा न कर सकने के कारण उनसे लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। यह सैल नाशिकीट नियन्त्रण, अन्तर्निवेश साधनों की पूर्ति, क्षेत्र कार्य के लिए अपेक्षित औजारों तथा यंत्रों की व्यवस्था कराने के लिए छोटे उत्पादकों की आवश्यकताओं के निमित्त विशेष रूप से उपयुक्त योजनायें बनायेगा।

इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्य के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

8384. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रोड्युसर्स गिल्ड आफ इंडिया ने इंडियन मौशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्य के बारे में मागदर्शी सिद्धांत जारी करने का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) गिल्ड ने ऐसे किसी मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव नहीं दिया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Value of goods exported to Britain during 1970 to 1973

8385. Shri Hukam Chand Kachwai :—Will the **Minister of Commerce** be pleased to state the value of the goods exported to Britain during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 in terms of Indian currency ?

The Minister of Commerce (Prof. D.P. Chattopadhyaya) :

The value of goods exported to Britain during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 are as under :

Exports to U.K.

(Value Rs. Lakhs)

1970-71	1971-72	* 1972-73 (Apr.-Sept.)	* 1971-72 (Apr.-Sept.)
17044	16870	9112	7896

*The figure represents exports for April-Sept. 1972 upto which statistics are available.

Foreign Exchange earned through export of Mica

8386. Shri Hukam Chand Kachwai :—Will the **Minister of Commerce** be pleased to state the quantity of mica exported during the financial year 1972-73 as also the amount of foreign exchange earned therefrom ?

The Minister of Commerce (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : According to the provisional figures available 20,259 tonnes of mica valued at Rs. 1,604.23 lakhs were exported in 1972-73.

Loan to Powerlooms in Madhya Pradesh

8387. **Shri G.C. Dixit :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether any request has been received by the Central Government from Madhya-Pradesh Government for making available loans under the financial scheme of Reserve Bank of India to Powerloom Weavers Co-operative Societies; and

(b) if so, the present position in regard to the said request ?

The Minister of Commerce (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Weavers rendered jobless due to Shortage of yarn in M.P.

8389. **Shri G.C. Dixit :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether complaints have been received from Burhanpur (M.P.) that powerlooms are being closed down there for want of yarn as a result of which 30 thousand persons will be rendered jobless and the economic condition of the said city will be hit hard; and

(b) if so, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Commerce (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : (a) Yes, Sir.

(b) Shortage of yarn is not peculiar to Burhanpur but is an all-India problem. With a view to meet the situation, statutory control on prices and distribution of cotton yarn meant for the decentralised sector has been imposed from 13th March, 1973; the allotment to the state of M.P. for the latter half of March, 1973 have been made, part of which has been lifted by the two agencies appointed by the State Govt. for purposes of distribution of yarn to the powerloom and handloom sector. The actual distribution of the -March quota has been started.

सुस्थापित आयातकों को सी०सी०पी० जारी करना

8390. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल वर्षों के दौरान सुस्थापित आयातकों द्वारा किये गए गत आयातों के आधार पर अपने 25 प्रतिशत के अधिकार के एवज में अप्रैल-मई, 1972 में मेवों का आयात करने वाले सुस्थापित आयातकों को सी०सी०पी० जारी नहीं किये जा रहे है ;

(ख) अप्रैल-मई, 1972 से सी०सी०पी० जारी न किये जाने के कारण बम्बई गोदियों में अथवा आबद्ध भण्डागारों में भारी मात्रा में पड़े सामान की सुरक्षा करने हेतु क्या उपाय विचाराधीन है;

(ग) क्या गत आयातों के आधार पर हकदारी के आधार पर पहले से ही आयातित सामान को पूर्ण रूप से नष्ट होने से बचाने के लिए उसे तुरन्त रिलीज कर दिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय लाइसेंस प्राधिकरण कार्यालय, नई दिल्ली अथवा आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में ऐसे कितने मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं और इनका अन्तिम रूप से निपटारा कब तक किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) उत्तर नकारात्मक है। उन मामलों में सी० सी० पी० पहले ही जारी किये जा चुके हैं, जो भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था अवधि (मार्च 72-फरवरी 73) के दौरान पात्र थे।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मेवे के सुस्थापित व्यापारियों द्वारा अग्रिम निर्यात

8391. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के दौरान मेवे के सुस्थापित व्यापारियों द्वारा किये गये अग्रिम निर्यातों के फलस्वरूप अफगानिस्तान में रुकी लाखों रुपये की निधि को वापस लेने के लिए कुछ प्रबन्ध किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या व्यापारियों को यह कहने का विचार है कि वे निर्मुक्त विदेशी मुद्रा में निधि को वापस लाने का प्रबन्ध करें, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन में से कुछ व्यापारियों के गत अग्रिम निर्यातों को चालू वर्ष के दौरान अन्य व्यापारियों द्वारा किये गये (मेवा और ताजा फलों के) वर्तमान आयातों के साथ समायोजित करने का विचार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। एक पब्लिक नोटिस (सं० 25-आई०टी०सी० (पी०एन०) / 73 दिनांक 13-3-73) के अन्तर्गत निर्यातकों से यह आग्रह किया गया है कि वे 1971-72 अवधि से संबंधित अपने अग्रिम निर्यातों का ताजा फलों के उन आयातकों को अन्तरण करके परिसमापन करें जिनके मार्च 72—फरवरी 73 की अवधि के लिए विशिष्ट बकाया आयात सन्तुलन हैं। तारीख को 30 अप्रैल, 1973 तक बढ़ा दिया गया है। उनके विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी जो दोषी पाये जाएंगे।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी नहीं। 1971-72 से संबंधित अग्रिम निर्यातों के अन्तरण की अनुमति केवल ताजा फलों के शेष आयातों के आधार पर ही है क्योंकि भारत-अफगान व्यापार प्रबंध अवधि 1971-72 के दौरान मेवों के आयात हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। पब्लिक नोटिस सं० 93 आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 31 जुलाई, 1971 के अनुसार इन अग्रिम निर्यातों को केवल ताजा फलों के आयातों द्वारा ही प्रति सन्तुलित किया जाना अपेक्षित था।

दिल्ली के सिनेमा मालिकों और फिल्म वितरकों की ओर करों की बकाया राशि

8392. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **वित्त** मंत्री 23 फरवरी 1973, के अतारांकित प्रश्न सं० 664 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुबन्ध सूची में दर्ज दिल्ली के सिनेमा मालिकों और फिल्म वितरकों की ओर करों की बकाया अत्यधिक राशि वसूल करने और क्रम संख्या 2 के संबंध में एक "रिसीवर" की नियुक्ति करने के बारे में 1 अप्रैल, 1973 तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सम्पूर्ण बकाया राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस आशय के अनुदेश जारी किये गये है कि किसी आधार पर करों की बकाया राशियां बट्टे-खाते में न डाली जाएं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 664 के अनुबन्ध में, यथा सूची बद्ध दिल्ली के सिनेमा-मालिकों तथा फिल्म वितरकों की ओर बकाया को वसूल करने में 1 अप्रैल, 1973 तक हुई आगे की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र सदन-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया ; देखिये संख्या एल०टी० 4896/73]** ।

(ख) बकाया को शीघ्रताशीघ्र वसूल करने के लिए हर कोशिश की जा रही है।

(ग) यह सुनिश्चित करने को कि मांग को वसूल करने के लिए सभी उपाय किये जायें तथा वसूली योग्य मांग बट्टे खाते में न डाल [illegible] जाय, पहले ही से अनुदेश विद्यमान हैं। निम्नलिखित कारणों से मांग अवसूली योग्य हो जाती :

(i) कर-निर्धारिती कोई परिसम्पत्तियां छोड़े बिना मर गये हों।

(ii) कर-निर्धारिती कम्पनियों का परिसमापन हो गया हो।

(iii) कर-निर्धारिती दिवालिया हो गये हों।

(iv) कर-निर्धारिती भारत छोड़ गये हों।

(v) कर-निर्धारिती लापता हों।

(vi) कर-निर्धारितीयों की कोई अभिग्रहण योग्य सम्पत्तियां न हों।

(vii) कर-निर्धारितियों के साथ हुए समझौते के फलस्वरूप, रकम बट्टे-खाते में डाल दी गई हो।

(viii) अनुवर्ती सूचना जैसे दोहरी मांगे, गलत जारी की गई मांगे, संरक्षात्मक मांगे इत्यादि होने के कारण, के आधार पर देय न पायी गई मांगें।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया की विदेशी मुद्रा की राशि में निर्यात संवर्द्धन का प्रभाव

8393. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 1972 में निर्यात में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई है और व्यापार में 167 करोड़ रुपये का घाटा 74 करोड़ रुपये के लाभ में बदल गया है; और

(ख) यदि हां तो यह लाभ रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया की विदेशी मुद्रा की राशि में क्यों नहीं दिखाई देता ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1972 में, भारत ने 1862 करोड़ रुपये का निर्यात किया जबकि 1971 में 1526 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। इस तरह निर्यात में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये ग्रांकड़े, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संकलित ग्रनन्तिम ग्रांकड़ों पर ग्राधारित हैं ग्रौर उनमें वे निर्यात भी शामिल हैं जिनके संबंध में विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां नहीं होतीं।

कैलेण्डर वर्ष 1972 में व्यापार-सन्तुलन में 183 करोड़ रुपये का ग्रधिशेष रहा जबकि 1971 में 289 करोड़ रुपये का घाटा रहा था।

माननीय सदस्य ने जो 167 करोड़ रुपये के व्यापारिक घाटे ग्रौर 74 करोड़ रुपये के व्यापारिक ग्रधिशेष का उल्लेख किया है वह क्रमशः ग्रप्रैल-ग्रक्टूबर 1971 ग्रौर ग्रप्रैल,-ग्रक्टूबर 1972 की ग्रवधि का है।

(ख) भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों (सोने ग्रौर विशेष ग्राहरण ग्रधिकारों से भिन्न) में, कैलेण्डर वर्ष 1971 में 14.58 करोड़ रुपये की तथा कैलेण्डर वर्ष 1972 में 73.23 करोड़ रुपये की कमी हुई। 1972 में व्यापारिक ग्रधिशेष होने के बावजूद, प्रारक्षित निधियों में कमी, मुख्यतः ग्रायात संबंधी ग्रदायगियों ग्रौर ऋण शोधन संबंधी भारी ग्रदायगियों के कारण हुई है जो निर्यात संबंधी वास्तविक प्राप्तियों ग्रौर प्राप्त सहायता की शुद्ध राशियों से सन्तुलित नहीं हुई।

बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों के लाइसेंसों का उनकी बेरोजगारी की ग्रवधि के दौरान बीमा कराने का प्रस्ताव

8396. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :**

श्री धर्मराव ग्रफजलपुरकर :

क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत-से युवा बेरोज़गार विमान चालकों ने जो केन्द्रीय सरकार की राज सहायता योजना के ग्रन्तर्गत फ्लाइंग क्लब द्वारा प्रशिक्षित किये गए हैं, सरकार से ग्रनुरोध किया है कि यदि वे बेरोज़गार रहते हैं तो उन्हें ग्रपने स्वास्थ्य मानकों तथा उड़ान कौशल में कमी ग्रा जाने का भय है;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि जब तक उन्हें रोज़गार नहीं मिलता उनकी बेरोज़गारी की ग्रवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके लाइसेंसों का बीमा कराया जाए; ग्रौर

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। हिन्द फ्लाइंग क्लब लखनऊ के दस बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंसधारियों ने राज्य मंत्री के लिखित रूप से ग्रनुरोध किया था कि सरकार को उन्हें रोज़गार दिलाने के उपाय ढूंढ निकालने चाहियें।

(ख) जी नहीं।

(ग) बेरोज़गार विमान चालकों द्वारा लाइसेंसों को बनाए रखने की दो शर्तें हैं : उन्हें कुछ न्यून-तम उड़ान अवश्य करनी होती है (अथवा एक टैस्ट पास करना होता है) और इसके लिये उन्हें उपदान-प्राप्त उड़ान करने की अनुमति है। दूसरी शर्त का संबंध उनके स्वास्थ्य की स्थिति से है जिसके लिये वे स्वयं ज़िम्मेदार हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति

8397. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय लोगों को ही रोज़गार देने के बहाने कुछ राज्यों में आन्दोलन किये जा रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्यत: राज्यों के ही निवासियों को रोज़गार दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार को किसी ऐसे आन्दोलन का पता नहीं है। सरकार की नीति लोगों के इस अधिकार को सुरक्षित रखना है कि सरकारी उद्यमों में निम्नस्तर में उसी क्षेत्र के लोगों को रोज़गार के अधिकतम अवसर दिये जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि 500 रुपये और उससे नीचे के वेतन वाले पद स्थानीय रोज़गार केन्द्र से भरे जाएं और दूसरे साधन तभी अपनाए जाएं जबकि रोज़गार केन्द्र से अपर्याप्तता प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। निम्न पदों की भर्ती के लिये राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि भी चुनाव समिति में हमेशा शामिल किया जाता है। उच्च पदों के मामले में सरकार की नीति यह है कि भर्ती अखिल भारतीय आधार पर गुणावगुणों के आधार पर की जाए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संगणक

8398. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें संगणक लगाए गए हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक संगणक पर विदेशी मुद्रा सहित कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या कुछ सरकारी उपक्रमों में विदेशी/भारतीय फर्मों से किराए पर संगणक लिये गए हैं और यदि हां तो संगणकों का मासिक किराया क्या है; और

(घ) इन संगणकों के लगाए जाने से कितने व्यक्ति बेरोज़गार हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों को वैकल्पिक रोज़गार देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना अनुबन्ध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4897/73.]।

Foreign Capital invested in Indian Industries

8399. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the foreign capital invested in industries in India is being remitted back speedily.

(b) whether the Industries in India suffered a setback as a result thereof; and

(c) if so, the measures being adopted by Government to retrieve the position ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Press Report Entitled "Confidential Survey Predicts Serious Crisis"

8400. Shri Bharat Singh Chowhan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report which appeared in the "Motherland" dated the 28th October, 1972 under the caption "Confidential Survey Predicts serious crisis"; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) Yes, Sir. However, the news item appears in the "Motherland" dated 29th October, 1972. No such confidential survey has come to Government's notice. Report appears to be an exercise in sensationalism. So far as state of economy is concerned, Government keeps a constant watch on the developments in the economy and remedial measures are taken as and when necessary.

लाइसेंस जारी करना

8401. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण लाइसेंस प्राप्त करने में कुछ चुने हुए एककों की सहायता कर रहा है; और

(ख) यदि हां तो उन एककों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) उन एककों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4898/73]। जिनके निर्यात प्रयासों में वृद्धि करने के लिये व्यापार विकास प्राधिकरण ने 1 जनवरी, 1971 से 28 फरवरी, 1973 तक सहायता दी।

संचार मंत्री द्वारा दिया गया हर योजना के अन्त में कर्मचारियों की मंजूरी में वृद्धि करने के आशय का कथित वक्तव्य

8402. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संचार मंत्री द्वारा दिये गए कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 13 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था और जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक योजना के अन्त में सब कर्मचारियों की मंजूरी में वृद्धि की जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बंगलौर में वर्किंग जरनैलिस्ट की कर्नाटक यूनियन द्वारा आयोजित पत्रकार गोष्ठी में भाग लेते हुए संचार मंत्री ने अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट किये थे कि सभी वर्गों के कामगारों की मजदूरियों की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में समीक्षा की जानी चाहिये।

राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच

8403. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों की अवैध गतिविधियों के बारे में चीथड़ा घोटाले जैसी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश को सीमेंट की सप्लाई

8404. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगला देश को 2 लाख टन सीमेंट सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : भारत-बंगला देश सीमित भुगतान प्रबंध में भारत से बंगला देश को 450 लाख रुपये के मूल्य के सीमेंट के निर्यात की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत बंगला देश को दो लाख मे० टन सीमेंट का निर्यात करने के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा 8 सितम्बर 1972 को एक संविदा सम्पन्न की गई।

आयकर इंस्पेक्टरों की पदोन्नति

8405. **श्री अम्बेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन इन्स्पैक्टरों की सर्किल-वार संख्या कितनी है जिन्होंने आयकर विभाग में आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने की परीक्षा पास की है; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयकर अधिकारियों की प्रतिशतता क्रमशः 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

Alab-A-Malak Badar Trust

8406. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Part (c) of Unstarred Question No. 1771 on the 2nd March, 1973 and state :

(a) the number of appeals pending, the names under which these appeals were made and the Officers with whom these are pending, separately in each case;

(b) the amount of income-tax assessed by the Income-tax Officers in each case together with the dates of assessment separately;

(c) the dates on which the owners of the Trust filed appeals, separately in each case; and

(d) the time by which these appeals are likely to be decided and whether Government are making efforts to expedite decision on these appeals ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) No appeal is now pending in the case of the Trust. However, the income of the Trust has also been assessed to tax as a protective measure in the hands of Shri H.N. Malak the sole trustee. Four appeals in his case are pending before Appellate Assistant Commissioner, Akola Range, Akola (M.P.).

(b) The assessment years, income-tax assessed and dates of assessment in respect of assessments pending in appeal before the Appellate Assistant Commissioner in the case of Shri H. N. Malak, the sole trustee, are as follows:

Assessment year.	Income-tax assessed.	Date of assessment.
1966-67	36,550	21-3-71
1967-68	44,045	21-3-71
1968-69	38,321	21-3-71
1969-70	29,953	21-3-71

The Trust had also filed appeals against its assessments for the years 1957-58 onwards to 1969-70. The Appellate Assistant Commissioner has disposed of all the appeals on 2nd March, 1973. The total demand for all those years raised was Rs. 1,32,258/- which has been reduced by Rs. 71,272 by the Appellate Assistant Commissioner.

(c) The appeals for the these years were filed by Shri H. N. Malak before the Appellate Assistant Commissioner on 24-11-1971.

(d) The Commissioner of Income-tax (Recovery) Nagpur has requested the Appellate Assistant Commissioner to take up these appeals immediately and these are expected to be disposed of very early.

हवाई अड्डों पर सुरक्षा-प्रबन्ध

8407. **चौधरी राम प्रकाश :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में 'सिक्योरिटी एट एयर पोर्टस नाट एडीक्वेट (हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त नहीं)' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हवाई अड्डों पर दोष-रहित सुरक्षा प्रबंध करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित सभी विमान-क्षेत्रों पर कई सुरक्षात्मक एवं अपहरण-विरोधी तोड़-फोड़ निवारक उपाय पहले ही लागू कर दिये गए हैं। इनमें यात्रियों की शारीरिक छानबीन, हाथ के सामान की पड़ताल, चुने हुए विमान-क्षेत्रों पर इलेक्ट्रानिक उपकरणों का लगाया जाना इत्यादि सम्मिलित हैं। तथापि सुरक्षात्मक उपायों पर निरन्तर विचार किया जाता है और जब कभी कोई कमियां ध्यान में आती हैं तो उनके निवारण के लिये उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जाती है। हाल ही में यहां निर्णय किया गया है कि चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों पर यथाशीघ्र केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को भी नियुक्त किया जाए।

दिल्ली के हवाई अड्डे के अन्तर्राष्ट्रीय विश्राम कक्ष में क्षेत्राधिकार पर विवाद

8408. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के हवाई अड्डे में इन्टरनेशनल एयरपोर्टस अथारिटी आफ इण्डिया के एक अधिकारी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विश्राम कक्ष में कुछ सीमाशुल्क अधिकारियों की उपस्थिति पर आपत्ति किये जाने पर वहां हाल ही में उन सीमाशुल्क अधिकारियों ने अभद्र स्थिति उत्पन्न कर दी थी; और

(ख) यदि हां तो क्या उन दोनों बड़े संगठनों के अपने-अपने क्षेत्राधिकार के बारे में उनमें कोई सहमति नहीं है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 7/8 मार्च 1973 की रात्रि को सीमाशुल्क के कुछ अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय लाउंज में सोफों पर लेटे हुए थे जबकि वहां यात्री विद्यमान थे। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण के ड्यूटी अफसर ने उन्हें वैसा न करने का परामर्श दिया जिससे कुछ कटुता उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात् मामले पर उच्चतर स्तर पर विचार-विमर्श किया गया और अब आवश्यक सौजन्य एवं सौहार्द का वातावरण पुनः स्थापित हो गया है।

राज्यों द्वारा सहायता को उपयोग में न लाया जाना

8409. **श्री रनेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिये गत वर्ष दी गई केन्द्रीय सहायता का कुछ राज्यों ने पूर्ण उपयोग नहीं किया है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता इकट्ठे ऋण और अनुदान के रूप में इस शर्त के साथ दी जाती है कि चाहे सम्पूर्ण रूप से आयोजना अथवा निर्धारित योजनाओं के व्यय में किसी भी प्रकार की कमी हो जाएगी तो केन्द्रीय सहायता में उतनी ही कमी आनुपातिक रूप से कर दी जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा सूचित किये गए प्रत्याशित व्यय के आधार पर केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती अस्थाई रूप से जम्मू और कश्मीर, मैसूर, नागालैण्ड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों के सम्बन्ध में की गई है। फिर भी वर्ष भर के लिये सहायता का निश्चय महालेखापाल द्वारा प्रमाणित व्यय के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ही किया जाएगा।

ऋण गारन्टी निगम लिमिटेड के कृत्य

8410. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय ऋण गारंटी निगम लि० के क्या कृत्य हैं और उक्त निगम निर्धन व्यक्तियों की किस प्रकार सहायता करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : भारतीय ऋण गारंटी निगम का मुख्य कार्य प्राथमिकता प्राप्त और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में होने वाली जोखिम के प्रति बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों, परिवहन चालकों, पेशेवरों और आत्मनियोजित व्यक्तियों, छोटे व्यवसायियों और किसानों जैसे समाज के कमज़ोर वर्ग के लिये मंजूर की जाने वाली ऋण सुविधाएं निगम की छोटे ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आती हैं चाहे ये ऋण प्रतिभूत हों या न हों। इस प्रकार यह निगम गरीबों और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण संबंधी सुविधाएं मंजूर करने के लिये यदि उनकी आवश्यकताएं वास्तविक उत्पादन संबंधी प्रयोजनों के लिये हों, बैंकों को प्रोत्साहित करके उनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है।

मैसूर में रुई उत्पादकों की समस्याओं पर प्रधान मन्त्री को पेश किया गया ज्ञापन

8411. **श्री सी० के० जाफर शरीफः**
श्री धर्मराव अफजलपुरकरः

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में 'रुई उत्पादकों की समस्याओं' पर प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्रीव सरकार ने मैसूर राज्य के परामर्श से रुई के समर्थन मूल्यों को घोषित करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) मैसूर में रुई उत्पादकों की समस्याओं पर एक नोट मैसूर के कृषि तथा जंगलात मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को जनवरी, 1973 में दिया गया था। इस नोट में निम्नोक्त मुख्य मुद्दे उठाए गए थे :—

(1) मिलों द्वारा रखे जाने वाले स्टाकों पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना है।

(2) रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए ऋण संबंधी अंकुश रुई का व्यापार करने वाली सहकारी समितियों पर नहीं लागू होने चाहियें।

(3) भारतीय रुई निगम को पर्याप्त वित्तीय सुविधा मिलनी चाहिये ताकि वह अधिक ठोस भूमिका अदा कर सके और अपने कार्यकलापों का विस्तार कर सके।

(4) भारत सरकार द्वारा राज्यों के परामर्श से रुई की समर्थन नीति घोषित की जानी चाहिये।

(5) रुई का आयात बंद कर दिया जाना चाहिये।

मिलों द्वारा स्टाक रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रिजर्व बैंक ने ऋण संबंधी अंकुशों में ढील दे दी है लेकिन सहकारी समितियों को ऋण विनियमों से पूरी तरह छूट नहीं दी जा सकती। अधिक ठोस भूमिका के लिये रुई निगम की वित्तीय आवश्यकताओं का पुर्नविलोकन किया गया है और सरकार की गारंटी को 30 करोड़ रु० तक बढाने के लिये सरकार सहमत हो गई है ताकि निगम अपनी क्रय कार्य-वाहियों के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये बैंकों से आवश्यक कार्यकारी पूंजी प्राप्त कर सके।

कपास के संबंध में समर्थन कीमतों की घोषणा कृषि कीमत आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है जो सभी सम्बद्ध पहलुओं का अध्ययन करता है। रुई की समर्थन कीमतों के उपयुक्त स्तर के संबंध में राज्य सरकारें अपने विचार कृषि कीमत आयोग को बताने के लिए स्वन्त्र है।

रुई की किस्मों तथा परिमाणों की दृष्टि से आवश्यकताओं, घरेलू रुई की प्राप्यता तथा टैक्सटाइल मिल उद्योग एवं विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के उत्पादन के पैटर्न पर, जो अनेक वर्षों में विकसित हुए हैं, विचार करते हुए इस समय रुई के आयातों को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं समझा गया है।

मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए गुजरात के राज्य मंत्री से सुझाव

8412. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सिविल सप्लाई राज्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से मूंगफली के तेल के मूल्य में वद्धि को रोकने के लिये मूंगफली के हाथ से एकत्र किये गए बीजों के निर्यात पर रोक लगा देने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अनेक अन्य उपायों का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) मूंगफली के कुल उत्पादन की तुलना में हाथ से चुनी तथा छांटी गई मूंगफली निर्यात की जा रही मात्रा बहुत कम होने के कारण देश के समग्र हित में इस मद के निर्यात पर रोक न लगाने का विनिश्चय किया गया है।

जहां तक हाथ से चुनी तथा छांटी गई मूंगफली के निर्यात को गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के माध्यम से मार्गीकृत करने के लिये सुझाए गए उपाए का संबंध है, हम वर्तमान स्थिति में इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते।

Scheme to Strengthen Meteorological Department to forecast Drought conditions one year in advance

8413. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government are formulating any scheme to strengthen the Meteorological Department so that possibilities of drought could be anticipated one year in advance; and

(b) the time by which the said scheme is proposed to be introduced?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) Anticipation of drought one year in advance is not possible with the present state of knowledge. However, under a scheme included in the Fifth Plan, intensive research will be undertaken to evolve criteria to forecast incidence of droughts a few months in advance.

श्रीलंका से चावल का चोरी छिपे लाया जाना

8414. **श्री राम भगत पासवान:** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "लंका राइस स्मगल्ड इनटू इण्डिया (लंका के चावल का भारत में चोरी-छिपे लाया जाना)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लंका राइस स्मगल्ड इनटू इण्डिया (लंका से चावल का भारत में तस्कर आयात)" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार को देखा है।

(ख) इस संबंध में की गई जांच से पता चलता है कि समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार सही नहीं है।

राजस्थान में एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार का अनुरोध

8415. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एक राज्य व्यापार निगम स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु राजस्थान सरकार से भारत सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है और इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) उक्त सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी और सहायता किस रूप में दी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय और रूसी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अरब सागर में मानसून के व्यवहार के बारे में किये गये संयुक्त अध्ययन का परिणाम

8416. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और रूसी मौसम वैज्ञानिकों ने अरब सागर और भारत के पश्चिमी तट के साथ-साथ मानसून के व्यवहार के बारे में संयुक्त अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अगली मानसून ऋतु में एक संयुक्त अध्ययन के प्रारंभ किये जाने की आशा है।

बिहार में तूफान

8417. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अभी हाल में छपड़ा और सारन जिले के कुछ इलाकों में भीषण तूफान आया था;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कई करोड़ रुपये की क्षति हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा और अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य में भी चेतावनी केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 27 फरवरी, 1973 को उत्तरी बिहार में काफी दूर-दूर तक ओलों के साथ झंझावर्षा हुई।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 9 व्यक्ति मरे तथा 220 घायल हुए। इसके अलावा, कुछ पशु मारे गए तथा बहुत-से मकानों तथा खड़ी फसलों को क्षति हुई।

(ग) तड़ित झंझाओं के बारे में जिला अधिकारियों को तार द्वारा अग्रिम चेतावनियां जारी की गई थीं तथा राज्य में आकाशवाणी के स्टेशनों से प्रसारण भी किये गए थे।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से गोआ के लोहे का निर्यात करना

8419. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ के लोहे का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) यह विनिश्चय किया गया है कि फिलहाल यथापूर्व स्थिति को बनाए रखा जाए।

लौह अयस्क के निर्यात के लिए स्थायी लाभप्रद मूल्य प्राप्त करना

8420. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने लौह अयस्क के निर्यात के लिये स्थायी लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने के लिये व्यवस्था करने हेतु विकासशील लौह अयस्क उत्पादक देशों द्वारा गठित अनौपचारिक दल ने इस दिशा में कोई प्रयास किया है:

(ख) यदि हां, तो किये गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है: और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग) जी हां। विकासशील लौह अयस्क उत्पादक देशों का अनौपचारिक दल 1968 से कई बार मिला। जब दल 1973 में अन्तिम बार मिला, तब इस्पात उत्पादन में तीव्र वृद्धि के कारण लौह अयस्क की मांग में महत्वपूर्ण पुनर्वृद्धि हो गई थी। यह अनुभव किया गया कि बिना विकासशील देशों के सहयोग से कीमत संबंधी कोई नियंत्रण लागू नहीं किया जा सकता। इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं तथा विकासशील देशों के लौह अयस्क के निर्यातों के लिये स्थायी व लाभप्रद कीमतें प्राप्त करने के लिये किये गए प्रयासों के परिणाम सामने आने में कुछ समय लगेगा।

स्टेनलैस स्टील का आयात

8422. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान कितनी मात्रा में स्टेनलैस स्टील का आयात किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) स्टेनलैस स्टील के आयात की मात्रा वास्तविक प्रयोक्ताओं की मांगों तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वर्ष 1973-74 में किये जाने वाले आयातों का ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि पिछले अनुभवों के आधार पर अनुमान है कि वर्ष 1973-74 में 15 करोड़ रु० मूल्य का लगभग 12,000 मे० टन स्टेनलैस स्टील का आयात किया जाएगा।

Name of the countries from which Maximum Number of Tourists are Expected During 1973

8423. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the name of the country from which the maximum number of tourists are expected to visit India during 1973?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : United States of America.

वर्ष 1969 से 1973 के दौरान मछली का निर्यात

8424. **श्री वेकारिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मछली कुल मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्यात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इससे कितनी बिदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 वर्षों के दौरान निर्यातित मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं की कुल मात्रा क्रमशः 29479, 32272 तथा 32676 मे० टन थी।

(ख) चूंकि मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के निर्यातों के लिए निर्बाध रूप से लाइसेंस दिये जाते हैं, अतः निर्यातक कम्पनियों के नामों का रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 वर्षों के दौरान निर्यात की गई मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं का कुल मूल्य क्रमशः 30.83 करोड़ रुपये, 30.54 करोड़ रुपये तथा 41.39 करोड़ रुपये था।

कांडला के मुक्त व्यापार क्षेत्र में संकट

8425. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला के मुक्त व्यापार क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी बोर्ड (स्टीयरिंग बोर्ड) गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है;

(ग) कांडला के मुक्त व्यापार क्षेत्र की समस्यायें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एसी समस्याओं को हल करने के लिए अब तक यदि कोई अन्य प्रयास किए गए हैं तो वह क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) उप-वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र विषय-निर्वाचन बोर्ड स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है जो कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र से संबंधित नीति संबंधी उन मामलों पर कार्यवाही करेगा जिन पर उच्च स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और जो उसे कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र समिति द्वारा भेजे जायें।

(ख) निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य हैं: (1) भारतीय निर्यातों को बढ़ाना और अधिक विदेशी मुद्रा कमाना तथा (2) निर्बाध व्यापार क्षेत्रों में और उसके आसपास कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लिए रोज़गार बढ़ाना।

(ग) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र उद्योग एसोसियेशन द्वारा बताई गई मुख्य समस्यायें इस प्रकार की हैं: (1) कांडला से तथा कांडला को पर्याप्त सीधी विदेश जहाजरानी सुविधाओं का अभाव जिससे कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र से आयात तथा निर्यात के लिए बम्बई पत्तन का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है और जिसके परिणामस्वरूप परिवहन लागत में वृद्धि हो जाती है; (2) क्षेत्र स्थित उद्योग-पतियों को सुलभ ऋण सुविधाओं का न मिलना तथा (3) स्क्रैप तथा अधोमानक वस्तुओं का निपटान।

वाणिज्य मंत्रालय सभी अभिज्ञात अड़चनों को हल करने के लिए अन्य संबद्ध मंत्रालयों से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है।

(घ) इस क्षेत्र के कार्यचालन से संबद्ध सभी विषयों पर कार्यवाही करने के लिए विशेष सचिव (वाणिज्य) की अध्यक्षता में कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र समिति नामक एक समिति कार्य कर रही है जिसमें सभी संबद्ध हितों का प्रतिनिधित्व है। कांडला निर्बाध व्यापार समिति की अंतिम बैठक 7 अप्रैल, 1973 को हुई थी और उसने क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ नई प्रस्थापनाओं के लिए स्वीकृति दी थी।

अधिग्रहीत सम्पत्तियों पर सम्पदा-शुल्क का लगाया जाना

8426. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि सम्पदा-शुल्क का हिसाब लगाते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु के छः महीने की अवधि के अन्दर बिना मुआवजा दिए अधिग्रहीत की गई सम्पत्ति के मूल्य को न जोड़ा जाय;

(ख) क्या आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के छः महीने की अवधि के अन्दर अधिग्रहीत सम्पत्ति के मुआवजे की अदायगी के मामलों में शुल्क निर्धारण के लिए संपत्ति के मूल्य के बजाय मुआवजे की राशि हिसाब में ली जानी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सिफारिशों पर गौर किया जा रहा है।

सम्पदा-शुल्क अधिनियम में संशोधन

8427. **श्री एस० ए० पुरुगनन्तमः** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सम्पदा-शुल्क अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी, हां।

(ख) भारत के विधि आयोग ने अपनी 52वीं रिपोर्ट (दिसम्बर, 1972) में निम्नलिखित परिस्थितियों में राहत की मंजूरी देने के लिये सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 में संशोधन की सिफारिश की है :—

(1) जहां सम्पदा-शुल्क नियंत्रक के समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि मृत्यु पर मिली सम्पत्ति, मृत के निधन के छः महीने के भीतर, किसी कानून के अधीन बिना मुआवज़े के अभिग्रहीत की गयी है, वहां ऐसे मामलों में सम्पदा-शुल्क अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी सम्पत्ति का मूल्य हिसाब में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(2) जहां नियंत्रक के समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि सम्पत्ति मृत के निधन के 6 महीने के भीतर, किसी ऐसे कानून द्वारा अथवा उसके अधीन अभिग्रहीत की गयी है, जिसमें मुआवजे की व्यवस्था है, वहां सम्पदा-शुल्क अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे मुआवजे की रकम को सम्पत्ति के मूल्य के लिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

(ग) भारत के विधि आयोग की सिफारिश विचाराधीन है।

नमक का निर्यात

8428. **श्री बेकारिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में नमक का निर्यात किया गया; और

(ख) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान नमक का निर्यात क्रमशः 2.69 लाख मे० टन, 1.04 लाख मे० टन तथा 1.87 लाख मे० टन था ।

(ख) भारतीय नमक का आयात करने वाले मुख्य देश, जापान, नेपाल, सिंगापुर तथा कोरिया गणराज्य हैं ।

सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दरों में वृद्धि

8429. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1973 से कुल कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं और इस वर्ष के दौरान कितने कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने की संभावना है;

(ख) क्या तीसरे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दरों में वृद्धि करने के लिए कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को अन्य सिफारिशों की अपेक्षा विचारार्थ प्राथमिकता देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे सभी सरकारी विभागों से इकट्ठा करना पड़ेगा।

(ख) जी, हां ।

(ग) वेतन आयोग की सभी सिफारिशों पर जिनमें पेंशन-लाभों संबंधी सिफारिशें भी शामिल हैं, शीघ्रता से विचार किया जा रहा है।

रेशम की वस्तुओं का निर्यात

8430. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान रेशम की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 और वर्ष 1972-73 के दौरान रेशम की वस्तुओं के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में रेशमी वस्तुओं के निर्यात से क्रमशः 8.31 करोड़ रुपये तथा 7.15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी।

आयकर विभाग में पंजीकरण हेतु मूल्यांकन-कर्त्ताओं की अर्हतायें

8431. **श्री एस० डी० सौमसुन्दरम्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में पंजीकरण हेतु मूल्यांकन कर्ताओं की न्यूनतम अर्हता इंजीनियरिंग में डिग्री है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इसी कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों में डिप्लोमाधारी भी हैं; और

(ग) यदि हां, तो डिप्लोमाधारियों को आयकर विभाग में मूल्यांकन कर्ताओं के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विभिन्न वर्गों की परिसम्पत्तियों के मूल्यांककों के रूप में पंजीकरण के लिये अर्हतायें, धन-कर नियमावली 1957 के नियम 8ए में निर्दिष्ट हैं। अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि, बागान, वन, खान तथा खदानों से भिन्न) के मूल्यांकक के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरी, वास्तुकला अथवा नगर आयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी शैक्षणिक योग्यता जो सिविल इंजीनियरी अथवा वास्तुकला में डिग्री के तुल्य हो। शिक्षा मंत्रालय ने कुछ अर्हतायें निर्धारित की हैं जिनमें कुछ डिप्लोमा भी शामिल हैं और जो केन्द्रीय सरकार के अधीन उच्च पदों तथा सेवाओं पर भर्ती के प्रयोजनों के लिये मान्य हैं। अतः इंजीनियरी अथवा वास्तुकला में इन शैक्षणिक अर्हताओं को रखने वाला कोई भी व्यक्ति इंजीनियरी अथवा वास्तुकला में डिग्री के समतुल्य अर्हता रखने वाला माना जाता है।

(ख) जी, हां। कार्यकारी इंजीनियरों में से चार और सहायक इंजीनियरों में से सात ऐसे डिप्लोमाधारी हैं जिन्हें विभागीय मूल्यांकन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

(ग) अचल सम्पत्ति के विभागीय मूल्यांकन अधिकारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से लिये जाते हैं और उनका ओहदा मुख्य इंजीनियर, अधीक्षी इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर का होता है। मुख्य इंजीनियर और अधीक्षी इंजीनियर, जिन्हें पहले ही तैनात किया गया है, इंजीनियरी में स्नातक हैं। धन-कर नियमावली के अनुसार, कार्यकारी इंजीनियरों तथा सहायक इंजीनियरों को अपेक्षाकृत कम मूल्य की सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना होता है। कार्यकारी इंजीनियरों को ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना होता है जिनका घोषित मूल्य 2 लाख रु० से 5 लाख के बीच हो और सहायक इंजीनियरों को ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना होता है जिनका घोषित मूल्य 2 लाख रु० से अधिक न हो। उनका काम प्रादेशिक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा देखा जाता है जिसका ओहदा मुख्य इंजीनियर का होता है। कार्यकारी तथा सहायक इंजीनियर जिनके पास केवल एक डिप्लोमा होता है और जो मूल्यांकन सेल में तैनात होते हैं उनका केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल इंजीनियरी सम्बन्धी काम का लम्बा अनुभव होता है जो कार्यकारी इंजीनियरों के मामले में लगभग 20 वर्ष और सहायक इंजीनियरों के मामले में लगभग 10 वर्ष हैं और एतदनुसार, वे अपेक्षाकृत कम मूल्यों की अचल परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन-कार्य के लिये पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। पंजीकृत मूल्यांककों के मामले में

उनकी शैक्षणिक अर्हताओं के अनुसार सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिये कोई मुद्रा सम्बन्धी सीमायें निर्धारित करना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं है। अन्यथा भी चूंकि अचल सम्पत्ति के मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण के लिये पर्याप्त रूप से तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं इसलिये पंजीकृत मूल्यांककों की योग्यता को कम करना अनुचित होगा।

जाली नोटों का प्रचलन

8433. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली नोटों का प्रचलन बढ़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के आसूचना विभाग द्वारा हाल ही में जाली नोट बेचने वाले एक गिरोह का पता लगाये जाने के बारे में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(घ) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गत तीन वर्षों में पुलिस द्वारा जाली नोट बनाने वालों से बरामद किये गये अथवा पकड़े गये जाली करेंसी नोटों की संख्या को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि देश में जाली करेंसी नोटों के प्रचलन में वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) 9 नवम्बर 1972 को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश गुप्तचर्या विभाग के आर्थिक आसूचना तथा जांच प्रभाग के अधिकारियों ने मुगल सराये रेलवे स्टेशन पर 3 व्यक्तियों को इस अपराध में गिरफ्तार किया था कि वे भोले-भाले लोगों को असली करेंसी नोटों के बदले में चार गुणा मूल्य के जाली करेंसी नोटों का प्रलोभन देकर उन्हें ठगने का षडयंत्र रच रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के समय और यहां तक कि उनकी जांच-पड़ताल के दौरान भी उनसे कोई जाली करेंसी नोट नहीं मिले किन्तु अपराधियों ने यह स्वीकार किया है कि वे लोगों को जाली नोटों के प्रलोभन में ठगने का काम करते हैं। पूछ-ताछ के दौरान एक अन्य व्यक्ति को पटना से गिरफ्तार किया गया है अपराधियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120 ख के अन्तर्गत फौजदारी का एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल जारी है।

रुई का आयात शुल्क में अत्यधिक वृद्धि और रुई के उत्पादन में कमी का हथकरघा और विद्युत् करघा उद्योग पर प्रभाव

8434. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित रुई से तैयार आधे से अधिक धागा हथकरघों और विद्युतचालित करघों को मिलता है;

(ख) क्या सरकार को यह बताया गया है कि बजट में आयातित रुई पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाये जाने का इन क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या इस प्रकार की शंकायें भी व्यक्त की गई हैं कि इस वर्ष कपास के उत्पादन में 6 प्रतिशत की कमी और आयात शुल्क में अत्यधिक वृद्धि के कारण इस उद्योग में नया संकट पैदा हो सकता है; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) रुई पर नए आयात शुल्क के परिणामों की, जिनमें हथकरघा शक्तिचालित करघा क्षेत्रों पर पड़ने वाला उसका प्रभाव शामिल है सावधानी से जांच की जा रही है।

(ग) सरकार को ऐसी कोई आशंका नहीं है।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

8435. **श्री जे० जी० कदम:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनको राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1971-72 और 1972-73 में उद्योग आरम्भ करने के लिये वित्तीय महायता दी थी; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने राज्यवार वास्तव में उद्योग स्थापित किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) और (ख) ऋण की व्यवस्था के रूप में बैंकों से सहायता प्राप्त "शिक्षित बेरोजगार" व्यावसायिक और 'आत्म नियोजित' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। संलग्न विवरण [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4899/72**] से यह पता चलेगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जून 1971 और जून 1972 के अन्त तक 'व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्ति' वर्ग के अन्तर्गत जो ऋण दिये गये हैं उनकी बकाया राशि राज्यवार क्या है। ऐसा अनुमान है कि ऋण लेने वालों ने वास्तव में ऋण का प्रयोग उत्पादन सम्बन्धी प्रयासों के लिये किया है।

आवश्यक वस्तुओं का व्यापार सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव

8436. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में आवश्यक वस्तुओं का व्यापार अपने हाथ में लेने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) सामान्य उपभोग की वस्तुओं तथा आवश्यक वस्तुओं को उचित कीमतों पर सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिये दीर्घावधि तथा अल्पवधि नीतियों तथा उपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति की स्थापना की गई है।

चावल तथा गेहूं के थोक बाजार को अपने हाथ में लेने के भारत सरकार के विनिश्चय के अनुसरण में कई राज्य सरकारों ने गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के थोक व्यापार को पहले ही अपने हाथ में ले लिया है। चावल का थोक व्यापार आगामी खरीफ मौसम से अपने हाथ में ले लिया जाएगा।

औद्योगिक प्रबन्ध पूल में वृद्धि

8437. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रबन्ध पूल में भर्ती इस बीच रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संवर्ग में भर्ती को पुनः चालू करने के लिये विभिन्न उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक प्रवक्ता मंत्रिमंडल सचिव से मिला था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औद्योगिक प्रबन्ध समूह में पहले पहल नियुक्तियां 1959 और 1960 में भाग लेने वाले मंत्रालयों के अधीन सरकारी उद्यमों की आवश्यकताओं के आधार पर की गई थीं। इन प्रारम्भिक नियुक्तियों के बाद सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर फिर इस समूह में कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

(ग) औद्योगिक प्रबन्ध समूह अधिकारीगण संघ के कुछ प्रतिनिधि सामान्यतः सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में विचार विमर्श करने के लिये मंत्रिमण्डल सचिव से मिले।

जर्मन संयंत्रों को भारत में स्थानान्तरित करने के लिए सुविधाएं

8438. **श्री एम० कतामुतुः** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम जर्मनी में भरत-जर्मन सोसाइटी के चेयरमै डा सीफाइज ने सुझाव दिया है कि सरकार को पश्चिम जर्मन के उद्योगों को अपने कुछ संयंत्र भारत में स्थानान्तरित करने के लिये सुविधायें देनी चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) डा० सीफाइज़ ने इस का उल्लेख केवल एक विचार के रूप में किया है। उनके द्वारा कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं की गई है। यदि और जब कभी भी कोई विशिष्ट प्रस्थापना प्राप्त होगी तो उस पर सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रकाश में विचार किया जायेगा।

Compensation paid for Accidents in Rayon Mills in the Country

8441. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1627 dated the 2nd March, 1973 and state :

(a) the nature of accidents which occurred in the 10 mills mentioned in part (c) of the said question during the last three years indicating the number of deaths caused in these accidents;

(b) the amount of compensation paid in each case and whether this compensation was given on the basis of the mills being treated as chemicals or textile mills; and

(c) the action taken by Government against the factories which have not paid compensation under the rules?

The Minister of Commerce (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : (a) to (c) The information is being collected.

निषिद्ध वस्तुएं ले जाते हुए एक अरब जहाज का रोका जाना

8442. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अल-नूर' नामक अरब जहाज से, जब वह बलसाड़ को जा रहा था, कुल कितनी कीमत की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गईं; और

(ख) सरकार ने उस जहाज के कर्मचारीवृन्द (क्रयू) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) भावनगर के निकट गोगो में 27 मार्च, 1973 को अरब जहाज 'अल-नूर' से 5,56,500 रु० मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई थीं। उक्त जहाज भी पकड़ा गया जिसका मूल्य 2,50,000 रु० है ।

(ख) उक्त जहाज पर सवार कर्मीदल के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और वे अब न्यायिक अभिरक्षा में हैं । जांच पड़ताल चल रही है।

कांडला निर्बाध व्यापार जोन के अधीन सुविधाओं के अभाव के बारे में शिकायतें

8443. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :**

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्हें काण्डला निर्बाध व्यापार जोन में सुविधाओं के अभाव के बारे में कड़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) विभिन्न सुविधायें देने की व्यवस्था करने के बारे में दिये गये वचनों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां ।

(ख) शिकायतें मुख्य रूप से इस प्रकार की हैं: (1) कांडला से तथा कांडला को पर्याप्त सीधी विदेश जहाजरानी सुविधाओं का अभाव जिससे कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र से आयात तथा निर्यात के लिये बम्बई पत्तन का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है और जिसके परिणामस्वरूप परिवहन लागत में वृद्धि हो जाती है (2) क्षेत्र स्थित उद्योगपतियों को सुलभ ऋण सुविधाओं का न मिलना तथा (3) स्क्रैप तथा अधेमानक वस्तुओं का निपटान ।

(ग) जैसा कि राज्य सभा में घोषणा की गई थी, क्षेत्र की शेष समस्याओं के बारे में जांच करने के लिये और उनको अत्याधिक शीघ्रता से हल करने के लिये उप-वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र विषय निर्वाचन बोर्ड का गठन किया गया है ।

कृषि और विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण

8444. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने भारत में विद्युत् शक्ति और कृषि के विकास के लिये दो ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको विद्युत् पारेषण सुविधाओं के विस्तार के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने हाल में भारत की तीसरी विद्युत् पारेषण परियोजना के लिये 850 लाख अमरीकी डालरों का एक ऋण तथा मैसूर कृषि थोक मंडी परियोजना के लिये 80 लाख अमरीकी डालर का एक ऋण दिया है ।

(ख) तीसरी विद्युत् पारेषण परियोजना के लिये दिये गये ऋण का उपयोग विद्युत् पारेषण प्रणाली के विस्तार के लिये उपकरण और सामग्री की प्राप्ति के लिये किया जायगा और मैसूर कृषि थोक मंडी परियोजना के लिये दिये गये ऋण उपयोग मैसूर राज्य में कृषि थोक-मंडियों के विकास के लिये किया जायगा।

(ग) तीसरी विद्युत् पारेषण परियोजना के लिये दिये गये ऋण से इन को लाभ होगा:—असम, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और तमिल नाडु के राज्य बिजली बोर्ड, दिल्ली राज्य बिजली प्रदाय संस्थान, व्यास निर्माण बोर्ड, टाटा पावर कम्पनी, दक्षिणी प्रादेशिक बिजली बोर्डों और उत्तरी प्रादेशिक बिजली बोर्ड।

मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मद्रास और पूना के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करने की योजना

8445. **श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी गर्मी के महीनों में मद्रास और पूना के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृत्रिम वर्षा करने का प्रयोग करने की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सूखे की समस्या का केवल यही व्यावहारिक हल समझा जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत मौसम-विज्ञान विभाग के सहयोग से भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पूना का, आगामी मौनसून ऋतु के दौरान मद्रास तथा पूना क्षेत्रों में सीमित परिमाण में कृत्रिम वर्षा के प्रयोग करने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी नहीं ।

विद्युत उत्पादन के लिए ब्रिटेन से सहायता

8446. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार भारत में विद्युत् उत्पादन में सहायता देने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई करार हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । 26 मार्च 1973 को ब्रिटेन की सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ग) करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) भारत में तीन भाप उत्पादक बायलरों का निर्माण करने के लिये संघटकों और कच्चे माल का आयात करने के लिये ब्रिटेन, भारत को 33 लाख पौण्ड (6.26 करोड़ रुपये) देगा ;

(ii) यह रकम ब्रिटेन/भारत मिश्रित परियोजना ऋणों के अन्तर्गत उपलब्ध की जाएगी ;

(iii) दो बायलरों की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अमरकंटक बिजली घर में की जायेगी तथा 120-120 मैगावाट के तीन तापीय विद्युत् शक्ति उत्पादन सेटों के लिये भाप की व्यवस्था करने के लिये एक बायलर की स्थापना बिहार में दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुर स्थित बिजली घर में की जायेगी ;

(iv) यह ऋण ब्याज मुक्त है तथा इसकी वापसी अदायगी 25 वर्षों में की जायेगी इसमें 7 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि भी शामिल है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्युत एककों को सहायता दिया जाना

8447. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश में विद्युत् एककों को सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन वित्त विद्युत् एककों को इस प्रकार की सहायता दी गयी है;

(ग) क्या सरकार ने सहायता देने के लिये बैंकों को कोई योजनाएं भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनको कितना-कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिजली एककों को सहायता देने के संबंध में बैंकों के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं। यह सहायता निम्न रूपों में हो सकती है :

(i) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जारी किये गये, विशेष ऋण पत्रों सहित खुले बाजार ऋणों में अभिदान।

(ii) नल-कूपों, अथवा पम्प सेटों को बिजली देने से संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिये ऋण सुविधाएं देना।

(iii) उन बिजली बोर्डों को अल्पावधि सहायता देना जिन के लिये वे बैंकर के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा निर्धारित सीमाओं के अन्दर कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं, अन्तर पूरा करने संबंधी आवश्यकताओं और अर्थोपाय आवश्यकताओं को पूरा करना। अन्तर पूरा करने के लिये वित्त की व्यवस्था केवल थोड़ी अवधि के लिये ही दी जाती है जो कि एक वर्ष से अधिक नहीं होती।

(ख), (ग) और (घ) व्यवहारतः सभी राज्य बिजली बोर्डों ने वाणिज्यिक बैंकों से इस प्रकार कर सुविधायें प्राप्त की है। आम तौर पर, सहायता के लिये अनुरोध बिजली बोर्डों द्वारा बैंकों को सीधे भेजे जाते हैं और बैंक उन प्रस्तावों की उचित छानबीन करके उन्हें सहायता मंजूर कर देते हैं। उन ऋणों के बारे में, जो तीन करोड़ रुपये से अधिक होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राधिकरण प्राप्त करना जरूरी होता है।

यूगोस्लाविया को वैगनों का निर्यात

8448. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूगोस्लाविया को वैगन निर्यात करने में क्या कठिनाइयां थीं और उनको कैसे हल किया गया है;

(ख) वैगनों को किस कीमत पर बेचा जा रहा है; और

(ग) क्या इस प्रकार निर्यात के योग्य वैगनों का निर्माण केवल गर-सरकारी मालिकों द्वारा किया जाता है अथवा क्या इस प्रयोजन के लिये सरकारी क्षेत्र में भी वैगनों का निर्माण किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) यूगोस्लाव संविदा के अन्तर्गत यूगोस्लाविया को माल डिब्बों के निर्यात में मुख्य कठिनाइयां ये थीं : संबंधित पक्षकारों के पारस्परिक समाधान के अनुसार संविदात्मक दायित्वों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब और सुमेल इस्पात का अभाव। अब सरकारी स्तर पर वार्ताएं करके और इस्पात का बल्क आयात करके इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है।

(ख) यह बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) प्रमुख माल डिब्बा विनिर्माता एककों में से दो सरकार के नियंत्रणाधीन हैं।

30 LSS/73—7.

औद्योगिक पुर्नानर्माण निगम द्वारा कपड़ा परिष्करण गृह (टैक्सटाइल प्रोसेसिंग हाउस) की स्थापना

8449. **श्री राम प्रकाश : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक पुर्नानर्माण निगम का विचार एक कपड़ा परिष्करण गृह स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय औद्योगिक पुर्नानर्माण निगम लि० द्वारा स्थापित किये जाने वाले परिष्करण गृह की मुख्य बातें ये हैं :

संयंत्र की प्रतिदिन की क्षमता 1,45,000 मीटर होगी; कार्यचालन पूंजी के लिये गुंजाइश रख कर भी इसकी पूंजीगत लागत का अनुमान लगभग 4.50 करोड़ रुपये है और संयंत्र का वार्षिक उत्पादन लगभग 3.47 करोड़ रुपये का होगा।

कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी प्रयोग करने की योजना

8450. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कृत्रिम वर्षा करने के बड़े पैमाने पर प्रयोग करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में न किये जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) आगामी मौनसून ऋतु के दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से भारतीय उष्ण कटिबंधीय संस्थान द्वारा पूना तथा मद्रास क्षेत्रों में वर्षा के कृत्रिम उद्दीपन के लिए कुछ परीक्षण करने का प्रस्ताव है। नवीनतम तकनीकों के आधार पर और आगे परीक्षण करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गयी है।

Scales of Pay of Hindi and English Stenographers

8451. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there are different scales of pay for Hindi and English Stenographers; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Commodities Exhibited at Indian Pavilion in the International Fair held at Tripoli

8452. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the commodities exhibited at the Indian Pavilion set up by India in the 11th Intenational Fair held at Tripoli indicating the total expenditure incurred thereon?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya): A statement indicating the commodities exhibited in the India Pavilion at the Tripoli International Fair held in March, 1973 is attached. The participation involved a total expenditure of Rs. 3.74 lakhs out of which Rs. 2.88 lakhs was in foreign exchange.

STATEMENT

Commodities displayed in the India Pavilion at Tripoli International Fair, March, 1973

Computer system, close circuit T.V. oscilloscope, frequency generator, radiographic camera, transmission tower, diesel engine and pumps, industrial boilers, pipes and sanitary fittings, office equipment, automobile and cycle parts, stainless steel ware, chemicals and pharmaceuticals, textiles, coir and plastics products, handicrafts including precious and costume jewellery, tea, coffee and food products.

विदेशों से भारतीय उद्यमकर्ताओं को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये आकर्षित करना

8454. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री विदेशों से भारतीय उद्यमकर्ताओं को भारत में उद्योग स्थापित करने हेतु आकर्षित करने के बारे में 9 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2630 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये विदेशों में भारतीय उद्यमकर्ताओं, इंजीनियरों आदि को मशीनें और कच्चा माल तथा आयात की सुविधाएं देकर भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना के अन्तर्गत अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : योजना के अन्तर्गत मशीनरी के आयात के लिए 167 आवेदन-पत्र तथा कच्चा माल और संघटकों के आयात के लिए 80 आवेदन-पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं।

आयात विनियमनों का उल्लंघन करने के लिए केबल कम्पनियों पर मुकदमें चलाना

8455. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात विनियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 11 केबल कम्पनियों पर मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) क्या तीन अन्य केबल कम्पनियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) ग्यारह कंपनियों के विरुद्ध अभियोग की मंजूरी दी जा चुकी है। एक कंपनी अर्थात् मे० एशियन केबल्स के संबंध में एक शिकायत न्यायालय में पहले ही फाइल की जा चुकी है। अन्य दो शिकायतों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) विभागीय कार्यवाही करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनके उत्तरों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) विभागीय कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त कंपनियां ये हैं :

(1) मै० इंडियन केबल कं० लि०, कलकत्ता;

(2) मै० देवीदयाल केबल इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई; तथा

(3) मै० इंडो अमेरिकन इलैक्ट्रिकल्स लि०, कलकत्ता।

(घ) आयातित कच्चे माल का दुरुपयोग।

Reduction in Export Duty on Mica

8456. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to make some reduction in the export duty on mica ingots, Adensor films of mica and mica scraps with a view to providing incentive to the production and exports of mica; and

(b) if so the broad outlines thereof?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) A decision has been taken to reduce the export duty on the following categories of mica to the level indicated against each:—

	Reduced rate of duty
1. Mica loose splittings of grades numbers $5\frac{1}{2}$ and 6, and mica mixed torn loose grades numbers 5 & $5\frac{1}{2}$	15% *ad val.*
2. Mica splittings of all grades other than grades numbers 5 & 6	20% *ad val.*
3. Mica blocks and condenser films of grades number 2 and grades superior thereto	30% *ad val.*
4. Mica blocks and condenser films of all grades other than those specified against serial number 3 above	20% *ad val.*

सिंगापुर में 1 जून से 14 जून, 1973 तक एक भारतीय प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव

8457. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार सिंगापुर में इस वर्ष 1 जून से 14 जून तक पूर्ण रूपेण भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रदर्शनी में किस प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शित की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) सामान्यत: दक्षिण पूर्व एशिया के देश तथा विशेष रूप से सिंगापुर अपनी अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए बड़े विकास-कार्यक्रमों में लगे हुए हैं जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की वस्तुओं के आयात के लिए अधिक मांग हो गई है। भारत की निर्यात एवं औद्योगिक क्षमता के विषय

में बेहतर जानकारी तथा बाधा उत्पन्न करने और 1970 में आयोजित हमारी पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी के फलस्वरूप हुए व्यावसायिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जून, 1973 में सिंगापुर में फिर एक पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी आयोजित करने का विनिश्चय किया गया है। प्रस्थापित प्रदर्शनी में जिन वस्तुओं को प्रदर्शित करने का विचार है उनकी सूची संलग्न है।

विवरण

भारतीय व्यापार प्रदर्शनी, सिंगापुर, जून, 1973 में प्रदर्शित की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं की सूची।

(1) मशीनें तथा इंजीनियरी माल : खराद की मशीनें, कूटने की मशीनें, डीजल इंजन आदि आदि।

(2) कृषि संबंधी इंजीनियरी माल : पम्पिंग सैट, तेल निकालने के कोल्हू, कृषि उपस्कर आदि आदि।

(3) मोटरगाड़ियां आदि : ट्रक बसें, मोटर साइकिल तथा मोटरगाड़ी उद्धयोग के संघटक आदि आदि।

(4) विद्युत उपस्कर : बिजली की मोटरें, ट्रांसफारमर, बिजली का उपभोक्त सामान, शल्य चिकित्सा औजार आदि आदि।

(5) उपभोक्ता तथा निर्मित माल : कयर, पटसन, ऊन का माल, चमड़े के जूते आदि आदि।

(6) घरेलू उपयोगिता की वस्तुएं : रूम एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक रैफ्रिजरेटर, स्टेनलैस स्टील के बर्तन, घरेलू फर्नीचर आदि।

(7) वस्त्र : सूती वस्त्र, रेयन तथा संश्लिष्ट, रेशम तथा रेयन, ऊनी खादी आदि आदि।

(8) रासायनिक पदार्थ औषध, भेषज, तथा संबद्ध उत्पाद : औद्धयोगिक रासायनिक पदार्थ, रंग तथा वारनिश, खाद आदि आदि।

(9) हस्तशिल्प की वस्तुएं।

(10) खाद्धय् उत्पाद तथा संबद्ध वस्तुएं : चाय, काफी, मसाले, रस, तम्बाकू, सिगरेट आदि आदि।

(11) वाणिज्यिक जानकारी, पुस्तकें तथा प्रकाशन।

उड़ीसा की लौह अयस्क खानों में संकट

8458. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की लौह अयस्क खानें इस समय संकट में हैं तथा 5 लाख टन से अधिक अयस्क उड़ीसा पत्तन यार्ड पर एकत्रित हुआ पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) उड़ीसा की खानें किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं कर रही हैं। 2 अप्रैल, 1973 को पारादीप पत्तन पर बेसिक ग्रेड लौह अयस्क का 4.4 लाख मे० टन का स्टाक था।

(ख) पारादीप में लौह अयस्क हैंडलिंग संयंत्र के टूट जाने के कारण पारादीप पत्तन का स्टाक जमा हो गया था। इस संयंत्र की इस बीच मरम्मत की जा चुकी है और अब पोतलदान सुचारु रूप से हो रहे हैं।

वर्ष 1972-73 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात

8459. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से चालू वर्ष में लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में वे कितने न्यूनाधिक हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किये गये लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात इस प्रकार हैं:--

मात्रा – लाख मे० टन में मूल्य – करोड़ रुपये में

मद	1971–72		1972–73	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह अयस्क	107.6	72.69	105.8	69.41
मैंगनीज अयस्क .	11.8	10.67	9.3	9.38

सोवियत संघ से बिना तराशे हीरों का आयात

8460. **श्री एस. आर० दामाणी**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोवियत संघ से बिना तराशे हीरों का आयात करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन शर्तों तथा कितनी मात्रा पर सहमति हुई है; और

(ग) इसके क्या-क्या लाभ होंगे?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जौनपुर नगर तथा अयोध्या को पर्यटक-केन्द्रों के रूप में विकसित करना

8461. **श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन के निरन्तर विस्तार के संदर्भ में ऐतिहासिक रुचि तथा मनोवृत्ति वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की आशा रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर नगर तथा अयोध्या जैसे ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि वाले तथा वास्तुकलापूर्ण स्मारकों वाले स्थानों, जो कि अब तक उपेक्षित पड़े रहे हैं, को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । सरकार भारत आने वाले विविध अभिरुचि के पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि की आशा करती है । देश में ऐतिहासिक वास्तुशिल्पीय और सांस्कृतिक महत्व के अनेकानेक स्थानों पर पहले से ही पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है ।

(ख) और (ग) पांचवीं योजना की केन्द्रीय व राज्य क्षेत्रों की स्कीमें अभी विचाराधीन हैं ।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अदा किये गये समयोपरि भत्ते की राशि

8462. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वित्त वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, उनके कुल मूल वेतन के अनुसार, अदा किये गये समयोपरि भत्ते की राशि की मंत्रालयवार प्रतिशतता कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : केन्द्रीय सरकार के सचिवालय खास में काम कर रहे कर्मचारियों को वर्ष 1971-72 के लिए समयोपरि भत्ता दिया गया है उसका वेतन और अन्तरिम राहत के प्रति अनुपात का मंत्रालयवार विवरण सदन पटल पर रखा गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-4900/73]

वर्ष 1972-73 के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी ।

भारत द्वारा प्राथमिकताओं की सामान्यकृत योजना का पर्याप्त लाभ न उठाया जाना

8463. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किये गये अध्ययनों से पता चला है कि भारत ने प्राथमिकताओं की सामान्यकृत योजना का पर्याप्त लाभ नही उठाया है जिसके अन्तर्गत विकासशील देशों के निर्माताओं को निर्यात-संवर्धन के लिये स्पष्ट रूप से अवसर दिये जाते हैं;

(ख) क्या देश को बहुत से निर्यातकर्त्ताओं को उन टैरिफ रियायतों की विस्तृत जानकारी नहीं है जो कि इस योजना के अन्तर्गत दाता देशों द्वारा दी जाती है और क्या अधिकांश निर्यातकर्ता

निर्यात करने योग्य ऐसी मदों की जानकारी भी नहीं रखते जिनकी चारों ग्रोर बड़ी माता में मांग है ग्रौर न उन्हें यह मालूम है कि विकसित देशों में ग्रन्य स्रोतों की ग्रोर से उन्हें किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना करना होता है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस उपेक्षा तथा भूल के लिये कौन उत्तरदायी है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से ग्रधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के ग्रन्तर्गत भारत द्वारा उठाये गये लाभ की सीमा पर कोई ग्रध्ययन प्रकाशित नहीं किए हैं ।

(ख) विभिन्न दाता देशों में प्राप्य रियायतों के ब्यौरे प्रेस नोट् तथा व्यापार सूचनाग्रों के माध्यम से ग्रधिसूचित किए जाते हैं तथा उनका प्रसार किया जाता है । निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों ग्रौर प्रमाणित करने वाले ग्रभिकरणों ने इस सम्बन्ध में प्रकाशन निकाले हैं । भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने भी विभिन्न केन्द्रों में गोष्ठियां ग्रायोजित की हैं । ग्रपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटिश व्यापार प्रतिनिधिमण्डल का दौरा

8464. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री वेकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ब्रिटिश व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने मार्च, 1973 में भारत का दौरा किया था; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधि मण्डल से किस प्रकार की चर्चा हुई तथा क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) बर्मिंघम चैम्बर ग्राफ कामर्स द्वारा प्रायोजित एक ब्रिटिश व्यापार मिशन मार्च, 1973 के प्रथम सप्ताह में भारत ग्राया था । इस मंत्रालय में कोई बातचीत नहीं हुई । ऐसा पता चला है कि ग्रन्य संगठनों के साथ प्रतिनिधि मण्डल की बातचीत, सामान्यतः, संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भाव्यताग्रों से सम्बन्धित थी । सरकार को प्रतिनिधि मण्डल द्वारा की गई किन्हीं भी ठीक-ठीक प्रस्थापनाग्रों की जानकारी नहीं हैं ग्रौर इसलिए किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में श्री गौरी शंकर जूट मिल्स का बन्द हो जाना

8465. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री गौरी शंकर जूट मिल्स, गारूलिया, 24 परगना, पश्चिम बंगाल बहुत समय से बन्द पड़ी है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; ग्रौर

(ख) मिल को पुनः खोलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) गौरी शंकर जूट मिल कुछ श्रमिक अशान्ति के कारण 7 जनवरी, 1973 को बन्द हो गई थी। मिल 6 मार्च, 1973 को पुनः खुल गई और अब सामान्य रूप से चल रही है।

पांचवीं योजना के लिए भारत सहायता सार्थ संघ के देशों से विदेशी सहायता

8466. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का पांचवीं योजना की पूरी अवधि के लिए भारत सहायता सार्थ संघ के देशों से सहायता का वचन देने के लिए अनुरोध करने का विचार है; यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सहायता देने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) पांचवीं आयोजना की इस्पात, उर्वरक, तेल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधन जुटाने के प्रश्न पर भारत सरकार तथा मित्र देशों और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच विचार विमर्श हुआ है। अभी यह बताना समयपूर्व होगा कि ऐसे साधन किन देशों से तथा किस सीमा तक उपलब्ध होंगे।

भारत का समाजवादी देशों से व्यापार

8467. **श्री मोहम्मद शरीफ** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा समाजवादी देशों से किये जाने वाले व्यापार में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां। अप्रैल से सितम्बर, 1972 की अवधि के दौरान भारत का समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़कर 336.23 करोड़ रुपये हो गया जबकि 1971 की उसी अवधि में 277.34 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था। जिससे 21.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 1973 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लेना

8468. **श्री मोहम्मद शरीफः**
श्री एम० एस० संजीवीरावः

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अन्तर्राष्ट्रीय मेलों के क्या नाम हैं जिनमें भारत का विचार चालू वर्ष के दौरान भाग लेने का है;

(ख) उन मेलों में क्या-क्या वस्तुएं प्रदर्शित की जायेंगी; और

(ग) खर्च की जाने वाली राशि का मेलेवार तथा मेलों में किये जाने वाले व्यापार का देश-वार विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चालू वर्ष के दौरान भारत का जिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने का विचार है, उसकी सूची संलग्न है ।

(ख) सभी निर्यातक मदें, परम्परागत तथा गैर-परम्परागत मदें, भारत में तथा प्रदर्शनी के देश/क्षेत्र दोनों की मांग तथा पूर्ति स्थिति के अनुसार इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की जाती हैं ।

(ग) वर्ष 1973-74 में प्रदर्शनियों में भाग लेने के कार्यक्रम के लिए 90 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 70 लाख रुपये की राशि विदेशी मुद्रा के रूप है और निम्नोक्त मामलों के अलावा, जिनमें भारत पहले ही भाग ले चुका है, भाग ले रहा है अथवा निकट भविष्य में भाग लेने का विचार कर रहा है । भिन्न-भिन्न प्रदर्शनियों के लिए अलग-अलग बजट आबंटन विचाराधीन है ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के नामों की सूची जिनमें भारत भाग ले रहा है/1973-74 में भाग लिए जाने का विचार है ।

1. टोकियो अंतर्राष्ट्रीय मेला, टोकियो (जापान) अप्रैल/मई, 1973
2. फोर दि पेरिस, पेरिस (फ्रांस) अप्रैल/मई, 1973
3. ब्रनो उपभोक्ता वस्तु मेला, ब्रनो (चैक) अप्रैल, 1973
4. मिलान अंतर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली) अप्रैल, 1973
5. बार्सिलोना अंतर्राष्ट्रीय मेला, बार्सिलोना (स्पेन) जून, 1973
6. पोजनान अंतर्राष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैंड) जून, 1973
7. जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय मेला, जकार्ता (इंडोनेशिया) जून/जूलाई, 1973
8. भारतीय प्रदर्शनी सिंगापुर, जून, 1973
9. सबाबा अंतर्राष्ट्रीय मेला, दार-एसलाम (तंजानिया) जुलाई, 1973
10. इजपीर अंतर्राष्ट्रीय मेला, इजपीर (टर्की) अगस्त/सितम्बर, 1973
11. न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, आकलैंड (न्यूजीलैंड) अगस्त/सितम्बर, 1973
12. जाम्बिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नदलोआ (जाम्बिया) जुलाई, 1973
13. एल्जियर्स अंतर्राष्ट्रीय मेला, एल्जियर्स (अल्जीरिया) सितम्बर, 1973
14. जगरेब अंतर्राष्ट्रीय मेला, जगरेब (युगोस्लाविया) सितम्बर, 1973
15. प्लादिव अंतर्राष्ट्रीय मेला, प्लादिव (बल्गारिया) सितम्बर, 1973
16. बगदाद अंतर्राष्ट्रीय मेला, बगदाद (इराक) अक्तूबर, 1973
17. 8वां पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय मेला, लीमा (पेरू) नवम्बर, 1973
18. रायल कृषि प्रदेशन, नैरोबी (कीनिया) अक्तूबर, 1973
19. आदर्श गृह प्रदर्शनी, लन्दन मार्च, 1974
20. त्रिपोली अंतर्राष्ट्रीय मेला, त्रिपोली (लीबिया) मार्च, 1974
21. लिपजिग बसंत मेला, लिपजिग (जर्मन लो०गणराज्य) मार्च, 1974

		खर्च की जाने वाली राशि	
		विदेशी मुद्रा (रुपये)	भारतीय मुद्रा (रुपये)
1.	टोकियो अन्तर्राष्ट्रीय मेला, टोकियो (जापान), अप्रैल, 1973	2,63,000	67,000
2.	पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, (पोलैण्ड) जून, 1973 .	3,34,000	80,000
3.	मिलान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, मिलान (इटली) अप्रैल, 1973	1,69,400	60,000
4.	ब्रनो उपभोक्ता वस्तु मेला, ब्रनो (चैक). अप्रैल, 1973	2,46,800	36,100
5.	फोर दि पेरिस, पेरिस (फ्रांस) अप्रैल/मई, 1973 . .	2,52,650	61,000
6.	जकार्ता अन्तर्राष्ट्रीय मेला, जकार्ता (इंडोनेशिया) जून/जुलाई, 1973	3,28,000	1,25,000

प्रत्येक मेले में होने वाले सम्भावित व्यवसाय का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी हमारे विगत अनुभव के आधार पर उपर्युक्त मेलों में भाग लेने से अच्छा व्यवसाय होने की संभावना है।

15 मार्च, 1973 को सिकन्दराबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एवरो प्रशिक्षण विमान के बारे में जांच

8469. **श्री मोहम्मद शरीफः**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 मार्च, 1973 को सिकन्दराबाद के रिहायशी क्षेत्र में ंडियन एयर लाइंस के एवरो प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की प्रस्तावित जांच इस बीच दूर हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) दुर्घटना के परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) : दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी जांच अदालत की समयावधि को काम पूरा करने के लिये जून के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) विमान पर सवार तीन कार्मिक मारे गये, भूमि पर स्थित एक बालक को घातक चोटें पहुँची, और भुमि पर स्थित चार अन्यों को चोटें आयीं। विमान का, जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया, 95 लाख रुपये का बीमा हुआ था, तथा यह राशि बीमा कर्ताओं से वसूल हो सकेगी। कारपोरेशन को तीन मृत कार्मिकों के संबंध में लगभग 4.3 लाख रुपये की राशि देनी होगी। एक रिहायशी मकान और चार रेलवे क्वार्टरों के कुछ भागों को क्षति पहुँची तथा इस संबंध में दावों का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

चाय बोर्ड द्वारा चाय के बारे में एक लेख लिखने के लिए श्रीमती कुट्टयाह को ग्रामंत्रण

8470. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड ने कुन्नूर की श्रीमती कुट्टयाह को चाय बोर्ड के खर्चे पर दार्जिलिंग ग्रौर ग्रासाम का व्यापक दौरा कराके चाय के बारे में एक लेख लिखने हेतु जो इलस्ट्रेटिड वीकली में प्रकाशित होगा ग्रामंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो चाय बोर्ड ने श्रीमती कुट्टयाह के कलकत्ते तथा ग्रन्य स्थानों में ठहरने पर, जिस में हवाई किराया ग्रौर ग्रन्य खर्चे भी शामिल हैं, ग्रब तक कितनी धनराशि खर्च की ;

(ग) क्या यह ख्यातिप्राप्त एक नियमित पत्रकार है ग्रथवा उन्हें क्या विशेष योग्यताएं प्राप्त हैं; ग्रौर

(घ) उन्हें इस प्रकार ग्रामंत्रित करने के क्या कारण हैं ग्रौर उन्हें लेख लिखने के लिए किस प्रकार चुना गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इलस्ट्रेटिड वीकली ग्राफ इंडिया के लिए चाय बोर्ड के संबंध में एक लेख लिखने के संबंध में कुन्नुर की श्रीमती ग्रार कुट्टयाह ने कलकत्ता में चाय बोर्ड के मुख्यालय तथा दार्जीलिंग तथा ग्रासाम में कुछ चाय बागानों का दौरा किया। चाय बोर्ड इस समझौते के ग्राधार पर इन दौरों के व्यय को वहन करने के लिए सहमत हो गया था कि चाय बोर्ड को भारत तथा विदेशों में ग्रपने प्रचार के प्रस्तावित लक्ष का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

(ख) कुल 2,147. 40 रुपये व्यय हुए।

(ग) श्रीमती कुट्टयाह ख्यातिप्राप्त एक ग्रनुभवी स्वतन्त्र प्रत्रकार हैं।

(घ) वर्तमान परिस्थिति में जबकि चाय उद्योग में "रुग्णता" की चर्चा चल रही है ग्रौर इसके राष्ट्रीयकरण के लिए मांग की जा रही है। यह महसूस किया गया कि चाय उद्योग तथा चाय बोर्ड के कार्यकलापों की बेहतर जानकारी का दिया जाना ग्रपेक्षित है।

नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा ग्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई ग्रड्डा प्राधिकरण में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों को ग्रनुमति देना

8471. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा ग्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई ग्रड्डा प्राधिकरण के लिये कितने व्यक्तियों को ग्रनुमति दी गई ;

( ) स नागर विमानन प्राधिकरण विभिन्न हवाई ग्रड्डों में काम कर रहे जनसम्पर्क ग्रधिकारियों को ग्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई ग्रड्डा प्राधिकरण में जाने के मामले में ग्रनुमति देने में बाधा डाल रहा है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) नागर विमानन विभाग के 1550 अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गयी हैं।

(ख) और (ग) : नागर विमानन विभाग के पास जनसम्पर्क अधिकारियों का कोई स्वीकृत वर्ग नहीं था। तथापि कुछ अधिकारी, जैसे सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी विमानक्षेत्र सहायक, तथा विमान-क्षेत्र परिचालक ग्रेड I जो कि मूलरूप से विमान यातायात नियंत्रण कार्यों के लिये अपेक्षित हैं, जनसम्पर्क अधिकारी का कार्य भी करते थे। क्योंकि इस प्रकार के कार्मिकों की अत्यधिक कमी है, अतः नागर विमानन के महानिदेशक के लिए ऐसे 10 अधिकारियों में से आठ को वापिस ले लेना आवश्यक हो गया तथा विमानपत्तन प्राधिकरण ने अब इन रिक्तियों को भरने के लिये उपयुक्त अधिकारियों की भर्ती ओपन मार्केट से कर ली है।

इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम, कूंच-बिहार को धनराशि का भुगतान

8472. **श्री बी० के० दासचौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयर लाइन्स कूंच-बिहार में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम से किराये पर लिये गये एक वाहन के लिये लगभग 4,000 रुपया प्रति मास दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिमास इतनी अधिक धनराशि का भुगतान करने के बजाय क्या उनके मंत्रालय का विचार इंडियन एयर लाइन्स से अपने कूंच-बिहार स्टेशन के लिये एक वाहन भेजने के लिये कहने का है ; और

(ग) इंडियन एयर लाइन्स ने वर्तमान सेवा आरम्भ करने के बाद अब तक वाहन के किराये के रूप में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम को क्षेत्रवार कितनी धनराशि का भुगतान किया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ग): जी, नहीं। हिसाब बहुत कम बनता है। आदायगी के वर्षवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :–

	रुपये
1969-70 . . .	20.850
1970-71	28,985
1971-72	18,550
1972-73	13,015 (लगभग)

(ख) फिलहाल कूंच-बिहार में इण्डियन एयरलाइन्स के अपने वाहन रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया तथा अन्य देशों से प्राप्त बुने हुए वस्त्रों के क्रयादेशों को क्रियान्वित न करना

8473. **श्री रानेन सेन :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाने के कारण सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया तथा अन्य देशों से प्राप्त लगभग 18 करोड़ रुपये के मूल्य के ऊन से बुने हुए वस्त्रों के क्रयादेशों की क्रियान्विति नहीं हो सकेगी; और

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया तथा अन्य देशों को बुने हुये ऊनी वस्त्रों के निर्यातों के लिए क्रयादेशों की संविदाएं राज्य व्यापार निगम के सहायक कार्यालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित कच्ची ऊन की कीमतों के आधार पर की गई थी। तदनन्तर, कच्ची ऊन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई लेकिन मार्च, 1973 से कीमतों में अधोमुखी प्रवृति दिखाई दी है और राज्य व्यापार निगम का यह अनुमान है कि निर्यातकों के लिए, सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया तथा अन्य देशों को बुने हुये ऊनी वस्त्रों के निर्यात के लिए की गई बचनबद्धताओं को पूरा करना संभव होगा।

(ख) चूंकि कीमतें मांग और सप्लाई के स्रोतों पर निर्भर करती हैं अतः सरकार कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। तथापि, विगत मार्च से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची ऊन की कीमतें गिरती जा रही हैं।

कृषि सेवा केन्द्रों के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था

8474. **श्री रानेन सेन :**

श्री गिरिधर गोमांगों :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि राज्य मंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश में कृषि-सेवा केन्द्रों को 100 करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे बैंक कृषि सेवा केन्द्रों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 16 मार्च, 1973 को, कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये इंजीनियरी उद्यमकर्ताओं को ऋण देने की प्रगति की समीक्षा करने के लिये की गयी एक सभा में, जिसमें सरकारी बैंकों और राज्य कृषि उद्योग निगमों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, कृषि राज्य मंत्री ने भाषण देते हुए कहा था कि कृषि मंत्रालय भावी उद्यमकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और बैंकों को अगले 3 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिये 100 करोड़ रुपये

के ऋण की व्यवस्था करनी चाहिये। चूंकि कोई पक्का लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था अतः बैंकों की ओर से कहा गया है कि वे कृषि-क्षेत्र जिनमें कृषि सेवा केन्द्र भी शामिल है की ओर से आने वाले विभिन्न सक्षम प्रस्तावों के लिये ऋण देने को पूरी तरह तैयार हैं, और वे कृषि राज्य मंत्री द्वारा बताई गई राशि को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

वाशिंगटन के दौरे के दौरान वित्त मंत्री का अमरीकी अधिकारियों से विचार विमर्श

8475. श्री रानेन सेन :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समिति की बैठक में भाग लेने के लिये हाल ही में अपने वाशिंगटन के दौरे के समय उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी आफ ट्रेजरी और अन्य अमरीकी उच्च अधिकारियों से वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) उक्त वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) जी, हां। पी० एल० 480 रुपया समस्या संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के आयात में वृद्धि के लिए सुविधाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पुनर्भरण के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। दोनों पक्षों को इन मामलों पर एक दूसरे के विचारों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हुई।

वास्तविक आयोजना और क्षेत्रीय विकास पर नई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

8476. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक आयोजना और क्षेत्रीय विकास पर हाल ही में नई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में क्या-क्या ऐसी मुख्य सिफारिशें की गई जिन्हें सरकार क्रियान्विति के लिये उपयुक्त समझती है;

(ख) उक्त गोष्ठी में किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने धनराशि की कमी के आधार पर उन योजनाओं की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 'अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी यात्रा संगठन के संघ' की वास्तविक आयोजना एवं क्षेत्रीय विकास (फिजिकल प्लानिंग एण्ड एरिया डवेलपमैंट) विषय पर नई दिल्ली में आयोजित गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. चूंकि पर्यटन-तंत्र के निर्माण के लिये पर्यटक मांग के प्रयोजनों का पूर्व-अध्ययन अपेक्षित है ताकि विकसित क्षेत्र से लागत पर होने वाली आय का पूर्वानुमान लगाया जा सके व उसका मूल्यांकन किया जा सके तथा इसके स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर

पड़ने वाले सामाजिक व आर्थिक प्रभावों को आंका जा सके; यह आवश्यक है कि पर्यटन साधनों व मांग के विभिन्न प्रयोजनों के साथ पारिस्परिक-सम्बन्धों का एक पूर्ण-विवरण तैयार किया जाए ।

2. क्षेत्र विकास की प्राथमिक शर्त प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक साधनों का संरक्षण, संधारण व विकास होना चाहिये ।

3. पर्यटन क्षेत्र विकास के लिये सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रीय प्रशासनों के बीच निरन्तर समन्वय रहना चाहिये । यथासम्भव इसका कार्यभार ऐसे स्वायत्त प्रशासनिक निकायों के अधीन होना चाहिये जिन्हें काफी प्राधिकार प्राप्त हों व जो कार्यकारी रूप से काफी लचीले भी हों ।

4. सरकारी प्राधिकारियों द्वारा निजी व्यवसायियों को प्रदान किये जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहन इस प्रकार तय किये जाने चाहिये कि सही प्रकार का और चुना हुआ पूंजी-निवेश इस ओर आकर्षित हो और उसे प्रोत्साहन मिले, तथा पूंजी-निवेश पर एक उचित लाभ की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जा सके ।

5. किसी क्षेत्र में पर्यटन के विकास से सामान्यतया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ जाने चाहिये । अतः नये प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप को चलाने के लिये अर्हताप्राप्त कार्मिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये इसका अनुमान पहले से ही कर लेना चाहिए ।

6. भूमि में सट्टेबाजी को रोकने के लिये पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिए; तथा सर्वोत्तम वित्तीय परिस्थितियों में प्रायोजना का कार्यान्वियन सुनिश्चित होना चाहिए ।

7. क्षेत्र का विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति को एक साथ सुनिश्चित किया जा सके । अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी यात्रा संगठन के संघ की गोष्ठी की सिफारिशें परामर्शदात्री प्रकृति की हैं । सरकार ने उन्हें नोट कर लिया है तथा राष्ट्रीय पर्यटन साधनों की आयोजना तथा विकास करते समय उन्हें ध्यान में रखा जायेगा ।

(ख). निम्नलिखित 34 देशों ने गोष्ठी में भाग लिया :

अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बेलजियम, कैमरून, कोलम्बिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, मिस्र, जर्मनी, हांगकांग, भारत, ईरान, आयरलण्ड, इटली, जापान, जोर्डन, केनिया, मलयशिया, मारीशस द्वीप, मैक्सिको, नीदरलैण्ड, पापुआ, न्यु गिन्नी, पेरु, पोलैण्ड, स्पेन, श्रीलंका, सीरिया थाईलैण्ड, ट्यूनिशिया, तुर्की, यू०एस०एस०आर०, यूनाईटेड किंगडम, वेनिजुएला, युगोस्लाविया ।

(ग) भारत में पर्यटन विहारस्थलों के विकास के लिये कोई भी अनुमोदित योजना धनाभाव के कारण समाप्त नहीं की गयी है ।

जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ संयुक्त उपक्रम

8477. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा:**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ संयुक्त उपक्रम में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये अधिकारियों का एक दल सहयोग कार्यक्रमों के बारे में बातचीत करने के लिये शीघ्र ही उस देश में जा रहा है;

(ख) क्या उस देश की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने स्वयं इन दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श किया था; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) वाणिज्य मंत्री के दौरे के दौरान व्यापार से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया था जिनमें संयुक्त उद्यमों के लिए सम्भाव्यताएं भी शामिल थीं । विचार-विमर्श का उद्देश्य तथ्यों का पता लगाना था ।

नवम्बर, 1972 में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा माल का पकड़ा जाना

8478. **श्री पी० गंगादेव:**

श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1972 में सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2.27 करोड़ रुपये के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा था;

(ख) यदि हां तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां माल पकड़ा गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी हां ।

(ख) माह नवम्बर, 1972 में जिन पत्तनों नगरों तथा अन्य स्थानों पर माल पकड़ा गया था उनके नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में 139 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

तस्करी के माल को जब्त करने और सम्बन्धित व्यक्तियों पर दण्ड लगाने की दृष्टि से ऐसे सभी मामलों में सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय न्यायनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की जाती है । इसके अतिरिक्त उपयुक्त मामलों में न्यायालयों में इस्तनासे की कार्यवाही की जाती है ।

30 LSS/73—8.

विवरण

नगर पत्तन/स्थान का नाम

बम्बई (शहर और पत्तन) मनोरी क्रीक,/ पोशा पीर आफ वसीन तथा गैमुख।

मार्मागोआ पत्तन।

जलगांव और इगतपुरी रेलवे स्टेशन, पूना कैंम्प कोल्हापुर तथा देवलाली।

बड़ौदा तथा सूरत।

कैसरगोड, नीलेश्वर, कोजीकोड, त्रिचुर, पालघाट, कोचीन तथा चेंगाश्नूर।

हैदराबाद, करनूल गुन्टूर तथा नेलौर।

बंगलौर, हुब्ली, बेलगांव, धारवाड़, दांडेली, बीजापुर, मंगलौर तथा मैसूर।

कलकत्ता (शहर और पत्तन) पारादीप पत्तन, सम्बलपुर, गेड़े, करीमपुर, बोनगांव, बागदा हस्नाबाद, रायगंज, राधिकापुर, हिलि, मालदा, गितालदाह, दिनहाटा, जलपाईगुडी, सिलिगुडी, नक्सलबाड़ी, सुखिया पुखरी, दार्जिलिंग, कलकत्ता, सेरमपुर, सोनारपुर तथा बाड़ासाट।

भारत बंगलादेश तथा भारत-वर्मा के सीमा क्षेत्र।

मद्रास (शहर तथा पत्तन) कोयम्बतूर, विल्लूपुरम् वन्नारी, कुप्पानूर तथा सेलम।

किलाकराई, नागरकोइल, तिरूनेलवेलि, त्रिची तथा मदुरै।

राजामुन्द्री, एलुरू तथा विजयवाड़ा।

विशाखापत्तनम्।

दिल्ली तथा पालम हवाई अड्डा, जैसलमेर, साम, जोधपुर, बीकानेर, नचना, बाड़मेर, श्रीकरनपुर, गदरारोड, श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर तथा अजमेर।

पटना, मोतीहारी, फोरबेसगंज, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ गाजियाबाद, आगरा सहारनपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सीतापुर तथा रामपुर।

अकोला, चान्दा तथा नागपुर।

स्टर्लिंग के लिए विनिमय-दर बनाने वाला रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का परिपत्र

8479. **श्री पी० गंगादेवः**
श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा के व्यापारियों को परामर्श दिया है कि शीघ्र भुगतान हेतु स्टर्गिल क्रय के अस्थायी दर नये दरों के अनुसार निश्चित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो नयी दर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) : अमरीकी डालर के अवमूल्यन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी 1973 को विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने वाले सभी अधिकृत व्यापारियों को सूचित किया था कि बैंक, तत्काल सुपुर्दगी के लिए, अधिकृत व्यापारियों के साथ, स्टर्लिंग की खरीद और बिक्री 12 फरवरी, 1973 की दरों पर करता रहेगा, यद्यपि ये दरें तब तक के लिए अनन्तिम होंगी जब तक अगली सूचना न दी जाय। ये दरें इस प्रकार थीं :

खरीद: 5.3333 पोण्ड प्रति सौ रुपये

बिक्री: 5.3050 पोण्ड प्रति सौ रुपये

ये दरें वही थीं जो 4 जुलाई, 1973 को लागू थीं।

परन्तु 16 फरवरी, 1973 को रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि उपर्युक्त दरें अब अनन्तिम नहीं और इन्हें 13 फरवरी 1973 को और उस तारीख से पक्की मानी जायें। ये दरें अब भी लागू हैं।

भारत और कनाडा के बीच पोलीब्यूटाडिऐंस संश्लिष्ट रबड़ कारखाने के बारे में करार

8480. **श्री पी० गंगादेव:**

श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कनाड़ा ने पोलीब्यूटाडिऐंस संश्लिष्ट रबड़ कारखाने पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को पूरा करने के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) 16 मार्च, 1973 को हस्ताक्षरित करार के अन्तर्गत कनाडा सरकार भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड द्वारा बड़ौदा के समीप कोयाली में पोलीब्यूटाडिऐंस संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी, सेवाओं, उपकरणों तथा सामग्री की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लागत को पूरा करने के लिए 5.25 करोड़ रूपये (75 लाख कनाड़ी डालर) का एक ऋण देगी। यह ऋण 50 वर्षों की अवधि में वापस किया जाना है जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है और इस पर कोई ब्याज, सेवा-प्रभार या वचनबद्धता प्रभार नहीं दिया जाना है।

पूर्वी यूरोप स्थित भारतीय दूतावासों में वाणिज्य प्रतिनिधियों की बैठक

8481. **श्री पी० गंगादेव:**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सोवियत संघ सहित पूर्वी यूरोप स्थित भारतीय दूतावासों को वाणिज्य-प्रतिनिधियों की एक बैठक बुडापेस्ट में मई मास में बुलाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक की कार्यसूची क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख): पूर्व यूरोपीय देशों में, जिनमें सोवियत संघ भी शामिल है हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की बुडापेस्ट में जून के उत्तरार्ध में एक बैठक बुलाने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है । कार्य-सूची के विवरण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

8482. **श्री ईश्वर चौधरी:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानियंत्रक, रक्षा लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विशेषकर दिल्ली से, नियुक्त करने का क्या मापदंड है;

(ख) क्या इस विभाग के कुछ कर्मचारी पिछले 20-22 वर्षों से, या तो स्थनीय रूप से व्यवस्था करके या दिल्ली में ही स्थित अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर जाकर दिल्ली में ही काम कर रहे हैं जबकि उन लोगों को, जिनकी दिल्ली में सेवा-अवधि कम है, दिल्ली से बाहर दूरवर्ती स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ग) क्या इस आशय के आदेश विद्यमान हैं कि उन सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवारों से दूर के स्थानों पर न भेजा जाये जिनकी पत्नियां केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की कर्मचारी हैं और क्या उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन में कर्मचारियों को बाहर भेजा जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) महानियंत्रक रक्षा लेखा विभाग के श्रेणी I से श्रेणी IV तक के अधिकारियों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती, विशेषकर दिल्ली को और दिल्ली से स्थानान्तरण के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:–

(i) श्रेणी I के अधिकारी

श्रेणी I के अधिकारियों की तैनाती मुख्यतः प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ii) श्रेणी II के कर्मचारी

श्रेणी II के कर्मचारियों की तैनाती निश्चित करने में जिन मुख्य बातों पर ध्यान किया जाता है, वे ये हैं—किसी स्थान विशेष पर कुल सेवा की अवधि, आयु और कार्य विशेष के लिए उपयुक्तता तथा व्यक्ति की संवेदनशील परिस्थितियां। कुछ स्थानों अर्थात नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और सिकन्दराबाद को और वहां से स्थानान्तरणों का नियंत्रण महानियंत्रक रक्षा लेखा के प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है क्योंकि इन स्थानों पर तैनाती चाहने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी बड़ी होती है।

(iii) श्रेणी III

अप्रिय और कठिन स्थानों पर काम कर रहे कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए अथवा अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की कमी की पूर्ति के लिए स्थानान्तरण किये जाते हैं। जहां स्वेच्छा से जाने वाले उपलब्ध नहीं होते, उनके लिये आमतौर से तैनाती किसी स्थान विशेष पर सेवावधि, प्रशासनिक आवश्यकताओं और व्यक्ति की संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। महानियंत्रक रक्षा लेखा के दिल्ली स्थित कार्यालय में तैनाती का चयन, यहां काम करने के इच्छुक कर्मचारियों में से कर्मचारी की उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। महानियंत्रक रक्षा लेखा के कार्यालय में कार्य-काल सामान्यतः पांच वर्ष का होता है।

(iv) श्रेणी IV

श्रेणी IV के कर्मचारियों का स्थानान्तरण आमतौर से नहीं किया जाता, परन्तु उनका स्थानान्तरण उनकी ही दरख्वास्तों पर अथवा प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण किया जाता है।

स्थानान्तरण करने में आमतौर से 54 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों को, प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव होने पर, उनके इच्छित स्थानों पर तैनात किया जाता है। सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी बदली उनके सामान्य निवास के क्षेत्रों ही में की जाती हैं।

(ख) इस समय, श्रेणी I अथवा श्रेणी II का कोई अधिकारी (जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उनको छोड़कर) दिल्ली में लगातार 20 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से काम नहीं कर रहा है। जहां तक श्रेणी III के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, इस विभाग में काम कर रहे 4 कर्मचारी (जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उनको छोड़कर) आज की तारीख तक दिल्ली में लगातार 20 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा कर चुकें हैं। इनमें से तीन कर्मचारियों को अनुकम्पा के आधार पर दिल्ली में रहने दिया गया है, क्योंकि उनके परिवार दुःसाध्य रोगों से ग्रस्त हैं। चौथे व्यक्ति का स्थानांतरण मई 1973 में होने वाला है।

जो व्यक्ति इस समय प्रतिनियुक्ति पर हैं उनके बारे में इस प्रकार की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं वह सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ग) ऐसे कोई आदेश नहीं है कि जिस सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी किसी स्थान विशिष्ट पर सरकारी नौकरी में हों उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाए, हालांकि स्थानान्तरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है।

Construction of Unauthorised Building within the Premises of Kotah Aerodrome

8483. Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the Officer-in-charge of Kotah Aerodrome has appealed to the senior Officers concerned for stopping the construction of an unauthorised building within the premises of the aerodrome; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) :The Officer-in -charge, Kotah aerodrome, approached the State Government for stopping the construction under intimation to his superior authorities.

Sale of Earh of 'Kacha Bandh' at Kota Aerodrome

8484. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased .o state ;

(a) whether the earth of the temporary earthen dam (Katcha Bandh) constructed at Kota Aerodrome for checking flow of water has been sold out;

(b) whether Government have conducted an enquiry into the matter; and

(c) if so, the action being taken in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :(a) to (c) The Civil Aviation Department has not sold any earth from aerodrome land at Kota. However, it came to notice that some prsons were cutting part of a 'bund 'and removing the earth in trucks. The matter was prompptly reported to the Sate authorities who have stopped the removal of the earlth and are investigating the matter.

विद्युत चालित करघों और हथकरघों को धागे का वितरण करने के लिए पृथक एजेंसियों की स्थापना

8485. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत चालित करघों और हथकरघों को धागे का वितरण करने के लिए दो पृथक एजेंसियां स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) धागे की कीमतों तथा वितरण पर कानूनी नियंत्रण की इस योजना के अंतर्गत अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में वितरण अभिकरणों की नियुक्ति करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

अंगूरों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

8486. **श्री टी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अंगूरों का विदेशों को निर्यात करता है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को और उनके निर्यात से गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1969-70 से 1971-72 के दौरान ताजे अंगूरों के देशवार निर्यात दर्शाने वाला विवरण

मात्रा मे० टन में

मूल्य हजार रुपये में

देश	1969-70		1970-71		1971-72	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
फ्रांस	—	—	नगण्य	नगण्य	1	2
हांगकांग	1	1	—	—	2	8
नेपाल	नगण्य	2	नगण्य	1	1	5
ब्रिटेन	—	—	नगण्य	नगण्य	3	8
कुवैत	नगण्य	नगण्य	5	17	—	—
कतार	—	—	2	2	नगण्य	नगण्य
अन्य देश	—	—	नगण्य	2	नगण्य	1
योग	1	3	7	22	7	24

तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप बजट में होने वाले 150 करोड़ रुपये के अन्तर को पूरा करना

8487. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्वि के फलस्वरूप बजट में होने वाले लगभग 150 करोड़ रुपये के अन्तर को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : तृतीय वेनन आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं तथा उनके वित्तीय परिणामों का पता उन पर निर्णय लिए जाने के बाद लगेगा। जहां तक उनका सम्बन्ध घाटे की वित्त व्यवस्था पर पड़ने वाले उनके प्रभाव से है, बजट सम्बन्धी सभी प्रवृत्तियों को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जाएगी।

चाय की घटिया किस्म की पेटियों में चाय का निर्यात किया जा कर चाय बोर्ड द्वारा कदाचार

8489. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि घटिया किस्म की चाय की पेटियों में चाय का निर्यात करने के सम्बन्ध में कदाचारों की हाल में चाय बोर्ड द्वारा की गई जांच में पाया गया कि कलकत्ता के निर्यातकों का एक वर्ग चाय की नीलामी के अतिरिक्त अपनी खरीद के समर्थन में "कैश मेमो" और "बिल" प्रस्तुत नहीं कर सका जैसा कि दिनांक 19 जून, 1972 के 'हिन्दुस्तान स्टडर्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इन कदाचारों को रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1971 में, कनाडा के एक आयातक ने शिकायत की थी कि भारत से उसके द्वारा आयात की गई कुछ चाय खराब थी तथा उसमें से बदबू आ रही थी। आवश्यक पूछताछ करने और भारतीय मानक संस्थान की सहायता से परीक्षण करने के पश्चात तथा निर्यातक की बात को सुनने के पश्चात, अध्यक्ष, चाय बोर्ड ने चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के अंतर्गत निर्यातक का निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिया।

(ग) उपचारात्मक उपाय करने के लिए, चाय बोर्ड द्वारा भारतीय मानक संस्थान तथा अन्य हितों के सहयोग से चाय पेटियों का नियमित तथा गहन सर्वेक्षण किया गया है तथा किया जा रहा है ताकि शिकायतों के कारणों का निश्चय से पता लगाया जा सके। बोर्ड के कहने पर, भारतीय मानक संस्थान ने चाय के पैकेजिंग के लिए अधो-मानक पेटियों के उपयोग की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए अपनी निरीक्षण प्रक्रिया को काफी सख्त कर दिया है। चाय बागानों को चेतावनी दे दी गई है कि वे चाय पेटियों के पेनलों को, जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, संदिग्ध स्रोतों से नहीं खरीदें। अधो-मानक/टूटी हुई

पाई गई किसी भी चाय पेटी का पोत लदान तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि आई० एस० आई० चिह्न वाली प्लाइवुड पेनल तथा जुड़नार का उपयोग करते हुए इन पेटियों की उचित मरम्मत नहीं कर दी जाती। बोर्ड के कहने पर, कलकत्ता टी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने चाय उपजकर्ताओं को चेतावनी दे दी है कि ऐसी किसी भी चाय पेटी की नीलामी द्वारा बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें चाय अधिक भरी हुई पाई जायेगी।

विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने देशों को धन भेजना

8490. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने देशों को धन भेजने के बारे में 1 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 को किस खंड और धारा के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों तथा विशेषकर विदेशी बैंकों को "प्रधान कार्यालय व्यय" को भारतीय शाखा अथवा शाखाओं के राजस्व में से वैध रूप से वसूल करने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) सरकार/सी० बी० डी० टी० द्वारा निर्धारित आधार, तरीका अथवा मापदंड क्या है और कुल आय, शुद्ध आय, जमा आदि के सम्बन्ध में उसकी औचित्यता के बारे में उनका आय-कर आयुक्तों को क्या अनुदेश है ; और

(ग) मुख्य कार्यालय व्यय की तुलना प्रबन्धक एजेंसी कमीशन सिस्टम से जो इस बीच भारत में समाप्त हो गया है, किस प्रकार की जा सकती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) किसी कारोबार के लाभ और अधिलाभों का हिसाब आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों, खास तौर से उक्त अधिनियम की 28 से 44वीं धाराओं के अनुसार स्वीकार्य खर्चों को काटकर लगाया जाता है। भारत में कर-निर्धारित विदेशी कम्पनियों और विदेशी बैंकों के "मुख्य कार्यालय व्ययों" को उक्त अधिनियम की धारा 37(1) के अधीन साधारणतः उनकी कर योग्य आय का हिसाब लगाने में कटौती के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

(ख) "मुख्य कार्यालय व्ययों" की ग्राह्यता निर्धारित करने में लागू होने वाला सामान्य मापदण्ड वह है जो उक्त धारा 37(1) में दिया गया है अर्थात् ऐसा व्यय पूर्णः और एकमात्रतः भारतीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए निर्धारित किया गया अथवा खर्च किया गया है और पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं है।

विदेशी मुख्य कार्यालय को भारतीय शाखा द्वारा अदा किया गया अथवा जमा खाते में दिखाया गया व्याज इस आधार पर कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को व्याज नहीं दे सकता लेकिन भारत में शाखा को उधार दिये जाने के लिए निधियों को हासिल करने में मुख्यालय द्वारा किये जाने वाले खर्चे को (अदा किये गये व्याज सहित) यदि कोई हो तो, उसी रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे कि वह सीधे भारतीय शाखा द्वारा ही खर्च किया गया होता।

सकल आय, शुद्ध आय अथवा जमाओं के सम्बन्ध में ऐसे व्ययों की ग्राह्यता की सीमा तय करने के लिए कोई ख़ास हिदायतें नहीं दी गयी हैं। ऐसे ग्राह्य व्यय की मात्रा प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार

पर तय की जाती है। लेकिन अगर किसी मामले में आयकर अधिकारी का यह ख्याल हो कि अनिवासी को होने वाली आय की वास्तविक आय का निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो आयकर नियमावली, 1962 के नियम 10 में यह व्यवस्था है कि आय कारोबार के किसी प्रतिशत के रूप में अथवा (भारतीय कर कानून के अनुसार हिसाब लगाकर) विश्व लाभों के अनुपात के रूप में अथवा किसी अन्य उचित तरीके से निर्धारित किया जा सकता है।

(ग) विदेशी मुख्य कार्यालय व्ययों और प्रबंध एजेंसी कमीशन प्रणाली के अधीन देय प्रबंध एजेंसी कमीशन की वास्तव में आपस में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले व्यय भारतीय शाखा पर किए गए अथवा उसको समुचित रूप से आबंटित वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति/अदायगी हैं, जबकि बाद के व्यय प्रबंध एजेंटों द्वारा की गयी सेवाओं के लिए अदा किये गए पारिश्रमिक से संबंधित हैं।

विदेशी कंपनियों द्वारा धन का विदेशों में भेजा जाना

8491. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री के० सूर्यनारायण :

क्या वित्त मंत्री भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा धन विदेशों में भेजे जाने के सम्बन्ध में 9 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2755 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी द्वारा भारत में निवेश हेतु लाई गई मूल पूंजी का ह्रसित मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों में भेजे गये धन के लाभ पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार की नीति यह है कि विदेशियों द्वारा भारत में उनके द्वारा किये गये निवेश पर अर्जित लाभ और लाभांशों की रकमों को बिना रोक-टोक बाहर भेजने की अनुमति दी जाय बशर्ते कि उन पर भारत में लगे करों की अदायगी कर दी गयी हो। शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्वाधीन कम्पनियों द्वारा लाभांश घोषित करने के लिए प्रारक्षित निधियों के इस्तेमाल के संबंध में, हाल में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

सरकार द्वारा अप्रैल, 1972 में किए गए निर्णय के अनुसार, शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्वाधीन कम्पनियों द्वारा प्रारक्षित निधियों में से पूर्णतः या अंशतः घोषित लाभांशों के संबंध में प्रेषण की सुविधाएं तभी दी जा सकती हैं जब रिजर्व बैंक को यह संतोष हो जाये कि (i) प्रारक्षित निधियों में निकासी केवल इसलिए की गयी है कि लाभांश की राशि पिछले पांच वर्षों में घोषित लाभांष के औसत के बराबर या चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बराबर हो जाय, (ii) प्रारक्षित निधियों से निकाली जाने वाली राशि वर्ष के प्रारम्भ में कम्पनी की चुकता पूंजी और मुक्त प्रारक्षित निधियों के जोड़ के 10 प्रतिशत से अधिक न हो; और (iii) निकासी के बाद मुक्त प्रारक्षित निधियों की शेष रकम, चुकता पूंजी और उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित प्रारक्षित निधियों के जोड़ के 15 प्रतिशत से कम न हो जाय।

तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं, आदि के पास लेखाबाह्य धन पाया जाना

8492. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कुछ फिल्म निर्माता, अभिनेता, अभिनेत्री, स्टूडियो के मालिक विदेशों में लेखाबाह्य भारतीय रुपये अपने पास रखने तथा विदेशी मुद्रा में इन रुपयों की अदला-बदली करने के प्रयास में पकड़े गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने मामलों का पता लगा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

तमिलनाडु में फिल्म उद्योग में कार्य कर रहे व्यक्तियों पर आयकर की बकाया राशि

8493. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उन फिल्म निर्माताओं, वितरकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, थियेटर-मालिकों तथा स्टूडियो मालिकों के नाम क्या हैं जो सम्पत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर देते हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक ने कितने सम्पत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर दिया है ; और

(ग) इन शीर्षकों के अंतर्गत प्रत्येक पर कर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित किया जा रहा है और एकत्रित होते ही इसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

तमिलनाडु में फिल्म निर्माताओं, सिनेमाघरों के मालिकों तथा स्टूडियो के मालिकों पर आय कर की बकाया राशि

8494. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में फिल्म निर्माताओं, थियेटरों के मालिकों और स्टूडियों के मालिकों पर 31 मार्च, 1972 को आय कर की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) आय कर की इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना 70 मामलों के संबंध में तत्काल उपलब्ध है जिसे सदन की मेज पर रखे गये वितरण-पत्र में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०–4901/73] शेष मामलों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं पर सम्पदा शुल्क लगाया जाना

8495. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के कितने फिल्म निर्माताओं, वितरकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, सिनेमा-मालिकों तथा स्टूडियो मालिकों पर सम्पदा शुल्क लगाने हेतु उनकी सम्पदा का मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितना कर लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953, 15 अक्टूबर, 1953 को लागू हुआ । इस अधिनियम के अधीन, सम्पदा शुल्क उस सम्पदा के मूल्य पर लगाया जाता है, जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद किसी को प्राप्त हुई हो अथवा प्राप्त हुई मानी गयी हो । सम्पदा शुल्क अधिनियम लागू होने के बाद तमिलनाडु में इस अधिनियम के अधीन बहुत से कर-निर्धारण किए गए हैं । सम्पदा शुल्क प्राधिकारी ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखने जिसमें यह दिखाया जाता हो कि मृत व्यक्तियों में से (जिनकी सम्पदा के संबंध में सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण किए गए हैं) कितने व्यक्ति क्या-क्या कारोबार या व्यवसाय करते हैं । इसलिए अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और जब तक अधिनियम के लागू होने के समय से किए गए सभी कर-निर्धारणों के रिकार्ड की ध्यानपूर्वक छानबीन नहीं कर ली जाती है, जिसमें कि बहुत अधिक समय लगेगा, यह सूचना एकत्र नहीं की जा सकती ।

अगर माननीय सदस्य सम्पदा शुल्क निर्धारण के बारे में उल्लिखित श्रेणी के व्यक्तियों के विषय में सूचना चाहते हैं, तो वह एकत्रित करके प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

भारत को अमरीकी सहायता

8496. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत को 870 लाख डालर की अमरीकी गैर-परियोजना सहायता, जिसे दिसम्बर, 1971 से स्थगित कर रखा था, पुनः चालू करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार इसे एक उचित कदम मानती है ।

इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में गिरावट

8497. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में "यू०के० बिजनेस टीम चीफ सेज डिलीवरी आफ इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स पूअर (ब्रिटेन के व्यापार दल के अध्यक्ष का कहना है कि भारतीय इंजीनियरिंग सामानों की डिलीवरी निराशाजनक है)" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात क्रयादेशों के आधार पर इंजीनियरी माल की सुपुर्दगी में अनुचित विलम्ब के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि इस बात की संभावना भी हो सकती है कि कुछ मामलों में इस्पात की कमी के कारण विलम्ब हुआ हो । इस्पात की सप्लाई की स्थिति में सुधार हो रहा है ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार

8498. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री समर गुहा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हाल ही में गठित किये गए 'सैल' ने तीसरे वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या 'सल' ने सरकार को आयोग के प्रतिवेदन पर विचार और उसकी क्रियान्विति करने के लिये कोई रिपोर्ट दी है ; और

(ग) क्या इस पर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को 31 मार्च 1973 को प्राप्त हुई है और आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों, आयोग के निष्कर्षों तथा टिप्पणियों की संख्या 700 से भी ऊपर है । इन पर यथाशीघ्र विचार करने की हर संभव कोशिश की जा रही है ।

(ग) इन सिफारिशों पर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

अधिक बोनस के लिये जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा 'आल इंडिया डे' (अखिल भारतीय दिवस) का मनाया जाना

8499. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन को पता है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की पताका के नीचे 16 मार्च 1973 को वर्ष 1972-73 के लिये अधिक बोनस की मांग करते हुए, 'आल इंडिया डे' मनाया था ;

(ख) क्या इस संबंध में एक शिष्टमंडल मार्च 1973 में उनसे मिला था ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के आह्वान पर भारत के जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के एक वर्ग ने 16 मार्च 1973 को "अखिल भारतीय बोनस दिवस" मनाया तथा निगम के कुछ कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किये ।

(ख) संघ के अध्यक्ष ने 12 मार्च 1973 को वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया ।

(ग) वर्ष 1972-73 के बोनस का प्रश्न कर्मचारियों के साथ हुए एक समझौते के अंतर्गत पहले से ही तय-शुदा है जिसकी मियाद का विस्तार 31 मार्च 1973 तक है ।

नेशनल जूट मिल, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में लेना

8500. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल जूट मिल, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में लेने के लिए इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत, मिल को हाथ में लेने के बारे में सोचने से पूर्व उसके मामलों की जांच करना आवश्यक है । नेशनल कं० की इस प्रकार की जांच के लिए आदेश देने हेतु इस मामले की प्रारंभिक जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

(ग) यथाशीघ्र ।

पोलैण्ड के एक व्यापार दल का दौरा

8501. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड के एक व्यापार दल ने अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार दल के साथ किस विषय पर बातचीत हुई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : गृह व्यापार तथा सेवा मंत्री के नेतृत्व में पोलैंड के एक व्यापार दल ने भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग के अंतर्गत स्थापित व्यापार विनिमय संबंधी भारत-पोलैंड समिति की प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए अप्रैल, 1973 में भारत का दौरा किया । वार्ताओं की समाप्ति पर हस्ताक्षरित संलेख में टेक्सटाइल की वस्तुओं तथा इंजीनियरी तथा उपभोक्ता मदों की दीप फ्रीजर्स, रेफ्रीजरेटर्स तथा कम्प्रैसर्स, प्रसाधन सामग्री, टायले ट्रीज तथा प्रक्षालकों, ई०पी०एन०एस० जर्मन सिल्वर-वेयर, ढले हुए स्टेनलैस स्टील के छुरी कांटों, लेखन सामग्री आदि के क्षेत्र में पोलैंड की खरीदारियों में भारी वृद्धि की व्यवस्था है । पोलैंड द्वारा उर्वरकों, सल्फर और अलौह धातुओं की वर्जित मात्रा में सप्लाई किये जाने में भारत ने दीर्घकालिक रूचि का संकेत दिया है । दोनों पक्षों ने परस्पर हित की वस्तुओं की पूर्ति हेतु दीर्घकालिक प्रबंध संपन्न करने में दिलचस्पी दिखाई है । वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग तथा खाद्यपदार्थ प्रोसेसिंग उद्योग, संयुक्त उद्योगों की स्थापना आदि के क्षेत्रों में उत्पादन सहयोग जैसे मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया गया ।

कनाडा के साथ ऋण संबंधी समझौता

8502. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के साथ 7 करोड़ रुपये का ऋण संबंधी समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का उपयोग किस विशेष उद्योग में किया जायेगा ; और

(ग) इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इस ऋण का उपयोग मशीनों, उपकरणों तथा सेवाओं के आयात के संबंध में उद्योगों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जायगा।

(ग) यह ऋण 50 वर्ष की अवधि में वापस किया जाना है जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इस ऋण पर कोई ब्याज, सेवा प्रभार या बचनबद्धता प्रभार नहीं लगेगा।

सामान्यतः कनाडी ऋणों के लिये यह आवश्यक है कि कनाडा से खरीदे जाने वाले उपकरणों तथा मशीनों में 66⅔ प्रतिशत कनाडी अंश हो। इस ऋण की एक विशेषता यह है कि इस ऋण से उन उपकरणों तथा मशीनों की वित्त-व्यवस्था भी की जा सकती है जिनमें कनाडी अंश 66⅔ प्रतिशत से कम हो, परन्तु आयात की जाने वाली वस्तुओं में कनाडी अंश आवश्यक न्यूनतम अंश से जितना कम होगा उसकी विदेशी मुद्रा संबंधी लागत को भारत सरकार अपने मुक्त साधनों से पूरा करेगी।

विकासशील देशों द्वारा भारतीय निर्यातकों को दिया गया निर्यात संबंधी प्रोत्साहन

8503. **श्री नरेंद्र सिंह :**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा विकासशील देशों को दिये जा रहे निर्यात संबंधी प्रोत्साहनों का पूरी तरह से लाभ उठाने में भारतीय निर्यातक असफल रहें है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अंतर्गत जापान तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हमारे निर्यातों में सुधार की गुंजाइश है। जो रियायतें दी गई हैं वे विनिर्मित माल के क्षेत्र में हैं। ये सुरूचिपूर्ण बाजार हैं। अपरम्परागत माल के स्वदेशी उत्पादकों को अपना स्तर इन बाजारों में अपेक्षित मानकों के अनुसार करना होगा। हमारे निर्यात प्रयासों में जो बाधाएं आतीं हैं वे समान्यीकृत अधिमान स्कीम के अंतर्गत हमारे निर्यात प्रयासों के संबंध में भी लगभग उतनी ही आती हैं। मार्च, 1973 में अधिमानों की सामन्यीकृत प्रणाली पर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी में अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अंतर्गत निर्यात प्रयासों को गहन

बनाने के लिए इंजीनियरी रासायनिक पदार्थों और अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट उत्पादों का पता लगाया गया। गोष्ठी ने सामान्यीकृत अधिमान स्कीम का बेहतर ढंग से लाभ उठाने के लिए विशिष्ट सुझावों की सिफारिश भी की। गोष्ठी की विभिन्न सिफारिशों पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

Boarding and Lodging Arrangements for Tourists at Khajuraho.

8504. Shri Narendra Singh:

Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether people are not attracted in large numbers to see the outstanding specimens of sculpture at Khajuraho for want of satisfactory boarding and lodging arrangements for general tourists there;

(b) the salient features of the Schemes being drawn up for the upkeep, repairs and beautification of the temples at Khajuraho and for the development of the entire area from tourism point of view; and

(c) the expenditure proposed to be incurred thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) It is recognised that there is a general shortage of good hotel accommodation at almost all places of tourist interest in the country. To augment the accommodation at Khajuraho, the India Tourism Development Corporation has recently converted it's 7 room, travellers lodge into a hotel by adding 40 rooms at a cost of Rs. 32 lakhs. The other accommodation at Khajuraho comprises Hotel Chandela functioning with 28 rooms, the Circuit House and the State Tourist Bungalow. Besides, the Department of Tourism has approved two hotel projects in the private sector which on completion are expected to add another 80 rooms.

(b) & (c) The Archaeological Survey of India which looks after the upkeep of the temples at Khajuraho has proposed to incur an expenditure of Rs. 1.06 lakhs during the current financial year on repairs, maintenance and chemical treatment of the monuments, and maintenance of the gardens and lawns around the monuments.

फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक द्वारा 'स्पेशल सेविंग फण्ड एकाउण्ट' के लिये 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त

8505. श्री पन्नालाल बारूपाल:

श्री एस० ए० कादिर: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका में संस्थापित फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक ने 'स्पेशल सेविंग फंड एकाउण्ट' के लिये 500 रुपये के न्यूनतम बैलेंस की शर्त रखी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे मनमाने निर्णयों को रोकने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) जमा पर ब्याज की दर को छोड़कर रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को सेविंग्स बैंक खातों के परिचालन पर कोई अन्य शर्तें नहीं लगायी गयी हैं। इस प्रकार के खाते विभिन्न बैंकों द्वारा अपने आप समय समय पर बनाए गए नियमों द्वारा प्रशासित होते हैं। इस तरह के खातों में न्यूनतम धनराशि जो रखनी आवश्यक है वह अलग अलग बैंकों में अलग अलग है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा जीवनदायी चिकित्सा उपकरण लखनऊ भेजने में विलम्ब

8506. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में गंभीर रूप से बीमार पड़े एक रोगी की सहायता के लिए योरोप से विमान द्वारा मंगाये गये जीवनदायी चिकित्सा उपकरण 21 मार्च, 1973 को दिल्ली पहुंची, परन्तु उसको 24 मार्च, 1973 तक लखनऊ नहीं पहुंचाया गया था ;

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप रोगी तक उपकरण पहुंचने से पूर्व उस की मृत्यु हो गई थी ; और

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स (माल विभाग) की ओर से किए गए इस विलम्ब के मामले में कोई जांच की गई है ; और यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) 21 मार्च, 1973 को बंबई से बरास्ता दिल्ली लखनऊ के लिए उड़ान आई०सी०–183 पर 500 ग्राम वजन का एक छोटा सा सामान भेजा गया था । सामान उसी रोज दिल्ली पहुंच गया किन्तु संबंधित कर्मचारियों की लापर-वाही के कारण इसे 24 मार्च तक लखनऊ नहीं भेजा गया । इसे उसी दिन उस व्यक्ति के हवाले कर दिया गया जिसके नाम वह भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस रोगी के लिए यह माल अभिप्रेत था उसकी मृत्यु हो गयी ।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त विभागीय कार्यवाही की गयी । एक यातायात सहायक की स्थायी रूप से एक वेतन-वृद्धि रोक दी गयी है । एक अन्य यातायात सहायक का मूल वेतन एक वेतनवृद्धि के बराबर कम कर दिया गया है तथा तीसरे कर्मचारी की हालत में उसके मूल वेतन में स्थायी रूप से एक वेतनवृद्धि कम कर दी गयी है ।

भारत को अमरीकी सहायता पुनः आरम्भ करना

8507. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने 875 लाख डालर की अमरीकी सहायता स्वीकार न करने का निर्णय कर लिया है जिसे कि हाल ही में अमरीका ने अपने पूर्व समझौतों को पूरा करने के लिये इसे पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि को किन कार्यों में व्यय किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार ने अमरीका से और अंतिम वित्तीय सहायता मांगने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को दी गयी अपनी 8.76 करोड़ डालर की परियोजना-भिन्न सहायता के उपयोग पर दिसम्बर, 1971 में जो रोक लगाई थी, उसे समाप्त करने का स्वंय ही निर्णय किया है । इन निधियों के उपयोंग के तरीकों के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है ।

(ग) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

कैमरा की फिल्मों और फोटोग्राफी के अन्य सामान की आयात

8508. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से प्रत्येक वर्ष में कितने मूल्य की कैमरा की फिल्मों और फोटोग्राफी के अन्य सामान का आयात किया गया ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में आयात लाइसेंसों का बहुत बड़ा भाग विदेशी नियंत्रण वाली फर्म यथा-एग्फा (इंडिया) लिमिटेड को दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को भारत की फर्मों की ओर से इस आशा की शिकायतों भरे अभ्यावेदन मिले हैं कि उन के विरुद्ध काफी समय से भेदभाव और एग्फा (इंडिया) लिमिटेड के प्रति पक्षपात किया जा रहा है ; और

(घ) ऐसे अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालन में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०--4902/73]

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई तथा कलकत्ता के मेट्रो सिनेमाघरों को नियंत्रण में लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रस्ताव

8509. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कलकत्ता और बम्बई के मैट्रो सिनेमा घरों को उस सूरत में नियंत्रण में लेने और उन्हें चलाने के संबंध में अपनी रुचि का संकेत दिया है जबकि वित्त मंत्रालय इन सिनेमा घरों की निजी पार्टियों द्वारा कथित अनियमित खरीद के बारे में अपनी जांच पूरी करने के बाद आवश्यक मंजूरी दे दे ; और

(ख) यदि हां, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उक्त प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) इस समय वित्त मंत्रालय के सम्मुख कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। किन्तु जांच पड़ताल पूरी होने तक यह मामला सरकार के विचाराधीन रहेगा।

कपड़ा समिति के कार्य तथा शक्तियां

8510. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 79 ऐनीबिसेंट रोड, बम्बई-18 में जिस कपड़ा समिति का कार्यालय है, उसके कार्य तथा शक्तियां क्या हैं ;

(ख) समिति का गठन किस प्रकार का है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार समिति ने मुकदमें आदि पर कितना खर्च किया है ; और

(घ) क्या व्यय की यह राशि कमेटी के अध्यक्ष से संबंधित वकीलों को एक प्राइवेट फर्म को दे दी जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) के अंतर्गत स्थापित टैक्सटाइल समिति आंतरिक विपणन तथा निर्यात प्रयोजनों दोनों के लिए स्टैण्डर्ड क्वालिटी के वस्त्रों तथा स्टैण्डर्ड किस्म की वस्त्र मशीनरी के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करती है । समिति के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार के हैं :—

(1) वस्त्र उद्योग तथा वस्त्र मशीनरी के संबंध में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक गवेषणा का कार्य करना, उसमें सहायता देना तथा प्रोत्साहन देना ;

(2) वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी के निर्यात बढ़ाना तथा इस उद्देश्य के लिए प्रचार करना ;

(3) वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी के लिए मानक विशिष्टियों को स्थापित करना, अपनाना या अभिज्ञान करना ;

(4) क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण की किस्म विनिर्दिष्ट करना;

(5) वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी के निरीक्षण तथा जांच की व्यवस्था करना ;

(6) प्रयोगशालाएं व परीक्षण सदन स्थापित करना और अन्य प्रयोगशालाओं में भी वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी के परीक्षण की व्यवस्था करना;

(7) वस्त्र तथा वस्त्र मशीनरी के निर्माताओं तथा/या व्यापारियों व अन्य उद्योगों से आंकड़े एकत्र करना; तथा

(8) वस्त्र उद्योग के विकास तथा वस्त्र मशीनरी के उत्पादन से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना ।

टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत, समिति अपने कार्यकलापों को चलाने के उद्देश्य से ऐसी सभी शक्तियों का, जो आवश्यक या वांछनीय हों, प्रयोग कर सकेगी । अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए टैक्सटाइल समिति नियमों के अधीन समिति को किसी भी प्रकार का व्यय करने या कोई भी संविदा करने की शक्तियां प्राप्त हैं, बशर्ते ;

(1) व्यय बजट आबंटन से अधिक न हो ; तथा

(2) संविदा में 2 लाख 2 रु० से अधिक व्यय अंतर्ग्रस्त न हो या 5 वर्षों से अधिक अवधि की न हो ।

समिति को उन पदों के सृजन की शक्तियां भी हैं जिनके वेतन 1250 रु० प्रति माह से अधिक न हों ।

(ख) समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(1) एक अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(2) एक उप-अध्यक्ष, जो वस्त्र आयुक्त होगा, पदेन ।

(3) संयुक्त सचिव, भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय, वस्त्र इन्चार्ज ।

(4) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, वस्त्र इंचार्ज (इस बीच हटा लिया गया है)

(5) निदेशक, गुण नियंत्रण, वाणिज्य मंत्रालय ;

(6) अपर वस्त्र आयुक्त, बम्बई-पदेन ;

(7) महानिदेशक, भारतीय मानक संस्थान—पदेन ;

(8) सचिव, वस्त्र समिति, पदेन ;

(9) अध्यक्ष, भारतीय रूई मिल संघ ;

(10) अध्यक्ष, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ;

(11) अध्यक्ष, बम्बई मिल ओनर्स एसोसिएशन ;

(12) अध्यक्ष. अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन ;

(13) अध्यक्ष, दक्षिण भारत मिल मालिक संघ ;

(14) मद (11), (12) तथा (13) में दिए गए को छोड़कर किसी भी मिल मालिक संघ का अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है ;

(15) अध्यक्ष, वस्त्र मशीनरी निर्माता संघ ;

(16) अध्यक्ष, सिल्क तथा रेयन, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ;

(17) अध्यक्ष, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, ;

(18) किसी एक वस्त्र गवेषणा संघ का निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है;

(19) वस्त्र मशीन उद्योग, ऊनी वस्त्र विनिर्माताओं, प्राकृतिक रेशम उद्योग, प्राकृतिक रेशम तथा हथकरघा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने हैं ;

(20) सूती वस्त्र उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने हैं ;

(21) क्वालिटी स्टैण्डर्डों के अनुकूलन तथा वस्त्र मशीनों के निरीक्षण की क्रियाविधि की विशेषीकृत जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है ।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कानूनी व्यय पर वस्त्र समिति द्वारा वहन किया गया कुल व्यय निम्नोक्त प्रकार है :—

1970—71	36,933.57 रुपये
1971—72	74,736.89 ,,
1972—73	84,640.54 ,,

(घ) जी नहीं ।

Scheme to Develop Tourist Centres During 1973-74.

8511. Shri Shrikrishna Agrawal :

Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new scheme to develop tourist centres during 1973-74;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) whether any places have been selected in Madhya Pradesh also and if so, the names thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) The Annual Plan of the Centre for the development of tourist centres during 1973-74 forms a part of the Fourth Five Year Plan, and the schemes taken up are a continuation of those already included in the Plan. Places in Madhya Pradesh where tourism schemes have been either implemented or are being taken up during the Fourth Plan are Khajuraho, Bhopal, Sanchi, Kanha-Kisli and Dewas.

स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषि विकास शाखाएं खोलना

8512. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया का विचार विभिन्न राज्यों में कृषि विकास शाखाएं खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा इनको कहां कहां खोला जायेगा ; और

(ग) क्या इन नई शाखाग्रों का विचार कृषि श्रमिकों तथा समाज के ग्रन्य कमजोर वर्गों को विशेष ऋण संबंधी सुविधाएं देने का है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) एक सूची संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-4903/73]

(ग) ये शाखाएं, कृषकों ग्रौर कृषि श्रमिकों से मिलने वाले सक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण-सुविधाएं प्रदान करती हैं । इस योजना को मुख्य मुख्य बातों के साथ साथ इन केन्द्रों के चुनावों के बारे में जिन जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है उन सब की सूचना पहले ही लोक सभा में 23 मार्च 1973 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर में दे दी गई है ।

गैर-सरकारी निकायों को सहायता-ग्रनुदान

8513. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष में अलग अलग गैर-सरकारी निकायों को सहायता अनुदान की कितनी **राशि** दी गई है ;

(ख) इन निकायों को सहायता देने का क्या उद्देश्य है ;

(ग) क्या इन निकायों द्वारा किये जा रहे कार्यों का समन्वय करने के लिये कोई केन्द्रीकृत ऐजेन्सी है ; और

(घ) क्या इन निकायों को धन देने से पूर्व इनके द्वारा किये गये कार्य का अथवा प्राप्त परिणाम का कोई मूल्यांकन किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गैर-सरकारी निकायों को (जिनमें सांविधिक निकाय और व्यक्ति भी शामिल हैं) पिछले दो वर्षों में निम्नानुसार सहायतार्थ अनुदान दिये गये हैं :—

1971–72	1972–73
(वास्तविक)	(संशोधित अनुमान)
194.25 करोड़ रुपये	267.33 करोड़ रुपये

(ख) सहायतार्थ अनुदान स्थूलतः विभिन्न प्रयोजनों के लिये दिये जाते हैं, जैसे प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिये, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों की वृद्धि के लिये, कृषि दस्तकारी आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के विकाश और प्रशिक्षण के लिये तथा योजना के कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वियन के लिये तथा प्रगति अथवा विकासात्मक अन्य कार्यक्रमों के लिये अथवा अनुदान पाने वाली संस्था के सामान्य उद्देश्यों की सिद्धि के लिए।

(ग) और (घ) : अनुदान पाने वाले निकायों के काम का समन्वय करने के लिये कोई एक अभिकरण नहीं है। फिर भी सहायता पाने वाले निकायों के साथ जिन मंत्रालयों/विभागों का प्रशासनिक संबंध आता है वे यह इतमीनान करते हैं कि अनुदानों का उपयोग उनके स्वीकृत प्रयोजनों के लिये ही किया जाता है और आगामी वर्षों में अनुदानों को मंजूरी के लिये यह आवश्यक है कि ये निकाय अपने लेखा-परीक्षा किये गये हिसाब और उनके साथ नियत कालिक कार्य सिद्धी एंव लक्ष्य प्राप्त रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

अन्न की वसूली हेतु धन लगाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गये उपाय

8514. श्री एस० एन० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अन्न की वसूली हेतु धन लगाने के लिये क्या नये उपाय किये हैं ;

(ख) क्या इन उपायों द्वारा अन्न वसूली ऋण के पूरा होने की संभावना है ;

(ग) क्या अधिक उदार सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस प्रकार के ऋण संबंधी सूत्र का पुन-रीक्षण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) 30 मार्च, 1973 से रिजर्व बैंक ने अनाज की खरीद के लिये अग्रिमों से संबंधित अपने पुनर्वित पोषण के फार्मूले को हाल ही में उदार बना दिया है। संशोधित फार्मूले के अनुसार, बैंकों को यह अधिकार होगा कि वे अनाज की खरीद के लिये दिये गये ऋण को अक्टूबर 1972 के अंतिम शुक्रवार को बकाया रकम पर 10 प्रतिशत

तक रकम पुर्नवित के रूप में ले सकते हैं और अक्टूबर, 1972 के अंतिम शुक्रवार को ऋणों की बकाया रकम में जो वृद्धि हो उसकी आधी रकम (जो अब तक एक–तिहाई थी) ले सकते हैं। उनके अपने संसाधनों और रिजर्व बैंक से आश्वासित पुर्नवित्त सुविधाओं से यह आशा की जाती है कि बैंक अनाज की खरीद के लिये बैंक ऋण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ होंगे।

सरकारी समारोहों, सम्मेलनों तथा उद्घाटन समारोहों पर व्यय को कम करने के लिए निर्देश

8515. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सभी केन्द्रीय विभागों तथा राज्य सरकारों के विभागों को, समारोहों–सम्मेलनों तथा उद्घाटन समारोहों पर, अत्यधिक व्यय करने के निर्देश जारी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : समारोहों, सम्मेलनों तथा उद्घाटन -समारोहों पर अधिक खर्च नहीं करने बाबत हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं।

इन हिदायतों में अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था है कि सम्मेलनों में बुलाये जाने वाले अतिथियों की सूची की सावधानी से जांच की जाय और केवल आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तियों को ही निमंत्रण दिये जांय। औपचारिक अतिथि सत्कार का आयोजन करने में कम खर्ची के सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, और अतिथियों की संख्या को अनिवार्य रूप से न्यूनतम रखा जाता है। ऐसे अतिथि-सत्कार संबंधी निर्णय उच्च स्तर पर होते हैं। औपचारिक विभागीय तथा अन्य बैठकों में केवल समिति मात्रा में हलका जलपान दिया जा सकता है।

राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे समारोहों आदि पर अतिव्यय को रोकने के लिए अपने अपने उपाय करेंगे। फिर भी अगस्त 1971 में प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फिजूल खर्ची को रोकने के उपयुक्त उपाय अपनाने के लिये लिखा रथा।

उद्घाटन समारोहों पर किये गये जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा पहले ही 500 रु० पर निर्धारित है। फिर भी सितम्बर 1971 में हिदायतें जारी की गयी थीं कि ऐसे समारोहों पर व्यय को इस सीमा से भी काफी नीचा रखा जाय।

एशियाई साझा बाजार

8516. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच एशियायी देशों के बीच आर्थिक साझा बाजार के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निषकर्ष निकाला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी प्रस्थापना पर बिचार नहीं किया गया है। तथापि, इस क्षेत्र के देशों के बीच घनिष्टतर आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिये एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग (इकाफे) के तत्वावधान में महत्वपूर्ण आरंभिक कार्य किये गये हैं। भारत सरकार सहित अनेक सरकारों ने उन में से कई कार्यों में रुचि दिखाई है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों से पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

8517. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक संबंद्ध निकाय अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा हाल ही में भारत को दिये गये 935 लाख रुपये के ऋणों से लाभान्वित होने वालों की सूची में पश्चिम बंगाल राज्य का नाम नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त ऋणों से पश्चिम बंगाल को विकास कार्यों के लिये सहायता देने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अन्तराष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक मंडल द्वारा हाल ही में दो ऋण करारों की स्वीकृत दी गयी थी। 80 लाख अमरीकी डालर का एक ऋण मैसूर राज्य में कृषि थोक मण्डियों का विकास करने के लिये है। 850 लाख अमरीकी डालर का दूसरे ऋण का उपयोग कुछ राज्य बिजली बोर्डों के, जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है बिजली पारेषण कार्यक्रमों के विस्तार के लिए किया जायगा। मई 1971 में भारत की दूसरी बिजली पारेषण परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बिकास संघ से मिले ऋण से लाभान्वित होने वालों में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड एक है। पश्चिम बंगाल में नगर बिकास और कृषि मंडियों के विकास की परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर अलग से विचार किया जा रहा है।

नीलामी में चाय व्यापार निगम दवारा हस्तक्षेप के लिए दारजिलिंग टी प्लांटस एसोसियेशन की मांग

8518. श्री आ० एन० वर्मन :
श्री ऐ० के० एम० ईसहाक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग टी प्लाट्स एसोसिएशन ने नीलामी में चाय व्यापार निगम के हस्तक्षेप की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

चाय बागानों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत आने वाली भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल

8519. श्री आर० एन० बर्मन :
श्री के० एन० ईसहाक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी भारत में चाय बागानों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है और उनके अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल कितना-कितना है ;

(ख) क्या चाय बोर्ड ने गत पांच वर्षों के दौरान चाय बागानों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया है अथवा इस क्षेत्र के छोटे चाय बागानों की स्थिति सुधारने के लिये कोई विशिष्ट योजना चालू की है ;

(ग) क्या चाय बागानों के विकास से संबद्ध अध्यक्ष अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के अंदर विभिन्न स्थानों का दौरा किया है और यदि हां, तो उनके दौरों पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(घ) क्या गत दस वर्षों में छोटे चाय उत्पादकों और छोटे चाय बागानों का कोई प्रतिनिधि चाय बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) पूर्वी भारत में चाय कृषि (राज्य-बार) के अंतर्गत चाय बागानों की संख्या उनके क्षेत्र सहित निम्नोक्त प्रकार है :—

राज्य	बागान की संख्या	चाय बागान के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
असम	750	182,324.78
पश्चिम बंगाल	294	88,498.50
त्रिपुरा	54	5,444.45
उत्तर प्रदेश	31	1,817.93
बिहार	3	459.80

(ख) चाय बागानों की आर्थिक स्थिति के संबंध में चाय बोर्ड द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था । 1960 की दशाब्दी, के पूर्व से चाय मशीन से किराया खरीद योजना और रोपण वित्त योजना के अतिरिक्त, जो चाय उद्योग में बड़े या छोटे सभी वर्गों को उपलब्ध थीं, पुराने चाय क्षेत्रों का पुनर्रोपण कार्य शुरू करने में उद्योग की सहायता करने के लिए एक नई योजना अर्थात् पुनर्रोपण उपदान योजना अक्तूबर, 1968 में चालू की गई थी । इस योजना में वर्तमान चाय क्षेत्रों का पुनर्रोपण करने के इच्छुक बड़े या छोटे किसी भी बाग को उपदान दिए जाने की व्यवस्था थी ।

(ग) गत तीन वर्षों में, चाय बोर्ड के कर्मचारियों ने पूर्वी भारत में असम तथा पश्चिम बंगाल के तेजपुर, जोरहट, कछार, डिब्रुगढ़, दूआर्स तथा दार्जिलिंग के विभिन्न चाय क्षेत्रों का दौरा किया ।

गत तीन वर्षों में इन दौरों पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय
	रु०
1970–71	662.60
1971–72	5,266.20
1972–73	4,309.65

(घ) 1966, 1969 तथा 1972 में पुनर्गठित चाय बोर्ड में दो सदस्य छोटे उपजकर्त्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

पूर्व योरोपीय देशों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्रों के व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थानों के साथ व्यापार करने की रुचि प्रदर्शित किया जाना

8520. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोपीय साम्यवादी देशों ने भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थानों से व्यापारिक संबंध बनाने में रुचि प्रदर्शित की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी वार्ताओं को गत वर्ष के दौरान (i) अंतिम रूप दिया जा चुका है, (ii) और अंतिम रूप देने का विचार है, (iii) तथा विचाराधीन है ;

(ग) योरोप के साम्यवादी देश भारत के किस-किस व्यापार, किस-किस औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक संस्थान के साथ व्यापार करते हैं अथवा व्यापार करने का विचार रखते हैं ;

(घ) किस-किस प्रकार का व्यापार करते हैं तथा कितनी मुद्रा का ;

(ङ) क्या ये व्यापारिक सौदे सीधे साम्यवादी देशों द्वारा ही किये जाते हैं अथवा किसी सरकारी ऐजेंसी के माध्यम से ; और

(च) ये देश सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से कितनी मात्रा तथा कितने-कितने मूल्य के व्यापारिक सौदे करते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (च) किसी भी विदेशी खरीददारों/विक्रेताओं के लिये, चाहे वे पूर्व यूरोपीय देशों के हों अथवा अन्य देशों के हों, भारतीय व्यापारियों, उद्योगपतियों, वाणिज्यिक सदनों आदि के साथ, मार्गीकृत मदों को छोड़कर, सीधे सौदे करने पर रोक नहीं है । अलग-अलग भारतीय पार्टियों तथा विदेशी व्यापारियों के बीच होने वाले व्यापार कार्यकलापों का रिकार्ड सरकार द्वारा नहीं रखा जाता ।

व्यक्तियों/कम्पनियों पर कर उपवंचन के विरुद्ध मुकदमे दायर करना

8521. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान कर अपवंचन के लिये व्यक्तियों तथा कंपनियों और आय निगमित निकायों के विरुद्ध कितने मुकदमे दायर किये गयें ; और

(ख) इनमें कुल कितनी धनराशि अन्तर्गस्त थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान, करों और सम्पदा शुल्क के अपवंचन के कारण 50 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही करने की मंजूरी दी गयी । अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, इसी अवधि के दौरान 20 मामलों में शिकायतें दर्ज की गयी थीं ।

(ख) जिन 20 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही की गयी, उनमें अन्तर्ग्रस्त छिपाई गई आय/सम्पदा की कुल रकम 19.09 लाख रु० है ।

विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य व्यापार निगम के कार्यालय

8522. **श्री समर गुह : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में राज्य व्यापार निगम के कार्यलयों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन कार्यालयों द्वारा किस किस प्रकार का और कितना-कितना व्यापार किया जाता है;

(ग) क्या बंगलादेश के साथ व्यापार तथा वाणिज्यिक मामलों के लिये राज्य व्यापार निगम के अधिकांश कार्यालय पश्चिम बंगाल में स्थापित करने की कोई सरकार की योजना है; और

(घ) पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय तथा आसाम में राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों के नाम क्या हैं और वे इस बारे में बंगलादेश के साथ कौन-कौन से व्यापार तथा वाणिज्यिक मामले सम्पन्न करते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत में राज्य व्यापार निगभ के कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:——

1. नई दिल्ली (मुख्यालय)
2. अदीपुर (गुजरात)
3. आगरा (उत्तर प्रदेश)
4. बम्बई (महाराष्ट्र)
5. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
6. कोचीन (केरल)
7. गुंटूर (आंध्र प्रदेश)
8. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
9. लुधियाना (पंजाव)
10. मद्रास (नमिलनाडु)
11. तूतीकोरीन (तमिलनाडु)

(ख) व्यापार का वुकिंग राज्य व्यापार निगम के निम्नलिखित साखा कार्यालयों में केन्द्रीत हैं :——

1. बम्बई
2. कलकत्ता
3. मद्रास
4. आगरा,
5. नई दिल्ली (मुख्यालय)

वर्ष 1972—73 के लिए इन कार्यालयों द्वारा बुक किए गए व्यापार की मात्रा **संलग्न विवरण में दर्शायी** गई है। अन्य कार्यालय निगम के आयात निर्यात कार्यक्रम की क्रियान्विति में तथा कीमत समर्थन सबंधी कार्यवाही के लिए तम्बाकू और रबड़ जैसी वस्तुओं की वसूली में उसकी सहायता कर रहे हैं।

(ग) तथा (घ) : राज्य व्यापार निगम का कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय बंगलादेश के साथ व्यापार संबंधी मामलों पर कार्यवाही करता है। इस प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय या आसाम में कोई अन्य कार्यालय स्थापित करने का विचार नहीं है।

विवरण

करोड़ रुपये

	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	आगरा	मुख्यालय	कुल
1	2	3	4	5	6	7
निर्यात	38.88	29.23	68.67	3.67	27.08	167.53
आयात	59.49	29.32	9.01	—	55.20	159.02
देशी	0.55	1.45	5.59	—	2.61	10.20
	98.92	60.00	83.27	3.67	84.89	330.75

विभिन्न राज्यों में किसानों को दिये गये ऋण

8523. **श्री समर गुह :**
श्री जे० जी० कदम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कृषकों को विभिन्न प्रकार के कितने कितने कृषि ऋण दिये गये; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का विस्तार करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जून 1971 तथा जून 1972 (आधुनिकतम प्राप्य) के अन्त तक किसानों को दिये गये कृषि अग्रिम का राज्यवार वितरण दिखलाते हुये एक विवरण संलग्न है।

(ख) कृषि सम्बन्धी ऋण देने के क्षेत्र में तेजी लाने के लिये देहाती क्षेत्रों में और अधिक संख्या में शाखाएं खोलने हेतु और अधिक तकनीकी कर्मचारियों को भर्ती करके, उनकी क्रिया विधि और आवेदन-पत्रों को सरल करके अपने संगठन यन्त्र को मजबूत बनाने के लिये बैंक कदम उठा रहे हैं। बैंक अब क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण अपना रहे हैं तथा विशिष्ट क्षेत्रों के लिये वित्त प्रदान करने का गहन कार्यक्रम शुरू कर रहें हैं। वे कुछ क्षेत्रों में किसानों के लिये ऋण सुविधाओं का विस्तार करने हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों को अपना रहें हैं।

विवरण

जून 1971 तथा जून 1972 (अनन्तिम) के अन्त तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को दिये गये अग्रिमों के राज्यवार ब्यौरे का विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	बकाया राशि	
	जून 1971	जून 1972
आन्ध्र प्रदेश	2786	3134
असम	66	82
बिहार	488	586
गुजरात	2741	2861
हरियाणा	398	650
हिमाचल प्रदेश	8	13
जम्मू और कश्मीर	12	16
केरल	1274	1456
मध्य प्रदेश	749	851
महाराष्ट्र	4237	4769
मणिपुर	1	1
मेघालय	—	3
मैसूर	2541	2994
नागालैंड	—	नगण्य
उड़ीसा	88	99
पंजाब	826	853
राजस्थान	905	1009
तमिलनाडु	3248	3676
त्रिपुरा	1	1
उत्तर प्रदेश	1915	2086
पश्चिम बंगाल	839	1195
संघीय राज्य क्षेत्र		
अरुणाचल प्रदेश	—	—
अण्डमान और निकोबार	—	नगण्य
चण्डीगढ़	72	14
दिल्ली	320	266
गोआ, दमन और दीव	47	45
मिनिकोय और लक्षदीव	—	नगण्य
मिजोरम	—	—
पाण्डीचेरी	33	59
दादरा और नागर हवेली	—	नगण्य
संघीय राज्य क्षेत्र जो बैंकों द्वारा निर्दिष्ट नहीं हैं	40	14
जोड़	23635	26733

दियासलायी का निर्यात

8524. श्री राम प्रकाश : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय दियासलायी की मांग बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो 1972-73 के दौरान कितनी दियासलाइयों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) 1972-73 (सितम्बर, 1972 तक) के दौरान निर्यात की गई दियासलाइयों की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :-

मात्रा लाख डिब्बों में

(मूल्य लाख रु० में)

देश	मात्रा	मूल्य
1. अफगानिस्तान	597	19.39
2. श्री लंका	80	1.90
3. दुबई	227	5.67
4. मस्कत	163	5.64
5. सऊदी अरब	192	6.29
6. अन्य देश	5	0.27
योग	1264	39.16

CHIT FUND COMPANIES

8525. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring the chit fund companies under a Central Act; and

(b) if so, the time by which Government would announce their decision in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan) : (a) & (b): The Banking Commission has recommended in its report certain measures for the orderly growth of non-banking financial institutions including chit fund companies. These recommendations are under consideration in consultation with the Reserve Bank of India and the public sector banks. A final view is expected to be taken shortly.

Orders received from other Countries for the supply of Passanger Coaches and Wagons

8526. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Ministe of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of countries from which India received orders for the supply of passenger coaches and wagons last year indicating the number thereof for which orders were received and the number of coaches/wagons supplied to each of the countries;

(b) the names of the countries to which coaches/wagons would be supplied during the current year indicating the number thereof and the time by which these would be supplied; and

(c) whether keeping in view the prospects of exports of these Railway items, Government propose to constitute any separate organisation for the export of these items?

The Minister of Commerce (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : (a) During the year 1972-73, an order for 100 wagons was received from East Africa, Delivery against this contract is due this year.

(b) The following supplies are expected to be effected during the current year 1973-74, against existing contracts ;

Poland	360 wagons
Yugoslavia	1230 wagons
Zambia	6 coaches
Iran	479 wagons

(c) The Government has already set up the Projects and Equipment Corporation to look after export of wagons and coaches.

Confiscation of Articles Recovered from the Baggage of Balyogeshwar

8527. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision in regard to valuables confiscated from Balyogeshwar ;

(b) if not, the present position of the case; and

(c) the time by which Government propose to take a decision in this regard?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) to (c) The Customs Departmental proceedings in this case have not yet been finalised. The parties concerned have replied to the Show Cause Notices and in the adjudication proceedings, the advocate is cross-examining the Departmental witnesses. The further hearings were last fixed for 18th and 19th April, 1973, but on the 16th April, 1973, a request was received from the advocates of Balyogeshwar and others for the postponement of hearings. The revised dates of hearings have now been fixed for the 28th and 30th April, 1973. The decision in this case will be taken as soon as the hearings have been completed.

Financial Assistance to Textile Mills for Modernisation

8528. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the names of the textile mills whose applications for financial assistance for modernisation have been accepted so far?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : Upto the present, seven textile mills have applied for grant of "Soft" loans for modernisation from the Industrial Finance Corporation of India. The applications of three mills are under consideration of the corporation while applications of the remaining four mills are being examined by the Textile Commissioner.

काजू उद्योग के वित पोषण के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें

8529. **श्री० जी० वाई कृष्णन :**
श्री डी० पी० चन्द्रगौड़ा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने काजू उद्योग के वित्त पोषण के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गयी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4904/73]

काफी बोर्ड द्वारा छोटे काफी उत्पादकों को वित्तीय सहायता

8530. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष 2000 रुपये या इससे कम ग्राय वाले छोटे काफी उत्पादकों को कम ब्याज दर पर ऋण की सहायता प्रदान करने हेतु काफी बोर्ड ने कोई योजना बनायी है ;

(ख) क्या इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन (इंटरनेशनल काफी ग्रार्गेनाइजेशन) मैल से कोई सहयोग मांगा गया है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) काफी बोर्ड द्वारा संचालित काफी विकास योजना के ग्रन्तर्गत लघु उपजकर्ताग्रों की विभिन्न स्कीमों के ग्रन्तर्गत बड़े उपजकर्ताग्रों द्वारा देय $8\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज दर के मुकाबले $7\frac{3}{4}$ प्रतिशत की ग्रपेक्षाकृत का ब्याज दर पर ऋण दिये जाते हैं ग्रौर दोनो मामलों में शीघ्र पुर्नभुगतान के लिए $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की रिबेट दी जाती है। तथापि, इन स्कीमों के ग्रन्तर्गत भिन्न-भिन्न ब्याज दर ग्राय की राशि पर निर्भर नहीं होती बल्कि जोत के साइज पर निर्भर करती है।

(ख) जी हां।

(ग) काफी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के विविधीकरण कोष द्वारा वित्त पोषित लघु कृषक विकास परियोजना के ग्रन्तर्गत 15 एकड़ से कम काफी क्षेत्र के स्वामी लघु उपजकर्ताग्रों को काफी बोर्ड तथा चुने हुए परियोजना क्षेत्रों में, जहां कि लघु उपजकर्ता संकेन्द्रित हैं, कार्य कर रहे ग्रनुसूचित बैंकों के माध्यम से ग्रासान व ग्राकौर्षक शर्तों पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रबंध किये जा रहे हैं। यह ग्राशा है कि ग्रन्ततः पिछड़े जिलों में दो हजार रुपये से कम वार्षिक ग्राय वाले लघु उपजकर्ताग्रों को विकास ऋणों पर इस समय लिये जाने वाली सामान्य ब्याज उदर की तुलना में काफी मात्रा में घटी ब्याज दर पर ऋण सहायता प्राप्त कराई जा सकेगी।

छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऋण नीति को उदार बनाना

8531. **श्री ग्रनादि चरण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को ग्रौद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण नीति उदार बनाने का परामर्श दिया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो दिये गये परामर्श की मुख्य बातें क्या हैं ?

VI **वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ग्रौर बातों के साथ-साथ यह सलाह दी गयी है कि--

(1) बैंकों के लिए जरूरी है कि वे तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों ग्रौर समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित छोटे ऋण कर्ताग्रों की ग्रावश्यकताग्रों पर ग्रधिक ध्यान दें।

(2) ऐसे ऋण-कर्ताग्रों के लिए प्रतिभूति की ग्रावश्यकताग्रों, मार्जिन, ब्याज की दरों, पुनर्ग्रदायगी सम्बन्धी कार्यक्रम ग्रादि के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(3) बैंकों को तकनीकी सेवाएं स्थापित करने और परामर्श देने संबंधी प्रबन्ध के लिए विशेष ध्यान देना चाहिये चाहे बैंक स्वयं ऐसा परामर्श उपलब्ध करें या परामर्श देने वाले किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से परामर्श उपलब्ध कराएं।

(4) योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों में पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के विचार से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन क्षेत्रों में छोटी और मध्यम दर्जे की परियोजनाओं को दिये गये सावधिक ऋणों के सम्बन्ध में बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं के लिए $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत की विशेष रियायती दर पर पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है बशर्ते कि प्राथमिक ऋणदाता द्वारा ली जाने वाली प्रभावी दर 7 प्रतिशत से अधिक न हो।

चाय को जोश देने के लिए एक नई मशीन का आविष्कार

8532. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय को जोश देने के लिए जोरहाट में हाल ही में एक नई मशीन का आविष्कार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) चाय को निरंतर फरमेंट करने की एक मशीन टोकलई प्रयोगात्मक केन्द्र, जोरहाट में बनाई गई है। इस मशीन में मुख्यतः एक बन्द चैम्बर है जिसमें एक कन्वेयर बैल्ट लगी है और नियंत्रित स्थितियों में आक्सीजनकृत वायु पहुंचाने की व्यवस्था है। चाय की वेल्लित पत्ती एक सिरे से चैम्बर में प्रवेश करती है और चैम्बर में अपने गुजरने के दौरान ही उस का फरमेंटेशन हो जाता है। निरन्तर फरमेंटेशन मशीन का कार्य निष्पादन, फरमेंटेशन के ज्ञात मानक तरीकों से यदि बेहतर नहीं तो उसके लगभग बराबर है। मशीन के पहले वाणिज्यिक एकक का अभी हाल में निर्माण कर के उसे डिबरुगड़ के नज़दीक एक चाय बागान में लगाया गया है।

बहरीन के व्यापार प्रतिनिधि मंडल का दौरा

8532. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहरीन का एक छः सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल हाल में उनसे मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ किये गये विचार-विमर्श की मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ० आई० ई० ओ०) के निमंत्रण पर भारत का दौरा करने वाला बहरीन प्रतिनिधिमण्डल मुझसे 30 मार्च, 1973 को मिला। उन्होंने मुझे विभिन्न संगठनों के साथ हुए अपने विचार विमर्श के बारे में बताया।

एयर लाइंस संचालन संबंधी सोवियत विमान सेवा दल के साथ बातचीत

8534. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सोवियत विमान सेवा दल ने हाल में उनसे एयरलाइंस संचालन संबंधी तकनीकी समस्याओं के बारे में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो वातचीत का सारांश क्या है और इसके परिणाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सोवियत संघ से एक दल 26 मार्च, 1973 से नई दिल्ली आया और उसने अपने टी० यू-154 एवं याक-40 विमानों के बारे में परिचालनात्मक व तकनीकी विषयों पर इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। इस सम्बन्ध में उनका एक और दल भी 25 अप्रैल को मंत्री महोदय से मिला।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े के आयोजन का अध्ययन अभी जारी है।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नियंत्रित कपड़े का विक्रय

8535. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन-साधारण की मांग को पूरा करने के हेतु संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नियन्त्रित मोटे कपड़े के वितरण-केन्द्र अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक दुकानें खोलने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में इस समय नियन्त्रित कपड़े के 135 वितरण केन्द्र हैं और इस प्रकार की और अधिक दुकाने खोलने के बारे में दिल्ली प्रशासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना के दौरान देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

8536. **श्री नारायाण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं योजना के दौरान देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहव देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रुप रेखा क्या है और क्या पर्वतीय क्षेत्रों के लिये इस कार्य हेतु राज्य वार किसी विशेष राशि का नियतन किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में पांचवीं योजता की स्कीमें अभी तैयार की जा रही हैं, अतः अभी से यह बताना संभव नहीं है कि किन-किन स्थानों का विकास किया जायेगा।

30 LSS/73—10.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती संबंधी संसदीय समिति

8537. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न पदों के लिये भर्ती की नीति तथा तरीके की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है-; और

(ख) यदि हां तो सरकार की इस प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) जी हां,। संसद के कुछ सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं की संख्या और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक

8538. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय अरूणाचल प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, इसकी सहायक संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस संघ राज्य क्षेत्र में मई शाखाएं खोलने के लिए कोई सुर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) 1973-74 के दौरान खोली जाने वाली विभिन्न बैंकों की नई शाखाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अरूणाचल प्रदेश के संघीय राज्य क्षेत्र में केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया का एक एक कार्यालय पांच केन्द्रों में अर्थात बोमडीला, तेसु, पासीघाट जीरो और खोन्सा में है।

(ख) जी हां।

(ग) स्टेट बैंक आफ इंन्डिया ने, जिसने सर्वेक्षण किया है, नये बैंक कार्यालय खोलने के लिये 15 विकास केन्द्रों का निर्धारण किया है।

(घ) आजकल केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास ही अलोंग, नभसाई, सिपला, डायोरिजो, टेंगा घाटी, सावांग और अनोमी में अपने कार्यालय खोलने के लायसेंस हैं। आशा है कि 1973-74 में इन केन्द्रों में से पहले पांच केन्द्रों में कार्यालय खल जायेगें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में नल कूपों के लिए वित्तीय सहायता देना

8539. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सब राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों ने आपस में मिल करके राज्य संस्थान वित्त निदेशालय के परामर्श से नलकूप सिंचाई योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये प्रक्रिया अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उन्होने कुल कितनी राशि के ऋण दिये ;

(ग) योजनाओं को वितीय सहायता देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ; और

(घ) उन्होंने अब तक किन-किन योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) से (घ) नल कूपों के लिये अग्रिम सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अलग-अलग दिये जा रहे हैं। सितम्बर 1972 में बिहार सरकार द्वारा आमन्त्रित की गयी एक बैठक में सरकारी क्षेत्र के बैंक बिहार में किसानों को पम्प सैट देने के लिये एक जोरदार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये सहमत हो गए थे। योजना का ब्यौरा लोक सभा के 17 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के उत्तर में दे दिया गया है। जनवरी 1973 के अंत में सरकारी बैंकों ने जोरदार कार्यक्रम के अंतर्गत 3,149 पम्प सैटों की व्यवस्था की है और इसके लिये 10.37 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दो विदेशी कैमरामैनों की गिरफ्तारी का समाचार

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर): मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें:

> एक आनन्द मार्गी अवधूत के आत्मदाह के संबंध में बम्बई हवाई अड्डे पर दो विदेशी टेलीवीजन कैमरामैनों की गिरफ्तारी का समाचार।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द पन्त): उपलब्ध जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल, 1973 की शाम को धनेश्वरानन्द अवधूत नामक एक व्यक्ति द्वारा पुराने किले में आग लगा कर जलने के बारे में एक मामला, तिलक मार्ग के पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं। इनमें से एक श्री सुरेन्द्र मोहन लाल कैमरामेंन, भारतीय नागरिक हैं और दूसरी कुमारी पैट्रीशिया डूरेन, फ्रांस की नागरिक है और व्यवसाय से अच्छे तकनीशियन हैं। उन्हें 24 तारीख की रात को बम्बई में गिरफ्तार करके दिल्ली वापस लाया गया है। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को सक्षम न्यायाधिकार के न्यायालय के आदेश पर 30 अप्रैल, 1973 तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में रखा गया है और जांच चल रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: इस भयानक घटना के तीन संदेहात्मक पहलू हैं जिन पर मैं सरकार का स्पष्टीकरण चाहता हूँ। एक तो मेडीकल रिपोर्ट है जिसमें एक ओर तो कहा गया है कि जब उसके शरीर से आग की लपटें उठ रहीं थीं तो अवधूत जीवित था और दूसरी ओर यह कि उसे जहर दिया गया था। दूसरी बात यह है कि आनन्द मार्ग ने इस दृश्य के चित्र लेने के लिये केवल कोलांबिया ब्राडकास्टिंग सर्विस को ही क्यों चुना ? संभवतः उन्हें विश्वास था कि ये दो व्यक्ति इन घटनाओं को चित्रबद्ध करके चुरा कर बाहर ले जाने में सफल हो जायेंगे। इस घटना में टाइम्स आफ इण्डिया के संम्वाद्दाता के समक्ष दिया गया श्रीमती लाल का वक्तव्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पुराना किला में अवधूत के आत्मदाह पर ली गई फिल्म इस समय तक वाशिंगटन पहुँच चुकी होगी और उनके

पति आनन्द मार्ग से निरन्तर संपर्क बनाये हुये हैं। अन्त में मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे संवाददाताओं के, जो अपराध बढ़ाने में सहयोग देते हैं और ईमानदार संवाददाताओं की अच्छी तरह पहचान रखें।

श्री कृष्ण चन्द पन्त: अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति को जो जल गया है, पहले विष अथवा नशीली दवा दी गई थी, इस बारे में जांच की जा रही है और जांच के पश्चात् इस संबंध में तथ्य प्रकाश में आ जायेगें। उसके पेट की धोवन को सुरक्षित रख लिया गया है और इसे रासायनिक विश्लेषण के लिये भेजा जायेगा जिससे निस्संदेह इस मामले के संबंध में पता लग जायेगा।

जहां तक श्री सुरेन्द्र मोहन लाल के कब्जे से पकड़ी गई एक फिल्म का प्रश्न है, अभी इस बात का पता नहीं कि इस फिल्म की विषय वस्तु क्या है क्यों कि अभी इस फिल्म की धुलाई नहीं की गई है।

Shri Atal Behari Vajpaye (Gwalior) : The statement made by the Minister of State in the Ministry of Home Affairs is not self contained. Many prints have not been answered. This question has been agitating the minds of the public since long. After all, why people are compelled to sacrifice their lives ? I will like to know the charges levelled against the persons who have been arrested ? The question does not pertain to these films being sent abroad but the point is whether the Journalists are allowed to carry on their work. The Government may capture film from these Cameramen but what is the justification of putting them behind the bars. The C.B.I. have completed enquiries against the Anand margis. Whether Government will keep a copy of their report on the Table of the House so that public may come to know of the real charges against them. Whether the statement of the Andnamargis is corrected that their guru Anand Murtiji is being ill-treated in the Jail...(*interruption*)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल टेलीवीजन कैमरामैंनों की गिरफ्तारी से संबंधित है न कि आनन्द मार्ग के अवधूत के आत्मदाह से।

Shri Atal Behari Vajpaye : Whether it is a fact that the old Avdhut who was looking after Anand Murtiji has been withdrawn and whether all these incidents are not the result of ill-treatment of Anand Murtiji. It is not an ordinary thing that the people in the country are prepared to commit even self-immalution (*Interruption*) Sir, whether these Members will not allow me to speak? They are repeating their yesterday's performance.

अध्यक्ष महोदय : मैं बार–बार ऐसी रोका टोकी करने के पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा करना बहुत अनुचित है। कृपया इन्हें बोलने दें।

Shri Atal Behari Vajpaye : The cameramen arrested have been charged with the conspiracy fo- the post-mortem report says that the Avdhut was alive when he was brought to Purana Qila and hat his death was caused due to burns. I will, therefore, request the Minister to place a copy of post-mortem report on the table of the House alongwith the copy of C.B.I. report.

Whether Government can give an assurance that the Anandmargis will not be ill-treated in the Jails. Such type of bad treatment should not be meted out to a religious sect.

Shri Krishan Chander Pant: Sir, I may tell Shri Vajpaye that section 302, 118, 120 (b) and 34 of the I.P.C. will apply to the arrested persons.

The question does not relate to the film being sent abroad but we are more concerned with the fact that there may not be some conspiracy behind it. If some one commits murder before a person, whether it is not the duty of the spectator to check him.

Shri Atal Behari Vajpaye : If some one is committing a crime, whether the cameraman will take photograph of the scene or rush to the police to report the incident.

Speaker : There should be no excitement on this point. The minister has only said that when the cameramen had gone there, they had also certain duties to perform.

Shri Krishan Chander Pant: The Journalists are also covered by the Indian Penal Code. As regards food poisoning of Shri Anand Murtiji, I may state that even the State Government have quoted this Report as totally baseless. This information was placed before the House on 28th March in connection with Unstarred Question No. 5065. In regard to the post mortem Report being kept in the Table of the House, I may say that Government can not conceal these facts. This will come before the public. The case is already subjudice. The question of keeping a copy of the Report of C.B.I. on the Table of the House also dose not arise as the proceedings are already going on in the court. Every thing will come to light in due course of time.

Shri Hari Singh (Khurja) : Sir, all these murders committed by Anand Marg were preplanned by the C.I.A. by creating such incidents, they want to oppose the progressive tendencies in India. These Anand Murgis are being supported by U.S.A. I fail to understand why the persons telling themselves as well wishers of India, are trying to support the Anand Margis who want to present a distorted picture of India before the world. I will request the Government to ban Anand Margi Organisation.

I want that the activites of the Anand Margis should be suppressed with heavy hand. I am not against the freedom of the Cameraman or the Journalists, but they should not be allowed the freedom at the cost of freedom of the country. The Government should bring before the House a clear picture of the activities of Anand Margis.

Shri Krishan Chander Pant : As regards the presentation of a picture of Anand Margis, the whole thing is coming to light. The Government are very particular to check such incidents. The Government had deputed police on the sites where threats in regard self immolation had been received. That is why this incident has happened on a remote place. However the Police took quick action and arrested two avdhuts who were present on the site and the other two persons who had run to Bombay were also arrested when they were getting down from the plane. These are commendable efforts on the part of Police.

स्थगन प्रस्तावों और नियम 377 के अन्तर्गत सूचनायें

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND NOTICE UNDER RULE 377

सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों का त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में श्री मधु दण्डवते, श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री एस० ए० शमीम और श्री मधु लिमये से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। दरअसल ये सब एक जैसे हैं। पहला सरकार की असफलता के बारे में है. . . .

Shri Atal Behari Vajpaye (Gwalior) : Yesterday we had submitted adjournment motion but you took up notices under 377 whereas today you are taking up Adjournment Motion though we have submitted notices under 377.

Speaker : I will not sent you to trial. I understand well both your difficulties.

Shri Atal Behari Vajpaye: No Sir, by adopting two different attitudes on two days you are creating two difficulties for us.

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री बाजपेयी, श्री एस० एन० मिश्र और श्री एस० एम० बनर्जी से नियम 377 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन स्थगन प्रस्तावों और नियम 377 के अधीन सूचनाओं के अतिरिक्त मुझे श्री मधु लिमये श्री बाजपेयी और प्रो० मधु दण्डवते से इस विषय पर चर्चा संबंधी सूचनायें भी प्राप्त हुई है। इन सब का विषय लगभग एक ही है। जहां तक स्थगन प्रस्ताव का संबंध है इसका विषय वस्तुतः कल जैसी ही है। अतः मैं इस पर अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मैं चर्चा के लिये दिये गये नोटिस स्वीकार करता हूँ परन्तु उन सदस्यों ने, जिन्होंने नियम 377 के अधीन नोटिस दिये थे, चर्चा के लिये भी नोटिस दिये हैं . . . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : परन्तु यह चर्चा केवल 3 सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मेरा यह मन्तव्य होता तो मैं इसे स्पष्ट कर देता। मैं भी यही चाहता हूं कि सभा में चर्चा हो। क्या आप आज शाम को नियम 193 के अधीन चर्चा चाहते हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने निर्णय किया है इसलिये मुझे चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरा अनुरोध है कि यह चर्चा आज नहीं सोमबार को होनी चाहिये क्योंकि तीनों न्यायाधीश अभी अपने-अपने पदों पर बने हुए हैं और उनमें से दो के त्यागपत्र 30 तारीख से प्रभावी होंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : चाहे कोई भी तारीख रख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा मैं शीघ्र कोई तारीख निश्चित करूंगा

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आयकर संशोधन नियम, धन कर संशोधन नियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

मैं सभा पटल पर निम्नांकित पद रखना चाहता हूं।

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तगत आयकर (प्रमाण-पत्र कार्यवाहियां) संशोधन नियम, 1973 हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 179 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4884/73]**

(2) धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 187 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4885/73]**

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सा० नि० 327, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सा० नि० 329, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 332, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 4886/73]**

(चार) पर्यटक सामान (संशोधन) नियम, 1973 जो अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 194 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केन्दीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 325 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 4887/73]**

निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम

श्री ए० सी० जार्ज की ओर से वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० आ० 1000, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 13 मई, 1972 की अधिसूचना संख्या सा० आ० 1131 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दो) सुखाई गयी मछली का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1069 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जूतों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1070 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 4889/73]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 79 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 4888/73]**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1970-71 के लेखे

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :

मैं प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 4890/73]**

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के लेखे तथा दो वक्तव्य

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जेड० ए० अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्रकण) **[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 4891/73]**

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राजनयिक और कौंसलीय अफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू काशमीर पर विस्तार) विधेयक, 1973।

(2) समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) विधेयक, 1973।

(3) पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चण्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1973।

(4) दिल्ली विश्व विद्यालय शिक्षा विधेयक, 1973।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

89वां तथा 90वां प्रतिवेदन

9. **श्री ईरा सेझियान** : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :–

(1) 1962-72 के दौरान सीमा शुल्क सम्बन्धी सिफारिशों कार्यान्वियन को सरकार द्वारा समीक्षा के सम्बन्ध में 89 वां प्रतिवेदन ।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन-केन्द्रीय सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, के अध्याय 3 सम्बन्धी 90वां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

40वां, 41वां और 44वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री ए० के० एम० इसहाक : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :–

(1) (एक) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (रसायन विभाग)–उर्वरकों के सम्बन्ध में 40वां प्रतिवेदन ।

(दो) संचार मंत्रालय (भारतीय डाक और तार विभाग)–टेलीफोनों के सम्बन्ध में 41 वां प्रतिवेदन ।

(तीन) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये पासों और पी० टी० ओ० के वित्तीय परिणामों के बारे में आंकड़े तथा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वार्षिक प्रतिवेदन में उनके प्रकाशन के सम्बन्ध में 44 वां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

37वां प्रतिवेदन कार्यवाही सारांश तथा 39वां प्रतिवेदन

श्री अमृत नाहाटा : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :–

(1) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 37वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(2) पायराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में 39वां प्रतिवेदन ।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

पांचवां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा : मैं रेल डिब्बों की मांग तथा उपलब्धता के संबंध में रेल अभिसमय समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. GURU GOBIND SINGH MEDICAL COLLEGE, FARIDABAD

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) :

महोदय,

इस सदन को याद होगा कि मैंने 22 मार्च, 1973 को गुरु गोबिन्दसिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद के कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया था। बाद में 28 मार्च, 1973 को इस सदन में इसी विषय पर एक और बहस हुई थी। इन अवसरों पर मैंने वस्तुस्थिति पूरी तरह बतला दी थी। इन सब बहसों के दौरान माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की और जिसमें मैं स्वंय भी समान रूप से साझीदार हूं, उसका सम्मान करते हुए मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का हल निकालने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहा और मैंने इस बारे में पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के अलावा इस मामले में रूचि रखने वाले कुछ अन्य महानुभावों से जिनमें कुछेक संसद सदस्य भी शामिल हैं, इस संबंध में विचार विमर्श किया। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि कुछेक नये आधार निकले हैं और ऐसा लगता है कि अब कोई न कोई हल निकल ही जायेगा।

2. मैं 20 अप्रैल, 1973 को पंजाब के मुख्य मंत्री से मिला था। उनका हाल ही में एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि इस कालेज की वर्तमान प्रबन्ध समिति सम्पूर्ण सम्पत्ति को किसी अन्य ऐसे संगठन को सौंपना चाहती है जो इस संस्था को चलाने के लिये तैयार हो। चूंकि पंजाब की राज्य सरकार पटियाला और अमृतसर में पहले ही दो मेडिकल कालेज चला रही है, इसलिये पंजाब में यदि यह गुरु गोबिन्दसिंह कालेज भी किसी समुचित स्थान पर ले जाया जाता है तो इसका चलाने का सारा बोझ बहन करना अकेले पंजाब सरकार के वंश की बात नहीं होगी। इसलिये वह एक ऐसा नया ट्रस्ट बनाने की सोच रहे हैं जो इस कालेज को फरीदाबाद से ले जाने, पंजाब में इसे किसी अन्य स्थान पर पुनस्थापित करने और इसे समुचित आधार पर चलाने के कार्य भार को वहन कर सकें।

3. पंजाब के मुख्य मंत्री ने आगे यह भी बताया है कि वे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, गुरुनानक फाउण्डेशन तथा गुरु गोबिन्दसिंह फाउण्डेशन जैसे मुख्य स्वयंसेवी संगठनों को इस संबंध में पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने के लिये उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि यह कालेज भी मेडिकल कालेजों के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार स्थापित किया जा सके। उन्होंने आगे यह भी आश्वासन दिया है इन कि प्रतिष्ठानों तथा इस कार्य में योग देने के इच्छुक अन्य प्रांतों के इस संयुक्त प्रयास को सफल बनाने में राज्य सरकार अपनी ओर से भी पूरा-पूरा सहयोग देगी। पंजाब के मुख्य मंत्री ने यह भी सूचित किया है कि एक कालेज की स्थापना के लिए धन और भूमि दोनों के दान के लिये कुछ प्रस्ताव पहले ही उनके पास पहूँच चुके हैं। एक मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के प्रश्न पर वे विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्हें पूर्ण आशा है कि विभिन्न संस्थानों के साथ उनकी बातचीत सफल रहेगी और शीघ्र ही इस संबंध में कुछ ठोस प्रस्ताव सामने आयेंगे।

4. मुझे विश्वास है कि सदन इस सूचना का स्वागत करेगा तथा पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस विषय में जो रुचि ली है और जो पहल की है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां पर उपस्थित कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस संबंध में काफी उपयोगी भूमिका निभायी है। महोदय, मैं कहूंगा कि इस समस्या का एक संतोषजनक हल ढूंढ निकालने में आपका अपना योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है।

Shri Atal Bihari Vajpaye (Gwalior) : The Minister should made an appeal to the students to end the strike as their case is going to be settled now.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय को अपनी ओर से छात्रों से हड़ताल समाप्त करने की अपील करनी चाहिये।

श्री आर० के० खाडिलकर: जिन सदस्यों का हड़ताली छात्रों से सम्पर्क बना आ है, उन्हें छात्रों को हड़ताल वापिस लेने के लिये मनाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि अब इस दिशा में पहल की गई है और कुछ किया भी जा रहा है, इसलिये मैं दोनों से अपील करूंगा कि वे अपनी हड़ताल वापस ले लें।

Shri Madhu Limaye: One thing I will like to know from the Minister is that whether all those students who were arrested and kept in Tihar Jail will be readmitted in the medical College.

प्रो० मधु दन्डवते : (राजापुर) : एक बात तो यह है कि ऐसे व्यक्तियों को नये प्रबंध में शामिल नहीं किया जाना चाहिये जो छात्रों को धोखा देने के लिये उत्तरदायी हैं। दूसरा फरीदाबाद और पटना के महाविद्यालयों को मिला दिया जाना जहां तक प्रवेश के मानदंडों का संबंध है, इस बारे में मेडिकल परिषद से पूछा जाना चाहिये ताकि इस संबंध में कोई विवाद न रहे।

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) : सरकार को छात्रों को आश्वासन देना चाहिये कि सरकार पटना के मामले में कुछ नहीं करेगी, कि वर्तमान प्रबंधकों अथवा भूतपूर्व प्रबन्धकों को नये प्रबंध में शामिल नहीं किया जायेगा तथा किसी छात्र को तंग नहीं किया जायेगा और यह सारा कुछ यथाशीघ्र किया जायेगा।

श्री आर० के० खाडिलकर : हमें चिंता केवल फरीदाबाद मेडिकल कालेज की है और पटना कालेज के बारे में हम कदाचित चिंतित नहीं हैं। पुराना न्यास अथवा जो कोई भी इसका प्रबंधक था, सभी परिसंपत्तियों का प्रभार नये न्यास को सौंप देगा। जहां तक दाखिले का प्रश्न है संबंधित व्यक्तियों के दावों पर, मेडिकल संस्थाओं में दाखिले के संबंध में अपनाये जा रहे कुछ मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

समाचार पत्र उद्योग की आर्थिक व्यवस्था संबंधी तथ्य अन्वेषक समिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: FACT FINDING COMMITTEE ON ECONOMICS OF NEWS-PAPER INDUSTRY

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

महोदय,

जैसा कि सदन को पता है, समाचार-पत्र उद्योग की आर्थिक व्यवस्था की जांच करने के लिए सरकार ने 14 अप्रैल, 1972 को एक तथ्य अन्वेषक समिति नियुक्त की थी। प्रैजीडेन्सी कालेज, कलकत्ता के

अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डा० भवतोष दत्त इस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री आर० राजगोपालन, मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय श्री आई०पी० गुप्त, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय तथा श्री के०सी० रमन, सेवानिवृत्त प्रोडक्शन मैनेजर, मैसर्स बैनेट कोलमैन एंड कंपनी लि०, इसके सदस्य हैं तथा भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार इसके सदस्य सचिव हैं।

2. समिति ने सितम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह में सभी दैनिक समाचार-पत्रों की एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की थी। समाचार-पत्रों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर भेजने की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर थी जिसको बाद में बढ़ाकर 15 नवम्बर, 1972 कर दिया गया था। बार-बार भेजे गए अनुस्मारकों के बावजूद 717 दैनिक समाचार-पत्रों में से अब तक केवल 92 दैनिक समाचार-पत्रों के ही उत्तर प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 50 समाचार-पत्रों के उत्तरों में अपेक्षित जानकारी तथा आंकड़े दिए गए हैं। शेष समाचार-पत्रों ने अपर्याप्त सामग्री भेजी है।

3. समिति की यह राय थी कि जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनको प्रतिनिधि नमूनों के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह उन समाचारपत्रों के द्वारा भेजा गया है जिन्होंने उसको भेजने के लिये चुना था। समिति ने यह महसूस किया कि तथ्य विशेषकर उन दैनिकों से मिलने जरूरी हैं जो अपने कारणों से उसको सप्लाई करने के अनिच्छुक प्रतीत होते हैं तथा सिद्धांततया जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपने आपको अध्ययन की सीमा से निकाल ले।

4. समिति के अध्यक्ष ने सरकार पर ऐसे प्रभावशाली और तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया जिनसे दोषी-समाचार-पत्र समिति द्वारा मांगी गई जानकारी अविलम्ब भेजे।

5. जब समिति गठित की गई थी तब यह आशा की गई थी कि समाचार-पत्र समिति को अपना पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि इसका अध्ययन तथा इसके निष्कर्ष समूचे समाचार उद्योग की समस्याओं के सही मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तथापि, समिति की सुविचारित राय, जो उसने अपने गत छः महीनों के अनुभव की रोशनी में दी है, को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि समिति को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिकार दिये जाएं, ताकि इसे समाचारपत्रों से आवश्यक जानकारी तथा आंकड़े प्राप्त करने का कानूनी अधिकार हो सके और वह यथासंभव शीघ्र से शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे सके। इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 26 अप्रैल, 1973

अधिसूचना

जी०एस० आर०————————यतः लोक महत्व के एक निश्चित विषय, अर्थात् समाचार-पत्र उद्योग की आर्थिक-व्यवस्था, की जांच करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 19/3/72–प्रैस तारीख 14 अप्रैल, 1972 के अधीन एक तथ्य अन्वेषक समिति गठित की गई है ;

और यतः तथ्य अन्वेषक समिति ने सितम्बर, 1972 में सभी दैनिक समाचार पत्रों को एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी थी जिसमें निर्देश के निबन्धनों से संबंधित विषयों के संबंध में जानकारी और आंकड़े, जो तथ्य अन्वेषक समिति की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए लाभप्रद या उससे सुसंगत हों, देने के लिए निवेदन किया गया था ;

और यतः केवल थोड़े ही दैनिक समाचारपत्रों ने ही अपेक्षित जानकारी और आंकड़े दिए हैं ;

और यतः कुछ दैनिक समाचार पत्रों द्वारा दी गई जानकारी और आंकड़े पर्याप्त या यथेष्ट नहीं पाए गए हैं ;

और यतः अधिकांश दैनिक समाचारपत्रों ने अभी तक कोई जानकारी या आंकड़े नहीं दिए हैं ;

और यतः जांच की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों से भिन्न उसके सभी उपबन्ध उक्त तथ्य अन्वेषक समिति को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों से भिन्न उसके सभी उपबन्ध उक्त तथ्य अन्वेषक समिति को लागू होंगे ।

ह०/ए० जे० किदवाई,
सचिव, भारत सरकार

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

महोदय,

आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 30 अप्रैल, 1973 को आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

विचार तथा पास करना :—

(1) वित्त विधेयक, 1973

(2) उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक, 1973.

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि संविधान (31वां संशोधन) विधेयक, 1973 पर 8 और 9 मई, 1973 को विचार किये जाने और उसे पास किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं निवेदन करता हूं कि वेतन आयोग जो 43 लाख सरकारी कर्मचारियों के भाग्य का निर्णय करने जा रहा है उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिये अगले सप्ताह चर्चा करने के लिये कुछ समय निर्धारित किया जाना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री एक वक्तव्य दें । आई०डी० पी०एल० परियोजना द्वारा जीवन बचाने वाली औषधियां बना रही हैं। परन्तु कल रात से वहां तालाबन्दी घोषित कर दी गयी है और 500 औद्योगिक श्रमिकों को निकाल दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न मामला है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : तीन बातों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिन पर चर्चा करने के लिये समय निकाला जाना चाहिये । पहली बात पहले ही मेरे मित्र बनर्जी उठा चुके हैं। अब जब कि प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध हो चुकीं हैं, तो यह आवश्यक है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर पूरी तरह चर्चा की जाये । हमें आशा है कि सरकार द्वारा इस पर निर्णय करने से पूर्व हमे सभा में वेतन आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करने का लाभ प्राप्त होगा ।

दूसरी बात यह है कि इस सत्र के आरंभ होने से पूर्व योजना मंत्री ने, जहां तक मुझे याद है, यह आश्वासन दिया था कि पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा। अतः, मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिये प्रार्थना करूंगा कि पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की व्यवस्था की जाये ।

अंतिम बात यह है कि इस न्यायाधीशों के मामले पर चर्चा की जाने वाली है । मैं यह भी चाहता हूं कि दिये गये 11-12 निर्णयों और उन निर्णयों के प्रभावों को सभा के सामने रखा जाये । हमें यह भी जानना चाहिये कि संसद की सर्वोच्चता के अधिकार क्या हैं और क्या उनमें और उनमें सांवैधानिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है । विधि मंत्री महोदय को सभा के सामने एक वक्तव्य देना चाहिए।

Sh. Shyam Nandan Mishra (Begusarai) : Previously that Judgement was called as majority judgement, which was signed by minority. But we have not seen this thing in this case. The minister should make a statement, so that the position may be clear.

Sh. Madhu Limaye (Banka) : The matter of scarcity of food grains has been discussed in this house so many times. But drinking water is not available in my constituency. (*Interruption*). I request that an opportunity may be given to discuss on the problem of drinking water.

Mr. Speaker: First the motion should be moved, without how could it be discussed.

Sh. Madhu Limaye: We would move the motion. We should here be given a chance to discuss on Pay Commission report.

Sh. Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The discussion on pay commission report is essential. I had raised the matter that Law Minister should make a statement. He has expressed his views about the Judgement outside the House, when the House was in session. He should have spoken in the House, whatever he had to say. I request the Gajendragadkar report should be placed on the table of the House.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : जहां तक पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा के संबंध है, हमारा विचार इस पर चर्चा की व्यवस्था 15 और 16 मई को करने का है । यदि समय पर्याप्त न हुआ तो कार्य परामर्श समिति और अधिक समय नियतन करने का निर्णय कर सकती है ।

आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को वित्त मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा और मुझे विश्वास है कि इस पर वित्त मंत्री महोदय उचित ध्यान देंगे और उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ।

पेय जल के संबंध में यदि कोई उपयुक्त प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय को भेजा जाये, तो उस पर विचार करना उनका काम है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय और इससे संबंधित मामलों के बारे में, मैं इसे विधि मंत्री के समक्ष रखूंगा (*Interruption*) . . . .

Mr. Speaker: Please speak slowly. This is wrong.

Shri K.S. Chanda (Patan) : I want to say that Sh. Vajpayee has asked a question from Law Minister that whether the report of Gajendragadkar report has been submitted to the Government. Whether he would submit it on the table of the House and when ?

Mr. Speaker: Please raise such matters without raising them in the list of Business ?

श्री के० रघुरामैया : मैं इसे भी संबंधित मंत्री महोदय को बता दूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी: वेतन आयोग पर चर्चा कम से कम 10 घंटों के लिये की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस का निर्णय कार्य परामर्श समिति में करेंगे ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) बिहार में अनाज, कोयला और जल का अभाव

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I want to draw the attention of Government to tripple crisis in Bihar. There is acute scarcity of foodgrains, coal and drinking water in the state. The Central Government must pay attention to these things.

According to the State Food Minister famine conditions prevailed in a large area of the State. Coal was also in short supply in almost all the districts except coal providing district of Dhanbad.

Sh. Madhu Limaye: I had only placed an example that there is scarcity of drinking water.

Sh. Shankar Dayal Singh: I have to say today there is scarcity of ration & water in Bihar. The state supplies minister has himself admitted that no ration is available in the shops. So, there should be discussion on it.

(दो) श्री जांबुवन्त धोते संसद् सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में

श्री दीनेन भट्टाचार्य : (सीरमपुर) : आप की अनुमति से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। इस सभा के एक सदस्य, श्री धोते को आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के, जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है, अधीन 26 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। यह समाचार सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। इस सब के बावजूद यह शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारियों ने अध्यक्ष महोदय को किसी प्रकार की सूचना नहीं भेजी है। यह सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय को तुरन्त सरकार से उस की प्रतिक्रिया मांगनी चाहिये। उसे एक वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी गिरफ्तारी के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गृह मंत्री महोदय इस विषय पर वक्तव्य देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री धोते की गिरफ्तारी के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : जब यह बात सामने आये, तो आप इसे उठा सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : पुलिस अधिकारी सभा का अपमान कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में समझें ताकि पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दास चौधरी।

(तीन) पश्चिम बंगाल में खाद्यपूर्ति स्थिति के बारे में

श्री बी० के० दास चौधरी : (कूच-बिहार) : मैं आप की अनुमति से प्रक्रिया नियम 377 के अंतर्गत महत्वपूर्ण लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं।

पश्चिम बंगाल में खाद्य सप्लाई की स्थिति बड़ी खराब है और वहां राशन की व्यवस्था अस्त व्यस्त होने वाली है। पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने भारत सरकार के कृषि मंत्री से बार बार मांग की है कि राज्य को 53,000 टन चावल की सप्लाई की जाये, किन्तु इसमें से केवल 32,000 टन चावल ही सप्लाई किया गया है और अभी 21,000 टन चावल की सप्लाई की जानी है।

पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने सूचित किया है कि यदि चावल और गेहूं का निर्धारित कोटा समय पर वहां न भेजा गया, तो फिर वहां राशन सप्लाई की व्यस्वथा की व्यवस्था को बनाये रखना असंभव हो जायेगा।

अतः मेरी मांग है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल को खाद्य की सप्लाई करने के लिये तुरन्त प्रबन्ध की व्यवस्था की जाये।

अनुदानों की मांगें, 1973-74—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74—Contd.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की आगे चर्चा होगी और इन पर मतदान होगा।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : कल मैं एक नये औद्योगिक संबंध विधेयक की आवश्यकता के संबंध में चर्चा कर रहा था जिस के अनुसार श्रमिकों को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना अपना श्रमिक संघ बनाने का और नियोक्ता के साथ मिल बैठ कर सामूहिक समझौता करने का अधिकार होगा। नये औद्योगिक संबंध विधेयक द्वारा कार्मिक संघों को अनिवार्यतः मान्यता प्रदान की जानी चाहिये और यदि एक ही कार्मिक संघ हो, तो उसको सीधे ही मान्यता दे दी जानी चाहिये और यदि संघों की अधिक संख्या हो तो फिर यह सुनिश्चित करने के लिये कि कौन सा संघ वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, गुप्त मतदान किया जाना चाहिये। अल्प मत कार्मिक संघों को भी कुछ अधिकार दिये जा सकते।

[श्री सेझियान पीठासीन हुये]

नये औद्योगिक संबंध विधेयक में यह भी उपबन्ध होना चाहिये कि सभी विवाद किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय ढंग से हल किये जायेंगे और किसी विवाद का हल न हो पाये, तो श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिये।

हाल ही के वेतन आयोग के एवार्ड से न केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर ही, अपितु अन्य कर्मचारियों पर भी बुरा प्रभाव डाला है, क्योंकि मुख्य मांग यह है मजदूरी आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिये। आशा की गयी थी कि तीसरा वेतन आयोग आवश्यकता पर आधारित मजदूरी का सिद्धांत स्वीकार कर लेगा, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतः इससे सभी कर्मचारियों को आघात पहुंचा है।

मज़दूरी के प्रश्न से हर व्यक्ति परेशान है। श्रमजीवी पत्रकारों ने तीसरे वेतन बोर्ड की मांग की है और इस संबंध में उन्होंने सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें उन्होंने वेतन आदि के प्रश्न पर अधिक बल दिया है। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये और तीसरा वेतन बोर्ड स्थापित करने की उनकी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये।

वेतन को स्थिर कर देने की बात की जा रही है। श्रमिक द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य तो बढ़ रहा है, किन्तु उस वस्तु से होने वाले लाभ में से उसका हिस्सा कम होता जा रहा है। जब मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और उद्योगों का लाभ बढ़ता जा रहा है, तो फिर वेतन का संबंध उत्पादिकता से क्यों जोड़ा जाना चाहिये।

मजदूर वर्गों और "आयटक" ने शिकायत की है कि मजदूर वर्ग के जीवन निर्वाह सूचकांक को दोषपूर्ण पद्धति से तैयार किया जाता है और मजदूरों की मांग यह है कि हिसाब किताब वैज्ञानिक ढंग पर तैयार किया जाये, ताकि मजदूरों के साथ धोखा न किया जा सके।

बोनस का प्रश्न भी मजदूरों को उत्तेजित किये हुये है। बोनस पुनरीक्षण समिति के मजदूर प्रतिनिधियों ने सर्व सम्मति से सभी मजदूरी अर्जित करने वाले लोगों के लिये बोनस की मांग की है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये।

30 LSS/73—11.

सरकार बेरोजगारी की समस्या को लटका रही है । जब तक एकाधिकारी गृहों, विदेशी बैंकों और उनके एककों में राष्ट्रीयकरण जैसे मूलभूत रचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक बेरोजगारी की समस्या का प्रभावकारी ढंग से समाधान नहीं किया जा सकता ।

बेरोजगारी की समस्या संकटग्रस्त मिलों, बंद मिलों आदि से संबंधित है । यदि संकटग्रस्त मिल अथवा बंद मिल को पुनः चालू किया जाता है और सरकार द्वारा उनका अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो हम देखते हैं कि सभी मजदूरों को काम पर वापिस नहीं लिया जाता । उन्हें उनके अधिकार प्रदान नहीं किये जाते । उनके अधिकारों तथा विरोषाधिकारों को कम कर दिया जाता है । यह सुनिश्चित करना श्रम मंत्री का काम है कि उन्हें उनके अधिकार और विशेषाधिकार एवं उनकी मजदूरी मिल गयी है और सभी मजदूरों को नौकरी पर वापिस बुलाया गया है ।

जहां तक नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का संबंध है, इसके लिये निस्संदेह कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, उपदान अधिनियम बने हुये हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश इन अधिनियमों में त्रुटियां मौजूद हैं और यें मजदूरों के लिये हानिकारक हैं । अतः सरकार को सभा के समक्ष तत्काल ही सामाजिक सुरक्षा के, जिसमें उपदान योजना, वृद्धावस्था की पेंशन, कर्मचारी राज्य बीमा और परिवार नियोजन आते हैं, लिये एक विस्तृत विधान पेश करना चाहिये ।

कार्मिक संघों के आन्दोलनों में पुलिस तथा गुंडों की ओर से हस्तक्षेप किया जाता है । हाल ही में बिहार के विधायक श्री सूरज नारायण सिंह को निर्दय पूर्वक पीटा गया और कार्मिक संघ के परिसर में ही उनकी हत्या कर दी गयी । श्रम मंत्री महोदय को इस संबंध म कठोर रवैया अपनाना चाहिय, ताकि गुंडागर्दी की गतिविधियों को रोकने के लिये कुछ न कुछ किया जा सके ।

जहां तक मजदूरों का प्रबन्ध में भाग लेने का संबंध है, प्रबन्ध में मजदूरों क भाग लेने का यह अभिप्राय नहीं है कि निदेशक मंडल में यत्र-तत्र कुछ लोगों को रखा जाये । मजदूरों के भाग लेने का अभिप्राय यह है कि कर्मशाला से निदेशक मंडल तक मजदूर भाग लें ।

पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 58 लाख लोग पूर्वी बंगाल से, जो उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान था, आयें हैं । पश्चिम बंगाल की सरकार ने 144 करोड़ रुपये की एक वृहत योजना तैयार की है । वह उन सभी शरणार्थियों को बसाने के लिये कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहती है । तीन या चार दिन पूर्व मंत्री महोदय ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाओं को पुनरीक्षण समिति के पास भेजा गया है । सरकार द्वारा इन योजनाओं का विश्लेषण किया जाना चाहिये। पुनर्वास के प्रश्न की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये तथा शीघ्र ही इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिये, ताकि पश्चिम बंगाल की सरकार वास्तविक पुनर्वास के कार्य आरंभ कर सके ।

मजदूरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिये, ताकि मजदूर यह महसूस कर सकें कि इस देश में उनका भी उपयुक्त स्थान है अन्यथा वे निराश हो जायेंगे । अतः, मैं ने इस विशेष बात को उठाया जो श्रमिकों के मन को उत्तेजित कर रही है ।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : There can be no dispute about the policy adopted by the Government in regard to lahourers as it has been generally supported in the conferences of representatives of the labcur. Now what is needed is that the policies cf the Government are implemented expeditiously. But it can be possible only when the officers responsible for its implementation is committed to that policy and the officers should give full cooperation in this regard. The Government should stress upon the Central and State officers to realise their responsibility in this regard.

Another thing is that our labour laws have become very old and there is great need that they should be amended. For instance, the Industrial Disputes Act has become very old and there is high time that Government give serious thought to amend the same. Similarly the Workmen Compensation Act is also required to be amended. No decision about their rights can be taken in regard to work charge labour and contract labour even after they are worked for a long time. The agricultural works are not completely organised.

As regards the working journalists, it is the appropriate time that a new Wage Board is appointed, but it should not happen that it may not be able to decide anything upto three or four years like previous Wage Board.

So far as the question of worker's participation is concerned, the participation of workers should be on equal basis and a sense of participation should be created in them. Only then it could be successful. If we don't trust them, then it would not serve purpose.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : I want to request the Minister that a Industrial Relations Bill should be brought soon in place of Industrial Disputes Act.

The Provident Fund Act should be enforced uniformly on all the categories of workers in all industries. Action should be taken against those employers, who do not deposit their contribution to the provident Fund accounts. It should also be made obligatory for them to pay bonus to workers as per recommendations of Bonus Review Committee.

Some difficulty is being experienced regarding the recognition of unions in the different industries. In this context, it can be suggested that the secret ballot system should be adopted for the purpose of elections to these unions. Unless the secret ballot system is adopted, no justice to the labourers is possible.

The textile corporation of India had indulged in great discrimination in the matter of taking over of sick textile mills. It is not known why Vinod Textile Mills in Madhya Pradesh has not been declared as a Sick Mill and it has not been taken over by the Government, when arrears upto 70 lakhs were outstanding against them.

The labourers have not got the benefits of Gratuity Bill. Bonus should be given to all catagories of workers, whether they are working in the private sector or public sector.

The figure, regarding unemployed people in the country as given by the Employment Exchanges appear to be incorrect and misleading. I think that these figures,have mislead the House, because there is great variance in the figures supplied by the different agencies. I want that Government should see whether these figures are correct or not.

I request that Minimum Wage Act should be extended and its benefits should also be given to the labourers completely. No State has implemented labour laws honestly for the benefit of the workers. It is not known that what action is proposed to be taken against those States which have not implemented the various labour legislations.

I want to say one thing aout the dispute between labourers and the employers. Working of labour unions should be investigated so as to find out solutions to their disputes with employers.

The problem of displaced persons from Pakistan is still hanging on. The condition of displaced persons at Mana Camp, Raipur in Madhya Pradesh is pitiable, because adequate attention has not been given towards their welfare. There are still 59,000 displaced persons and they should be given special assistance.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई पूर्वोत्तर) : सभापति महोदय, श्रीमन्, समय श्रा गया है कि श्रम मंत्रालय को पुनर्विचार के लिए श्रौर राष्ट्रीय श्रर्थव्यवस्था के विकास में निभा रही भूमिका पर विचार करने के लिए इस देश में श्रौद्योगिक मजदूरों की सहायता करनी चाहिये ।

मेरा यह मत है कि इस देश की राष्ट्रीय श्रर्थव्यवस्था के निर्माण में श्रौद्योगिक मजदूर भूमिका निभा रहे हैं उस पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया । दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में श्रम मंत्रालय द्वारा श्रधिक कार्य नहीं किया गया ।

128 उद्योगों के भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत 65 लाख मजदूर आते हैं। अब तक इस खाते में देश ने 2509 करोड़ रुपये वसूल किये हैं। इसमें मजदूरों को वापसी के रूप में केवल 943 करोड़ रुपये मिले हैं। 1500 करोड़ रुपये से अधिक राशि हमारी आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में लगी हुई है। तब भी औद्योगिक मजदूरों के प्रति सराहना का एक भी शब्द नहीं कहा गया। अभी नियोजकों से 135 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल करनी है। श्रम मंत्री को यह धन वसूल करना चाहिये और देश में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए लगाना चाहिये। हम कार्मिक संघ के लोग सभा के भीतर और बाहर यही कहते रहे हैं कि बहुत से उद्योगों में अंशदान की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाये, ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में अधिक बचत की उपलब्धि हो सके। ऐसा करने से पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में लगे मजदूर वर्ग की भूमिका की सराहना करना हमारे लिए अच्छा होगा। इसी प्रकार कोयला खान मजदूर निधि की 20 करोड़ रुपये से अधिक बचत को सरकार ने विभिन्न प्रत्याभूतियों में लगाया हुआ है। मजदूरों की यह समूची राशि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसलिए मजदूरी पर प्रतिबन्ध लगाने के नये दृष्टिकोण के बजाय सरकार को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिये और सुझाव देने चाहिये। सरकारी क्षेत्र में सरकार ने जो अद्यतन और हाल की नीति अपनायी है उससे इस देश के कार्मिक संघ काफी चिन्तित है। कम से कम दो उपक्रमों—हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में मजदूरों को अच्छा वेतन नहीं मिलता और उनको गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कम ही मिलता है। वे कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और वे किसी न किसी प्रकार के समझौते पर पहुंचे हैं। सरकार ने एक प्रकार का अनुमति तन्त्र बनाया है जिसको महा-समझौता तन्त्र का रूप दिया गया है और उद्योग के स्तर पर सामूहिक सौदेबाजी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। यदि सरकारी क्षेत्र के संघ यह जानते हैं कि उनके उपक्रमों के प्रबन्ध मण्डल को बातचीत करने का अधिकार नहीं हैं। वे सरकार के साथ सीधे तौर से वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बातचीत करना चाहेंगे।

हम चाहते हैं कि सरकार को प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपनायी जा रही कई गलत नीतियों को समाप्त करने में श्रम मंत्रालय को एक प्रभावकारी भूमिका निभानी चाहिये। श्रम मंत्रालय के कार्यचालन में कई त्रुटियां हैं। यदि श्रम मंत्रालय को प्रभावकारी बनना है तो प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय में श्रम कक्ष होना चाहिये और यह कक्ष सीधे तौर पर श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत होना चाहिये। तभी श्रम मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के औद्योगिक सम्बन्धों और कार्मिक नीतियों का विनियमन और नियंत्रण कर सकेगा।

मजदूर विभिन्न निधियों में जो अंशदान करते हैं, उसके उपयोग करने का कार्य मंत्रालय के नियंत्रण में होना चाहिये। इस समय ऐसा नहीं हो रहा, शायद सिवाय गोदी कर्मचारियों के आवास के मामले में। औद्योगिक मजदूरों का आवास सम्बन्धी कार्य श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत होना चाहिये।

श्रम मंत्रालय एक नियोजक विभाग है। रोजगार केन्द्र और कुछ लोगों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त उन्हें कोई भूमिका नहीं निभानी पड़ती है। अब चौथी योजना समाप्त होने वाली है और पांचवी योजना प्रारम्भ होने वाली है, अतः श्रम मंत्रालय को उद्योगवार और क्षेत्रवार रोजगार पैदा करने के लिये रखवाले के रूप में कार्य करना चाहिये। तभी यह नियोजक मंत्रालय के रूप में कार्य कर सकता है अन्यथा इसकी कोई और भूमिका नहीं है।

सभापति महोदय : श्री वर्मा, कृपया संक्षिप्त भाषण दीजिए और अपना भाषण दस मिनट में समाप्त कर दीजिए ।

Shri Ram Singh Bhai Verma (Indore) : I would not speak. If you are interested to cut the time, you can do that in the speach of the Minister.

सभापति महोदय : आप कितना समय चाहते हैं । यह निर्णय करना आपके दल के मुख्य सचेतक का कार्य है । उन्होंने मुझे लिखित रूप में दिया था कि 7 से 10 मिनट तक का समय दिया जाये ।

Shri Ram Singh Bhai Verma : I will finish my speach in time.

First of all, I would like to congratulate the young minister who have taken over the charge of labour Government had done some thing for labour which had resulted into increased production, productivity and employment in the industry till the second five year Plan. But I have found that since the second five year plan, the labour Ministry has become so slack that the decisions or promises given to labour had not been implemented. Today I find that so many labour organisation have been set up and the labourers do not listen to their leaders and every labourer takes himself as a leader wihch resulted unrest in the industry. I therfore, request the Government and the labour Ministry to think over this problem peacefully whether they have ever fulfilled their promises.

In the article 43 of the consitution, promises have been made with the Agricultural, industrial and other labour regarding the work, cost of living and living wages. But these promises still remained unfulfilled. There is no minimum wage. Figures show that their real wages have declined during the last decade. There is no reasonable bases for fixing dearness allowance and that accounted for disparity in dearness allowance at different places. The labour community is suffering as a result of the policy of Government.

Government have been talking of creating more employment opportunities. I can give the example of txtile Industry. In 1956, there were 412 mills in the whole India and there were one crore 20 lakhs 51 thousand spindles therein as also 8 lakhs and 7 thousands workers were employed, where as in 1971 the number of mills have increased to 664 and the number of spindles has arisen to one crore 80 lakhs 25 thousands but the number of workers has declined to 7 lakhs and 19 thousands., It means tha the number of mills and the word load have increased where as the number of labourers and their emoluments have declined. The working condition in textile industry is very bad and similar is the condition in coal mines. The production of coal has been increasing where as the number of workers therein has declined.

Recently Gratuity Act has passed and four months have not even passed that an owner of a mill has served a notice to the worker that his services are being terminated as he has attained the age of 58. Under the Gratuity Act, the retirement age has been stipulated at 58 years, but the family pension could be paid upto 60 years. Thus the provisions in different legislations are conflicting, which is not proper.

I would like to say that we would give cooperation as belives in discipline. And I would also request the Minister to do something for the labour.

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरी): सभापति महोदय, श्रीमन्, द्रमुक की ओर से मैं श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांग के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । मुझे आशा है कि नये श्रम मंत्री श्री रघुनाथ रेड्डी देश के मजदूर वर्ग की समस्याओं का स्थायी समाधान करेंगे ।

31-12-1972 तक 68.95 लाख बेरोज़गार लोगों ने रोज़गार केन्द्रों में नाम दर्ज कराया है, जिसमें 32.79 लाख लोग शिक्षित हैं । 8.01 लाख बेरोज़गार युवक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हैं । 1971-72 और 1972-73 में रोज़गार राहत योजनाओं के कार्यान्वयन

*मूल भाषण तमिल में दिया गया था ।

के फलस्वरूप 65,000 बेरोज़गार युवकों को रोज़गार प्रदान किये जाने के समाचार मिले हैं। इस प्रकार 1 प्रतिशत से कम लोगों को रोज़गार मिला है। ऐसा अनुमान है कि 1973-74 में ज़ोरदार रोज़गार कार्यक्रमों द्वारा 5 लाख बेरोज़गार युवकों को रोज़गार मिल सकेगा। यदि ये कार्यक्रम सफल हो गये, जैसे कि आशा की जाती है, तो 6.46 लाख लोगों को रोज़गार मिल जायेगा। किन्तु उन 62.49 लाख बेरोज़गारों का क्या होगा जिन्हें नौकरी नहीं मिल सकेगी। यदि यही गति जारी रही तो देश में बेरोज़गारी की समस्या को हल करने में सरकार को और 50 वर्ष लग जायेंगे। यदि एक सोद्देश्य और व्यापक कार्यक्रम बना कर उसे निष्ठापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जाता तो स्थिति हाथ से निकल जायेगी। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस गम्भीर समस्या का समाधान करने में अपनी समूची शक्ति लगा दें।

अब मैं बाग़ान श्रम अधिनियम के बारे में उल्लेख करूंगा जो कि 1951 में अधिनियमित हुआ था। श्रीमन्, आप जानते हैं कि देश के अधिकांश बागान विदेशियों के हाथ में है। वे लोग बाग़ान श्रम अधिनियम, 1951 के उपबन्धों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं क्योंकि उस अधिनियम में बहुत से दोष और त्रुटियां है। बाग़ान मालिक श्रमिकों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी तैयार नहीं। सभा में मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार प्रतिवर्ष आश्वासन देती रहती है कि बाग़ान श्रम अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। मैं श्रम मंत्री से स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संशोधन को लाने वाली है या नहीं। यदि उन्होंने संशोधी विधान लाने का निर्णय लिया है तो इसे कब लाया जायेगा।

मुझे यह कहने का अवसर दिया जाये यद्यपि यह मामला श्रम मंत्री के प्रभार के अन्तर्गत नहीं है किन्तु विदेश व्यापार मंत्रालय के साथ मिलकर श्रम मंत्री को चाय बाग़ानों, काफ़ी बाग़ानों और अन्य बाग़ानों के राष्ट्रीयकरण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सद्भावना का प्रयोग करना चाहिये। यदि सरकार लाखों बाग़ान श्रमिकों का न्याय करना चाहती है तो सभी बाग़ानों का तुरन्त राष्ट्रीय-करण करना चाहिये।

श्रीमन्, तमिलनाडु में बिजली की 75 प्रतिशत कटौती के कारण लाखों श्रमिक बड़ी कठिनाई में हैं। पिछले कई महीनों से वे यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भविष्य निधि में से 500 रुपये गैर-प्रतिदेय अग्रिम के रूप में दिये जायें। किन्तु भविष्य निधि आयुक्त ने असमर्थता प्रकट की है कि अधि-नियम के अधीन ऐसा नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के कार्मिक संघों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि अपवाद स्वरूप ऐसा कर दिया जाये। किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह भविष्य निधि आयुक्त को यह निदेश दें कि तमिलनाडु के कठिनाई ग्रस्त श्रमिकों को 500 रुपये तत्काल ही भविष्य निधि से अग्रिम के रूप में दिये जायें।

श्रीमन्, आप भी इस बात से अवगत होंगे कि पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था और घोषणा की थी कि श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस दिया जाये। बाद में इस सभा ने 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस निर्धारित कर बोनस अधिनियम पारित किया था। मैं एक दुःखद घटना को यहां बताना चाहता हूं। तमिलनाडु के मुदरई मिलों में 18,000 श्रमिक कार्य करते हैं और इन मिलों के मालिकों ने सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम के उपबन्धों का आश्रय लेते हुए कहा है कि वर्ष 1971-72 के लिए 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जायेगा और पिछले वर्ष के लिए पुराने बोनस अधिनियम के अनुसार केवल 4 प्रतिशत बोनस ही दिया जायेगा। मैं हैरान

हूं कि बोनस अधिनियम, 1972 के अधीन ऐसा नियम किस प्रकार बनाया जा सकता है। मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रश्न की ओर ध्यान दें और तत्काल ही आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें। यदि ऐसा कोई नियम हो तो उसे तुरन्त समाप्त कर दिया जाये।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन से केन्द्रीय सरकार के लाखों कर्मचारियों में केवल असंतोष पैदा हुआ है। वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में निर्णय लेने से पूर्व सरकार को कर्मकारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिये। सरकार को कर्मचारियों की पूर्ण सहमति के साथ वेतन आयोग की सिफारिशें के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिये।

यह बात नहीं है कि अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि से न केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी प्रभावित हैं अपितु राज्य सरकारों के कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकारों के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के अन्तर को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को अनुदान देना चाहिये जिससे राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने में समर्थ हो सकें।

श्रीमन्, यह सभा सीमेन्ट उद्योग में व्याप्त असन्तोष के बारे में अवगत है। पिछले वर्ष उन्होंने अपनी शिकायतें दूर कराने के लिये हड़ताल की थी। उस समय समूचे देश के सीमेन्ट उद्योग मजदूरों के लिए सरकार ने 25 रुपये प्रति मास की अतंरिम राहत देने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात् इस समस्या को हल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार मजदूरी में वृद्धि करने के लिए कई दिनों से जो बात चल रही है, उसकी असफलता से अम्बतूर के विग कारखाने के मजदूर असन्तुष्ट हैं। उनकी वैध मांगों को पूरा करने के लिए श्रम मंत्री को तत्काल ही मार्गोपाय ढूंढ़ने चाहिये। मद्रास पत्तन में भारतीय खाद्य निगम में कार्य करने वाले मजदूरों ने अधिकारियों को हड़ताल की सूचना दे दी है। मजदूरी बढ़ाने की और अन्य कुछ सुविधाएं प्राप्त करने की दीर्घकालीन मांगें पूरी नहीं की गई हैं। श्रम मंत्री को इन्हें बुलाना चाहिये। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने की अत्यधिक आवश्यकता है जिससे चिकित्सा प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके जिनकी दशा बड़ी शोचनीय है।

मैं अण्डमान द्वीपसमूह के रबड़ बागानों के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा। इन मजदूरों को रबड़ बागान कल्याण आदेश के अन्तर्गत छुट्टियां और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, किन्तु बागान अधिनियम के अन्तर्गत उनकी मजदूरी का निर्णय लिया जाता है। इससे रबड़ बागान के कर्मचारी भी काफी उद्वेलित हैं और उनकी उचित मांगें पूरी नहीं की जा रहीं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय उनकी समस्याएं की ओर ध्यान देंगे और मामले की आवश्यकता को देखते हुए उसका स्थायी समाधान करेंगे।

Shri Biswanath Roy (Deveria) : Mr. Chairman, there are so may problems of working journalists to which attention is to be drawn. It is pleasure to note that the Labour Minister is going to take steps to safeguard the interests of the working journalists.

I would like to make request in regard to the Gorakhpur Labour Depot. Gorakhpur Labour Depot covers 15-16 districts of Uttar Pradesh and Bihar and has been the centre for recruitment of 8,43,000 labourers since its establishment. Not only workers for coal mines but for tea plantations in Assam and for textile mills in Bombay, Calcutta, Kanpur are recruited from there, because it is a poor region and the people go out side to earn their meal ..(*Interruption*). So I would request the Labour Minister that the facilities which were available in this depot like treatment in hospital etc. should be allowed to continue.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू): समय कम मिलने के कारण मैं अपने विचार छम्ब क्षेत्र और जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अन्य भागों के शरणार्थियों की पुनर्वास समस्या के बारे में रखूंगा ।

ये लोग 1971 के पिछले युद्ध के दौरान उजड़ गये थे और उन्हें जम्मू डिवीजन के विभिन्न भागों में स्थापित शरणार्थी शिविरों में रखा गया था और केन्द्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उनके समुचित और स्थायी पुनर्वास के लिए अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी । किन्तु मुझे यह कहना पड़ रहा है कि पुनर्वास मंत्रालय इन शरणार्थियों के समुचित पुनर्वास के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहा है ।

यह जानकर मुझे हैरानी हुई है कि प्रतिवेदन में जहां तक इन लोगों के पुनर्वास का सम्बन्ध है उसके बारे में नाम मात्र का उल्लेख किया है । यह भी कहा गया है कि अब केवल 18,000 लोगों की समस्या है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन शिविरों और छम्ब क्षेत्र का स्वयं दौरा करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि अखनूर, जम्मू और जम्मू डिवीजन के अन्य भागों में सड़कों पर 60,000 व्यक्ति मारे मारे फिर रहे हैं ।

हाल ही में पाकिस्तान के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को अन्तिम रूप देने के बाद पाकिस्तान सेना के अधिकार में छम्ब क्षेत्र के कुछ भाग छोड़ दिये गये हैं । इस क्षेत्र में लगभग 6,000 परिवार रहते थे जो अब दो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं । इनके समुचित और स्थायी पुनर्वास के लिए कदम उठाना केन्द्रीय सरकार की सीधी जिम्मेदारी है ।

जो तम्बू फट गये हैं उनके स्थान पर और तम्बू लगाने के लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया था । डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो गया है कि ये परिवार उन्हीं फटे शिविरों का प्रयोग कर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार को शरणार्थी परिवारों के लिए तुरन्त नये तम्बू लगाने चाहिये ।

शरणार्थियों को सहायता की जो राशि दी जाती है वह बहुत कम है । राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि इस सहायता-राशि में वृद्धि की जाये क्योंकि इससे उनकी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

अन्त में, मैं एक ठोस सुझाव देना चाहूंगा । पुनर्वास मंत्रालय का एक विशेष कक्ष बनाना चाहिये जिसका मुख्यालय जम्मू में हो । इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी हों ताकि दैनिक समस्याओं के बारे में तुरन्त निर्णय लिया जा सके ।

हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने भी केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि इन शरणार्थियों को बसाने हेतु कृषि भूमि का पता लगाने के लिए वह जम्मू डिवीजन, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आस-पास अधिकारियों का एक विशेष दल भेजे । मंत्रालय के इस वक्तव्य से मुझे आश्चर्य हुआ कि जम्मू एवं काश्मीर में 16,000 एकड़ भूमि उपलब्ध है जबकि वास्तव में यह भूमि नहीं है । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन स्थानों का दौरा करें और इन शरणार्थियों की समस्या का समाधान करें ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Mr. Chairman, there has been a strike of 27 thousands labourers of four cloth mills in Delhi for the last many days. It is a peaceful strike and is under the support of all political parties. The workers have been demanding that their wages should be brought at par with those of Bombay and Kanpur workers. Now the management have threatened a lock out. I would request the Government to intervene in this matter and also to inform whether in view of the serious situation, the Government would consider the take over of these mills.

Shri Som Chand Solanki (Gandhi Nagar) : Mr. Chairman, I would not like to deliver a speach but I would give some points there on.

Government should allow the workers to withdraw their provident fund after 20 years

Anant Mill at Ahmedabad was paying 50 percent wages to the workers. The Government should look into it. ..

Employees State Insurance Dispensaries are not functioning well. Mostof the medicines in the dispensaries are being sold out. This should be stopped.

Government have taken over the sick mills. Durga cotton Mills, which is a sick mill, has not been taken over by the Government so far. Government shold look into it.

More loans should be given to the labour co-operative housing societies for construction of houses.

The repatriates of Indian origin from Pakistan, Tibet, Burma, Uganda and Sri Lanka are not getting adequate relief. Government should look into it. About 4-5 thousand Harijan refugees from Pakistan are staying at Thakkar Baba Nagar. I would request the Government that no interest should be charged from the co-operative society which is assisting these refugees to settle down.

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय

श्री पी० जी० मावलंकर : व्यवस्था के प्रश्न पर

सभापति महोदय : मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है ।

श्री पी० जी० मावलंकर

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं डाल रहा हूं। मैं तो भाषण करना चाहता हूं । क्या समय के आबंटन के संबंध में कोई निश्चित,प्रक्रिया बनी हुयी है । मैं इस प्रक्रिया को जानना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : आरम्भ में आप बोलने के लिये उन्हें 10 मिनट देते हैं किन्तु वे 15 मिन्ट ले लेते हैं । बाद में बोलने वाले को समय नहीं मिल पाता।

सभापति महोदय : यदि समय शेष रह जाता तो मैंने आप समय दे दिया होता । अब समय शेष नहीं रहा है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : सभापति महोदय बाद में बोलने वालों को क्यों रोकें ? मैं आप का निर्णय प्राप्त करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इस चर्चा के लिये बहुत समय था । अतः मैं मंत्री महोदय को बुला रहा हूं । अन्य लोग बोल चुके हैं और हमने मंत्री महोदय का उत्तर सुनना है ...... **(व्यवधान)**

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं सामान्य रूप से उठायी गयी विभिन्न समस्याओं के संबंध में श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के दृष्टिकोण की चर्चा करूंगा ।

प्रधान मंत्री द्वारा देश के सामने रखे गये समाजवादी उद्देश्यों के अनुरूप श्रम और पुनर्वास मंत्रालय औद्योगिक संबंध मजदूरी नीति रोजगार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण गतिविधियों आदि के समूचे क्षेत्रों में अतीत में की गयीं गतविधियों के बारे में पुर्नविचार कर रहा है ।

श्रम मंत्रालय को इस बात का विश्वास है कि औद्योगिक संबंध में तथा प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों तथा मजदूर नीति एवं उत्पादिकता में सरकार को क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिये। सरकारी क्षेत्र को समाजवाद लाने के लिये एक मुख्य हथियार के रूप में कार्य करना चाहिये । मजदूरी नीतियों औद्योगिक सम्बन्ध तथा प्रबन्ध नीतियों तथा संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों के संबंध में मूलभूत उद्देश्य को ध्यान में रख कर पुर्नविचार करना है ।

चूंकि इस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी सरकार तथा प्रशासन की है इसलिये इस उद्देश्य की प्राप्ति की काफी जिम्मेदारी देश की सभी राजनीतिक प्रवृत्तियों पर भी है जोकि समाजवाद के लिये वचनबद्ध है । विशेष रूप से यह बात आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में कार्मिक संघ आन्दोलन के विभिन्न भाग एकमत हैं। वास्तव में इस संबंध में कार्मिक संघ आन्दोलन के सभी महत्वपूर्ण भागों में पहले ही विचार विमर्श आरम्भ कर दिया गया है और आशा है कि औद्योगिक सम्बन्धों तथा प्रबन्ध व्यवस्था संबंधी मे विस्तृत नीति तैयार हो जायेगी ।

श्रम मंत्रालय भी इस बात से चिन्तित है कि एक राष्ट्रीय मजदूर ढांचा तैयार किया जाये जो समानता के उद्देश्यों के साथ मेल रखने वाला हो । लागत में वृद्धि या वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिये न्यूनतम वस्तु व मजदूर स्तर के कार्यान्वियन का प्रयास करेगा ।

श्रम मंत्रालय अन्य सरकारी संस्थाओं के सहयोग से श्रमिकों और उनके बच्चों के लिये ऐसी शिक्षा प्रणाली और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा ताकि वर्तमान परम्परावादी ढांचे को तोड़ा जा सके ।

मंत्रालय को कृषि क्षेत्र में इस बात की जानकारी है कि असंगठित श्रमिकों की विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । अतः मंत्रालय गांवों और खण्डों के स्तर पर ऐसे अभिकरण बनाने और उनके कार्यों में सुधार करने का प्रयत्न करेगा । वह विधायी तथा अन्य ऐसे उपाय करेगा जिससे इस वर्ग के लोगों को भी खाद्य, शिक्षा, आवास और चिकित्सा का न्यूनतम स्तर प्रदान किया जा सके और सामाजिक असमानताएं दूर की जा सकें ।

संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त मजदूरी मिले इसके लिये मंत्रालय सदैव मजदूरों का साथ देगा । यद्यपि जब तक अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य रहेगा तब तक श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों पर सरकारी क्षेत्र से भिन्न स्तर पर विचार किया जाना है परन्तु मंत्रालय को इस बात का विश्वास है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी श्रमिकों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और सरकारी क्षेत्र में उन्हें प्रबन्ध-व्यवस्था में अधिक भाग लेना है । गैर-सरकारी क्षेत्र में मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों और उनके परिवारों के लिये शिक्षा, आवास और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की एक हद तक गारंटी दी जावे । ताकि वर्तमान ढांचे सम्बन्धी समय-समय पर की गई शिकायतों को दूर किया जा सके ।

कुछ सदस्यों ने गोरखपुर श्रम डिपो का उल्लेख किया है । मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां वर्तमान सभी सुविधाएं जारी रखी जायेंगी। इस सम्बन्ध में नियुक्त की जाने वाली समिति गोरखपुर में समस्त रोजगार समस्या पर पुर्नविचार और सुनियोजित ढंग से रोजगार प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

जहां श्रमजीवी पत्रकारों का वेतन बोर्ड गठित करने की मांग की बात हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैंने उनके साथ तथा उनके नियोजकों के साथ बैठकें की हैं। इस सम्बन्ध में वेतन बोर्ड गठित करने की मांग के गुण दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा तथा उस पर एक उचित निर्णय लिया जायेगा।

जहां तक जम्मू में शरणार्थियों की समस्याओं का सम्बन्ध है मैं शीघ्र ही वहां जाऊंगा। मैं इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा कर चुका हूं तथा मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा।

जहां तक दिल्ली में कपड़ा मिलों की हड़ताल का सम्बन्ध है, श्रम मन्त्रालय इस मामले में सक्रिय रुचि ले रहा है। उनकी दिल्ली प्रशासन के साथ मिलकर कार्मिक संघों और नियोजकों के साथ वार्ता चल रही है। मुझे आशा है कि समस्या का शीघ्र हल निकल आयेगा।

जहां तक मास्टर पलान का सम्बन्ध है, उन्होंने लगभग 144 करोड़ रुपये का कार्यक्रम बनाया है। अगर मुझे ठीक से याद है, तो यह मामला पुनर्मूल्यांकन समिति को प्रेषित किया गया है। ज्योंहि उनका प्रतिवेदन मिल जायेगा इस पक्ष पर भी विचार किया जायेगा।

सभापति महोदय: श्री पी० जी० मावलंकर, श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री सरजू मुखर्जी और श्री रामावतार शास्त्री ने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं मतदान के लिये उन्हें रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए

the cut motions were put & negatived

सभापति महोदय: श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित मांगें रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
66.	श्रम और नियोजन विभाग	1,12,72,000
67.	श्रम और नियोजन	24,12,77,000
68.	पुनर्वास विभाग	9,72,10,000

संचार, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय आदि

बकाया अनुदानों की मांगों पर मतदान

निम्नलिखित मंत्रालयों के सम्बन्ध में ये मांगें रखी गईं :—

(1) संचार मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 14 से 18।

(2) वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 29 से 40।

(3) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 41 से 43।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 60 से 62।

(5) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 69 और 70।

(6) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 71।

(7) योजना मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 72 से 74।

(8) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 75 से 78।

(9) इस्पात और खान मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 79 से 81।

(10) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 82 से 85।

(11) निर्माण और आवास मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 86 से 88।

(12) परमाणु ऊर्जा विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 89 से 91।

(13) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 94।

(14) अन्तरिक्ष विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 98।

(15) पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 99 और 100।

(16) लोक-सभा के सम्बन्ध में मांग संख्या 101।

(17) राज्य सभा के सम्बन्ध में मांग संख्या 102।

(18) संसदीय कार्य विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 103।

(19) उपराष्ट्रपति के सचिवालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 104।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

the motion was adopted

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश करता हूं।

सभापति महोदय ने प्रस्ताव मतदान के लिये रखा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

the motion was adopted

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Chairman, Sir, I would like to speak on those points which I have submitted in writing. First of all I shall take up the last point. In U.S.A., the appointment of Governors, ambassadors and Judges is made after scrutiny by the Senate. This procedure does not allow wrong persons to come to occupy these high posts. Sir, you must be remembering an incident related to a Governor. In 1970 he had given a letter to a smuggler which had helped him in getting a passport. I had produced a copy of that letter and the Prime Minister had assured us that she would write to the Governor. In reply to the Prime Minister's letter Shri Nityanand Kanungo, the Governor of Gujarat had stated that the copy of letter produced by Shri Limaye was a bogus one. If so, the smuggler who had used that letter would have been prosecuted. Later on when the matter was taken to a court, the judge had observed that Shri Kanungo had told innumerable lies. I, therefore, urge the Government that appointment of Governors, ambassadors and judges should ubject to prior scrutiny by Parliament or a Committee thereof.

I have read in the Library that "Prime Minister Indira Gandhi is understood to be considering the question of reviving the National Integration Council which has been lying dormant for over three years". While the Prime Minister was thinking on those lines, the Union Home Minister, who is incharge of national integration, in a speech while campaigning for his party candidate in the recent bye-election from Banka Constituency of Bihar, did not talk of policies but said that Shri Limaye who belonged to Bombay had no right to contest an election from Bihar. The people of Bihar were broad minded and had given ample proof of their political consciousness by electing him thrice to Lok Sabha, because they know that Lok Sabha is representing the whole country and not any individual or any province.

Now I come to the last point, the Government often talks of Socialism. But in Socialist planning, the Planning Commission should always keep in view our limited resources both in the public and the private sectors while fixing targets priorities. There is accute shortage of transport facilities in Bihar. We should, therefore, give higher priority to the manufacture of more buses & railway coaches for third class passengers than to the so-called small car which was not going to help the common man. Only then our economy can pick-up.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा सामान्य बीमा का प्रबन्ध ग्रहण करने से पूर्व रुबी जनरल इन्शोरेन्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामले थे। इस कम्पनी के कर्मचारियों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को कई अभ्यावेदन भी दिये थे। वर्ष 1971 से उन्होंने ऐसे कई ठोस मामले बताये जहां ऐसे गोदामों के लिये अग्नि पालिसियां जारी की गई जो कभी बनाये ही नहीं गये थे और कुछ दिनों के बाद बेनामी दावेदार आकर आग की घटना का उल्लेख करते और रुबी जनरल इन्शौरेन्स उनके लिये धन की मंजूरी दे देता। इस प्रकार लाखों रुपये के दुर्विनियोग प्रबन्धकों द्वारा किया गया। वित्त मंत्री को बताना चाहिये कि इस विषय में क्या कार्यवाही की गई।

दूसरी बात यह है कि 1970-71 में बिरला बंधुओं के विरुद्ध सम्पत्ति कर के अपवंचन का मामला दर्ज किया गया था क्योंकि वे कुछ शेयरों का मूल्य घटाने में सफल हो गये और उन्होंने सरकार को झूठे विवरण पेश किये थे। किन्तु 1971 के निर्वाचन से कुछ समय पूर्व ये मामले वापस ले लिये गये। कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि किसी मंत्री को बिरला बंधुओं द्वारा 20 लाख रुपया दिया गया था। क्या सरकार उन मामलों को पुनः आरम्भ करेगी।

मैं कुछ बातें दुर्गापुर इस्पात परियोजना के बारे में भी कहना चाहता हूं। वहां उत्पादन निरंतर कम होता जा रहा है और घाटा हो रहा है। दुर्गापुर इस्पात कर्मचारी संघ की ओर से एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में त्रुटियों को दूर करने, उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि करने और संस्थान को लाभकारी बनाने के लिये सुझाव दिये गये थे। माननीय इस्पात और खान मंत्री जी को भी उस ज्ञापन की प्रति दी गई थी। पता नहीं उन्होंने उसे पढ़ा है या नहीं।

दुर्गापुर इस्पात परियोजना में मिश्रित इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी सरकार ने कोई उपाय नहीं किया है। श्रमिकों ने इस बारे में ठोस सुझाव प्रस्तुत किये थे लेकिन कुछ नहीं किया गया है। चुनाव से पहले यह वचन दिया गया था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो दुर्गापुर इस्पात परियोजना का विस्तार करने के लिये तत्काल पग उठाये जायेंगे। अब श्रमिकों ने इस बारे में सुझाव भी दिये हैं। यदि सरकार श्रमिकों का सहयोग चाहती है, जैसा कि कई बार कहा गया है तो इस दिशा में कर्मचारियों द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

अंतिम बात मैं सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के बारे में कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रसारण जनता के लिये किये जाते हैं या सत्ताधारी दल के लिये । विपक्षी दलों के लिये केवल चार या पांच मिनट ही रखे जाते हैं । शेष समय तो कांग्रेस के सदस्यों अथवा मंत्रियों के भाषणों पर ही व्यय होता है । 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक सी०आई०टी०यू० ने दूसरी कांग्रेस का आयोजन किया था । इतनी बड़ी सभा की कार्यवाही का आकाशवाणी ने बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। प्रसारण के सम्बन्ध में मंत्रालय की नीति के संबन्ध में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक दुर्गापुर का प्रश्न है, सदस्य महोदय ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है । परियोजना के पहली अवस्था अर्थात् 10 लाख मीटरी टन उत्पादन के लिये इसके कौन सलाहकार थे । उत्पादन की इतनी मात्रा प्राप्त कर ली गई थी । उस कार्मिक संघ ने भी, जिसका सदस्य महोदय प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तथ्य को स्वीकार किया है ।

जहां तक बाद में उत्पादन में विस्तार किये जाने का प्रश्न है अर्थात् 1965-66 के बाद में जो स्थिति रही उसके बारे में सदस्य महोदय को मेरे से अधिक जानकारी है कि 1967 से 1970 तक बंगाल में कितनी अशांति रही। इसी कारण उत्पादन में गिरावट आई है ।

हाल ही में उत्पादन में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है । मेरा विचार है कि प्रबन्धकों और श्रमिकों में सहयोग से ही यह संभव हुआ है । उत्पादन में और वृद्धि होने की भी आशा है । यदि सदस्य महोदय थोड़ी वास्तविकता को समझें तो वह भी वैसे ही सुखी रह सकते है जैसे में और दुर्गापुर इस्पात परियोजना के कर्मचारी ।

मिश्रित इस्पात का जहां तक संबन्ध है तो सदस्य महोदय जानते ही हैं कि मार्च, 1973 में रिकार्ड उत्पादन हुआ और संयंत्र का विस्तार करने के लिये एक समिति जांच कर रही है । इसका प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त होने की आशा है । सिफारिशें प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मुझे खेद है कि समय की कमी के कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हीं हो सकी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी-कभी मेरे मित्र ऐसे वक्तव्य दे देते है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं होता। मैंने यह बात बार-बार कही है कि समाचारों के प्रति आकाशवाणी की नीति वस्तुपरक है । बुलेटिन प्रसारित करते समय यह बात ध्यान में रखी जाती है कि उसका समय 10 मिनट से अधिक न हो और रात के बुलेटिन का समय 15 मिनट से अधिक न हो। यदि शब्दों और स्तम्भों को देखें तो इस सीमित समय के दौरान हम कठिनाई से समाचार पत्र के चार-पांच स्तभों का ही प्रसारण कर सकेंगे। परिणामस्वरूप केवल प्रमुख समाचारों को ही प्राथमिकता दी जाती है ।

एक बात जिस पर बार-बार चर्चा की जाती है, वह यह है कि विपक्षी दलों का रेडियों पर कोई उल्लेख नहीं किया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है । समय-समय पर हम सर्वेक्षण करते रहे है और जनता के सामने यह बात रखते रहे हैं कि विपक्षी दलों को कितना समय दिया गया है । इस बारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । जब लोक सभा भंग हुई अर्थात् दिसम्बर, 1970 से फरवरी, 1971 के अन्त तक कांग्रेस दल को 17 घंटे और 35 मिनट का समय दिया गया जबकि विपक्षी दलों को 47 घंटे और 21 मिनट मिले थे । आपको स्मरण होगा कि विभिन्न दलों के चुनाव घोषणा पत्र के लिये हमने काफी समय दिया था। कांग्रेस दल के चुनाव घोषणा पत्र के लिये 1 घंटा 47 मिनट दिये गये जबकि विपक्षी दलों को 7 घंटे और 41 मिनट का समय दिया गया।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): सभापति महोदय : श्री मधु लिमये सभा से चले गये हैं किन्तु अभी तक उन पर चुनाव का मूड चढ़ा हुआ है। उन्होंने गृह मंत्री के वक्तव्य की व्याख्या गलत की है। मुझे नहीं लगता कि श्री उमाशंकर दीक्षित जैसे उच्च व्यक्ति ने ऐसे अभिप्राय से कोई बात कही हो।

श्री भट्टाचार्य ने रुबी बीमा कम्पनी का उल्लेख किया है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था जिसका 5 मई, 1972 को उत्तर दिया गया था। एक पत्र इन्शुअरेंस कम्पनी के ध्यान में विशेष रूप से लाया गया था। लेकिन पता चला कि सम्बन्धित व्यक्ति ने ही इस बात से इंकार किया था कि मैंने यह पत्र लिखा था। यदि सदस्य महोदय के पास कोई जानकारी है तो वह मुझे बता दें।

जहां तक कर सम्बन्धी जांच का प्रश्न है कुछ मामले आरम्भ नहीं किये गये क्योंकि विधि मंत्रालय का विचार था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

सरकार ने यह बात मान ली है कि सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाये। योजना आयोग ने भी इस प्राथमिकता को स्वीकार कर लिया है। श्री मधु लिमये ने यह बात उठाई थी और स्वयं इसका उत्तर भी दे दिया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियन सूत्र और नाम विधेयक का अंग है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों को लेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों और संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

26वां प्रतिवेदन

श्री जे० एम० गौडर (नीलगिरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, 25 अप्रैल, 1973 को सभा में प्रस्तुत की गई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 26वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति ने उक्त प्रस्ताव रखा

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

राज्य सभा का उत्पादन के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब हम श्री विभूति मिश्र द्वारा 30 मार्च, 1973 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे :—

"यह सभा राज्य सभा के उत्सादन की व्यवस्था के लिये संविधान में संशोधन वाले विधेयक को पेश करने हेतु सरकार को निदेश देती है।"

केवल 25 मिनट शेष हैं ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यदि मेरे संकल्प को पेश करने की अनुमति मिल जाती है तो कुछ समय की आवश्यकता होगी। मैं अपना भाषण बाद में दूंगा। मैं संकल्प को पेश करने के लिये समय चाहता हूं ।

सभापति महोदय : श्री समर मुखर्जी का संकल्प न लिया जा सकेगा। श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का भी एक संकल्प है ।

श्री समर मुखर्जी : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मुझे केवल संकल्प पेश करने दिया जाये।

सभापति महोदय : जब तक यह चर्चा समाप्त न हो जाये तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : श्री मिश्रजी ने संकल्प पेश करके विवाद पैदा कर दिया है और सभा के कुछ सदस्यों की भावनाओं को भी ठेस लगी है।

जहां तक संकल्प का प्रश्न है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। यद्यपि श्री मिश्र ने अपने दावे के समर्थन में महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों के उदाहरण दिये हैं कि वे भारतीय संविधान के अन्तर्गत द्वितीय सदन के विरुद्ध थे। कुछ सदस्यों ने राज्य सभा की तुलना हाउस आफ लार्डस से की है। कुछ सदयों ने कहा है कि राज्य सभा रूढ़िवादी विचारधारा व्यक्त करती है। अतः संकल्प पेश करते समय उनके मस्तिष्क में यह बात नहीं कि राज्य सभा अनावश्यक है। अन्य देशों के द्वितीय सदनों का अध्ययन करके भी पता चलता है कि उनका उद्देश्य दूसरी सभा पर विधायी नियंत्रण रखना है ।

कई ऐसे सामंतवादी देश भी हैं जहां द्वितीय सदन आवश्यक समझा गया। हमारे देश में भी अनुच्छेद 169 तथा अन्य अनुच्छेदों के अधीन राज्य सभा का गठन किया गया था। लोक सभा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य सभा राज्यों का। भारत में संघीय आधार पर बनाई

गई एकात्मक सरकार के होते हुए लोक सभा लोकप्रिय अथवा राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्य सभा उन्हीं लोगों के ग्रुप का जिन्हें हम राज्य कहते हैं, प्रतिनिधित्व करती है। हम विभिन्न राज्यों के अलग व्यक्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते।

परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सभा का वर्तमान गठन उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती जिसके लिए उसे बनाया गया था। संविधान की दृष्टि में प्रत्येक राज्य समान है। राज्य सभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व न देकर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य भी हैं जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि राज्य सभा के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए किन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि उस स्थिति मे वहां भी जनता की सभा ही बन जायेगी और उसका रूप भी लोक सभा का रूप ही हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ श्री विभूति मिश्र द्वारा पेश किये गये विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर : श्री विभूति मिश्र द्वारा पेश किया गया संकल्प स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भारत में द्विसदन की पद्धति बहुत आवश्यक है। भारत में यदि हम दूसरे सदन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम संघवाद की धारणा पर तुषारपात करते हैं।

एक सदन की पद्धति बनाम द्विसदन की पद्धति पर काफी चर्चा हुई है। सैद्धांतिक रूप से एक सदन की पद्धति काफी आकर्षक नज़र आती है लेकिन व्यावहारिक रूप में सभी देश द्विसदन की पद्धति अपनाना चाहते हैं क्योंकि द्विसदन की पद्धति अपने सभी दोषों के बावजूद व्यवहार्य एवं लाभकारी है।

एक सदन की पद्धति के पक्ष में कहा गया है कि दो सदन रखने में बहुत खर्चा होता है और भारत जैसे देश में दो सदनों को बनाये रखना हमारे देश के सीमित संसाधनों का दुरुपयोग करना होगा। इसके अलावा द्विसदन पद्धति में काफी दोहरा काम होता है। और कानून के बनने में भी विलम्ब होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि एक सदन में दिये गये भाषण ही प्रायः दूसरे सदन में दोहराये जाते हैं, कोई नई बात नहीं कही जाती। इस कारण भी दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही यदि दूसरा सदन रखने से यह भी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पास किये विधानों में आवश्यक सुधार करेगा। यह भी कहा गया है कि यदि दो सदन हों तो उनका परस्पर विरोध भी अवश्य होगा। इससे राजनीतिक कठिनाइयां भी उत्पन्न होंगी।

इन सब तर्कों के बावजूद द्विसदन की पद्धति व्यावहारिक रूप से ठीक ही है। क्योंकि अकेला सदन निरंकुश हो जाता है और सर्वेसर्वा बन जाता है। गलती होने पर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। द्विसदन पद्धति इसलिए भी जरूरी है कि प्रथम सभा द्वारा पास किये गये विधान को पुनः देखने और उसे अच्छे ढंग से पेश करने की गुंजाइश रह जाती है।

किसी विभिन्न समुदाय वाले देश में द्विसदन पद्धति बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। हमें कई प्रकार के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है और यदि देश में केवल एक ही सदन हो तो

30 LSS/73—12.

कुछ समुदायों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। देश में दूसरा सदन रहने से उन लोगों के हितों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। यदि देश में विभिन्न समुदाय हों तो फिर द्वि-सदनी पद्धति सुविधाजनक एवं उपयोग होगी।

संघीय ढांचे में द्विसदनी पद्धति का होना अत्यावश्यक है। अमरीका और अन्य देशों में जहां द्विसदनी पद्धति है तथा संघीय ढांचा है वहां एक सदन जनसंख्या के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व की संस्था के रूप में कार्य करता है और दूसरा सदन संघबद्ध राज्यों के दर्जे की समानता के आधार पर कार्य करता है। अतः यदि हम राज्य सभा का उत्सादन कर देंगे तो इसका अर्थ राज्यों तथा भारत के संघ का उत्सादन करना होगा। अतः हमें राज्य सभा को समाप्त नहीं करना चाहिए।

सभा को इस प्रश्न पर शैक्षणिक हित को ध्यान में रखकर ही विचार नहीं करना चाहिए। हमें इस मामले पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना चाहिए और एक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि द्विसदनी पद्धति सुविधाजनक है। यदि वर्तमान द्विसदनी पद्धति में कुछ त्रुटियां हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए। किन्तु इस पद्धति को समाप्त नहीं करना चाहिए।

1906 में फिनलैण्ड ने द्विसदनी पद्धति का उत्सादन किया था। डेनमार्क, स्वीडन ने और अभी हाल ही में श्रीलंका ने इस पद्धति को समाप्त किया है। किन्तु इन जिन देशों ने इस पद्धति को समाप्त किया है वे छोटे-छोटे तथा ऐकिक राज्य है। किन्तु उन देशों में जहां अधिक जनसंख्या है, विभिन्नता तथा संघीय प्रणाली है, द्विसदनी पद्धति को व्यावहारिक, सहायक, उपयोगी तथा अपरिहार्य समझा गया है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : यह कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषदें खत्म कर दी गई हैं। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि जब राज्यों की विधान परिषदें खत्म की जा सकती हैं, तो राज्य सभा को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 169 को देखें तो हमें पता चलेगा कि सम्बन्धित राज्यों को विधान सभाओं को उन राज्यों की विधान परिषदों को खत्म करने या उनका गठन करने के लिए कुछ बहुमत से संकल्प पारित करना होता है। लेकिन राज्य सभा के मामले में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे राज्य सभा को समाप्त किया जा सके।

हमारी राज्य सभा के इतिहास से पता चलता है कि वहां पर जो भी वाद-विवाद हुआ है, वह बहुत ही मर्यादापूर्ण रहा है और जिन बातों को इस सभा में नहीं उठाया गया, वे बातें उस सभा में उठी हैं। दूसरे सदन ने उन महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रश्नों पर पूरी तथा निष्पक्ष चर्चा करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिन्हें इस सभा में किन्हीं कारणों से समय नहीं दिया जा सका। वर्ष 1952-56 के दौरान राज्य सभा में 101 विधेयक पेश किये गये थे, जिसमें हिन्दू कोड विधान और अन्य विवादास्पद विधान शामिल है। राज्य सभा में किये गये कार्य से हम यह कह सकते हैं कि इसके उत्पादन के बारे में किसी को भी सोचना नहीं चाहिए।

प्रस्तावक ने व्यय के बारे में उल्लेख किया है। वर्ष 1973-74 के लिए केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय 4752 करोड़ रुपये है, जिसमें से इस वर्ष के लिए राज्य सभा हेतु जो प्रावधान किया गया है, वह 1,19,47,000 रुपये है, अर्थात यह कुल व्यय का 0.025 प्रतिशत बैठता है। अतः उस संकल्प के प्रस्तावक इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत अधिक नहीं है। इसलिए, उन्हें अपने संकल्प के लिए जोर नहीं डालना चाहिए और इसे वापस ले लेना चाहिए।

Shri Bibuti Mishra (Motihari) : Although this Bill could not get much support, yet members feel that the structure of Rajya Sabha need streamlining.

Hon'ble Minister has said that a sum of Rs. one crore has been spent in Rajya Sabha. It means that we have spent Rs. 25 crores during the last 25 years. The money could be spent on providing more irrigation facilities.

It is said that the Rajya Sabha is the representative body of the states. Every state has a Legislative Assembly whose members are the representatives of the people. If the Members of the Rajya Sabha are the representatives of the States, then they should be responsible to the state Legislative Assemblies. But it is not so. Fact is that the Member of the Rajya Sabha are elected on the basis of the strength of various political parties in the Legislative Assemblies. It is not correct to call them the representatives of the States.

If Government desires, there is no difficulty in amending the Constitution as many amendments have so far been made in the Constitution.

Present trend in the world is that there should not be the second chamber. In our country there is no need for the continuance of Rajya Sabha.

Ministers are responsible to the Lok Sabha but they have to go to Rajya Sabha as well resulting in much inconveniance to them. They find it difficult to carry on their work smoothly.

It has been said that by maintaining second chamber, the quality of legislation improves. But the fact is that the maintenance of thequalit y of legislature depends primarily on the procedure of work and technique used law-making. This technique depends more on the Ministry of Law than the Rajya Sabha.

There is a difference between the second chambers in India and England. In England, the members of the House of Lords do not regular pay. Their allowance is also very low. But in India Government has to spend much on Rajya Sabha. Bicameralism is on the declime in England and France. There is no need of second chamber in our country.

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

THE RESOLUTION WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN.

पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF EASTERN REGION

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"यह सभा देश के पूर्वी क्षेत्र के, विशेषकर उड़ीसा के, जो उस भाग का आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, औद्योगिक विकास हेतु तुरन्त पग उठाने का अनुरोध करती है।"

इस देश में गत दो दशकों के आयोजन के बावजूद भी उड़ीसा की अर्थव्यवस्था आज भी खराब है। भूमि पर जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और उड़ीसा और देश के शेष पूर्वी भाग में औद्योगिकीरण की गति अभी तक भी धीमी है।

जहां तक बिजली के प्रति व्यक्ति उपभोग का सम्बन्ध है, इस समय उड़ीसा का समूचे देश में 12वां स्थान है। देश में पिछड़ेवर्ग की जनसंख्या उड़ीसा में सबसे अधिक है और यह 40 प्रतिशत बैठती है।

उड़ीसा में स्थापित किये जाने वाले कारखानों की संख्या कम होती जा रही है। 1968 में चल रहे कारखानों की संख्या 1,129 थी। 1971 में यह संख्या कम होकर 938 हो गयी। इस समय भी यह स्थिति बेहतर नहीं है।

उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय 325 रुपये है जो इस समय देश भर में सब से कम है। सिंचाई के सम्बन्ध में भी उड़ीसा में कुल सिंचाई क्षेत्र 15.21 प्रतिशत है, जबकि यह तमिलनाडु में 32.67 प्रतिशत है और पंजाब में 30.00 प्रतिशत है।

बिजली के सम्बन्ध में उड़ीसा में 46,000 ग्रामों में से गत 25 वर्षों में केवल 4995 ग्रामों को बिजली दी गयी है। और केवल 1399 पम्पों को विद्युत प्रदान की गयी है। असम में 677 ग्रामों को बिजली दी गयी है, जबकि 105 पम्पों को बिजली प्रदान की गयी है जबकि तमिलनाडु में 13,000 ग्रामों को बिजली दी गयी है, और 6,36,134 पम्प सैटों को विद्युत प्रदान की गयी है। महाराष्ट्र में 14,397 ग्रामों को बिजली दी गयी है और 2,71,000 पम्प सैटों को विद्युत प्रदान की गयी है।

बेरोजगारी की समस्या जटिल होती जा रही है और इस समय यह पूर्वी क्षेत्र में बहुत ही गम्भीर समस्या बन चुकी है। उड़ीसा में रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में 3,00,000 युवकों और शिक्षित व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल में रजिस्टरों में 14 लाख युवकों के नाम दर्ज हैं और असम में यह संख्या 80,000 है और बिहार में 7,00,000 लोगों के नाम रजिस्टरों में दर्ज हैं। उड़ीसा में 65 प्रतिशत लोग गरीबी से भी कम स्तर का जीवन बिता रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या यहां देश में सबसे अधिक है।

रेलवे लाइन के मार्ग के क्षेत्र के सम्बन्ध में, उड़ीसा में यह लगभग 1686.78 किलो मीटर है, बिहार में यह 5.201 किलोमीटर है; असम में यह क्षेत्र 2193.80 किलोमीटर है; गुजरात में यह 5,431.42 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 5,192.97 किलोमीटर है।

यह बात उल्लेखनीय है कि उड़ीसा मूल्य के अनुसार देश के खनिज उत्पादन का 75 प्रतिशत उत्पादन करता है। इसमें 90 प्रतिशत कोयला भण्डार है। यह समूचे देश के 80 प्रतिशत लौह-अयस्क से सम्पन्न है। यहां तेल और प्राकृतिक गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसमें देश के मैंगनीज के 89 प्रतिशत निक्षेप हैं। यहां देश के 60 प्रतिशत आणविक तत्व और सर्वश्रेष्ठ तत्व और सर्वश्रेष्ठ निकल निक्षेप भी उपलब्ध है। इसकी अनुमाँनित पनजल विद्युत् क्षमता 4,217 मेगावाट का उत्पादन करने की है जिससे समूचे देश को लगातार कई वर्षों तक बिजली मिल सकती है। वहां तापीय विद्युत् के उत्पादन की भी असीम गुंजाइश है। उड़ीसा बंगाल और बिहार में कोयले के बहुत अधिक भण्डार उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करने में हम समर्थ नहीं हो पाये हैं। किन्तु इसमें विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा कुछ योजना करने की आवश्यकता है। आज गैर-सरकारी, सफेद और काले धन के अतिरिक्त सरकार का लगभग 12000 करोड़ रुपये का साख ऋण पर नियंत्रण है। राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम और अन्य ऋणदाता संस्थाओं जैसे सरकारी ऋणदाता अभिकरण हैं। उनका कम से कम 12,000 करोड़ रुपये पर नियंत्रण है। यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्त्तव्य है कि प्रादेशिक असंतुलन समाप्त हो। अतः जब तक हम पिछड़े क्षेत्रों में अधिक धन नहीं जुटाते तब तक प्रादेशिक असंतुलन समाप्त नहीं होगा। किन्तु इस सम्बन्ध में सरकारी अभिकरण ध्यान नहीं दे रहा है। अतः हम देखते हैं कि जून 1973 में औद्योगिक वित्त निगम ने उड़ीसा को जो ऋण दिया था वह केवल 5.23 करोड़ रुपये था और जुलाई 1964 से जुन 1972 तक आई० डी० बी० ने 12.72 करोड़ ऋण दिया था।

जून 1972 के अन्त तक के सरकारी बैंकों की जमा राशि और अग्रिमों के आंकड़ों से यह पता चलता है कि बैंक पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य नहीं करते। वास्तव में वे पिछड़े क्षेत्रों से जमा राशि जुटा लेते हैं और उन्हें विकसित राज्यों में लगा रहे हैं।

पारादीप पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के लिए और पिछड़े भीतरी प्रदेशों में उद्योग को आकर्षित करने हेतु सहायता देने के लिए बनाया गया है। यदि केन्द्र ने पारादीप से सुकिंदा तक लाइन बनाने के लिए जापानियों के आकर्षक प्रस्ताव को रद्द नहीं किया होता तो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता था। अब मैं यह सुझाव दूंगा कि तालचर-विमलघर रेलवे लाइन को बांसपानी तक बढ़ाने के कार्य को शीघ्रता से किया जाये।

उड़ीसा में निकल संयंत्र के निर्माण कार्य का उद्घाटन 1972 में किया गया था। किन्तु इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, क्योंकि वे स्थानीय लोगों की भरती नहीं करना चाहते। निकल संयंत्र का शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए और इसके मुख्यालय को उड़ीसा में स्थित किया जाना चाहिए।

मलनटोली लौह अयस्क परियोजना का निर्माण कार्य शुरु किया गया है। इसके काम को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

हमने पारादीप में एक पोत-कारखाने को स्थापित करने की मांग की थी। हम यह नहीं कहते कि पोत कारखाने को हल्दिया की बजाय पारादीप में स्थापित किया जाना चाहिये। हम तो यह चाहते हैं कि पारादीप और हल्दिया दोनों में पोत कारखानों की स्थापना की जाये।

मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने बताया है कि कीझंर जिले में एक उपयुक्त इस्पात संमंत्र को स्थापित करने के लिये नयागढ़ बहुत ही कम खर्चीला क्षेत्र है। जब हमारे यहां इस्पात की कमी है, तो हम स्थान सम्बन्धी सर्वेक्षण और अन्य बातें क्यों न शुरु कर दें, ताकि कम से कम 1980 तक तो सब कुछ तैयार हो जाये।

पांचवीं योजना में योजना आयोग को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, अरुणाचल मीजोरम जैसे पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के लिए 8..764 करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिए, ताकि आने वाले 5 से 7 वर्षों में उस क्षेत्र के लोग यह महसूस कर सकें कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास कर रही है कि यह क्षेत्र शेष भारत के साथ बराबरी करने लगे।

सभापति महोदय ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:

"कि यह सभा देश के पूर्वी क्षेत्र के, विशेषकर उड़ीसा के, जो उस भाग का आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, औद्योगिक विकास हेतु तुरन्त पग उठाने का अनुरोध करती है।"

समें एक संशोधन करने की सूचना श्री राम अवतार शास्त्री ने दी है। वह अनुपस्थित हैं। इसलिए संशोधन पेश नहीं किया गया है।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : I support this resolution because it deals with the development of Eastern region as well as it is about backward areas also.

30 LSS/73—13.

At present, the most backward areas of the country are that of Adivasis and Madhya Pradesh has the most backward Adivasi areas. Second is that of Bihar and third Orissa. A population of 80-90 lakhs of Adivasis is in only one state, Madhya Pradesh. They are leading their lives under deplorable conditions. There are shortages of every thing but nature has endowed this area with forests, minierals but these resources have not been exploited properly and the nation has not taken full advantage of these forests due to several reasons.

According to a recent Survey report about Bilaspur district, Sarguna and Bastar, there is 22 lakh of tonnes of Mica deposits. There are coal copper, Mica, aluminium mines in these areas.

There were some factories in the private sector but now Government have stopped giving permission for them. Government itself is not exploiting these resources. So the question is on the one hand Government have stopped issuing prmits resulting in closure of those industries and spread of unemployment among the people there and on the other hand Government wants to nationalise these minerals but nothing substantial is being done in this direction as a result of which the adivasis are suffering. Government should pay attention to this aspect so that these areas are developed properly. These areas lack railways, roads as well as there is an acute shortage of drinking water inspite of the fact that many rivers flow through these areas. It has Narmada River. The Madhya Pradesh Government have submitted plans for construction 225 dams to the Central Government. ....

सभापति महोदय : यह संकल्प देश के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर उड़ीसा में विकास के सम्बन्ध में है अतः आप उसी के बारे मे बोलिये ।

Shri Bharat Singh Chauhan: As backward areas have been referred in it that is why I am mentioning all these things.

A few days ago, the Industry Minister of the state has written to the Central Government about the large iron deposits in Beladila which could be exploited on large scale. Government have not paid any attention to the survey report. I want to request Government that they should take up the work in regard to the suggestion made by the Madhya Pradesh Government about Beladila. An steel factory should be set up there so that this backward area is developed.

श्री धनमाबी पटनायक (पुरी) : मेरे माननीय मित्र श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का मैं समथन करता हूं। उन्होंने सभी तथ्यों तथा आंकड़ों की सहायता से पूर्वी क्षेत्र के विकास में आने वाली बाधाओं का तथा विशेषकर उड़ीसा के पिछड़ेपन का वर्णन किया है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि उड़ीसा की दूसरे राज्यों की तरह तेज गति से प्रगति नहीं हो सकी। इस प्रदेश की 1936 में स्थापना की गई थी तथा पुनः 148 में 26 और भूतपूर्व प्रदेश इसमें विलय किये गये तथा यह राज्य अपने वर्तमान रूप में 1948 में स्थापित हुआ। इसका विकास कई कारणों से नहीं हो सका है। हीराकुंड परियोजना के विलम्ब से कार्यान्वित होने से आवश्यक विद्युत् तथा सिंचाई की व्यवस्था नही की जा सकी। इस क्षेत्र में लोहा मैंगनीज क्रोमियम, बौक्साइट, निकल सीसा आदि के बड़े 2 भंडार हैं तथा हाल में ही यहां सोने की खानों का पता चला है। रानीगंज, आसनसोल तथा तलचेर के कोयले के भण्डारों का तो सब को पता है। वहां छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये सभी संसाधन उपलब्ध हैं। सिंचाई संसाधन भी वहां काफी है किन्तु फिर भी यह क्षेत्र विकास नहीं कर पा रहा है

कल जब मैं रक्षा बजट के बारे में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि हरियाणा तथा पंजाब का विकास कृषि तथा लघु उद्योगों की वजह से नहीं अपितु इस लिये हुआ कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में सेना के लोग बसे हैं। यह दोनों राज्य 250 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष सेवा निवृत्ति के रूप में पाते हैं। इस सम्बन्ध में इन्हें 300 करोड़ रुपये और भी मिलते हैं। इतना रुपया जीवन बीमा निगम अथवा वाणिज्यिक बैंक नहीं दे सकते हैं। इस धन से इस क्षेत्र का विकास किया जाता है तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। अतः यदि सभी क्षेत्रों से भरती की जाये तो इस समस्या का काफी सीमा तक समाधान हो सकता है तथा यह लोग भी लघु उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं।

हमने एक प्रश्न उठाया था कि लोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये क्यों आगे नहीं आते। इसके लिये लगभग 86 लाइसेंस भी लघू उद्योगों को जारी किये गये हैं किन्तु वह लोग उद्योगों की स्थापना नहीं करते। औद्योगिक विकास मन्त्रालय कोटे की सिफारिश करता है तथा पिछले दो वर्षों से उन्होंने पैसा जमा करा दिया है। किन्तु उन्हें कोटा नहीं मिलता और वहीं कोटा कहीं और बेच दिया जाता है। यदि उन्हें कच्चा माल नहीं दिया जाता तो वह उद्योग कैसे स्थापित कर सकते हैं।

यहां पर 40%-लोग अनुसूचित जातियों के हैं। उनके पास खरीद के लिये पैसे नहीं है। वह बहुत ही गरीब लोग हैं।

हमारे आयोजना दृष्टिकोण में कुछ खराबी है। यदि हम समुचित ढंग से निदेश नहीं करेंगे तथा कार्यान्वयन के मामले में भी शिथिलता दिखायेंगे तो फिर मंत्री निदेश करने के बावजूद भी हमारी उपलब्धि कुछ नहीं होगी।

पूंजी लागत बढ़ती जा रही है। हम इसमें कमी नहीं कर सकते। यही दशा हीरा कुंड परियोजना की भी है। यह एक बहुद्देशीय बांध है? आशा है कि व्यय का कुछ भाग बाढ़ नियंत्रण के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। किन्तु इस प्रश्न पर अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

तत्पश्चात् यातायात पद्धति का भी इस क्षेत्र में समुचित विकास नहीं हुआ है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में नरेशों के राज्य थे। क्या कारण है कि इन भागों में संचार व्यवस्था का विकास नहीं हो सका है। यातायात के साधनों के बिना उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते और बिना उद्योगों के यातायात के साधन नहीं हो सकते। यह एक दुष्चक्र है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

रेल मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वहां उद्योगों के विकास में बाधा न पहुंचे क्योंकि वहां रेल लाइनें नहीं हैं। इस बात पर राजनीतिक स्तर पर निर्णय किया जाना चाहिए कि क्या हम इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री एम० राय गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, किसी भी राष्ट्र में पिछड़े लोग नहीं होने चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र का यह उद्देश्य होना चाहिये कि उसका कोई भाग पिछड़ा न रहे किन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश का पिछड़ापन ब्रिटिश शासकों के शासन काल से अभी तक चला आ रहा है।

सभापति महोदय : मैं सदन से पूछना चाहूंगा। आज आधे घन्टे की चर्चा तय है। साधारणतया इस पर 6 बजे शाम को चर्चा होती है। श्री पाणिग्रही के संकल्प पर शाम 5.10 बजे पर चर्चा आरम्भ हुई और इसके सम्बन्ध में 12 सदस्य बोलेंगे तथा अभी तो दो ही बोले हैं। अतः सभा से पूछना चाहूंगा कि क्या इस संकल्प पर चर्चा जारी रखी जाये अथवा आधे घन्टे की चर्चा ली जाये।

कुछ माननीय सदस्य : आधे घन्टे की चर्चा ली जाये।

सभापति महोदय : अब आधे घन्टे की चर्चा होगी। श्री गोपाल रेड्डी कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

जहाजरानी निगम द्वारा हाल ही में खरीदे गये जहाजों की मरम्मत पर व्यय*

EXPENDITURE ON REPAIRS OF NEWLY PURCHASED SHIPS BY SHIPPING CORPORATION

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : भारतीय जहाजरानी निगम नए जहाजों की मरम्मत पर बहुत धन व्यय कर रहा है "जिसे तैरता हुआ कबाड़" कहा जा सकता है। इस कार्य पर व्यय की गई बहुत बड़ी धन-राशि से पता चलता है कि निगम ने जो जहाज खरीदे हैं वे केवल तैरते हुए कबाड़ हैं। उन्हें क्रय करने में बड़ी गम्भीर गलती की गई है।

अपने उत्तर में मन्त्री महोदय ने 8 जलयानों के नाम बताए हैं किन्तु हर व्यक्ति इस बात का पता कर सकता है कि इनमें से हमें केवल तीन जलयानों के नाम ज्ञात हैं जबकि अन्य जलयानों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। निगम द्वारा 1969 में प्राप्त किए गए जवाहरलाल नेहरू नामक जलयान पर 61 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

मरम्मत करने के इस सारे मामले की जांच एक निष्पक्ष विशेषज्ञ समिति द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि इस पर जो धन राशि व्यय की गई है वह विदेशों में मुद्रा के रूप में व्यय की गई है। दूसरा गम्भीर मामला जिसकी जांच की जानी चाहिए वह यह है कि कुछ अधिकारियों पर, जिन्हें बम्बई में समुद्र के 'तट' पर कार्य करने के लिए तैनात किया गया था, बहुत बड़ी धन राशि व्यय की गई है। इन अधिकारियों को, जिनमें सभी इन्जीनियर हैं, अधिक वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं यद्यपि वे तट पर डेढ़ वर्षों से ही कार्य करते आ रहे हैं। यह राशि तट पर किए जाने वाले वेतन से कई गुना अधिक है किन्तु इन अधिकारियों को तट ग्रेड में रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है लोकहित में भारतीय जहाजरानी निगम के कार्यकरण की उच्चस्तरीय जांच करनी अत्यावश्यक है। मन्त्री महोदय को बताना चाहिए कि क्या सरकार भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा की गई मरम्मत की जांच में लिए एक निष्पक्ष विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी और क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने के लिए तैयार है ?

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड की कार्य पद्धति से सम्बन्ध होने के कारण, जोकि भारतीय जहाजरानी निगम के कार्य से सम्बन्ध रखती है यद्यपि इस निगम की विशालता के कारण कुछ समस्याएं हैं किन्तु इससे होने वाले लाभ से पता चलता है कि यह हमारे अच्छे सरकारी उपक्रमों में से एक है। इस तथ्य की दृष्टि से कि जहाजरानी का एक बड़ा भाग सरकारी उपक्रमों के आधीन है तथा इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने सिफारिश की है कि व्यापारिक फर्मों तथा बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों पर एम०आर०टी०पी० एक्ट लागू नहीं करना चाहिये। समवाय कार्य मन्त्री ने कुछ दिन पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इसे स्वीकार कर लिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जहाजरानी में ये दो तथ्य विशालता तथा जहाजरानी निगम की सफलतापूर्ण कार्य संचालन ....

*आधे घन्टे की चर्चा।

Half an hour Discussion.

सभापति महोदय : यह प्रश्न जलपोतों की मुरम्मत पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में है, अतः इसके अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछने चाहियें।

श्री बी० बी० नायक : इस वर्ग के अन्तर्गत बहुत पहले से स्थापित फर्मों के सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार निजी उद्यमियों को बिल्कुल दबा देना चाहती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस सम्बन्ध में मेरे पास जो सूचना है तथा जो उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया है इन दोनों में अन्तर है। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उत्तर से सदन को गुमराह किया है।

सभापति महोदय : आपने अन्तर का जिक्र किया है । वह उसका उत्तर दे रहे हैं।

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर का बड़ा सम्मान करता हूं किन्तु जैसे कि उन्होंने कहा है कि मैंने सदन को गुमराह किया है, इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने इस सम्बन्ध में सभी तथ्य दे दिये हैं। उन्होंने 26 फरवरी, 1973 को यह प्रश्न पूछा था कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम को नये खरीदे गये जलपोतों पर बहुत व्यय करना पड़ा है ; और

(ख) अगर हां, तो इन जलपोतों के नाम क्रय का वर्ष तथा उस पर व्यय की गई कुल राशि क्या है ?

मैं ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया था कि :

"1970–71 तथा 1971–72 में भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा खरीदे गये जलपोतों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा गया है" ।

मैंने दो वर्षों के बारे में ही सूचना दी है क्योंकि मैंने सोचा था कि वह नये खरीदे गये दो जलपोतों के बारे में ही पूछना चाहते हैं, उन्होंने पुराने जलपोतों का तथा उन जलपोतों का जो दो वर्ष पहले खरीदे गये थे जिक्र नहीं किया है। मेरे पास जलपोतों की मुरम्मत सम्बन्धी सूचना नहीं थी क्योंकि इन्हें 1972–73 में खरीदा गया था तथा यह सूचना वर्ष समाप्त होने के बाद ही दी जा सकती है। अतः मैंने दो वर्षों के बारे में ही सूचना दी है।

मैंने उत्तर में बताया है कि मरम्मत तथा रख-रखाव पर होने वाले कुल व्यय का अनुपात आय का 6.96 प्रतिशत तथा उनकी कुल कीमत का 3.11 प्रतिशत है तथा यह दोनों अनुपात सही हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, अर्थात् जलपोतों के नाम, तो आपको विवरण देखने से पता चलेगा कि मैंने उनके नाम दिये हैं। मैंने उनके क्रय करने के वर्षों का विवरण भी दिया है तथा उन देशों का नाम जिनमें उनका निर्माण हुआ है तथा उनसे प्राप्त होने वाली आय तथा कुल मूल्य तथा मरम्मत पर होने वाले व्यय का भी ब्यौरा दिया है। वास्तव में जो सूचना उन्होंने मांगी थी मैंने दे दी है।

उन्होंने जो जहाजरानी निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की प्रशंसा की है मैं उससे सहमत हूं। किन्तु साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि......

एक माननीय सदस्य : उनके पास बहुत अधिक कार्य है।

श्री राज बहादुर : वह एक परिश्रमी व्यक्ति हैं। उनके पास अधिक कार्य नहीं है तथा उन्होंने अपना कर्त्तव्य पूरी तरह निभाया है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी कुछ शक्तियां तकनीकी विभाग के अधिकारी को दे रखी हैं। यह भी बड़े परिश्रमी अधिकारी हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि जब फ्लोटिंग स्टाफ से किसी की नियुक्ति करनी होती है तो उसे उसके लिये प्रशिक्षित किया जाता है तथा जब उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाती है तभी उन्हें उस श्रेणी का वेतन दिया जाता है।

जवाहर लाल नेहरू टेंकर का भी उल्लेख किया गया है। इसे 1970-7 नहीं में 1 खरीदा गया था बल्कि इसे 13-9-1969 में खरीदा गया था।

इसमें असामान्य अथवा अत्याधिक जैसी कोई बात नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का भी उल्लेख हुआ है। उसके बारे में कोई असंगति नहीं है। यह तारीख 10-6-1970 है और राशि 17.11 लाख रुपए है। बरौनी के बारे में जानकारी विवरण संख्या पांच में दी गई है। मरम्मत कार्यों पर 30.95 लाख रुपए व्यय हुए।

हमारे अधिकतर जहाज पूर्वी यूरोप के मित्र देशों जैसे पौलैण्ड, पूर्व जर्मनी, युगोस्लाविया और रूस से ही प्राप्त हुए हैं। यह कहना तो अविवेकपूर्ण होगा कि हमें अन्य देशों से भी जहाज प्राप्त करने चाहिएं। वास्तव में हमें कुल जहाजों की संख्या का एक चौथाई भाग युगोस्लाविया से ही प्राप्त हुआ है क्योंकि उसके साथ हमने दीर्घकालीन समझौते किये हैं और हमें साख सुविधाएं भी प्राप्त हैं। अन्य किसी देश से ये सुविधाएं नहीं मिलतीं । बरौनी का निर्माण युगोस्लाविया में हुआ था। इससे 3.04 करोड़ रुपये की आय हुई और मरम्मत पर 30.95 लाख रुपये खर्च हुए । ये आंकड़े केवल 2 वर्ष के लिए हैं।

इन जलयानों की कुल पूंजी लागत 30.72 करोड़ रुपये है और उसकी तुलना में 31-3-72 तक 16.6 करोड़ रुपये की कुल आय हुई। जबकि शुद्ध आय 3.5 करोड़ रुपये हुई । कुल विदेशी मुद्रा 16.58 करोढ़ रुपये लगी। 9.57 करोड़ रुपये शुद्ध विदेशी मुद्रा की राशि की बचत हुई। यदि शिपयार्ड को दी गई 1.87 करोड़ रुपये की किस्त की राशि निकाल दी जाये तो हमारे विदेशी मुद्रा कोष में 7.57 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । यह शुद्ध लाभ में एक बड़ी वृद्धि है जो सारे खर्चे निकालने के बाद आय का 21.49 प्रतिशत और पूंजी के सम्बन्ध में 10.27 प्रतिशत बैठती है। अधिकांश मरम्मत का कार्य भारत में होता है। किन्तु जब हमारे पास मरम्मत की सुविधाएं नहीं होतीं तब हमें मरम्मत के लिए विदेशों में जाना पड़ता है।

मरम्मत पर विदेशी मुद्रा की कुल राशि लगभग 90 लाख रुपये जा पड़ती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाजरानी निगम 1961 में प्रारम्भ हुआ था और उसमें केवल 19 पोत थे और उसकी टन क्षमता 1.92 थी। आज जहाजरानी निगम के पास 95 पोत हैं और 18.7 लाख से

अधिक डी० डब्ल्यू टी० हैं। 43 पोतों के साथ अतिरिक्त टन क्षमता 22.32 लाख; डी० डब्ल्यू टी० हो सकता है। इक्वीटी पूंजी 27.95 करोड़ रुपये होती है और 31-3-1972 तक लाभ तथा बचत 37.60 करोड़ रुपये होती है।

जहां तक प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है, सरकारी नौवहन प्रोत्साहन के बिना विकसित नहीं हो सकता। यह सभी प्रकार के प्रोत्साहनों पर आधारित है जिससे हम अपने नौवहन का निर्माण कर सकते हैं। 40 प्रतिशत की विकास सम्बन्धी छूट है जो 1974 के बाद उपलब्ध नहीं होगी। यह निश्चय ही व्याज की बहुत रियायती दर है। नौवहन विकास निधि का निर्माण एक बहुत बड़ा पहलू है।

हमने प्रोत्साहन को जारी रखने या प्रोत्साहन के विकल्प का प्रश्न उठाया है। इस समय सरकारी क्षेत्र प्रगति कर रहा है। सरकारी उपक्रमों ने लगभग 50 प्रतिशत नौवहन क्षमता का स्वामित्व लिया है या प्राप्त किया है और पांचवीं योजना के अन्त तक हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे 75 प्रतिशत से अधिक नौवहन टन क्षमता का स्वामित्व ग्रहण करेंगे। इस पर हम वास्तव में अन्य जहाजरानी कम्पनियों के ऋण को नहीं दबा रहे। स्वभावत: सरकारी क्षेत्र पर बल डालना है क्योंकि इससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा मिलती है। 100 प्रतिशत नौवहन टन क्षमता के साथ सभी 95 पोत कार्य करते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा पोत नहीं है जो कार्य नहीं कर रहा। सभी से अच्छी आय हो रही है। ये सभी एक साथ लगभग 35 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अंशदान कर रहे हैं। समग्र रूप में नौवहन से 95 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिल रही है।

मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि किसी भी कार्यकारी को अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं बढ़ने देंगे और उन्हें अपने ही आकार में रहने देंगे और समुचित नियंत्रण और पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए हम करेंगे कि कोई भी अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करे।

MGIPRRND—V (Day)—30 LSS/73—7-12-73—490